रजिस्ट्री सं० डी—(०. ५७)—73 REGISTERED NO. D—(.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1986 (ज्येष्ठ 3, 1908)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1986 (JYAISTHA 3, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1
## PART III—SECTION 1

## उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

## [Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च, 1986

सं० ए० 38013/4/85-प्रशा०-III--कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 33/12/73-स्था० (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में का० स० से० के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न डेस्क अधिकारी (तदर्थ) श्री रजिन्दर सिंह को 28 फरवरी, 1986 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

दिनांक 15 अप्रैल, 1986

सं० ए० 35014/3/85-प्रशा०---सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यालय कनिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री एन० एस० वेंकटरमण को 15 अप्रैल, 1986 से अगले आदेशों तक, प्रोन्नति आधार पर आयोग के कार्यालय में से लेखा अधिकारी (रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में ग्रुप "ख") के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० ए० 38012/1/85-प्रशा०-II--श्री एम० एन० धवन, स्थायी अधीक्षक, (हाल) तथा स्थानापन्न प्रबन्धक (त० स०) ने अपनी निवर्तन आयु हो जाने के परिणामस्वरूप 30-4-1986 के अपराह्न से सं० लो० से० आ० के कार्यालय में प्रबन्धक (त० सं०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम० पी० जैन,
अवर सचिव (का० प्रशा)
संघ लोक सेवा आयोग

कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासन विभाग,
लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० ए० 31016/3/86-प्र०-I(वि प्रो०)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित स्थानापन्न पुलिस अधीक्षकों, के० अ० ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना को उनके नामों के समक्ष लिखी तिथि से, मूल रूप से पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं :—

| नाम | पुष्टि की तारीख |
|---|---|
| 1. श्री आर० एन० कौल | 31-3-1984 |
| 2. श्री डी० भागची | 3-5-1984 |
| 3. श्री मुरारी लाल | 3-5-1984 |
| 4. श्री ए० के० मजुमदार | 3-5-1984 |

डी० पी० भल्ला,
नागत अधिकारी (स्था०)
के० अ० ब्यूरो

## गृह मंत्रालय

### पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1986

सं० 18/4/86-प्रशा०—श्री एम० वी० नरसिंह रेड्डी, निरीक्षक को केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल हैदराबाद में दिनांक 31 जनवरी, 1986 (अपराह्न) से प्रथम दृष्टांत में एक वर्ष के लिए उप पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षक) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 2 मई, 1986

सं० 18/7/86-प्रशा०-2—श्री विलोकीनाथ, सहायक समाचार संपादक ने आकाशवाणी के समाचार विभाग से कार्यमुक्त होकर दिनांक 10 मार्च, 1986 (पूर्वाह्न) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में रु० 650-30-740-35-810 ई० बी०-35-880-40-1000 ई० बी०-40-1200 के वेतनमान में संपादक, इंडियन पुलिस जनरल के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

एस० के० मलिक, महानिदेशक

---

### महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० ओ० एक०17/86-स्था०-1—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री पी० एन० रामाकृष्णन अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, गांधी नगर, की सेवाएं दिनांक 25-3-1986 अपराह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपी जाती हैं ।

सं० ओ० दो०-2145/86-स्था० 1—राष्ट्रपति, जी ने डाक्टर एन० श्रीनिवासुलु को, स्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-2 (डी० एस० पी० कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 27 मार्च, 1986 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त किया है ।

सं० ओ० दो०-2196/86-स्था०-1—राष्ट्रपति जी, ने डाक्टर (श्रीमती) एस० सुजाता को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-2 (डी० एस० पी० कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 14 अप्रैल, 1986 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त किया है ।

सं० ओ० दो०-2197/86-स्थापना-1—राष्ट्रपति जी, ने डाक्टर प्रभाकर राव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड 2 (डी० एस० पी० कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 12 अप्रैल, 1986 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त किया है ।

सं० ओ० दो०-2198/86 स्थापना-1—राष्ट्रपति जी, ने डाक्टर पुलक कुमार घोष को अस्थाई रूप से आगमी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-2 (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 14 अप्रैल, 1986 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त किया है ।

सं० ओ० दो०-2199/86-स्थापना-1—राष्ट्रपति जी, ने डाक्टर सीताराम राजू को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर के पद पर दिनांक 21 अप्रैल, 1986 पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्ति किया है ।

जी० पी० गुप्ता,
उपनिदेशक (स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 1986

सं० ओ० दो०/1819/83-स्थापना—भारत सरकार (गृह मंत्रालय) ने डाक्टर (श्रीमती) वणा पाती रथ का मिजोरम सरकार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति का समय वर्तमान शर्तों पर दिनांक 10 मार्च, 1986 पूर्वाह्न से एक वर्ष तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है ।

एम० अशोक राज,
सहायक निदेशक (स्थापना)

---

### महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 1986

सं० ई०-16016/1/85-कार्मिक-1—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतर होने पर लेखा परीक्षक निदेशक का कार्यालय केन्द्रीय राजस्व-1, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा अधिकारी श्री के० वी० माथुर ने 14 अप्रैल, 1986 के अपराह्न से महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (लेखा), के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 29 अप्रैल, 1986

सं०ई०16013(2)/40-84-कार्मिक-1—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर, श्री के० के० दास, भा० पु० से० (पश्चिम बंगाल :69) ने 16 अप्रैल, 1986 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, ए० एस० पी०, दुर्गापुर के कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

(कु०) अपठनीय
महानिदेशक, के० औ० सु० ब०

---

## वित्त मंत्रालय

### वित्तीय कार्य विभाग

### बैंक नोट मुद्रणालय,

देवास, दिनांक 27 अप्रैल, 1986

सं० सस्ती क्रमांक बी० एन० पी०/सी०/5/86—श्री जी० आर० ठाकुर, स्थायी उप तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना) को तकनीकी अधिकारी (स्याही कारखाना) के पद पर वेतनमान रु० 650-30-740-35-810 ई० रो०-35-880-40-1000 ई० रो०-40-1200 (राजपत्रित) वर्ग "ख") में बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में दिनांक 1 मार्च, 1986 (पूर्वाह्न) से अन्य आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

सस्ती क्रमांक बी० एन० पी०/सी/5/86—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक बी० एन० पी०/सी०/5/85 दिनांक 22 सितम्बर 1985 के अनुक्रम में श्री पी० वी० वर्गीस, अनुभागीय अधिकारी (लेखा) अधिकारी को लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रु० 840-40-1000 ई० रो०-40-1200 (समूह "ख" राजपत्रित) में बैंक नोट मुद्रणालय देवास (म० प्र०) में दिनांक 9-11-1985 (पूर्वाह्न) से अन्य आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

सं० बी० एन० पी०/सी०/5/86—निम्नलिखित उप कार्य अभियंता (कर्मशाला) को सहायक अभियंता (कर्मशाला) के पद पर वेतनमान रुपये 650-30-740-35-810-ई० रो० -35-880-40-1000 ई० रो०-40-1200 (राजपत्रित वर्ग "ख") में बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म० प्र०) में दिनांक 1-3-1986 (पूर्वाह्न) से अन्य आगामी

आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

| अनु० क्रम० | अधिकारी का नाम | पद जिस स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किये गये |
|---|---|---|
| | सर्वश्री | |
| 1. | ए० के० चौहान (अजा०) | सहायक अभियंता (विद्युत) |
| 2. | रामबृक्ष (अ जा०) | सहायक अभियंता (यांत्रिकी) |
| 3. | आर० एन० ठाकुर (अ जा०) | सहायक अभियंता (बाता०) |
| 4. | के० के० गर्ग | सहायक अभियंता (सिविल) |

दिनांक 30 अप्रैल 1986

नसी० क० मो० एन० पी०/सी०/5/86—निम्नलिखित मुद्रण एवं मुद्रपट्ट निर्माण अनुभाग के उप तकनीकी अधिकारी को बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म० प्र०) में तकनीकी अधिकारी (मुद्रण एवं मुद्रपट्ट निर्माण) वेतनमान रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर दिनांक 1-3-1986 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

| अनु० क्र० | अधिकारी का नाम |
|---|---|
| | सर्वश्री |
| 1. | एस० के० शुक्ला |
| 2. | आर० के० बोधाल |
| 3. | एच० एस० रॉनाडे |
| 4. | एम० पी० फुलकर |
| 5. | एम० सी० कोशी |
| 6. | सी० एम० रानाडे |
| 7 | आर० एम० गोपालन |

मु० वै० चार,
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 अप्रैल 1986

सं० प्रशासन 1/का० आ० सं० 27—निदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व-1 इस कार्यालय के स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी श्री के० के० मलिक को 840-1200 रु० के समयमान में दिनांक 1-10-84 से स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 2 मई 1986

सं० प्रशासन 1/कार्यालय आदेश सं० 31—श्रीमान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय राजस्व) इस कार्यालय के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारी अब सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के वेतन क्रम 840-1200 रु० में 29-4-1986 पूर्वाह्न से अगले आदेश आने तक नियुक्त करते हैं :—

1. हरीसरन सारस्वत
2. अमलेन्दु चक्रवर्ती

मोहन खुराना, उप निदेशक
लेखा परीक्षा (प्रशासन)

महालेखाकार लेखा परीक्षा का कार्यालय आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500463, दिनांक 2 मई 1986

सं० प्रशासन 1/8-132/86-87/23—महालेखाकार (लेखा परीक्षा) आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद ने सहर्ष नीचे लिखे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्थानापन्न लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में 840-40-1000-द० रो० अ-40-1200 रु० वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी अगले आदेशों तक पदोन्नति की जाती है । पदोन्नति के लिए दिये गये आदेश उसके वरिष्ठों के दावों पर बिना कोई प्रभाव डाले, यदि कोई हो, और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन माने जाएंगे ।

उन्हें चाहिए कि वे अपना विकल्प भारत सरकार का० ज्ञा० सं० एफ/7/1/80-स्थापना पी० टी० 1 दिनांक 26-9-81 की शर्तों के अनुसार पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर दें ।

| नाम | पद ग्रहण की तारीख |
|---|---|
| 1. श्री आर० पद्मनाभराव | 25-4-1986 (अप०) |

न० रामस्वामी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा परीक्षा II) केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० हकदारी और रोकड़/1/10/3/86-87/26—महालेखाकार (लेखा परीक्षा II) का कार्यालय केरल, तिरुवनन्तपुरम के सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री के० जनार्दन पिल्लै अधिवर्षिता के कारण 31-3-1986 अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये हैं ।

वि० लक्ष्मीनारायणन
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, म० प्र०

ग्वालियर, दिनांक 29 अप्रैल 1986

सं० प्रशासन II/समूह-1/पदोन्नति/ले० प० अ०/19—महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम) ने निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 840-40-1000-द० रो०-40-1200 में उनके नाम के आगे दर्शाये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक पदोन्नत किया है :—

| क्रमांक | नाम | स्थायी क्रमांक | कार्यभार ग्रहण करने आवंटन का दिनांक व पदो० दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सर्वश्री | | |
| 1. | जोगिन्दर सिंह | 01/378 | 29-1-86 अपराह्न |
| 2. | एम० एम० देशपांडे | 01/387 | 30-1-86 पूर्वाह्न |
| 3. | सी० पी० बांगा | 01/354 | 29-1-86 पूर्वाह्न |
| 4. | एस० जी० गुप्ता | 01/357 | 5-2-86 पूर्वाह्न |
| 5. | एस० वाई० भांडकलकर | 01/356 | 30-1-86 पूर्वाह्न |
| 6. | एम० सेन | 01/367 | 29-1-86 पूर्वाह्न |
| 7. | के० बी० फड़के | 01/358 | 29-1-86 पूर्वाह्न |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | टी० एन० शर्मा | 01/370 | 5-2-86 पूर्वाह्न (प्रोफार्मा पदोन्नति अंडर एन० बी० आर०) |
| 9. | सी० एन० श्रीवास्तव | 01/375 | 5-2-86 पूर्वाह्न |
| 10. | एम० सी० दुबे | 01/369 | 26-2-86 पूर्वाह्न |
| 11. | एम० के० नाथ | 01/376 | 26-2-86 पूर्वाह्न |
| 12. | वी० के० सक्सेना | 01/371 | 26-2-86 पूर्वाह्न |

(प्राधिकार : महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम के आदेश दिनांक 29-1-86 एवं 29-2-86)

ह०/अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

---

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) पश्चिम बंगाल

कलकत्ता-700001, दिनांक 21 अप्रैल 1986

सं० प्रशासन/1038-XXI/6--महालेखाकार (ले० एवं हक०) पश्चिम बंगाल ने अगले आदेश तक श्री परिमल कुमार चक्रवर्ती, स्थायी अनुभाग अधिकारी को तदर्थ अस्थायी तौर पर, लेखा अधिकारी के हैसियत में अस्थायी और स्थानापन्न रूप से 1-4-86 (पूर्वाह्न) से या इसके बाद जिस दिनांक से, जो भी बाद में हो, वह वस्तुतः कार्यभार संभालते हैं, इस कार्यालय में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है ।

महालेखाकार (ले० एवं हक०) ने सर्वश्री गोरांग भटाचार्य तथा नवगोपाल चटर्जी स्थायी अनुभाग अधिकारियों जो कि कलकत्ता मेट्रोपालिटन विकास प्राधिकार, कलकत्ता में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को अगला आदेश तक तदर्थ तथा अस्थायी तौर पर, वेतनमान 840-1200/- पर अस्थायी और स्थानापन्न रूप में दिनांक 24-12-1985 (पूर्वाह्न) से अर्थात् जिस दिनांक से उनकी ठीक कनिष्ठ सर्वश्री अरुण मोहन चक्रवर्ती तथा दीनबन्धु मुखर्जी लेखा अधिकारी के हैसियत से कार्यभार संभालते हैं, प्रोफोमा प्रोन्नति की स्वीकृति दी है । इस मामले में "अगला निचला नियम" के अनुसार प्रोन्नति प्रदान करने के सभी पूर्व शर्तें पूर्ण हुए है और महालेखाकार (ले० एवं हक०) पश्चिम बंगाल ने एफ० आर० 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सर्वश्री भटाचार्य तथा चटर्जी द्वारा धृत पदों को सेवा के साधारण क्रम के बाहर होने की घोषणा की है ।

इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि लेखा अधिकारी के संवर्ग में पूर्वोक्त प्रोन्नतियां जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमें में निर्णय निलम्बित रहे तब तक पूर्णतया अस्थायी रूप से है और भारतीय गण राज्य तथा दूसरों के खिलाफ दायर किये गये 1979 के सी० आर० केस सं० 14818 (डब्ल्यू) के अंतिम फैसले के अधीन है ।

नया प्रोन्नत अधिकारी को एक माह के अन्दर विकल्प देना होगा । उनकी प्रोन्नति पर उनके वेतन पहले एफ० आर० 22-सी के अधीन निर्धारित करना चाहिए और यदि वे एक माह की निर्धारित अवधि के अन्दर दिनांक 26-9-81 के ओ० एम० के पैरा 2 (ख) के अनुसार विकल्प देते हैं तो उनके वेतन उनकी प्रोन्नति दिनांक से पहले एफ० आर० 22 (क)(1) के अधीन तथा उसके बाद प्रवायक (फीडर) पद पर, परवर्ती वेतन वृद्धि के दिनांक से एफ० आर० 22-सी० के अधीन निर्धारित करना चाहिए ।

सी० मिश्र
वरिष्ट उप महालेखाकार (प्रशासन)

---

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1986

आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण (स्थापना)

सं० 6/1444/83-प्रशासन (राज०संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय, बम्बई में सर्वश्री एल० पी० घाटे, नियंत्रक, आयात-निर्यात सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 31 मई, 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

सं० 6/1378/82-प्रशासन (राज०) 2600-संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री एम० डी० ढोलकिया, नियंत्रक, आयात निर्यात, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, 31 जुलाई, 1984 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

सं० 6/1464/84-प्रशासन (राज०) 2607--संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री आर० जे० मनेरिकर, नियंत्रक, आयात निर्यात सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 30 सितम्बर, 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

सं० 6/1460/84-प्रशासन (राज०) 2614--संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री एस० सीनावाने, नियंत्रक, आयात निर्यात, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 31 मार्च, 1984 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

सं० 6/1461/84-प्रशासन (राज०) 2621--संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री के० आर० चाजवा, नियंत्रक, आयात निर्यात, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 31 जुलाई, 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए है ।

शंकर चन्द
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

---

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई, दिनांक 29 अप्रैल 1986

सं० सी० ई० आर०/5/86-सी० एल० डी०--वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के खण्ड 24 के उप खण्ड (एक) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी को उस सारणी के स्तम्भ दो की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उक्त आदेश के खण्ड या खण्डों के अंतर्गत वस्त्रायुक्त के कार्यों एवं अधिकारों का मेरी ओर से निर्वहन करने का प्राधिकार देता हूं :—

सारणी

| अनुक्र० | खण्ड | अधिकारियों का पद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | खण्ड 4 (एक), (4) 6(एक) व 7 | मुख्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के निदेशक, वरिष्ट प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी । |

| 1 | 3 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | खण्ड 8 | मुख्यालय के निदेशक, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी । |
| 3. | खण्ड 15 | मुख्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के निदेशक, तथा वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी । |
| 4. | खण्ड 16(1)(ए) ई (बी) तथा (ई) खण्ड 16 (2) तथा खण्ड 16 (4) | मुख्यालय के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी । |
| 5. | खण्ड 20 | मुख्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के निदेशक, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक तथा तकनीकी अन्वेषक । |
| 6. | खण्ड 21 (एक) | (1) मुख्यालय के निदेशक, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक तथा तकनीकी अन्वेषक । |
| | | (2) नियुक्त किए गए अपने कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालयों के सभी अधिकारी जो तकनीकी अन्वेषक की रेंक से नीचे नहीं है । |
| 7 | खण्ड 22 | मुख्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के निदेशक, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी । |
| 8. | खण्ड 23 | मुख्यालय के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी । |

अरुण कुमार, वस्त्र आयुक्त

---

कार्यालय, महानियंत्रक

एकस्व, रूपांकन एवं व्यापार चिन्ह

बम्बई,-400020 दिनांक 23 अप्रैल 1986

सं० सी० जी० एफ०/14/7(13)(एकस्व)/86/159—श्री के० सी० चौधरी दिनांक 6-8-84 से एकस्व कार्यालय में परीक्षक एकस्व और रूपांकन के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं।

सं० सी० जी० एफ०/14(7)(13)(एकस्व)/86/160—श्री एम० ए० हफीज दिनांक 23-6-82 से एकस्व कार्यालय में परीक्षक, एकस्व और रूपांकन के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं।

सं० सी० जी० एफ०/14 (13)(एकस्व)/85/161—श्री डी० के० राय चौधरी का सहायक नियंत्रक, एकस्व एवं रूपांकन के पद पर प्रत्यावर्तन होने के कारण श्री एस० चन्द्रशेखरन ने एकस्व शाखा कार्यालय, बम्बई में उपरोक्त पद का कार्यभार दिनांक 2-12-1985 (अपराह्न) से त्याग दिया है और उन्होंने परीक्षक, एकस्व एवं रूपांकन का कार्यभार इसी कार्यालय में दिनांक 3-12-1985 से संभाल लिया है ।

आर० ए० आचार्य,
महानियंत्रक
एकस्व, रूपांकन एवं व्यापार चिन्ह

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13) (एकस्व)/86/162—श्री एस० के० गर्ग, दिनांक 26-4-82 से एकस्व कार्यालय में परीक्षक, एकस्व, और रूपांकन के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं।

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13) (एकस्व)/86/163—श्री के० एस० कर्दम दिनांक 27-12-1984 से एकस्व कार्यालय में, परीक्षक, एकस्व और रूपांकन के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं।

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13)पी० आई० एस०/86/164—राष्ट्रपति, श्री बी० एस० कृष्णन, को प्रशासकीय अधिकारी (ग्रुप 'अ' राजपत्रित) के पद पर रुपये 700-1300 के वेतनमान में दिनांक 18-12-1985 (पूर्वाह्न) से प्रति नियुक्ति के आधार पर एकस्व पद्धति सूचना कार्यालय, नागपुर में नियुक्त करते हैं ।

सं० सी० जी०/एफ०/14/7(13)(एकस्व)/86/165—श्री के० वेणुगोपाल दिनांक 28-1-63 से एकस्व कार्यालय में परीक्षक एकस्व और रूपांकन के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं।

आर० ए० आचार्य
महा नियन्त्रक,
एकस्व, रूपांकन एवं व्यापार चिन्ह

---

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700 016, दिनांक 24 मार्च, 1986

सं० 1993 बी/ए-32013(4-ड्रीलर)/83-19 बी०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महा निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधिकारियों को ड्रीलर के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में नियमानुसार 650-30-740-35-810-ई० रो०-35-880-40-1000-ई० रो०- 1200 रु० के वेतनमान के वेतन पर स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं ।

| क्रम सं० | नाम | नियुक्ति तिथि |
|---|---|---|
| 1. | श्री सी० एम० ई० औलिवेरिया एस० टी० ए० (ड्रीलिंग), | 30-1-86 (पूर्वाह्न) |
| 2. | श्री वी० सी० जेरियां, एस० टी० ए० (ड्रीलिंग) | 30-1-86 (पूर्वाह्न) |

दिनांक 29 अप्रैल 1986

सं० 2566/ए 19012 (जे० एस०/एं०) 64-19/ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकारी श्री जे० एम० आहूजा सरकारी सेवा से 31-1-1986 (अपराह्न) से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए।

अमित कुमारी
निदेशक (कार्मिक)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 1 मई, 1986

सं ए-19012 (2237) 86 स्था ए०:—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए० फ्रांसिस, भंडार पाल (तक०), ग्रेड-II, भारतीय खान ब्यूरो, को स्थानापन्न रूप से सहायक भण्डार अधिकारी के पद पर भारतीय खान ब्यूरो, में दिनांक 21 मार्च, 1986 के पूर्वाह्न से पदोन्नति प्रदान की गई।

पी० पी० नाथी
प्रशासन अधिकारी
कृते महानियन्त्रक,
भारतीय खान ब्यूरो

---

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० एफ० 30-47/85-स्था०/7398—श्रीमती रेमा देवी करुणाकरन को पश्चिमी प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, पूना में रु० 650-1250 के वेतनमान मे, सहायक प्राणिविज्ञानी (समूह ख) के पद पर 8/4/1980 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक, अस्थायी रूप मे नियुक्त किया गया।

डा० बी० के० टिकादर
निदेशक

---

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली दिनांक 16 अप्रैल, 1986

सं० 4/9/83-एम-II—आकाशवाणी महानिदेशालय की अधिसूचना सं० 4/9/85-एस-II, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के अनुक्रम में महानिदेशक आकाशवाणी, श्री डी० पी० शर्मा, वरिष्ठ, हिन्दी अनुवादक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग डिवीजन), नई दिल्ली, जो वर्तमान समय में प्रतिनियुक्ति पर हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में 650-749-35 810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं की नियुक्ति अवधि दिनांक 26-12-1985 से अगले आदेशों तक आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाते हैं।

मीहन फ्रांसिस,
प्रशासन उपनिदेशक,
कृते महानिदेशक

---

सं० 6/71/63-एम-1 (खण्ड-III)—श्री वी० ए० विजयसारथी, में कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, पांडिचेरी, 1 अक्तूबर, 1985 को पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ईश्वर लाल भाटिया
प्रशासन उप निदेशक (कल्याण)
कृते महानिदेशक

---

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1986

सं० ए० 12026/18/85-एम० एच०—अस्वास्थ्य सेवा महानिदेशक श्री नन्दलाल जयसाल, हैल्थ एजूकेटर, को 21 फरवरी, 1986 (पूर्वाह्न) से प्रारम्भ में छः मास की अवधि के लिए अथवा जब तक यह पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता, जो भी पहले हो, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त जाता है।

पी० एन० ठाकुर
उप निदेशक प्रशासन

---

कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय
तेलहन विकास निदेशालय,

हैदराबाद-500029, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० एफ8-5/85-स्थापना—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर निदेशक, तेलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद श्री रामधनी राम को 24 मार्च, 1986 के पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक तेलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में हिन्दी एवं प्रचार अधिकारी, (राजपत्रित वर्ग "ख") के पद पर अस्थायी रूप से रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- के वेतनमान पर नियुक्त करते हैं। इनकी परिवीक्षा अवधि 24 मार्च, 1986 से दो वर्ष तक के लिए होगी। इन्हें नियमानुसार स्वीकार्य वेतन तथा अन्य भत्ते मिलेंगे।

म० दा० वासनिक
निदेशक

---

परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय और भण्डार निदेशालय,

बम्बई-400 001, दिनांक 28 अप्रैल 1986

सं० क०भं०नि०/41/18/85-प्रशा०/2303—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय, के निदेशक, ने स्थायी कनिष्ठ क्रय सहायक तथा स्थानापन्न, क्रय सहायक श्री ए० पी० मामवानी को इसी निदेशालय में दिनांक 3-3-1986 (पूर्वाह्न) से 5-4-1986 (अपराह्न) तक 650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो० 40-1200 रुपये के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी श्री ए० एच० सदारंगानी ने स्थान पर की गई है जिन्हें उक्त अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की है। स्थानापन्न के समय उनका वेतन 1/- रुपए की सांकेतिक कटौती कर सामान्य नियमों के अन्तर्गत नियत किया जाएगा।

दिनांक 29 अप्रैल, 1986

सं० क० भ०नि०/28/1(1)/85-प्रशा०/2309—निवर्तन की आयु प्राप्ति के फलस्वरूप इस निदेशालय के केन्द्रीय भंडार एकक के सहायक भंडार अधिकारी, श्री एन० जॉन जानी दिनांक 31-3-1986 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए।

सं० क०भं०नि०/2/1/(11)/83 प्रशा०/2314—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय, के निदेशक, ने स्थायी भंडारी, श्री एन० बी० नाडकर्णी, को इससे निदेशालय में दिनांक 1 अप्रैल, 1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40 1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर अस्थायी आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

सं० क०भं०नि०/41/3/85 प्रशा०/2324—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक, ने स्थायी सहायक लेखापाल, श्री अब्दुल सत्तार हैदर शेख, को इसी निदेशालय में दिनांक 14-2-1986

(पूर्वाह्न) से 22 3 1986 (अपराह्न) तक 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सहायक लेखा अधिकारी, श्री एल० उन्नीकृष्ण के स्थान पर की गई है जिन्हें उक्त अवधि के लिए लेखा अधिकारी II के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया है।

बी० जी० कुलकर्णी
प्रशासन अधिकारी

---

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

दिनांक 28 अप्रैल, 1986

सं० ना०ई०स०/का० प्र०/0704/728—नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, के प्रशासन के उप मुख्य कार्य पालक जी० प्रवरण श्रेणी लिपिक श्री मो मि रसूल को, रुपये 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 के वेतन मान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में दिनांक 28-4-86 से 14-6-86 पर्यन्त अथवा आगामी आदेशों पर्यन्त इनमें से जो भी पूर्व घटित हो, नियुक्त करते हैं।

जी० जी० कुलकर्णी,
प्रबन्धक, कार्मिक व प्रशासन

---

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400 008, दिनांक 30 अप्रैल 1986

सं० 5012/2/2/1766—भारी पानी परियोजनाओं के प्रधान कार्यकारी, श्री वलपतभाई भगवानजी बारोत, उच्चश्रेणी लिपिक, म्यूनिसिपल पावर बोर्ड बम्बई को भारी पानी संयंत्र, (बड़ोदा) में, 30 जनवरी, 1986 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक के लिए स्थानापन्न रूप में सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्रीमती के० वी० कल्याणीकिट्टी,
प्रशासन अधिकारी

---

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद 6, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० प० ख०प्र० 16/8/85 भर्ती—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद द्वारा, परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न लेखापाल, श्री जे० के० शर्मा को उसी प्रभाग में दिनांक 7 अप्रैल, 1986 से लेकर, 6 जून, 1986 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

[एस० पद्मनाभन
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

---

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय,

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 1986

सं० ए-32013/1/83 ई० डब्ल्यू०—राष्ट्रपति, श्री एल० सी० गुप्ता, सहायक निदेशक, (उपस्कर), को 5-4-85 से 31-3-86 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नति पर उप निदेशक (उपस्कर), नागर विमानन विभाग के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एल० सी० गुप्ता, को महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में तैनात किया जाता है।

वेद प्रकाश
उप निदेशक प्रशासन
कृते महा निदेशक नागर विमानन

---

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1986

सं० ए 12025/1/84 ई० एस०—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री सुविधा दत्ता को दिनांक 27-2-1986 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, 700-1300 रुपये के वेतनमान में उड़न योग्यता अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री सुविधा दत्ता को निदेशक, उड़न योग्यता का कार्यालय, कलकत्ता हवाई अड्डा, कलकत्ता में तैनात किया जाता है।

सं० ए 12025/1/84 ई० एस०—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री बाबू लाल को 18-2-86 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश होने तक, 700 1300 रुपये के वेतनमान में उड़न योग्यता अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री बाबू लाल को निदेशक, उड़न योग्यता का कार्यालय, नागर विमानन विभाग, कलकत्ता हवाई अड्डा, कलकत्ता में तैनात किया जाता है।

एम० मुखर्जी,
उप निदेशक प्रशासन

---

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 31 मार्च, 1986

सं० 1/564/86 स्था०—विदेश संचार सेवा के महा निदेशक एतद द्वारा मद्रास शाखा के पर्यवेक्षक, श्री एम० गोपालन को 25-11-1985 से 14-12-14-12-85 (दोनों दिनों सहित) तक एक अल्पकालीन रिक्त स्थान पर उसी शाखा में स्थानापन्न रूप में उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

र० का० ठक्कर
उप निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

---

केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क

बड़ोदरा, दिनांक 25 अप्रैल, 1986

सं० 14/1986—श्री एच० चन्द्र, इंजीनियर, वर्कशाप, मगपरला, सीमा शुल्क, सूरत वृधावस्था को आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31-3-1986 अपराह्न से निवृत्त हो गये हैं।

अरविन्द सिन्हा,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क,

---

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली 110066, दिनांक 25 अप्रैल, 1986

सं० ए 19012/1145/85 स्थापना पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग श्री समीर कुमार दास, पर्यवेक्षक, को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर (इंजीनियरिंग) के ग्रेड में 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000 द० रो० 40-1200/ रुपये के वेतनमान में 31-12-85 को अपराह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर

कर जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्ण अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर स्थानापन्न नियुक्त करते हैं ।

मीनाक्षी अरोड़ा
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

---

निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

सं० 1/428/69 ई० सी० 9—इस विभाग के वरिष्ठ, वास्तुकार श्री जे० पी० शर्मा, कार्यालय की आयु प्राप्त करने पर, 30-4-86 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

पृथ्वी पाल सिंह,
प्रशासक उप निदेशक

---

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई, 1986

सं० 32/3/85 ई० सी० 2—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यपालक इंजीनियर श्रेणी-1, के ग्रेड के निर्धारित की आयु (58) वर्ष होने पर, सरकारी सेवा से उनके आगे दी गई तारीख से सेवानिवृत्त किए जाते हैं :—

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम सर्व श्री पदनाम | निवृत्ति की तारीख | अंतिम तैनाती का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | आर० के० सल्होत्रा कार्य० इंजी० (विद्युत) | 30-4-86 (अपराह्न) | देहरादून केन्द्रीय विद्युत मंडल, के० लो० नि० वि०, देहरादून । |
| 2. | के० एल० अमीजा कार्य० इंजी० (विद्युत) | 30-4-86 (अपराह्न) | निर्माण सर्वेक्षक (वि०), 5, के० लो० नि० वि०, मुख्य इंजीनियर का कार्यालय, नई दिल्ली । |
| 3. | जी० आर० शिवारमयी कार्य०, इंजी० (सिविल) | 30-4-86 (अपराह्न) | "बी" मंडल, के० लो० नि० वि० नई दिल्ली । |
| 4. | वाई० पी० अहरा कार्य०, इंजी० (सिविल) | 30-4-86 (अपराह्न) | उपनिदेशक, (प्रशिक्षण) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली । |

के० सी० देहूरी,
उप निदेशक प्रशासन
कृते निर्माण महानिदेशक

---

## उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

## (कम्पनी कार्य विभाग)

## कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर

मूलक्षेत्राधिकार

कम्पनी अधिनियम, 1986 के सम्बन्ध में

एवं

मैसर्स जे० पी० स्विचगियर प्रायवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

दी रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, राजस्थान जयपुर — पिटिशनर

जयपुर, दिनांक 21 अप्रैल, 1986

समापन आदेश की सूचना

कम्पनी पिटिशन सं० 4/1983—माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ, जयपुर के आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1986 के द्वारा, आदेश किया गया था कि उपरोक्त, लिखित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समापित की जाये।

तेज बहादुर माथुर
अधिवक्ता पिटिशनर

---

कम्पनी अधिनियम 1956 श्रीनी पाकिजिड प्रा० लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद दिनांक 2 मई, 1986

सं० 3827/टी ए III/560//—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्रीनी पकिजिड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

---

कम्पनी अधिनियम 1956 भाग्यनगर टूल्स एण्ड फैबरिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई 1986

सं० 3425/टी ए-III/560—कम्पनी अधिनियम, की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह की अवसान पर भाग्यनगर टूल्स एण्ड फैबरिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

---

कम्पनी अधिनियम, 1956 मिल्कान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई, 1986

सं० 1280/टी० ए०-III/560—कम्पनी अधिनियम, की धारा 560 उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मिल्कान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 पयनीर चिटस एन्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई 1986

सं० 2787/टी० ए० III3/560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण मे एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर पयनीर चिट्स एन्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

---

कम्पनी अधिनियम 1956 हैदराबाद टेक्सटाईल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई, 1986

सं० 2034/टी० ए०-III/560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर हैदराबाद टेक्सटाइल प्रा० लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

---

कम्पनी अधिनियम 1956 लेबर इकनामिक एन्ड पर्सनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई 1986

सं० 1697/टी० ए०-III/560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर लेबर इकनामिक एन्ड पर्सनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 सोफरोम केमिकल प्रासेस

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई 1986

सं० 2429/टी० ए० III/560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर सोफरोम केमिकल प्रासेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

---

कम्पनी अधिनियम 1956 होटल सागरव्यू प्राइवेट

लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 2 मई 1986

सं० 1340/टी० ए०-III/560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर होटल सागरव्यू प्राइवेट लिमिटेड का नाम इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

---

**प्रारूप आई. टी. एस. एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. ।।।/284/अर्जन/86-87--

अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. थाना नं.-199, एम. एस. प्लोट नं.-706, होल्डींग नं.-18, नया हो. नं.-814, सब प्लोट नं.-706, वार्ड नं.-1 है, तथा जो ग्राम चंडरी, थाना/जिला-रांची में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 28-8-1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अंतरक को** सायित्व से कमी करना या उससे बचने में सहिष्णु **के लिए; और/या**

**(ख)** ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—**

1. श्री रणजीत सिंह
पिता स्व. हरी चन्द्र सिंह,
निवासी—रातु रोड, थाना—सुखदेव नगर,
जिला—रांची।

(अन्तरक)

2. श्री राम प्रसाद सिंह
पिता स्व. मोहबत सिंह,
निवासी—ग्राम-हाली शहर मौना,
पो. औ. हाजीनगर, थाना बीजपुर,
जिला-24 परगना (वेस्ट बंगाल)।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

जमीन मय मकान जिसका रकबा 2 कट्ठा, 2 छटांक है तथा जो ग्राम चंडरी, जिला रांची में स्थित है और जो पूर्ण रूप से बसिका संख्या-8884 दिनांक 28-8-85 में वर्णित है जिसका निबंधन जिला अर निबंधन पदाधिकारी रांची के द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. III/285/अर्जन/86-87--
अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. थाना नं.-199, एम. एस. प्लौट नं.-706, माप सब प्लौट नं.-706/3, होल्डीग नं.-18, हौ. नं.-814, वार्ड नं.-1 है, तथा जो ग्राम चंदरी, थाना/जिला-रांची में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 28-8-1985
**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास** करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार **मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रनजीत सिंह
पिता स्व. हरी चन्द सिंह,
निवासी—रातू रोड, थाना—सुखदेव नगर,
जिला—रांची।

(अन्तरक)

1. श्री अभय कुमार सिंह
पिता राम प्रसाद सिंह,
निवासी—हाली शहर कांना, थाना बीजपुर,
जिला—24 परगना (वेस्ट बंगाल)।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ग) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किये जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

जमीन मय मकान जिसका रकबा 2 कट्ठा, 700 वर्ग फीट है तथा जो ग्राम-चंदरी, जिला-रांची में स्थित है। और जो पूर्ण रूप से वसीका संख्या-8881 दिनांक 28-8-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी रांची के द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**सादर प्रस्तुत है**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेशक सं. ।।। 1286/अर्जन/86-87--

अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. थाना नं. 199, एम. एस. प्लौट नं. 707, होलडीग नं.-19, नया होे. नं.-815, वार्ड नं.-1 है, तथा जो ग्राम चडरी, थाना/जिला-रांची में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 28-8-1985

**को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री तेजराम पिता
श्री मंगा राम,
निवासी--रातू रोड, थाना--सुखदेव नगर,
जिला--रांची।

(अन्तरक)

2. श्री विनय कुमार सिंह
पिता श्री राम प्रसाद सिंह,
निवासी--हाली शहर कांना, थाना बीजपूर,
जिला--24 परगना (वेस्ट बंगाल)।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

जमीन मय मकान जिसका रकबा 11 कट्ठी है, तथा जो ग्राम-चड़री, जिला-रांची में स्थित है और जो पूर्ण रूप से बसिका संख्या-8883 दिनांक 28-8-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी रांची के द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एस० एस०——————**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1986

निर्देश सं. अई-4/37-ईई/21559/85-86—

अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. जमीन का हिस्सा, जिसका सर्वे नं. 176, एच. नं. 5 (अंश), सी. टी. एस. नं. 2501, 2502, 2503 और 2505, शिव वल्लभ रोड, दहिसर व्हिलेज, बोरिवली (पूर्व), बम्बई में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन, बंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मेसर्स पी. बिल्डर्स।

(अन्तरक)

2. मेसर्स निखिल बिल्डर्स।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा जिसका सर्वे नं. 176, एच. नं. 5 (अंश), सी. टी. एस. नं. 2501, 2502, 2503 और 2505, शिव वल्लभ रोड, बोरिवली (पूर्व), दहिसर व्हिलेज, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-4/37-ईई/21559/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 31-3-1986
मोहर :

**एफ. आई. डी. एस. एस.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. अई-4/37-ईई/21794/85-86—

अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. सम्पत्ति, जिसका सर्वे नं. 252, 264, एच. नं. 6, 2सी (अंश) और सी टी एस नं. 881 और 881-ए, रणछोडदास रोड, दहिसर (प), बम्बई में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन, बंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मेसर्स लक्ष्मीनारायण कन्स्ट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

2. मेसर्स साईंबाबा डेव्हलोपमेन्टस्।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, जिसका सर्वे नं. 262, 264, एच. नं. 6, 2सी (अंश) और सी. टी. एस. नं. 881 और 881-ए, रणछोडदास रोड, दहिसर (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र.सं. अई-4/37-ईई/21794/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 31-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. अई-4/37-ईई/21545/85-86—

अतः मैं, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. दुकान नं. 1 से 8, जो, तल माला, क्लूस्टर नं. 3, कृष्णा इमारत, शांतीवन, नेशनल पार्क के पास, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन, बंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिसका जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डी. गोयल बिल्डर्स और डेव्हेलोपर्स प्रायवेट लि.। (अन्तरक)

2. मेसर्स नेशनल लिसींग लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो, तल माला, क्लूस्टर नं. 3, कृष्णा, शांतीवन, बोरिवली (पूर्व), बम्बई-66 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-4/37-ईई/21545/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 31-3-1986
मोहर :

**फ्लैट नं. टी. एन. एच. -----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1986

निर्देश सं. अई-4/37-ईई/21571/85-86—

अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. फ्लैट नं. 101 और 102, जो तल माला, निलेश अपार्टमेन्टस्, स्वामी विवेकानंद रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन, बंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती** (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् है—**

1. मेसर्स जी. बी. कन्स्ट्रक्शन।

(अन्तरक)

2. दि डेक्कन मर्चन्टस् को-आप. बैंक लिमिटेड।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप है—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

फ्लैट नं. 101 और 102, जो, तल माला, निलेश अपार्टमेन्टस्, स्वामी विवेकानंद रोड, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-4/37-ईई/21571/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 31-3-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, बम्बई

बम्बई, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. अई-4/37-ईई/21522/85-86--

अतः मुझे, लक्ष्मण दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. जमीन का हिस्सा, जो, व्हिलेज दहिसर (पूर्व), महाजन इस्टेट, ओवरीपाडा, दहिसर पोलीस स्टेशन के पास, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ख, ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भास्कर एच. महाजन।

(अन्तरक)

2. मेसर्स काझी एण्ड काझी कम्पनी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का हिस्सा, जो, दहिसर व्हिलेज (पूर्व), जिसका सर्वे नं. 183/3, 183/2, 182/3, 183/3 और 185/7-ए, महाजन इस्टेट, ओवरीपाडा, दहिसर पोलीस स्टेशन के पास, दहिसर (पूर्व), बम्बई-68 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-4/37-ईई/21522/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

लक्ष्मण दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई

दिनांक : 31-3-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. अई-3/37-ईई/23477/85-86—
अतः मुझे, ए. प्रसाद,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. प्लाट नं. 530, सी. टी. एस. नं. 1488, सब स्कीम नं. 3, 12वा रास्ता, चेम्बूर, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269क, ख के अधीन, बम्बई स्थित समक्ष प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय** पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लेखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का या कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती शिपोरा बी. अब्राहम्स।
(अन्तरक)
2. श्री घनश्याम दास अगरवाल और अन्य।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा.

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

प्लाट नं. 530, सी. टी. एस. नं. 1448, सब स्कीम नं. 3, 12वा रास्ता, चेम्बूर, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-3/37-ईई/23477/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए. प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

**प्रारूप आई० टी० एस० एस०**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**सहायक आयकर आयुक्त**

**सक्षम प्राधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. अई-3/37-ईई/23144/85-86—
अतः मुझे, ए. प्रसाद,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00000/-रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. बी-13, फ्लैट नं. 197, जो, रजवाडी को-आप. हाउसिंग सोसायटी लि., रजवाडी, घाटकोपर, बम्बई-77 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269क, ख के अधीन, बम्बई स्थित समक्ष प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985
**की पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अंतरित की गई
**है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम,** 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया **था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्रीमती निर्मला कांतीलाल मिस्त्री और अन्य।
(अन्तरक)
2. (डा.) मालती एम. शहा और अन्य।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में **हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, **जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

बी-13, फ्लैट नं. 197, रजवाडी को-आप हाउसिंग सोसायटी लि., रजवाडी, घाटकोपर, बम्बई-77 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-3/37-ईई/23144/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए. प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

**प्रारूप आई. टी. एन. एस.-------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. अई-3/37-ईई/23314/85-86--
अतः मुझे, ए. प्रसाद,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. बंगला नं. 7, जो, गाडी पार्किंग का खुला जगह नं. 5 के साथ, झेनिथ पार्क, फार्म रोड, देवनार, चेम्बूर, बम्बई-72 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269क, ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में रूप में कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. मेसर्स झेनिथ इन्टरप्रायजेस। (अन्तरक)
2. श्रीमती कलावंती एल. मदन और अन्य। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

बंगला नं. 7, जो, गाडी पार्किंग की खुली जगह नं. 5 के साथ, झेनिथ पार्क, फार्म रोड, देवनार चेम्बूर, बम्बई-72 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-3/37-ईई/23314/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए. प्रसाद
सक्षम प्राधिकार
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

प्रपत्र संख्या आई.टी.एच.एच.---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. अई-3/37-ईई/23772/85-86--

अतः मुझे, ए. प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. दूकान नं. 1, जो, तल माला, सतनाम अपार्टमेन्टस्, मुलुंड (पूर्व), बम्बई में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवधारण प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को छिपाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की बाध्यता से बचने या उसके संदाय में देरी करने के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. शहा बांदेलकर एण्ड आसोसिएटस्।

(अन्तरक)

2. दि नार्थ कैनरा गौड सारस्वत ब्राह्मीण को.-आप. बैंक लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

दूकान नं. 1, जो तल माला, सतनाम अपार्टमेन्टस्, मुलुंड (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकी क्र. सं. अई-3/37-ईई/23772/85-86 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-8-1985 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए. प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

**[illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, तारीख 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. के.495/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 14/113 है तथा जो सिविल लाइन्स में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है कि मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै. अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर,
(अन्तरक)
2. उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसो. लि., 14/76, सिविल लाइन्स, कानपुर।
(अन्तरिती)
3. क्रेतागण।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. क्रेतागण।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खुली भूमि स. नं. 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, तारीख 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. के.333/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है तथा जो पनकी गंगा गंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र
श्री श्याम सुन्दर गुप्ता,
आख्यान को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.,
117/106 के ब्लाक, सर्वोदय नगर, कानपुर।
(अन्तरक)

2. अपनी सहकारी गृह निर्माण समिति लि.,
कानपुर, 117/1 एन ब्लाक, साकाक्षदेव, कानपुर।
(अन्तरिती)

3. क्रेतागण।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. क्रेतागण।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों सूचना पर की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि स्थित मौजा गंगा गंज, तहसील कानपुर, जि. कानपुर।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 14-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. एच. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. 1078/85-86--

अतः मुझे, एच. आर. दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 31, 38, 50, 110, 59, 76, 151, 115 है तथा जो सालारपुर खादर दादरी में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दादरी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दर्शमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दर्शमान प्रतिफल से, ऐसे दर्शमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने उक्त अधि. नियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या जिया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शुशील कान्त चक्रवर्ती पुत्र
श्री धरती कान्त चक्रवर्ती,
डब्ल्यू 111ए, ग्रेटर कैलाश प्रथम,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री सुवेन्द्र कुमार पुत्र
श्री गिरधारी लाल,
नि. 48/43, पश्चिम पंजाबी बाग,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

3. तदधैव।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. तदधैव।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाता सं. 31, 38, 50, 110, 62, 59, 76, 115, 151, सालारपुर खादर, दादरी, गाजियाबाद।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**प्रकप आई॰ टी॰ एच॰ एच॰----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश नं. एम. 1074/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 132 है तथा जो पसोन्डा, लोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मे. फ्रेक्शन मेटेरियल्स (इंडिया) प्रा. लि., 1665, एस. पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा चेयरमैन श्री हरनाम सिंह सूरी।

(अन्तरक)

2. श्री महाराज कृष्ण पुत्र स्व. लाला ईश्वर चन्द्र, नि. 20, यमुना मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली।

(अन्तरिती)

3. तदधै।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. तदधै।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग नं. 132, गांव पसोन्डा, लोनी, गाजियाबाद।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. 1076/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. 490 है तथा जो दौलतपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती** (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्रीमती सत्यारानी पत्नी
श्री मंगत रामदेव,
नि. 179, उरवा नगर, गाजियाबाद।
(अन्तरक)
2. श्रीमती इन्दिरा रानी पत्नि
श्री विनोद कुमार,
नि. आर. 3/43, राज नगर,
गाजियाबाद।
(अन्तरिती)
3. तदधै।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. तदधै।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

नं. 490, खसरा नं. 625, 623, 626, दौलतपुरा, लोनी, गाजियाबाद।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश नं. एम. जे. 334/85-86--

अतः मुझे, एच. आर. दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 2061 है तथा जो मवानाकलां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मवाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य, उसके श्यमान प्रतिफल से, ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री जीतू,
मो. मुन्नालाल,
मवाना कलां, मेरठ।
(अन्तरक)

2. शिवपुर सहकारी गृह निर्माण समिति लि.,
मवाना-द्वारा-श्री बृज मोहन शर्मा,
मो. मुन्नालाल,
मवाना कलां, मेरठ।
(अन्तरिती)

3. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खसरा नं. 2061, ग्राम-मवानाकलां, मेरठ।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.(इन्.एच.)**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**सादर सूचना**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश नं. एम. जे. 348/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. 3-ए है, तथा जो लक्ष्मीरोड, देहरादून में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-8-1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—**

1. श्री मनमोहन शाह सिंह,
श्रीमती तजिन्द्र शाह सिंह,
सेकेन्ड फ्लोर, डनकेल्ड, जे. मेहता रोड,
बम्बई।

(अन्तरक)

1. शिवम कमर्शियल सर्विस लि., लालबाग-लखनऊ
द्वारा श्री विनीत चन्द्रा,
7/47, तिलक नगर, कानपुर।

(अन्तरिती)

3. उपरोक्त।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

सम्पत्ति संख्या 3-ए (नया नं. 11), लक्ष्मी रोड, देहरादून

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**फ्रम्प आई.टी.एच.एस. -------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**सादर सूचना**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. डी. 365/85-86—

अतः मुझे, एच. आर. दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. 3-ए है तथा जो लक्ष्मी रोड, देहरादून में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-8-1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चरनजीत शाह सिंह,
श्रीमती रमीन्द्र शाह सिंह,
3-ए, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
(अन्तरक)

2. दि त्रिपति सर्विस लि.
द्वारा श्री ईश्वर चन्द्र,
बसन्त बिहार, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

3. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिवर्तित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति सं. 3-ए, नया सं. 11, लक्ष्मी रोड, देहरादून।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**
धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. डी. 381/85-86--

अतः मुझे, एच. आर. दास,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 434 है तथा जो मटौर-दौराला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री जगदीश,
   श्री धरमपाल,
   श्री ओमपाल,
   गांव मटौर, मेरठ।

   (अन्तरक)

2. डी. सी. एम. लि.,
   द्वारा जनरल मैनेजर
   श्री एस. एल. गुप्ता,
   दौराला शुगर मिल,
   दौराला, मेरठ।

   (अन्तरिती)

3. उपरोक्त।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त।
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खसरा सं. 434, एरिया 1-7057 हेक्टेयर स्थित ग्राम-मटौर, मेरठ।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. डी. 382/85-86—

यत: मुझे, एच. आर. दास,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 449 है तथा जो मटौर-दौराला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-8-1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिवचरन पुत्र
श्री न्यादर,
गांव मटौर, मेरठ।
(अन्तरक)

2. डी. सी. एम. लि.,
द्वारा जनरल मैनेजर
श्री एस. एल. गुप्ता,
दौराला शुगर मिल,
दौराला, मेरठ।
(अन्तरिती)

3. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

खसरा सं. 449, एरिया 0-8645 वर्ग मीटर स्थित ग्राम-मटौर-दौराला, मेरठ।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एड.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निदेश सं. एम. डी.-383/85-86—
अतः मुझे, एच. आर. दास,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 442 है तथा जो मटौर-दौराला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-8-1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री खचेड़ू पुत्र
श्री भूरे,
गांव मटौर, मेरठ।
(अन्तरक)
2. जी. सी. एम. लि.,
द्वारा जनरल मैनेजर
श्री एस. एल. गुप्ता,
दौराला शुगर मिल,
दौराला, मेरठ।
(अन्तरिती)
3. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. उपरोक्त।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खसरा सं. 442, क्षेत्र 0-8985 वर्ग मीटर स्थित ग्राम-मटौर, दौराला, मेरठ।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एस.-------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 9 अप्रैल 1986

निर्देश नं. एम.डी. 384/85-86—अतः मुझे, एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें **इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है**), **की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने **का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. 421 है तथा जो मटौर-दौराला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सरधना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-8-86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से **कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के** पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती **(अंतरितियों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में** वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को वास्तव में उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हुकुमसिंह पुत्र श्री सूरजमल मटौर-दौराला मेरठ।

(अन्तरक)

(2) डी.सी.एम. लि. द्वारा श्री एस. एल. गुप्ता जनरल मैनेजर—दौराला शुगर वर्क्स दौराला—मेरठ ।

(अन्तरिती)

(3) उपरोक्त

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

(4) उपरोक्त

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खसरा नं. 421 एरिया 1-0133 हैक्टेयर स्थित ग्रा.-मटौर-दौराला मेरठ ।

एच. आर. दास
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 9-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस. - - -

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 7 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 48323/85-86—अत: मैं,
आर. भारद्वाज,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 87 टी. एस. नं. 312-1, आर. एस. नं. 228-1 है, तथा जो कार्दी विलेज, मंगलूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
ता. 26-8-85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है
कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. बी. सदाशिवा राय
देवी कृपा दास लेन
वालमट्टा, मंगलूर।
(अन्तरक)

2. मार्क यू. सेराओ
शिवाबाग रोड
कार्दी, मंगलूर प्रतिनिधि ।
(अन्तरिती)

3. श्री वाल्टर जे. सलदाना
एजेलो कृपा केम्मन्नू उडुपी तालूक ।
(वह व्यक्ति जिसके, अधिभोग में संपत्ति है)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 774/85-86 ता. 26-8-85)

कविता अपार्टमेन्ट्स, 11 फ्लोर में अपार्टमेन्ट नं. एस. क्यू. डी. नं. 15-9-487/11 जो नं. 87-ए, और टी. एस. नं. 312-1 आर. एस. नं. 228-1 (नेति वेस्ट्रन पोरशन) कार्दी विलेज, मंगलूर में स्थित है ।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**फ्रम आई.टी.एन.एस., ----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 48374/85-86—अतः मुझे,
आर. भारद्वाज,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. प्लाट नं. 1091 IX फ्लोर है, तथा जो 45 और 45/2 ब्यालीस रोड, बेंगलूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. 14-8-1985
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—**

(1) आर. वी. एम. रणजीत राव
श्रीशा रोड नं. 5, बन्जारा हिल्स हैदराबाद।
(अन्तरक)

(2) कुन्दाकुट्टी लक्ष्मी देवी कमरा नं. 21,
सेनोटाफ I I लेन, मद्रास-18।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 1412/85-86 ता. 14-8-1985)

IX फ्लोर में फ्लाट नं. 1091 जिसकी सं. 45 और 45/2 जो प्यालेस रोड बेंगलूर में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

**फ्रम्म बाइ. टी. एन. एच. .....**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 48357/85-86—अतः मुझे,
आर. भारद्वाज,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 854 है, तथा जो इंदिरानगर बंगलूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. 29-8-1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का निम्नलिखित प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा की दिशा;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) आर. पद्मा नं. 9 मूरुगेश मुदिलियार रोड फ्रेजर टाउन, बंगलूर-5।
(अन्तरक)

(2) एम. फजलुर रहेमान नं. 38, बी कुक्स रोड बंगलूर-1।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 1643/85-86 ता. 29-8-1985)

सैट नं. 854 जो इंदिरानगर बंगलूर में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्रकरण आई.टी.एन एस ------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 7 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 48322/85-86—अतः मुझे, आर. भारद्वाज, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह **विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. टी.एस. सं. 312-1 आर. एस. सं. 228-1 है, तथा जो कादरी विलेज मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. 26-8-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहिता के लिए; **और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922** (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) **के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया** था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सी. सदाशिवा राव
देवी कृपा वास लेन
बालमट्टा, मंगलूर।

(अन्तरक)

2. जान वी. लोबो पी. ए. होलडर
लारेन्स चारलस डि सौजा 2. शालिनि जानेट
डी सौजा कविता अपार्टमेन्ट्स
बेन्डूर मंगलूर।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि** या तत्संबंधी व्यक्तियों पर **सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,** के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से **किसी व्यक्ति द्वारा,**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 773/85-86 ता. 26-8-85)

कविता अपार्टमेन्ट्स फ्लोर में अपार्टमेन्ट सं. एफ आर 3, टी.एस. सं. 312-1 आर. एस. सं. 228-1 (नति वेस्ट्न पोरशन) जो नं. 87 ए, कादरी विलेज मंगलूर में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रकरण आई. टी. एन एस**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 48630/85-86—अतः मुझे,
आर. भारद्वाज,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 35 है, तथा जो मिरन क्रास रोड बेनसन टौन बेंगलूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. सेपटेम्बर
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या**

**(ख)** ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) अक्का जोसफ वाइफ/आफ
श्री सी. ए. जोसफ
नं. 35 मिल्लरस क्रास रोड
बेनसन टौन बेंगलूर-560046।

(अन्तरक)

(2) स्मीता भा वाइफ/आफ क्ले
कोलटन नं. 56, प्यालेस आरचरड्स
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 1765/85-86 ता. सितम्बर 85)

सब सम्पत्ति है जिसकी सं. 35 जो मिलरस रोड क्रास बेनसन टौन बेंगलूर-41 में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 7 अप्रैल 1986

नोटिस सं. 483224/85-86—अतः मुझे,

आर. भारद्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. टी.एस. नं. 312-1 आर. एस. नं. 228-1 है, तथा जो कादरी विलेज मंगलूर में स्थित है
(और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. 26-8-85
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में काल्पनिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, **निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. बी. सदाशिवा राय
देवी कृपा वास लेन
वालमट्टा, मंगलूर।

(अन्तरक)

2. मार्क यू. सेराओ
शिवाबाग रोड
कादरी, मंगलूर प्रतिनिधि
रीटा जे. गोवियस

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 775/85-86 ता. 26-7-85)

कविता अपार्टमेन्ट्स ग्राउन्ड फ्लोर में अपार्टमेन्ट नं. जी-4 और टी. एस. नं. 312-1 आर. एस. नं. 228-1, जो कादरी विलेज मंगलूर में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस. ----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेन्ज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटीस सं. 48039/85-86--

एतः मुझे, आर. भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं. 12-9-01 है, तथा जो 9 मैन 3 ब्लाक जयनगर बंगलूर में स्थित है

(और इस में उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दा. 6-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य' उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिसे जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)** के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जी. आर. अश्वतनारायणा
जनरल मोटार्स चामराजनगर-571313
(अन्तरक)

2. जी. एन. शिवशंकर
सं. 12, 9 मैन 3 ब्लाक
जयनगर, बंगलूर-11
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं 1146/85-86 ता 6-8-85)

सम्पत्ती है जिसका सं 12-9-01 जो 9 मैन 3 ब्लाक जयनगर बंगलूर में स्थित है।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेन्ज, बंगलूर

तारीख : 8-4-86
मोहर

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेन्ज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटीस सं. 49077/85-86---
यत: मुझे, आर. भारध्वाज,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है
और जिसकी सं. आर. एस. है तथा जो कोंडिया बेक और कासबा बाजार विलेज मंगलूर में स्थित है
(और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता. 15-11-85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से जैसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी. नारायण जेताल
सन/आफ श्री नरसिम्हा जेताल पी
सं 8, साल्वे स्ट्रीट, मद्रास-600004
(अन्तरक)

2. श्री टी. ए. अब्दुल रहिमान
सन/आफ टी. अब्दुल्ला
तारावत, कासरगोड तालूक
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 1224/85-86 ता. 15-11-85)
सब सम्पत्तियां हैं जिसका सं. आर एम सं 506ए, 361 और टी. एस. सं. 344-ए, 344 जो कोंडियाल्बैक और कासबा बाजार विलेज में मंगलूर में स्थित है।

आर. भारध्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेन्ज, बंगलूर

तारीख : 8-4-
मोहर :

6—76 GI/86

**प्ररूप आई. टी. एल. एच.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेन्ज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 8 अप्रैल 1986

नोटीस सं 48208/85-86—

यतः मुझे, आर. भारध्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं टी. एस 312-10 है, तथा जो कार्वी विलेज मंगलूर में स्थित है

(और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता 14-8-85

**की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण**

**है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी. सदाशिवा राय
देवी कृपा, वास लेन
बालमट्टा, मंगलूर
(अन्तरक)

2. श्रीमती शाकिला
हुरदाल्ली, बिडकलकटटे
कुन्दापुरा तालूक डी. के
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

(दस्तावेज सं 734/85-86 ता 14-8-85)

कविता अपार्टमेन्ट्स 2 फ्लोर में अपार्टमेन्ट नं एस-4, टि एस. नं 312-1, आर. एस. नं 228-1 (नेति वेस्टन पोरशन) जो कार्वी विलेज, मंगलूर में स्थित है।

आर. भारध्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेन्ज, बंगलूर

तारीख : 8-4-86
मोहर :

**[illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**[illegible]**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेन्ज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 3 अप्रैल 1986

नोटीस सं 584/37जी/85-86—

यतः मुझे, आर. भारध्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. पी. नं. 154 और 173 है तथा जो गब्बर हुबली में स्थित है

(और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता 22-8-85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**[illegible] अन्तरण से हुई किसी आय की गणना उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्रीमती नागव्वा
   वैफ/आफ शंकरप्पा कबसद
   बुशपेट हुबली पोस्ट हुबली
   (अन्तरक)
2. श्री नीलकन्ठ चिटलसा शिवारगटटी
   बरवानगली हुबली
   पोस्ट हुबली
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के वर्णन के प्रयोजन से मोहर भी वापस :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के प्रकाशन में राजपत्र की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास** लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं 1604/85-86 ता 22-8-85)

खाली जगह है जिसका सर्वे सं. पी. नं. 154 और 173 और जिसका नापना करीब 7.50 गुन्टास जो "गब्बूर" हुब्ली में स्थित है।

आर. भारध्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेन्ज, बंगलूर

तारीख : 3-4-86
मोहर

**फार्म आई. टी. एन. एस. ----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेन्ज, बंगलूर

बंगलूर दिनांक 3 अप्रैल 1986

नोटीस सं 618/37जी/85-86—

यतः मुझे, आर. भारध्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक है

और जिसकी सं. सी एस सं. 3782/48-ए और बी है और 3782/48ए/1ए/1ए/1ए है, तथा जो टेरिना रास्ते गढग है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन ता 6-9-85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. तोन्डदा सिद्दलिन्ग
महास्वामी सम्सथाना मठ
तोन्डदारया मठ, स्टेशन रोड़ गढग
(अन्तरक)

2. मेसर्स एस. पी. गढग
रोलर फ्लोर मिल्स
गढग
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं 1103/85-86 ता 6-9-85)

सम्पत्ती है जिसका सं. सी एम सं 3782/48 ए-1 और 1बी और 3782/84ए 1ए/1ए जो टेरिना रास्ते आर्पोसिट हासपिटल गढग में स्थित है।

आर. भारध्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेन्ज, बंगलूर

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 25 मार्च 1986

निदेश सं. 48181/85-86.—यतः मुझे, आर. भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 52 से और 60/1 है, तथा जो एम. जि. रोड, बंगलूर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री टि सुब्बा राव,
भागस्त : मेसर्स :-किंग पारट्रिज्ड
सं. 26/1, लावेल्ले रोड, बंगलूर-1।
(अन्तरक)

(2) मेसर्स डेक्कान एंटरप्रैसस,
सं. 4311, 3 फ्लोर, ह्वै पाइंट,
प्यालेस रोड, बंगलूर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम,, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 1428/85 ता. अगस्त 1985)
सम्पत्ति है जिसका सं. 52 से 60 और 60/1, जो एम. जि. रोड, बंगलूर, में स्थित है ।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 25-3-1986
मोहर :

**फ़ार्म आई.टी.एन.एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 589/अगस्त/85-86.—यतः मुझे, आर. भारद्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. 122/3 है, तथा जो कोटेरेलीम संगोम गोवा में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-8-86

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अपर्याप्त प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) डा. पाडूरंग इस्वेठो कमोटोम या पाडूरंग वाय वाय कामत और (2) श्रीमती कवारशीला पांडूरंग कायोटोम या चासमीला पी कामत है आप मरगांव, डसालसेट गोवा ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स बाबल सन्लो नाईक तसी. और सन्स टोंन हाल के पास संक्वेय गोवा ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इसतूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं. 2/6 सा. 14-8-1986)

रेसीडेन्सीयल मकान कांटीरकोम संक्वेम गोवा में है। इसका मूनसीमल नं. 112 (सर्वे नं. 122/3) इसका अंरीया नीचे लिखा है। मेन बंगला का येरीया-181.45 एम2 और प्रैस का येरीया-176.15 एम 2 होटले 3576 एम 2 ।

आर. भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

**प्रकम आई. टी. एन. एस. .....**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 65/अगस्त-85.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुबेल,
**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से **अधिक है**
और जिसकी सं. भूमि और मकान एस. सं. 195/30 पूरन मंडी स्ट्रीट है, जो तिरुवान्मियूर मद्रास-41 में स्थित है
और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दक्षिण मद्रास लेख सं. 2498/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसे किसी आय या **किसी धन या अन्य आस्तियों** को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अम्मा कण्णम्माल और अन्यों ।

(अन्तरक)

(2) मैन्नैइल इरुक्कुम रेड्डियोपट्टि नाडारिन उरव् मुरै रेप्रेसन्टेड् नं. श्री एस. एस. पोन्नुस्वामि नाडार और शणुस्वामि ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ;**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

भूमि और मकान-एस. सं. 195/30 पूरन मंडी स्ट्रीट तिरुवान्मियूर, मद्रास-41 मद्रास दक्षिण लेख स. 2498/85 ।

श्रीमती एम. सामुबेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 76/अगस्त 85.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुबेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को,, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य :
1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 27, सुन्दरमूर्ति विनायगर कोइल स्ट्रीट है, जो मद्रास-5 में स्थित है
और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ट्रिप्लिकेन-लेख सं. 629/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उक्त प्रतिफल से ऐसे उक्तयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें धारास्थ आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिन्हें चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एस. चंद्रामाय ।

(अन्तरक)

(2) श्री तिरुना वुक्करशु ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और मकान 27 सुन्दरमूर्ति विनायगर कोइल स्ट्रीट मद्रास-5 ट्रिप्लिकन लेख सं 629/85 ।

श्रीमती एम. सामुबेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 80/अगस्त 85.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. साम्बेल,
**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. अनुप्परपालयम गांव है जो कोयम्बतूर में स्थित है
और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बतूर लेख सं. 3407/86 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का 16) के अधीन अगस्त 1885
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी. एस. श्रीनिवासन और अन्यों ।
(अन्तरक)

(2) ए. ऐ. ए. टी. एम. के पार्टी, को प्रेसिडेन्ट पूज्य श्री एम. जी रामचन्द्रन ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि और मकान अनुप्परपालयम वार्ड 3 नयी सर्वे सं. 185 कोयम्बतूर कोयम्बत्तूर लेख सं. 3407/85 ।

श्रीमती एम. साम्बेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986

मोहर :

7—76 GI/86

**फार्म आई.टी.एन.एस.—————**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं. 109/अगस्त 85—अतः मुझे, श्रीमती एम. सामुवेल,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. पोल्लाच्यी आनैमलै है जो तिरूप्पूर में स्थित है और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आनैमलै लेख सं. 1001/85 में भारतीय भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के जयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और**

मुझे यह विश्वास

**करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलिख में** वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की उपधारणा को सक्षम करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं,** उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री टी. राममोयन ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जी लक्ष्मी ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी दावे :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

भूमि पोल्लाच्यी, आनैमलै तिरूप्पूर आनैमलै लेख सं. 1001/85 ।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 110/अगस्त 85.—अतः मुझे, श्रीमती एम. सामुबेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं मार्चनायक्कनपालयम गांव पोल्लाची है, जो तिरूप्पूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आनैमलै लेख सं. 1046, 1047/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती तायारम्माल । (अन्तरक)

(2) श्री टी. राममोयन । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि मार्यनायकन पालयम गांव पोल्लाची तिरूपूर आनैमलै लेख सं. 1046 और 1047/85 ।

श्रीमती एम. सामुबेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 111/अगस्त 1985.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. आनैमलै पोल्लाच्ची है, जो मर्चनायकनपालयम में स्थित है
और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आनैमलै लेख सं. 856/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यपदेशन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यपदेशन प्रतिफल से, ऐसे व्यपदेशन प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी. बाषा मोहिदीन साहिब ।
(अन्तरक)

(2) मैनर कृष्णवेणी ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि मर्यनायकनपालयम गांव, पोल्लच्ची-आनैमलै तिरूपुर आनैमलै-लेख सं. 856/85 ।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 113/अगस्त 85.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. गांधी पुरम गणपति गांव है, जो कोयम्बत्तूर में स्थित है
और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बत्तूर लेख सं. 3473/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर. सी. देव दास,
श्री टी. करुणाकरन और अन्यों ।
(अन्तरक)

(2) श्री एस. राजगोपालन और श्री ए. हरिहरन ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त स० के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंध; व्यक्तियों द्वारा सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो., के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान गणपति गांव टी. एस. सं. 1279 गांधी-पुरम कोयम्बत्तूर कोयम्बत्तूर लेख सं. 3473/85 ।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

**फ्रम्प बाई. टी. एस. --------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 114/अगस्त 1985.—अतः मुझे,
श्रीमती एम. साम्बेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. कुरिंजी गांव एस. के. सं. 188-189 है जो कोयम्बत्तूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखत में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम. एकाम्बरम ।
(अन्तरक)

(2) श्री ए. षण्मुगसुन्दरम डिरक्टर,
(रूक्मणि आफ्सेट प्रेस ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

भूमि कुरिंजी गांव एस. के. सं. 188, 189 - 04964 एकर्स भूमि और एंड कोयम्बत्तूर कोयम्बत्तूर लेख सं. 3493/85.

श्रीमती एम. साम्बेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं. 115/अगस्त 85.--अतः मुझे, श्रीमती एम. सामूबेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं. टी. एस. सं. 10/1751 है, जो रामनाथ पुरम गांव में स्थित है और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बत्तूर लेख सं. 3561, 3562/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

(1) श्री जी. पालराज । (अन्तरक)

(2) श्री एन. राजेन्द्रन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान रामनाथ पुरम गांव टी. एस. सं. 10/1751 कोयम्बत्तूर लेख सं. 3561 और 3562/85 ।

श्रीमती एम. सामूबेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं. 117/अगस्त 85.—अतः मुझे, श्रीमती एम. सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का स्थावर संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 1,00,000/- से अधिक 1,00,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. टी. एस. सं. 17/2, टी. एस. वार्ड सं. 9 कोयम्बत्तूर है, जो लेख सं. 3631/85 की शेड्यूल में दी हुई संपत्ति में स्थित है और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोयम्बत्तूर लेख सं. 3561, 3562/16) के अधीन अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन. विश्वनाथ । (अन्तरक)

(2) श्रीमती शांता अगस्टैन । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान नयी टी. एस. सं. 417/2, टी. एस. वार्ड सं. 9 पुराना टी. एस. सं. 30/2 पुराना रोड सं. 9/53 असेसमेन्ट सं. 11/13 लेख सं. 3631/85 की शेड्यूल में दी हुई सम्पत्ति कोयम्बत्तूर लेख सं. 3631/85 ।

श्रीमति एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

ग्रन्थ आई. टी. एस. एस. ---

## आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास-6

मद्रास-6, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं. 133/अगस्त 85.—अतः मुझे, श्रीमती एम. सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एस. सं. 106, 105 टी. एस. सं. 12, ब्लाक सं. 25, है जो लेख सं. 2183/85 की शेड्यूल में दी हुई सम्पत्ति में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अडयार लेख सं. 2183/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीगण) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया **गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहायता के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी अभि[illegible] को, जिन्हें भारतीय [illegible] अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा धारित किया गया या किया जाना चाहिए था [illegible]

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:**

8—76 GI/86

(1) श्रीमती ताजुन्निसा । (अन्तरक)

(2) श्रीमती शांता राजाराम । (अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

अनुसूची

भूमि लेख सं. 2183 की शेड्यूल में दी हुई सम्पत्ति एस. सं. 105 और 106 उरूर गांव अडयार लेख सं. 2183/1985 ।

श्रीमति एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास-6

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एस.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 162/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 2, । क्रास स्ट्रीट, विजयराघवाचारी रोड, है, जो मद्रास-17 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी. नगर, लेख सं. 947/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री वी. जगन्नाथराव और दूसरे।
(अन्तरक)

2. श्री बी. चन्द्रशेकरन्।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि :—2, । क्रास स्ट्रीट, विजयराघवाचारी रोड, मद्रास-17, टी. नगर, लेख सं. 947/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 68/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट सं. 475, कामराज नगर, पश्चिम, । मेन रोड है, जो एस. सं. 41, तिरूवान्मियूर, मैलापूर में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास दक्षिण/लेख सं. 2592/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. श्री टी. सोमसुन्दरम्।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सौन्दरम् नारायणन्।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—प्लाट सं. 475, कामराज नगर पश्चिम, । मेन रोड, तिरूवान्मियूर, मद्रास-41 दक्षिण, लेख सं. 2592/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 21/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 2, । क्रास स्ट्रीट, विजयराघवाचारी रोड, है, जो मद्रास-34 में स्थित है
और जिसकी सं. प्लाट सं. 15, चौधरी कालनी, स्टर्लिंग रोड, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, थौसन्डलेट्स/लेख. सं. 395/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—**

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वी. जी. राजेश्वरी की पावर एजेन्ट के. श्रीनिवासन् और श्री के. श्रीनिवासन्।

(अन्तरक)

2. मेसर्स भाटिया ब्रदर्स की पार्टनर श्री दीपक भाटिया।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यादेशों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित** हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भूमि—प्लाट सं. 15, चौधरी कालोनी, स्टर्लिंग रोड, नुंगम्बाक्करम्, मद्रास-34, थौसन्डलेट्स लेख सं. 395/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**[illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 6/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट सं. 28, ।।। क्रास रोड, एम. के. बी. नगर है, जो मद्रास-39 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पूरशवाक्कम् लेख सं. 1500/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के तथ्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का समुचित बाजार मूल्य, उक्त तथ्यमान प्रतिफल से, ऐसे तथ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए.

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एस. वेलु अम्माल।
(अन्तरक)
2. श्रीमती रूबी मार्गरेट।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—प्लाट सं. 28, ।।। क्रास रोड, एम. के. बी. नगर, मद्रास-39, पूरशवाक्कम्, लेख सं. 1500/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 3/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 93 (पुराना सं. 40), ब्रिकलिन रोड, ओट्टेरी है, जो मद्रास-12 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुरशवाक्कम्, लेख सं. 1399/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स बेस्ट कास्ट प्राईवेट लिमिटेड।
(अन्तरक)
2. श्री ए. पलनिसामी और अन्य ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि यातत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—ब्रिकलिन रोड, पुरशवाक्कम् ओट्टेरी मद्रास-12, पुरशवाक्कम्, लेख सं. 1399/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास-6, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 78/अगस्त, 85—अतः मुझे, श्रीमती एम. सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. टी. एस. सं. 13/150, तेलुगुपालयम् टी. एस. सं. 13/150, सं. 26, वेंकडाजल, मुदलियार, को-आपरेटिव कालोनी है, जो कोयम्बत्तूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बत्तूर, लेख सं. 3296/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए एवं पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों से, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हिरोजी नागराणि।

(अन्तरक)

2. श्री डी. एन. अरूलमणि और श्री एन. चेन्दिलरशु।

(अन्तरिती)

**कि यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

भूमि और मकान—टी. एस. सं. 13/150, तेलुगुपालयम्, वेंकटाचल मुदलियार को-आपरेटिव कालोनी, कोयम्बत्तूर, कोयम्बत्तूर, लेख सं. 3296/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-6, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 100/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 65ए, वार्ड सं. 4, असेसमेन्ट संख्या 933 है, जो ओटकमण्ड गांव में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उदगमण्डलम् लेख सं. 743/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कूपि गोपालदास जगतियानि।
(अन्तरक)
2. श्री सुरेश महिन्द्रा।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध **किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास** लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त** अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में **दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि और मकान—आर. एस. सं. 4388. 65ए, वार्ड सं. 4, असेसमेन्ट सं. 933, ओटकमण्ड, उदगमण्डलम्, लेख सं. 743/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास-6, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 75/अगस्त 85--अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी संख्या 9, ।।। एविन्यू, बोट क्लब रोड है, जो मद्रास-28 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास दक्षिण लेख सं. 2397/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
**की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का सत्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आस्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स बिन्नी लिमिटेड।

(अन्तरक)

2. दी इण्डिया सिमेन्ट्स् लिमिटेड।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया** गया है।

अनुसूची

भूमि—9, ।।। एविन्यू, बोट क्लब रोड, मद्रास-28, मद्रास दक्षिण, लेख सं. 2397/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

19 76 GI/86

**प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास-6, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 45/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 46, वेंकटाचल मुदली स्ट्रीट, रायपेट्टा है, जो मद्रास-14 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर, लेख सं. 1086/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण

1. जी. कबाली नगर।

(अन्तरक)

2. श्री एन. श्रीनिवासन् और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि—46, वेंकटाचल मुदली स्ट्रीट, रायपेट्टा, मद्रास-14 मैलापुर, लेख सं. 1086/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

**प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास-6, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 170/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामूवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 20, 6ठा मेन रोड, आर. ए. पुरम् है, जो मद्रास-28 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर, लेख सं. 921/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)** के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने **की सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)** के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. के. ए. मेहरून्निसा बीबी।

(अन्तरक)

2. के. के. मेहरून्निसा बीबी।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में **कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की **तारीख से** 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी **अवधि बाद में** समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयुक्तसाक्षरी के पास लिखित में **किए जा सकेंगे ।**

स्पष्टीकरण.—उक्त अधिनियम की धारा 269-क के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित, का, जो **उक्त अधिनियम,** के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—20, 6ठा मेन रोड, आर. ए. पुरम्, मद्रास-28, मैलापुर, लेख सं. 921/85।

श्रीमती एम. सामूवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**[भाग III—खण्ड 1]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भाग दुरुपयोग**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 128/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. रंगन स्ट्रीट टी. नगर मद्रास-17 है, जो मद्रास-17 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी. नगर लेख सं. 1013/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा** के लिए; और/या

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों** को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-**कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया** गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहना सन्तानम्।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती उषा शेषैयन्।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

भूमि और मकान—रंगन स्ट्रीट टी. नगर-मद्रास 17 टी. नगर लेख सं. 1013/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रकप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 159/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 21, वेंकटनारायणा रोड, टी. नगर है, जो मद्रास-17 में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी. नगर लेख सं. 956/85
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)
के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **प्रयमान** प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रयमान प्रतिफल से, ऐसे प्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एस. मीनाल और अन्यों।
(अन्तरक)

(2) श्री एस. राजेष सुराना
मैनेर बै फादर शांतिलाल सुराना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप है—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 5190 स्क्वायर फिट, 21 वेंकटनारायण रोड, टी नगर मद्रास-17 टी. नगर लेख सं. 956/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 56/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 31, आर. एम. सं. 3946, 6 मेइन रोड है, जो आर.ए. पुरम मद्रास-28 में स्थित है
(और इसके अनुबंध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर लेख सं. 1139/85
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) कृष्णा विजयराघवन्।

(अन्तरक)

(2) आर. एन. रत्नम्।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान-31, 6मेइन रोड-आर.ए. पुरम् मद्रास मैलापुर लेख सं. 1139/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**आयकर विभाग**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 72/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुबेल,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 18, V क्रास स्ट्रीट यूनैटड इण्डिया कालोनी है, जो मद्रास-24 में स्थित है
(और इसके अनुबंध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास दक्षिण लेख सं. 2299/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार** मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच** ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया **प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से** या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें** भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब**, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एन. बालसुब्रमणियम्।

(अन्तरक)

(2) के. राजगोपालन्।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया** गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान-18, V क्रास स्ट्रीट यूनैटड इण्डिया कालोनी मद्रास 24 मद्रास दक्षिण लेख सं. 2299/85।

श्रीमती एम. सामुबेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 156/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी प्लाट सं. 178, नीलंगरै गांव शेंदापेठ मद्रास-15 में स्थित है
(और इसके अनुबंध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अडयार लेख सं. 2094/85
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शेषासाई।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती सी. एस. अलमेलु सुब्रमणियम्।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ,के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि प्लाट सं. 178., नीलंगरै गांव मद्रास 15 अडयार लेख सं. 2094/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास 6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रकप आई.टी.एम.एस.:---------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**सक्षम प्राधिकारी**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं. 97/अगस्त 85--अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. हुल्लत्ति गांव उट्टटी तालूक सिडकोस इण्डस्ट्रियल काम्पलैक्स है, जो काम्पलैक्स में स्थित है
(और इसके अनुबंध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उद्गण्डलम्, लेख सं. 864/85
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का संयुक्त प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स तमिल नाडु डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड। (अन्तरक)

(2) श्रीमति रागवन प्रोप्रेटर स्टील वुड इण्डस्ट्रीज। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि--हुल्लत्ती गांव उट्टटी और षेड सं. 8-सिड्को इण्डस्ट्रियल कम्पलैक्स में उट्टटी लेख सं. 864/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**

**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।।, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. 87/अगस्त 85—अतः मुझे,
श्रीमती एम. सामुवेल,,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 111–11 वार्ड पलनी रोड उडुमलैपेठ है, जो तिरुप्पूर में स्थित है
(और इसके अनुबंध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उडुमलैपेठ लेख सं. 1875/85
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के निहित बाजार मूल्य से कम में अंतरण प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके अंतरण प्रतिफल से ऐसे अंतरण प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कस्तूल अम्माल। (अन्तरक)

(2) श्री एम. तिरुनाकक्करशु। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

111 वार्ड पलनी रोड उडुमलैपेठ-तिरुप्पूर उडुमलैपेठ-लेख सं. 1875/85।

श्रीमती एम. सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।।, मद्रास-6

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

इस भाग में दी जाने वाली सूचना

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**सक्षम प्राधिकारी**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/179—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. — है, तथा जो मकान नं. एस-311, तादादी 203 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कुसुम करनानी पत्नी
श्री जगदीश राय करनानी,
एस-311, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली,
द्वारा जनरल एटोरनी
श्री जगदीश राय करनानी।

(अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार भंडारी सुपुत्र
श्री के. जी. भंडारी,
जे-105, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों द्वारा किए जा सकेंगे,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं. एस-311, तादादी 203, वर्ग गज, 1 ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/182—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं.—एम-178, तादादी 300 वर्ग है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती चंवर कांता पत्नी
श्री अशोक केथ,
ए-2/35, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री शिव अग्रवाल सुपुत्र
श्री जमना धर अग्रवाल,
मिसेस रानी अग्रवाल पत्नी
श्री विजय अग्रवाल,
निवासी 108, मूनिरका एन्क्लेव, एस एफ एस,
डी. डी. ए., नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

यूनिट नं. ए, तल खंड प्रोपर्टी का भाग नं. एम-178, तादादी 300 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयुकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/183—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं.—प्लाट नं. एम-67, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली है, तथा जो तादादी 250 वर्ग गज, में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरबक्श सिंह पबला,
के-9, एन. डी. एस. ई-2, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मोहन बिल्डर्स द्वारा पार्टनर
श्री मोहन सिंह।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खाली प्लाट नं. एम-67, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 250 वर्ग गज (208 वर्ग मीटर)।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्रकप वार्ड डी एल एच

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस.आर.-3/8-85/184.—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. प्लाट नं. एम.—170, तावादी है तथा जो 3300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-2 में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें अस्थायी लाभ-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती संदूरन पत्नी राजिन्दर लाल कपूर,
श्रीमती अभिलाष कंवर पत्नी बिहारी लाल कंवर,
श्रीमति परम ओबराय पत्नी प्रेम प्रकाश ओबराय,
श्रीमति जनक मल्होत्रा पत्नी प्रेम पाल मल्होत्रा और,
श्रीमति वीना कुमार पत्नी सतपाल कुमार,
निवासी 5एबी/10916 गली नं. 2.
सत नगर, करोल बाग,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री कमल तलवार सुपुत्र सिकंदर लाल तलवार,
बीए/43ए, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

प्लाट नं. 170, तावादी 300 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/186—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. एम.-114 है तथा जो तादादी 505 वर्ग गज ग्रेटर कैलाश में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेजर गुरचरन सिंह रिसीराज (रिटायर्ड), सपुत्र जगत सिंह रिसीराज निवासी 114, एम, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्री मनमोहन कुमार भारगव सपुत्र अंनत राम भारगव, एम-114, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम खंड प्रोपर्टी एम-114, तादादी 505, वर्ग गज ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.---------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू-1/एस.आर-3/8-85/198.—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. डब्ल्यू-175, ग्रेटर कैलाश-2 है तथा जो 400 सक्यूर वर्ग नई दिल्ली में स्थित है

(और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरिन्दर बंसी सुपुत्र क. गुरदास सिंह, द्वारा क. गुरदास सिंह।

(अन्तरक)

(2) श्री लीला हून निवासी ए-1, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली।
पत्नी स्वर्गीय एन सी. हून द्वारा वी सी हून।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

डब्ल्यू 175, ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली एरिया 400 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 31-3-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस.आर-3/8-85/202 अतः मुझे, आर.पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. है तथा जो बिल्डिंग सं. एस-229, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली तादादी 300 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के खण्ड निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डेलाइट बिल्डर्स,
द्वारा अटारनी एस धर्म सिंह ए-2/140, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-1 ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती यशोदा कपूर रमेश चंद कपूर,
पुष्पा कपूर रोहित कपूर जी-22, महारानी बाग, नई दिल्ली-1 ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इंटायर सेल खांड बेसमेंट हाल बिल्डिंग सं. एस-229, ग्रेटर कैलाश-I। कम्परा इसिंग बेसमेंट हाल सं. 3, 3 बैड रूमस ड्राइंग डाइनिंग किचन कार कार्किंग, फ्रन्ट लान बैक कोर्ट, 45 प्रतिशत शेयर ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

—76GI/86

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आईए.सी./एक्यू/1/एस आर-3/8-85/203—अतः मुझे, आर. पी राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो आवासीय मकान सी-595 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली में तादादी 383 वर्ग गज है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

1. क. वीरेन्द्र सिंह चिमनी, सी-6/57, सफदरजंग डेवेलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-1 (अन्तरक)
2. जय प्रकाश जैन, मगंन माला जैन एंड राजीव जैन निवासी जैन स्ट्रीट, पी ओ कांडबला जिला मुजफरनगर, यू.पी.। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय मकान सी-595, डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली
तादादी 383 वर्ग गज
तल खंड 1712 वर्ग फीट
प्रथम खंड 1712 वर्ग फीट
बरसाती 427 वर्ग फीट

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-86
मोहर :

**एक्स बाई. डी. एक्स. एक्स.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू/1/एस आर-3/8-85/204

अतः मुझे, आर. पी राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्रोपटी नं. एम. 169, ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली में तादादी 400 वर्ग गज में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बारह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. मैसर्स का मिनी सोसी,
सी-480, डिफेन्स कालोनी,
नई दिल्ली-1।

(अन्तरक)

2. केबल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि.,,
मिलाप निकेतन, दूसरा खंड 8ए, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

1/3 अविभाज्य शेयर भूमि अन्डर नीथ प्रोपर्टी नं. एम-169 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में तादादी 400 वर्ग गज। डवेलिंग यूनिट 1 ड्राइंग/डाइनिंग 3 बैड रूम साथ 3 बाथरूम 1, किचन गैरज, 1 चारासी क्वाटर, ड्रब्लू सी स्टेयरकेश माटी और लांन 1

आर. पी राजेश
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-86
मोहर :

फ्लैप आइ.टी.एन.एस------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई.ए.सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/206—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट न. 56, ब्लाक एक्स, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, **उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)** के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. प्रेम इन्टरप्राइसिस (पंजीकृत)
सी-322, मायापुरी इन्डस्ट्रीयल एरिया, बी फेस-2, नई दिल्ली-1

(अन्तरक)

2. सुनिल ब्रांइस इन्डस्ट्रीज प्रा. लिमि.,
1564, ईश्वर निवास, भागीरथ पलेस चांदनी चोक दिल्ली द्वारा डायरेक्टर रिसी कुमार।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या इससंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

औद्योगिक प्लाट नं. 56 ब्लाक एक्स, ले आउट पालन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली तादादी 505 वर्ग मीटर।

आर. पी राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/208—

अतः मुझे, आर. पी राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. है तथा जो कृषि भूमि तादादी 19 बीघा 4 बिस्वा गांव जोनापुर, तहसील मेहरोली में स्थित है

(और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और एक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी लाने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. निर्मल मेहरा
जे-367, न्यू राजिन्दर नगर,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. संजय जैन और और मास्टर पंकज जैन
बी-19, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 19 बीघा 4 बिस्वा खासरा नं. 7/25, 20/5, और 20/15 फार्म हाउस, गांव-जौनापुर तहसील महरौली नई दिल्ली ।

आर. पी राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/210—

अतः मुझे, आर. पी राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य** मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट न. 99, ब्लाक एस, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली तादादी 300 वर्ग गज में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा** के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. पुरूषोत्तम लाल हांडा
सी-2/निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

2. डी डी मल्हन 2 जे के मल्हन और श्रीमति दर्शन धवन
ई-588, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी** अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

प्लाट न. 99, ब्लाक एस, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली तादादी 300 वर्ग गज।

आर. पी राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त** (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू../I/एस आर-3/8-85/211—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो सिंगल स्टोरी मकान नं. 218, ब्लाक एस, 300 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृष्ण कुमार आनन्द,
एम-533, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री पुरुषोत्तम लाल हांडा।
जी-11, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि यातत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सिंगल स्टोरी मकान नं. 218, ब्लाक एस, 300 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अग्रवाल हाउस, 4/14ए, आसफ अली रोड़
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./I/एस आर-3/8-85/212—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. — है, तथा जो प्लाट नं. 93, ब्लाक ई, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल को लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)

1. श्रीमती जया आनन्द कुंदजी पत्नी
श्री आनन्द राम मोहन कुंवजी,
द्वारा डी. के. कपूर एण्ड कम्पनी,
103, गगनदीप राजिन्द्रा पलेस,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री सचिन चौधरी सुपुत्र
श्री सुभाष चंद चौधरी,
4/104, सोना अपार्टमेन्ट, कौशल्या पार्क,
हौज खास, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 93, ब्लाक ई, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 245 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986

प्ररूप आई. टी. एन. एम. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/213—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो मकान नं. डब्ल्यू-1, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पेसूरा सिंह सुपुत्र
श्री नेहर सिंह थींड,
द्वारा हाइडल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लिमि.,
पी. ओ. माया बंगला, शिलांग (मेघालय)।
(अन्तरक)

2. 1. श्री वेनी प्रसाद,
2. श्रीमती तजा गूनानी,
3. श्री विनोद गूनानी,
4. श्रीमती बीना गूनानी,
पता डब्ल्यू-1, ग्रेटर कैलाश-2,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं. डब्ल्यू-1, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादी 1144 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्य./1/एस आर-3/8-85/223—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो एम-186, तादादी 300 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मोहन बिल्डर्स
द्वारा सरदार मोहन सिंह सुपुत्र
श्री नागिया सिंह,
52/42, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्रीमती सुरिंदर बजाज पत्नी
श्री देवे मित्तर बजाज,
4-बी, चन्दना बिल्डिंग, टालस्टाय मार्ग,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इंटायर ग्राउन्ड फ्लोर प्रोपर्टी नं. एम-186, तादादी 300 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस आर-3/8-85/224--अत: मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. -- है, तथा जो प्लाट नं. ई-352, तादादी 250 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री जीत राज बजाज सुपुत्र
श्री मंशीलाल बजाज और
श्रीमती लाल देवी बजाज पत्नी
श्री जीत राम बजाज,
सी-36, लाजपत नगर,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती आशा रानी पत्नी
श्री बनारसी लाल,
निवासी ए-2/35, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. ई-352, तादादी 250 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस-आर-3/8-85/225—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. ठी. एस. सं. 10/1751 है, जो रामनाथ गज ग्रेटर कैलाश-2, मार्किट नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)/(1961 का 43) के अधीन तारीख अगस्त 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों; अर्थात् :—

(1) श्री संजय बंसल
बी-15, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली
(अन्तरक)

(2) अमरज्योति इंडिया (प्रा.) लिमि.
यू. 16, ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बेसमेंट, तल खंड और मेंजानिन फ्लोर बिल्डिंग नं. एम-2 (शाप) ग्रेटर कैलाश-2, मार्किट, नई दिल्ली-48 (195 वर्ग गज)

| | |
|---|---|
| बेसमेंट | 1404 वर्ग फीट |
| तल खंड | 1404 वर्ग फीट |
| मेजनिन खंड | 351 वर्ग फीट |

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एच.------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस-आर-3/8-85/226—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. है तथा जो प्रापर्टी नं. डब्ल्यू-46, तादादी 500 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छयमान प्रतिफल से ऐसे छयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स ए. सी. गुप्ता एंड ब्रादर्श (एच.यू.एफ.)
803,निहारिका, 17/16, अलिपुर रोड़,
कलकत्ता द्वारा ललित कोटारी
(अंतरक)

(2) श्रीमती उषा शंकर
पत्नी भवानी शंकर
निवासी-53, गोल्ड लिंकम, नई दिल्ली और
अवीनी अम्बूज शंकर (माइनर)
सुपुत्र भवानी शंकर।
(अंतरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रोपर्टी नं. डब्ल्यू-46, तादादी 500 वर्ग गज, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस,
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एल. एच. - - - - -

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस-आर-3/8-85/226-ए--अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. है तथा जो प्लाट नं. 6/30, शांति निकेतन, नई दिल्ली एरिया 380 वर्ग गज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में अर्जन रेंज-1, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)/1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी. एस. आलुवालिया
सुपुत्र स्वर्गीय तेजासिंह अहलूवालिया और
प्रकाश कौर पत्नी टी. एस. आलुवालिया
6/30, शांति निकेतन, नई दिल्ली।

(अंतरक

(2) श्री गनेश दास
सुपुत्र कोरा मल
निवासी -25-वाई, राजदूत मार्ग,
नई दिल्ली (चाणक्यपुरी)

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. 6/30, शांति निकेतन, नई दिल्ली एरिया 380 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस,
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्रकप बाई.टी.एस.एस. -------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/एस-आर-3/8-85/226-बी—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. है तथा जो जी-39, प्लाट नं. 6, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)/1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल की सम्यक् प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दीवान एड संस एन्वेस्टमेंट प्रा. लि. पी-14, कनाट प्लैस, नई दिल्ली द्वारा डायरैक्टर राजगोपाल ।

(अन्तरक)

(2) जे एस आर फैमिली ट्रस्ट जी-39, कनाट प्लैस, नई दिल्ली द्वारा ट्रस्टी राजगोपाल एंड अदरस् ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हुई, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी नं. जी-39, प्लाट नं. 6, कनाट प्लैस, नई दिल्ली तादादी 5306 वर्ग फीट ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस,
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 2-4-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37ईई/8-85/1999—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है
और जिसकी सं. है तथा जो एस.-59 ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली 300 वर्ग गज में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चानन सिंह बहोनिया,
सुपुत्र उदम सिंह बहोनिया
124, सेनी एन्क्लेव, दिल्ली।
(अंतरक)

(2) श्री अमरजीत सिंह ओहेर एंड कम्पनी
सी-139, डिफैन कालोनी, नई दिल्ली।
(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस-59, प्लाट ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली। 300 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस,
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, **सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस,
4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37ई/8-85/2003—अतः, मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. है, तथा जो फ्लैट नं. 6, प्रथम खंड हिमालय हाउस, 23, के. जी. मार्ग तादादी 2337 वर्ग फीट नई दिल्ली में स्थित है।
(और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया/प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अचला शर्मा
पत्नी श्री डी. आर. शर्मा,
डब्ल्यू-129, जी के-1,
दिल्ली और पुष्पावन्ती पत्नी एस आर शर्मा
ए-128, इन्दरपुरी नई दिल्ली।

(अंतरक)

(2) वर्धमान कोनस एंड बोबिनस संस प्रा. लि.,
3 ,बीरबल रोड़,
जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट नं. 6, प्रथम खंड हिमालय हाउस 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। तादादी 233 वर्ग फीट।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस,
4/14 आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

**[illegible] आई. टी. एक्ट [illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस

4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2010—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो प्लाट नं. 703, 1600 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बी. के. रोड, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके क्यमान प्रतिफल से, ऐसे क्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित प्रयोजन से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट्स, 1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अशोक मलिक, 57 (एस), सदर थाना रोड, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक आवासीय फ्लैट नं. 703, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट। 7वां खंड, एक ओपन कार पार्किंग ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2020—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. --- है, तथा जो कृषि भूमि, गांव बिजवासन, नई दिल्ली, 14 बिघा, 8 बिस्वा, में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तारती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अंजूला खन्ना पत्नी
श्री जे. पी. खन्ना,
निवासी जे-17ए, हौजखास एन्क्लेव,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री जे. पी. भालोटिया एण्ड
श्री वि. सी. भालोटिया,
3, क्लाइव रोड, 9वां रोड,
कलकत्ता।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया

**अनुसूची**

कृषि भूमि तादादी 14 बिघा और 8 बिस्वा, रेक्ट नं. 37, किला नं. 12 (4-16), 19 (4-12) 20 मीन इस्ट (2-08) और 28-04, 11 मीन इस्ट (2-08) अराउन्ड गांव गांव बिजवासन, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

इस भाग में दी गई सूचना

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भाग द्वारा**

**सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस

4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2022—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने** का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो यूनिट नं. बी, तिसरा खंड, वन्दना बिल्डिंग, 11, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी लाभ की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की बाध्यता से बचने या उसमें कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी लाभ या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामलाल,
   श्रीमती कौशल्या देवी,
   चन्द्रलोक, ट्रस्ट
   एच-6, महारानी बाग, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. ओशिश होल्डिंग प्रा. लिमिटेड,
   706/21, फेज रोड, करोल बाग,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आक्षेप भी आमंत्रित :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट यूनिट नं. बी, तिसरा खंड, वन्दना बिल्डिंग, 11, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. -------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ई/8-85/2028—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो सिंधी हाउस बिल्डिंग, प्रथम खंड और दूसरा खंड, एरिया 3.291 एकड़, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित प्रयोजनों से उक्त अन्तरण विलिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. आत्मा राम प्रोपर्टी प्रा. लिमि., सी-37, कनाट पलैस, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. गोवन ब्रदर्स प्रा. लिमि. (रामपुर), 4, सिंधी हाउस, नई दिल्ली-1। (अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिंधीया हाउस बिल्डिंग, क्षेत्रफल 3.291 ग्राउंड, प्रथम और दूसरा खंड और बड़ा एरिया सी-37, कनाट पलेस, नई दिल्ली और अब जाना जाता है आत्मा राम मैंशन आउट आफ एरिया 27,936 वर्ग फीट।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2038--अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. -- है, तथा जो तादादी 1730 वर्ग गज, 20, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारार (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. दर्शी चंद साहनी और
त्रिवेनी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमि.,
कैलाश बिल्डिंग, 2 खंड,
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. नेशनल सिन्थेटिक लिमि.,
पी. एन. जी. स्कूल रोड,
गंगटोक, (सिक्किम)।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी नं. 20, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, एरिया 1730 वर्ग गज।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

फार्म नं. आई. टी. एस.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**अंतरण सूचना**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-I, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2041—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. — है, तथा जो फ्लैट नं. 603, ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, 2, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, छटवा खंड, 1500 वर्ग फीट में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 **को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके व्यथमान प्रतिफल से, ऐसे व्यथमान प्रतिफल का दस प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए पद पावा गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरपत्र विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—**

1. डा. गौरीनाथ सौंधी,
27, सौंधी टोला, चोक,
लखनऊ (यू. पी.)।
(अन्तरक)

2. डा. परषोत्तम नाथ सौंधी और
कमन सौंधी,
27, सौंधी टोला, चोक,
लखनऊ (यू. पी.)।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

फ्लैट नं. 603, तादादी 1500 वर्ग फीट, छटवा खंड, ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, 2, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

**इन्कम टैक्स, दी, एप्. एच.-------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2042—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)**, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो पलाट का भाग नं. एल-48, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा-269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. 1. मिसेस सुवर्शन सेठ,
2. मिसेस उमा सेठ,
3. मिसेस शुक्ला सेठ,
4. मिसेस प्रोमिला सेठ,
5. मिसेस आशा सेठ,
6. श्री नरेश सेठ,
   निवासी-साधना रेयन हाउस,
   डा. डी. एन. रोड, बम्बई।

(अन्तरक)

2. प्रगति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
   (दीपिका चेम्बर) डब्ल्यू-49,
   ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधी, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

पलाट नं. एल-48, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2043—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — —है, तथा जो फ्लैट नं. बी, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट, बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बी. के. रोड, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारसीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से ऐसे श्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट्स,
1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मिसेस वीना अग्रवाल,
एम-14बी, एन. डी. एस. ई. भाग-2,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आवासीय फ्लैट नं. बी, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट, रियर ब्लाक, दूसरा खंड, एक खुला पार्किंग, बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

**[फा. सं. आई. टी. एच. एस.]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस

4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ई/ई/8-85/2047—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि** स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. – फ्लैट नं. 10, क्षेत्रफल 1580 वर्ग फीट है, तथा जो ग्रुप हाउसिंग स्कीम, गोरी अपार्टमेन्ट, 3 और 4 इंड लेन, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रतिफल से, ऐसे प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट्स,
1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मिस् राधा सिंह,
पी. ओ. बाक्स नं. 3991,
इकेजा लागोस राज्य, नाइजिरीया।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

अवासीय फ्लैट नं. 10, एरिया 1580 वर्ग फीट, प्रथम खंड चपरासी क्वाटर, नं. 10, क्षेत्रफल 130 वर्ग फीट, प्रथम खंड एक और ट्रेस एरिया 290 वर्ग फीट। बहुमंजिली इमारत ग्रुप हाउसिंग स्कीम, गोरी अपार्टमेन्ट 3 और 4 साउथ एंड, लेन, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 3-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस

4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2048—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. — फ्लैट नं. 810 है, तथा जो क्षेत्रफल 615 वर्ग फीट, 14, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एम. पी. डी. एसोसिएट्स प्रा. लिमि.,
ए-1/18, सफदरजंग एन्क्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. निमी इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लिमि.,
केबिन नं. 8, कोरोनेशन होटल,
फतेहपुरी, दिल्ली।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण.**—उसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. 810 क्षेत्रफल 615 वर्ग फीट, 14 के. जी. मार्ग, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

**[illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**[illegible]**

**सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2050—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — अवासीय फ्लैट, 1600 वर्ग फीट, छटवां खंड है, तथा जो बहुमंजिली हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यथास्थिति रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बारे में, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट्स,
1006, कंचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राजिन्दर पाल गोयल,
10, जजस कोर्ट रोड, पुलिस स्टेशन,
अलिपुर, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवासीय फ्लैट छटवां खंड और खुला पार्किंग (एक) बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9 बारा खंबा रोड, नई दिल्ली, 1600 वर्ग फीट।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :]

**फ्रक्स आई.टी.एन.एस. ------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**सादृश्य अनुप्रयोग**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
नई दिल्ली, तारीख 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2051—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,** जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — साउथ टावर है, तथा जो 1844 वर्ग फीट, 5वां खंड, बहुमंजिली इमारत, 34, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से कम की दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास
**करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या चिल्लर धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विकास चन्दर,
श्री विनीत चन्द्रा और
श्रीमती कुसुम लता,
निवासी 8, इश्वर नगर (इस्ट),
मथुरा रोड, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री तनी भार्गवा और
श्री राजीव भार्गवा,
निवासी 18, महारानी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाही करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

साउथ टावर पर एक फ्लैट, 5वां खंड, बहुमंजिली इमारत, 34, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली, तादादी 1841 वर्ग फीट।

आर पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2052.--अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि** स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य और जिसकी सं. है तथा जो अग्रसीय फ्लैट बहुमंजिली इमारत स्कीम 1600 वर्ग फीट अधोस्वर अपार्टमेंट, 34 फिरोजशाह रोड़, में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन तारीख अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्रयमान **प्रतिफल से, ऐसे ह्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है** और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच **ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित हेतुदेक से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) कैलाश नाथ एंड एसोसिएट्स,
1006, कनचनजंगा 18,
बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली ।
(अंतरक)

(2) एल. पी. अग्रवाल एचयूफ और एन. पी. अग्रवाल,
आई. बी. ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

अग्रसीय फ्लैट पल्लीथ एरिया 1600 वर्ग फीट साइट हैंड साईड फ्लैट नं. 7, 5वां खंड, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग ग्रुप स्कीम, अधिस्वर अपार्टमेंट 34, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफ अली रोड़,
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 4-4-1986

मोहर :

प्रकम्प आई. टी. एम. एल.---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2053.—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. आवासीय फ्लैट है, तथा जो 1600 वर्ग फीट, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, नीलगिरि अपार्टमेन्ट, 9, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय को छिपाने या उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या/**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) कैलाश नाथ एण्ड एसोसिएट्स,
1006, कनचनजंगा, 18, बाराखम्बा रोड़,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्दर नाथ कपूर और मिसेस राजेश्वरी कपूर,
द्वारा ग्रिंडलेज बैंक, पी. आई. सी. 90,
महात्मा गांधी रोड़, बम्बई ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

अवासीय फ्लैट सं. 5-ए, क्षेत्रफल 1600 वर्ग फीट । लगभग ग्रुप हाउसिंग नीलगिरी अपार्टमेंट, 9, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफ अली रोड़,
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2056.--अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. ऑफिस स्पेस है तथा जो तादादी 696 वर्ग फीट 13, टालस्टाय मार्ग, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन तारीख अगस्त 1985 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बचाव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दविन्दर पुरी और संजीव पुरी,
निवासी सी. बी-4, गूजरवाला टाउन,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति राजकुमारी सेठ और मिसेस नीलम बगा,
मिस पूजा सेठ मिस राजन सेठ 2408,
तिलक स्ट्रीट चूना मंडी,
पहाड़गंज, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बुकिंग आफिस स्पेस तादादी 696 वर्ग फीट 4 वां खंड बहु-मंजिली इमारत बिल्डिंग 13, टाल सटाय मार्ग, नई दिल्ली ।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसाफ अली रोड़,
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एस. ---**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-1,
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख, 4 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./1/37-ईई/8-85/2057—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. — प्रथम खंड है, तथा जो रियर फ्लैट पवन हाउस, मिडल सर्कल, बीहांड जी-39, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. जे. एस. आर. फैमिली ट्रस्ट,
सी-39, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. आर. एस. इन्टरनेशनल,
16ए/19, डब्ल्यू. ए., (बेसमेन्ट),
करोल बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

प्रथम खंड (रियर फ्लैट) पवन हाउस, मिडल सर्कल, पीछे जी-39, कनाट सर्कस, नई दिल्ली। तादादी 591.65 वर्ग फीट।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

**प्रकम्य आई. टी. एन. एस.-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एस आर-1/8-85/191—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. 26 है, तथा जो रोड नं. 73, क्लास बी, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती कुलवंत कौर पत्नी
श्री ओंकार सिंह साहनी,
श्री हरचरनजीत साहनी,
श्री गुरविन्दर सिंह सुपुत्र
श्री ओंकार सिंह साहनी,
निवासी बी-5, पर्ल क्वीन बिल्डिंग,
नार्थ एवेन्यू रोड, सांता क्रूज,
वेस्ट, बम्बई।

(अन्तरक)

2. 1. श्री मथुरा दास सुपुत्र
श्री बिहारी लाल,
2. श्री सुरिन्दर छाबड़ा,
श्री राजिन्दर छाबड़ा,
श्री महिन्दर छाबड़ा सुपुत्र
श्री मथुरा दास,
14/26, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्री-होल्ड प्रापर्टी नं. 26, रोड नं. 73, क्लास बी, तादादी 1093.83 वर्ग गज, स्थित आवासीय कालोनी, पंजाबी बाग के नाम से जानी जाती है, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002
अर्जन रेंज-2, अग्रवाल हाउस

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एस आर-1/8-85/192—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो 16, रोड नं. 4, जयदेव पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली में स्थित है
और जिसकी सं. 16 है, तथा जो रोड नं. 4, जयदेव अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्रयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ह्रयमान प्रतिफल से, ऐसे ह्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या इससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम सिंह सुपुत्र श्री देवी चंद, 4/16, जयदेव पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री सत नारायन बेरीवाल सुपुत्र स्वर्गीय छबील दास बेरीवाल, 4165, नई सड़क, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी नं. 16, रोड नं. 4, तादादी 501 वर्ग गज, जय देव पार्क, ओल्ड रोहतक रोड, नई दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 10-4-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, तारीख 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एस आर-1/8-85/194—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 2 है, तथा जो ब्लाक डी-1, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एस. कोप्टन जे. एस. गिल सुपुत्र
श्री देवा सिंह गिल,
निवासी डी-1/2, राजोरी गार्डन,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री रूबी लाम्बा पत्नी श्री जेतिन्दर सिंह,
श्री हरमीत सिंह सुपुत्र श्री जेतिन्द्र सिंह लाम्बा,
निवासी जे-9/2020, नाईवाला करोल बाग,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिंगल स्टोरी प्लाट नं. 2, ब्लाक डी-1, 488.8 वर्ग गज स्थित राजोरी गार्डन, एरिया बसई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अग्रवाल हाउस
4/14-ए, आसफ अली रोड
दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.ए.एस.**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एसआर.-1/8-85/204—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. — है, तथा जो डी-6, आवासीय कालोनी, कीर्ति नगर, गांव बसई दारापुर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यक्त प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यक्त प्रतिफल से, ऐसे व्यक्त प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के** प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचना है :—**

1. श्री एस. हरबंस सिंह सुपुत्र श्री एस. गोपाल सिंह एण्ड श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री हरबंस सिंह, डी-6, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री मदन लाल दवार श्री ओम प्रकाश दवार और श्री गुलशन कुमार दवार सुपुत्र श्री अमीर चंद दवार, डी-6, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को **पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित** है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

नं. डी-6, तादादी 500 वर्ग गज स्थित आवासीय कालोनी कीर्ति नगर के नाम से जानी जाती है, गांव बसई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली। फ्री-होल्ड।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2

अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,

नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एसआर.-1/8-85/215—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो प्लाट नं. 1-7, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंचवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाजपत राय सुपुत्र खान चंद, 1-7, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री विरेन्द्र पाल खुराना सुपुत्र श्री सी. बी. खुराना, ए-70, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्री-होल्ड, प्लाट नं. 1-7, 300 वर्ग गज, स्थित आवासीय कालोनी, कीर्ति नगर, गांव बसई दारापुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एच**----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2

अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/एसआर.-1/8-85/216—अतः मुझे, आर. पी. राजेश,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. — है, तथा जो प्लाट नं. 37/1, ब्लाक नं. सी, वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महिन्दर चंद जैन सुपुत्र श्री छुट्टन लाल जैन,
निवासी सी-3341/3, क्रीश्चयन कालोनी,
करोल बाग, नई दिल्ली,
जी.पी.ए. मैसर्स रतन बाग,
मकान 47, स्वदेशी मार्किट, सदर बाजार, दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रेडर्स,
131, सदर बाजार, दिल्ली द्वारा
सुरिन्दर मोहन जैन सुपुत्र स्वर्गीय राम लाल जैन,
श्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री के. बी. बी. जैन,
निवासी 14-15, वीर नगर, दिल्ली-7
श्रीमती संतोष जैन पत्नी श्री जे. के. जैन और
श्रीमती प्रोमिला जैन, निवासी
सी-1/13, अशोक विहार, फेस-2, दिल्ली-52।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

बनी हुई फैक्टरी, फैक्टरी प्लाट नं. 37/1, ब्लाक नं. सी, तादादी 604 वर्ग गज स्थित ले आउट प्लाट, वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली, लीज होल्ड।

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

**फ्रा. आई. टी. एन. एस. : . . . . .**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./2/37-ईई/8-85/781—अतः मुझे, आर. पी. राजेश, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. — है, तथा जो कृष्णा निकेतन, 3455/57, दिल्ली गेट, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डेल्टन केबल्स लिमिटेड
भारत राम रोड, 24, दरिया गंज,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री आर. के. गुप्ता,
46-ए, फ्रेंड कालोनी, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

कृष्णा निकेतन 3455/57, दिल्ली गेट, नई दिल्ली। फ्री-होल्ड।
धरतल खंड 334.20 वर्ग मीटर
प्रथम खंड 269.28 वर्ग मीटर
दूसरा खंड 229.89 वर्ग मीटर
तिसरा खंड 136.10 वर्ग मीटर

आर. पी. राजेश
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 10-4-1986
मोहर :

**फ्रक्स आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय**, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/एसआर-3/8-85/1175—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. म्यूनिसिपल नं. 10600 है, तथा जो ब्लाक नं. 13, प्लाट नं. 17, डब्ल्यू एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. चौधरी देश राज, 2. बलबीर सिंह,
3. चौधरी जगदीश सिंह, 4. हेमचंदर,
5. धनपति देवी, 6. निहालो देवी।

(अन्तरक)

2. आनन्द स्वरूप मलिक सुपुत्र राजा राम मलिक सुपुत्र दिवान चंद मलिक, निवासी बी-31, मोती नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी म्यूनिसिपल नं. 10600 ब्लाक नं. 13, प्लाट नं. 17, तादादी 276 वर्ग गज स्थित डब्ल्यू इ एरिया, करोल बाग, नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्य./3/37-ई/8-85/1008—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. — है, तथा जो शाप नं. 101, 5, भिकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, अर्थात् दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए शब्द पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. सोमदत्त बिल्डर्स प्रा. लिमि.,
56, कम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. पंकज नरूला
यू/जी मिसेस स्नेह नरूला
41, नार्थ एविन्यू, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

शाप नं. 101, प्रथम खंड 5, भिकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली। लगभग 535 वर्ग फीट।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

अक्स आई. टी. एक्स. एच.-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**आम सूचना**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/37-ई/8-85/1009—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. — है, तथा जो शाप नं. 102, 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवधारित** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे

**यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवधारित प्रतिफल से, ऐसे अवधारित प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए** तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।**

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सोमदत्त बिल्डर्स प्रा. लिमि.,
56, कम्यूनिटी सेन्टर, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मास्टर पुनीत नरूला एण्ड बेबी सृष्टी नरूला
अंडर गार्डियन मिसेस स्नेह नरूला,
41, नार्थ एविन्यू, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, **के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-**बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के **पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया **गया है।**

**अनुसूची**

शाप नं. 102, प्रथम खंड, नं. 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड

नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/37-ईई/8-85/1013—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. — है, तथा जो 106, 5, भीकाजी कामा पलेस, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सोमदत्त बिल्डर्स प्रा. लिमि.,
56, कम्यूनिटी सेन्टर, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. नरूला होल्डींग्स प्रा. लिमि.,
402, गगन दीप, 12, राजिन्दर पलेस,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की बिबत कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं. 106, प्रथम खंड, 5, भीकाजी कामा पलेस दिल्ली क्षेत्रफल लगभग 503.6 वर्ग फीट।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

प्रारूप फार्म आई.टी.एस. . . . . .

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/एस आर-2/8-85/2662—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं. है तथा जो प्रो प. नं. 14, रोड़ न. 26, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार-मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मथुरा दास सुपुत्र बिहारी लाल
14/25, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. चन्दर भान गर्ग, शीश पाल गर्ग,
मुकेश गर्ग सुपुत्र मनीराम गर्ग, 15/25, पंजाबी बाग,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रोपर्टी नं. 14, रोड़ नं. 26, एरिया 555.55 वर्ग गज, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एस.ए.--------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3,
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/एस आर-2/8-85/2673— अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. प्रोपर्टी नं. 8, रोड नं. 14, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरजीत सिंह बजाज,
8/14, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. महेश बजाज, शशी बाला, श्रीमती सरोज बजाज, गौतम बजाज, बी-1/233, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रापर्टी नं. 8, रोड नं. 14, पंजाबी बाग, नई दिल्ली तादादी 557.15 वर्ग गज।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड,
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

अजय नई. दी. एच. एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**आयकर**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,

नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/एस आर-2/8-85/1155—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी कहा, यह विश्वास करने का** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट न. 5, ब्लाक 18, डब्लू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. 1 श्री ग्यान चंद 2 प्रेम चंद 3 सुभाष चंद सुपुत्र महेश चंद श्रीमती चंद्र कला अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय नरेश चंद 5 मंजुला सिंघल 6 मृदुला गुप्ता 7 मधुनिगम 8 मोना पाटनी सुपुत्रियां स्वर्गीय नरेश चंद, 18/5, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. इलेवन स्टोर्स प्रापर्टीज लिमिटेड, एफ. एफ. 3, स्तुति बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।।**

**अनुसूची**

प्रोपर्टी एमपोल नं. 10006, प्लाट नं. 5, ब्लाक नं. 18, डब्ल्यू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली तादादी 226 वर्ग गज। खसरा नं. 772/767

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड,
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रकप आई.टी.एन.एस.**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए, आसफ अली रोड़,

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई. ए. सी./एक्यू./3/एस आर-2/8-85/1160— अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध** की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के प्रयोजनार्थ यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. जी-5ए. है, तथा जो ग्रीन पार्क एक्स्टेन्शन, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 85
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सहिष्णा के लिए कोई या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. गुरबाज सिंह संधू सुपुत्र अजीत सिंह 2 परमिंदर सिंह 3 गुरिन्दर सिंह श्रीमती शरनजीत कौर पत्नी जी एस संधू जी-5ए, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्रीमति सीताधर पत्नी रनजीत धर
एस-104, पंचशील पार्क, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

प्रापर्टी न. जी-5ए, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली तावादी 200 वर्ग गज।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड,
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड़, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई.ए.सी./एक्यू./3/एस आर-3/8-85/1169 अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या-----है तथा जो प्लाट नं. 95, नवजीवन विहार, नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपकाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेजर जनरल इन्दर मोहन 95, नवजीवन विहार, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

(2) श्री ए. आर. सिरीनिवासन डी-6/34, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 95, नवजीवन विहार, नई दिल्ली एरिया 266 वर्ग गज।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**प्रकार आई.टी.एच.एक्ट.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड़, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई.ए.सी./एक्यू./3/एस आर-3/8-85/1170 अतः मुझे, सुनील चोपड़ा,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी संख्या डी-37, है जो गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के अवधाय प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवधाय प्रतिफल से ऐसे अवधाय प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व से बचने या दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी अन्य या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री ए. आर. केरेला वर्मा
   सुपुत्र एम. वी नम्बूदरिपाद
   डी-37, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)
2. श्री दीपक तलवार सुपुत्र आर. एन. तलवार
   गीता तलवार पत्नी दीपक तलवार
   132-एफ, मूल्ची मार्ग, नई दिल्ली।
   (अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की बाबत कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

प्रापर्टी सं. डी-37, तादादी 300 वर्ग गज स्थित गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.:----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-3,
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड़, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आई.ए. सी./एक्यू./3/एस आर-3/8-85/1177 अतः मुझे, सुनील चोपड़ा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या ---है तथा जो बी-6,/107, एस डी ए रेसीडेंशियल स्कीम नई दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शादी लाल सुपुत्र स्वर्गीय हंस राज मेहरा
15, बैंकट मांउट मेरी रोड, बांद्रा बंबई।
(अन्तरक)

2. श्री ले. क. प्रकाश चन्दर साहनी
बी-6/107, एसडीए, आवासीय स्कीम,
नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

बी-6/107, एस डी ए रेसीडेंसीयल स्कीम नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**अध्याय XX-बी : दि. प्र. इक.**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**सक्षम प्राधिकारी**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
अर्जन रेंज-3
आसफ अली रोड़, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू./3/एस आर-3/8-85/1178—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी खसरा नं. 328, तादादी 222 वर्ग गज 1 ब्लाक एम, गली नं. 9-10, बिडनपुरा, करोलबाग, दिल्ली में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985
**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवधारण प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके अवधारण प्रतिफल से, ऐसे अवधारण प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित अनुरोध से उक्त अंतरण जिसमें पारस्परिक रूप से व्यक्त नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रकाशवती पत्नी
आर एन चड्डा 2450/59, 9-10,
बीडन पुरा, करालबाग, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) एम के कंस्ट्रक्शनस ए-14/1,
मायापुरी फेस-1, नई दिल्ली
द्वारा पार्टनर पूरन मनचंदा एवं अन्य।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधःहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त** अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

मकान नं. 2458, तादादी 222 वर्ग गज 1 प्लाट/खसरा नं. 328, ब्लाक एम गली नं. 9-10, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 14-4-1986
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अग्रवाल हाउस, 4/14-ए,
आसफ अली रोड़, नई दिल्ली
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. आई.ए.सी./एक्यू./3/एस आर-3/8-85/1179—अतः मुझे, सुनील चोपड़ा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं.---है तथा जो कृषि भूमि 19 बीघा और 4 बिस्वा मेहरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है)., रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दुली चंद मकान नं. 104, वार्ड नं. 9, किशन गढ़, गांव मेहरौली, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) शान मुगंदा कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, लिमि. द्वारा जनरल सेक्रेटरी आर कुमार 957, सन लाइट कालोनी, आश्रम दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि यातत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादी 19 बीघा 4 बिस्वा किला नं. 53 खसरा नं. 14(4-16) 17(4-16), 18(4-12) 26(0-4) 13 (4-16) तहसील मेहरौली, गांव मेहरौली दिल्ली।

सुनील चोपड़ा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, दिल्ली
नई दिल्ली-110002

तारीख : 14-4-86
मोहर

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं. 1/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, और जो यनिकीपाडु विलेख में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचितस बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. मुब्बाराव पिता कोटय्या और अन्य 5, यनिकीपाडु विलेज, विजयवाडा तालूक।

(अन्तरक)

(2) श्री डी. व्ही. सत्या वरप्रसाद पिता लीगय्या, मनेजीग पार्टनरस मेसर्स श्री श्रीनिवास इन्डस्ट्रीज यनिकीपाडु विलेज, विजयवाड़ा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को साम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 1.08 एकर यनिकीपाड़ विलेज, विजयवाडा तालूक, आर यस नं. 15, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 5291/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.पी.एस.4.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना।

प्रति सक्षम प्राधिकारी

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986
आर.ये.सी.नं.2/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, और जो यनिकीपाडु विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3/85
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने को अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कं. सूब्बाराव पिता कांटय्या और अन्य 5, यनिकीपाडु विलेज, विजयवाडा तालुक।
(अन्तरक)

(2) श्री डी. लिंगय्या पिता चीना पिचय्या,
मनेजींग पार्टनरस मेसर्स साइ बाबाकंस्टीग वर्क्स,
मांगलराजपुरम, विजयवाडा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या अन्यसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 1.10 एकर, यनिकीपाडु सर्वे नं. 156/2, विजयवाडा, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 5292/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं. 3/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं. काटन एण्ड राइस मिल्स है जो, गनपावरन चीलाकलूरीपेट में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चीवाकलूरीपेट, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के बीच तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब**, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सीयच चिर राघवय्या पिता अपय्या चीलाकलूरीपेट, जीला गुंटूर।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स श्री धनलक्ष्मी काटन और राइस मील प्रा. लि., द्वारा मनेजींग डायरेक्टर श्रीयन वेंकटरत्नम, गनपावरम, तालूका चालाकलूरीपेट, जीला गुंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

**(क)** इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

**(ख)** इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

मेसर्स धनलक्ष्मी काटन और राइस मिल (प्रा.) लि., विस्तीर्ण 0.50 एकर, और 2420 चौ. गज., सर्वे नं. 542/बि. 9.52ए, गनपावरम, चीलाकलूरीपेट, तालूक, जिला गुंटूर, रजीस्ट्रीकृत दिलेख नं. 2677/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीलाकलूरीपेट।

**एम. जगन मोहन**
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**[illegible]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**
धारा 269-घ के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं.4/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, जो दोकीपारु विलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फीरंगीपुरम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जो किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सीयच शिवकुमारी पति कोटेश्वर राव, एम. जी. रोड, बिंद्रावन गार्डनस, गुंटूर।
(अन्तरक)

(2) श्री पि. रेड्डी शशि धन पिता गोपालकृष्ण परवत रेड्डी, शामलानगर, गुंटूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

सभी आक्षेप मेरे पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 8.16, एकर, सर्वे नं. 111-2 इ, 111-3बी, 112-सी, 112-डी और 112-इ, कोकुपारी विलेज, फीरंगीपरम, गुंटूर जिला, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 1382/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी फीरंगीपुरम।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

~~अध्याय XX-C, दी. पुनः प्रवेश~~

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं.5/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, जो रामनयापेट, विलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी लाभ की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन इस अंश के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पि. विरा राजू पिता लेट सूरान्ना थूमदा पालेम, डी.नं. 57-24-79, विशाखापटनम।
(अन्तरक)

(2) श्री के. सत्यनारायणा मूर्ती पिता आदीनारायण मूर्ती और अन्य 5, तामरापल्ली, रामचंद्रापुरम तालूक, जिला इस्ट गोदावरी।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

बंजर भूमि विस्तीर्ण 0.57 एकर, और 2758 चौ. गज., सर्वे नं. 163/16, पट्टा नं. 12, ब्लाक नं. 67, रमनयापेट विलेज,, काकीनाडा तालूक जीला इस्ट गोदावरी, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 9432/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी काकीनाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. .....

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं. 6/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. भूमि है, जो कूटूकुडुमीली विलेज पिठापुरम, में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पिठापुरम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के दर्शित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का एक सौ प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं दिखाया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

**अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में**, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. रामचंद्रराव पिता लक्ष्मी वेंकटय्या और अन्य 3, 10-वार्ड, इस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री सीयच, वेंकट सुब्रमन्यम पिता बुचीराजू, 8थ वार्ड, पिठापूरम, जिला इस्ट गोदावरी।

(अन्तरिती)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 6.80 एकर कूटूकुडुमीली विलेज, पिठापुरम, मंडालम, जिला इस्ट गोदावरी, सर्वे नं. 55/4, 56/2, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 3383/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी पिठापुरम।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**अन्तरक बाई.टी.एच.एच. - - -**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं.7/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. घर है, जो ब्रोडीपेट, गूंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गूंटूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8/85
**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ज्ञयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके ज्ञयमान प्रतिफल से, ऐसे ज्ञयमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्रीमती एम. सौभाग्यम्मा बाइ जिपिए जिपिए श्री यस .जे. श्यामुवल, 222, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद।
(अन्तरक)

(2) श्री डी. प्रेमप्यारी बाइ जिपिए श्री डी. प्रेमस्वरूप, 6/13, ब्रोडीपेट, गूंटूर।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

घर नं. 5-94-7, 6/13 ब्रोडीपेट, गूंटूर विस्तीर्ण 536 चौ. गज., ब्लाक नं. 2, न्यू वार्ड नं. 2, और टी यस. नं. 67,68, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 7957/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूंटूर।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

पत्रांक आई. टी. एच. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

आर.ये.सी.नं.8/86-87—अतः मुझे,
एम. जगन मोहन,,
**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. फ्लैट है, जो बिच के पास के कार्यालय, वैभाग में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैभाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया** गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में **सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, **मैं**, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स पैरामाउंट कन्स्ट्रक्शन्स,
बाई मैनेजिंग पार्टनर, श्रीमती बी. लक्ष्मी
दासपल्ला हीलिस, वैभाग।
घर नं. 47-7-27, द्वारका नगर, वैभाग-16।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती यस. आनसूयादेवि पतियस, जनारधन राव,
घर नं. 47-7-27, द्वारका नगर, वैभाग ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट घर नं. 16-1-16/ए, बिच का पास, कोस्टल बटरी के सामने वैभाग, विस्तीर्ण 900 चौ. फुट रजीट्रीकृत विलेख नं. 8874/85. रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैभाग।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रारूप बाई. टी. एम. एक्स. - - -**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 9/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लेट है, जो बिच के पास वैझाक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैझाक में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रथमान प्रतिफल से, ऐसे प्रथमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) कपटपूर्ण से कुछ किसी बात की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवर्तनकाल अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स पैरामाउन्ट कन्स्ट्रक्शनस्,
बाई मैनेजिंग पार्टनर,
श्रीमती बि. लक्ष्मी, दासपल्ला हीलस्,
वैझाक।

(अन्तरक)

2. श्रीमती ए. सत्यरामनजमा
पत्नि श्री अप्पाला राव,
47-7-27, द्वारकानगर,
वैझाक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

ए फ्लैट घर नं. 16-1-16/ए, बिच के पास, कोस्टल बैटरी के सामने, वैझाक, विस्तीर्ण 900 चौ. फूट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 8873/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वैझाक।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 10/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि है, जो गूंटूर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गूंटूर में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अथवा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पि. बालय्या
पिता श्री बापनय्या,
कोथापेट, गूंटूर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स यश्री. श्री चींतामणी कल्पतरू परस्वंथा जैन स्वेतंबर तीर्थ ट्रस्ट,
बाई चेरमन श्री जेसराज बन्साली,
घर नं. 22-2-73, क्लाथ बाझार,
गूंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उपबन्धों व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 2.68 1/2 एकड़, नम्बूर पंचायत, प्लींथ एरिया 300 चौ. फूट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 9743/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गूंटूर।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रकल्प आई.टी.एम.एल.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 11/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि है, जो नम्बूर रोड, गूंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गूंटूर में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समझान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके समझान प्रतिफल से, ऐसे समझान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-**फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुए किसी लाभ की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री पि. वेंकट कोटेश्वर राव
पिता श्री सूब्बय्या,
गूंटूर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स यच. श्री चींतामणी कल्पतरू परस्वंधा
जैन स्वेतंबर तीर्थ ट्रस्ट,
आई चेरमन श्री जेसराज बन्साली,
घर नं. 22-2-73, क्लाथ बाज़ार,
गूंटूर।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 2.68 1/2 एकर, प्लींथ एरिया 300 चौ फूट, नागार्जुनी यूनिव्हरसीटी के सामने, नम्बूर पंचायत एरिया रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 9744/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गूंटूर।

एम. जगन मोह
सक्षम प्राधिका
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबा

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 12/86-87—
यतः मुझे, एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. खुली जमीन है, जो रेसापूवानी पालम में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वंशाक में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भाररतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए"

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. श्रीमती पि. मुत्यालम्मा
पति लेट श्री सन्यासी,
डी. नं. 52-8-18, रेसापूवानी पलेम,
विशाखापट्टनम-13।
(अन्तरक)

2. मेसर्स हीलथी इनव्हेस्टमेन्ट लि.,
बाइ डायरेक्टर
श्री हरीशचन्द्र प्रसाद काकानी,
मेकर चेम्बर-पांच, 8थ फ्लोअर,
नरीमन पाइन्ट, बम्बई-21।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में किसी भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन, विस्तीर्ण 1676 चौ. गज., रेसापूवानी पालम, सर्वे नं. 56/3, विशाखापट्टनम, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 9054/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वंशाक।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 13/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. खुली जमीन है, जो रेसापूवानी पालम में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैझाक में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख)** ऐसे **किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों** को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या **धन-कर अधिनियम**, 1957 (1957 को 27 का प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया **था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री अप्पाराव पित्ता
पति लेट श्री सन्यासी,
डी. नं. 52-8-18, रेसापूवानी पलेम,
विशाखापट्टनम-13।
(अन्तरक)

2. मेसर्स हीलथी इनव्हेस्टमेन्ट लि.,
बाइ डायरेक्टर
श्री हारिशचंद्र प्रसाद काकानी,
मेकर चेम्बर-पांच, 8थ फ्लोअर,
नरीमन पाइन्ट, बम्बई-21।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

खुली जमीन, विस्तीर्ण 1677 चौ. गज., रेसापूवानी पालम, सर्वे नं. 56/3, विशाखापट्टनम, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 9055/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वैझाक।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

मुख्य आई. सी. एस. एस. ...

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 31/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. भूमि और इमारत है, जो तनूकू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनूकू में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास**

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की मात्रा, उक्त अधिनियम के अधीन कर दर को अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बच्चों में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—**

1. मैसर्स दि वेंकटेस्वरा नगर और खंडसरी सुगर्स (प्रा.) लि., बरफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सी. एच. वेंकटेस्वरा राव, तनूकू, वेस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरक)

2. श्री ए. कृष्णामूर्ति पिता श्री श्रीरामलू, उन्द्राजवारम विलेज, तनूकू तालूका, जिला वेस्ट गोदावरी।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 0.99 एकर, इमारत और प्लींथ एरिया 22219 चौ. फूट, तनूकू, जिला वेस्ट गोदावरी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 3159/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, तनूकू।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 32/86-87--

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इमारत है, जो मारुतीनगर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री टी. सूर्यप्रकाशराव
पिता श्री कामयाचारीयुलू,
भवन नारायणा स्ट्रीट, विजयवाडा।
(अन्तरक)

2. श्री डी. वेंकटा शेषगीरी राव
पिता श्री वेंकटा सुब्बा राव,
ब्राह्मण स्ट्रीट, विजयवाडा-1।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत नं. 31-23-3 (नया), मारुती नगर, विजयवाडा, विस्तीर्ण 559 चौ. गज., रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 5473/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, विजयवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. यं. सी. नं. 33/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य
1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. फ्लैट है, जो शांती अपार्टमेन्टस्, पाटामाटा में स्थित है
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री व्ही प्रभूकिशोर
पिता श्री कंशवराव चौधरी और अन्य एक,
बिल्डर्स आफ शांती अपार्टमेन्टस्,
पाटामाटा, विजयवाडा।
(अन्तरक)

2. श्री एम. प्रभू वराप्रसाद बाबू
पिता श्री जेसुपदम,
मारीवाडा, कृष्णा जिला।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट शांती अपार्टमेन्टस्, साइबाबा मंदीर के पास, पाटामाटा, विजयवाडा, विस्तीर्ण 870 चौ. फूट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 5193/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, विजयवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर ।

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 34/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लैट है, जो मोगनराजपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922) का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. मेसर्स अरुण बिल्डर्स,
भाई श्री पि. जनार्धन राव और
श्री पि. नागभूशनम,
नबिपेट, विजयवाडा।

(अन्तरक)

2. श्री सी. एच. सीताराम (जनशेवपूर)
पिता श्री सीतारामय्या,
ए फ्लैट इन आरुण अपार्टमेन्टस्,
मोगलराजपूरम, लब्बिपेट, विजयवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सांपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ए फ्लैट विस्तीर्ण 750 चौ. फूट, आरुण बिल्डर्स, मागलराजपुरम, लब्बिपेट, विजयवाडा, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 5314/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, विजयवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 35/86-87--

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि है, जो लेकालापालम, सभावरम तालूक में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैझाक में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमाय प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमाय प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) कोई किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी. एच. वेंकट नागेश्वर शास्त्री
पिता लेट श्री वेंकट सोमयाजूलू,
घर नं. 18-1-64, के. जी. एच.
टाउन, वैझाक।

(अन्तरक)

2. मेसर्स प्रसाद स्टील फेब्रीकेशनस्
बाइ श्री त्रीपूरानेनी वेंकट केशवराव,
लंकालापालम, सभावरम तालूक,
जिला विशाखापटनम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उत्तरवर्ती व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 1.27 एकर, सर्वे नं. 178, लंकालापालम, सभावरम तालूक, वैझाक जिला, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 8784/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वैझाक।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 36/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं. घर है, जो गन्नावरम में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिष्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गन्नावरम में भारतीय रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. विश्वेस्वर राव पिता सूर्यनारायणा, गन्नावरम, कृष्णा जिला । (अन्तरक)

(2) श्रीमति वाइ. रजनि पति वेंकटेस्वर राव, घर नं. 85, वार्ड नं. 1, गन्नावरम, जिला कृष्णा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं. 85, वार्ड नं. 1, गन्नावरम, जिला कृष्णा, विस्तीर्ण 304, चौ. गज, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 2432/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी गन्नावरम ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.-

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश ये. सी. नं. 37/86-87—यतः मुझे, ,
एम. जगन मोहन,
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. भूमी है, जो गुनदलाविलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85
कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से व्यक्त नहीं किया गया है**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—**

20—76 GI/86

(1) श्री सीयच, रामबाबू पिता राजाराव,
गुनदला, विजयवाडा-5 ।
(अन्तरक)

(2) श्री टी. हानुमतराव पिता वेंकय्या,
पालापारु, चीलकलूरीपेट, तालूक, जीला गुंटूर ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

वित्तीर्ण भूमी 0.60 एकर, गुनदला, विजयवाडा, स 139/1, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 5323/85 रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 38/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. घर है, जो अटोनगर विजयवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसकी दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (ती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आई सीम्हाचलम पिता अपाराव, पाटामाटा, विजयवाडा ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति वि. विजयालक्ष्मी पत्नि कृष्णा कुमार, मारुतीनगर, विजयवाडा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डबाविथ टीन, शेड वित्तीर्ण 500 चौ. गज, जवाहर अटो नगर, विजयवाडा, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 5391/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाडा ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 39/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमी है, जो द्वारापाडी, में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयनगरम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8/85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के कथयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके कथयमान प्रतिफल से ऐसे कथयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. अपालास्वामी पिता अप्पन्ना, द्वारापुडी, विजयनगरम ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स विजयनगरम नान-गूझेटेड एम्प्लाइज को-आपरेटीव्ह बिल्डींग सोसायटी, बाइ श्री वडलामनी सोमसुंदरम, द्वारापूडी, विजयनगरम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

विस्तीर्ण भूमी 1.60 एकर, द्वाराप्पुडी विलेज, विजयनगरम, सर्वे नं. 263/2, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 3137/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयनगरम ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 40/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमी है, जो सज्जापूरम, विलेज में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनूक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहम्मद शाहाबुद्दीन अहमद पिता शमसुद्दीन और अन्य अटोली,
जीला वेस्ट गोदावरी ।
(अन्तरक)

(2) श्री यू. श्रीराममूर्ती पिता वेंकटेस्वर राव और अन्य, अज्जाराम, तलूका तनूक, जीला वेस्ट गोदावरी, ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुछ क्षेत्रफल, 536 चौ. गज., वार्ड नं. 17, नया राज्जापूरम, विलेख, वेलपूर रोड, तनूक, जीला वेस्ट गोदावरी, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 2942/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी तनूक ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. सं. 41/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. खूली जमीन है, जो वाल्टीयर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैभाक, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति सावित्री मित्रा पति ए. के. मित्रा, 166/134, लेक गार्डन सं., कलकत्ता-700045 ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति के. पद्मावती पति सत्यनारायणा राजू, और अन्य एक, उप्पलूरु-534 और 187, तालूक उप्पडी, जीला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खूली जमीन, विस्तीर्ण 590 चौ. गज. टी यस. नं. 101/1 पि. वाल्टीयर वार्ड पांडुरंगपुरम लेआउट, विशाखापटनम, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 9557/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैभाक ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रपत्र आई. टी. पी. एस. .....

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**सक्षम प्राधिकारी**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 42/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. खुली जमीन है, जो वाल्टीयर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वैभाक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमति सावित्री मीट्टा, पतिलेट ए. के. मीत्ता, 166/34, लेक गार्डनस, कलकत्ता-700045 । (अन्तरक)

(2) श्रीमति डी. पुष्पकुमारी गुप्ता पति दीनेस कुमार गुप्ता, 20, डाक्टरस कालनी, सीतम्माधारा वैभाक । (अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन, विस्तीर्ण 259 चौ. जग्र, टीयस. नं. 1011, वाल्टीयर वार्ड, पांडुरंगापुरम लेअर विशाखापटनम, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 9558/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैभाक ।

एम. जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एम.एस.-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भाग्य सूचकांक**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 47/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. भूमी है, जो वडपल्ली विलेज कोअूर, तालूक, में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय काउरु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दस्तावेज प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य **उसके दस्तावेज प्रतिफल से, ऐसे दस्तावेज प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया** प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से **कथित नहीं किया गया है** :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पि. पुंडरीकाभाइ पिता सूर्यप्रकाशराव और अन्य एक, वडापल्ली विलेज, कोउरु तालूक, जीला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरक)

(2) श्री बि. सत्यनारायणा पिता सूरन्ना, वडापल्ली, तालूक कोउरु, जीला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी** अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

कूल क्षेत्रफल, भूमी 3-37, एकर, आर यम. नं. 196/2, और 195/2, वडापल्ली विलेज कोउरु तालूका, जीला वेस्ट गोदावरी, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 1998/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कोउरु ।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-198६
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं. आर. ये. सी. नं. 48/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमी है, जो यस. चिक्काला विलेज, पोडूरु तालूक में स्थित है,

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नरसापूरम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे** यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के. सर्यसत्यनारायणा पांडु बाबू पिता वेंकटस्वामी नायडू और अन्य, नरसापूरम, जीला वेस्ट गोदावरी । (अन्तरक)

(2) श्रीमति व्हि. सावित्री देवि पति वेंकटकुमार वर्मा, ए स० चीक्काला विलेज, पोडूरु तालूब, जीला वेस्ट गोदावरी । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कूल क्षेत्रफल, 2-91 एकड, यस, चीक्कासा विलेज पोडूरु तालूक जीला वेस्ट गोदावरी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 1738/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नरसापूरम ।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 49/86-87—यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. खुली जमीन, है, जो वार्ड नं. 3 पालकोल में स्थित है,

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पालकोल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8/85 की पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के अवभाव प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवभाव प्रतिफल से, ऐसे अवभाव प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मास्टर ए. व्ही रमनामूर्ती (माइनर)
बाइ नेचरल फादर और गार्डीयन श्री,
ए. विरास्वामी, माटापारु विलेज, पालकोलतालूक,
जीला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स पूरणा चंद्रा कोरपोरेशन बाइ मेनेजींग पार्टनर,
श्री पि. सत्यनारायणा, पालकोल, जीला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

विस्तीर्ण 555 चौ. गज., वार्ड नं. 3, पालकोट जीला वेस्ट गोदावरी रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 3575/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालकोल ।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज
हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986

मोहर ।

**[अध्याय XX-सी देखिए]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भाग [illegible]**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 50/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. खुली जमीन है, जो वार्ड नं. 3 पालकोल में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पालकोल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मास्टर ए. नरसीम्हा मूर्ती (माइनर)
बाइ नेक्सुरल फादर और गार्डियन
श्री ए. विरास्वामी,
मट्टापारु विलेज, पालकोल तालुक,
जिला वेस्ट गोदावरी।

(अन्तरक)

2. मेसर्स पूरनाचंद्रा कारपोरेशन बाइ मैनेजिंग पार्टनर,
श्री पि. सत्यनारायणा,
पालकोल, जिला वेस्ट गोदावरी।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

विस्तीर्ण 616 चौ. गज, वार्ड नं. 3, पालकोल, वेस्ट गोदावरी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 3574/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पालकोल।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 51/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य

1,00,000/रु० से अधिक है

और जिसकी सं. घर है, जो वार्ड नं. 7, ताडेपल्लीगुडम में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ताडेपल्लीगुडम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एस. मीनाक्षी पति
श्री सीताराम गुरुनाथम,
वार्ड नं. 15, ताडेपल्लीगुडम,
जिला वेस्ट गोदावरी।
(अन्तरक)

2. श्रीमती व्ही. वेंकट लक्ष्मी पति
श्री गोपाल सीतारामय्य और अन्य,
विजयनगर कालनी, हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं. 9-10-5, विस्तीर्ण 330 चौ. गज, वार्ड नं. 7, ताडेपल्लीगुडम, जिला वेस्ट गोदावरी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 4505/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, ताडेपल्लीगुडम।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ङ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 52/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. घर है, जो काकीपाडा रोड, वार्ड नं. 17 में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडीवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पि. नागभूषनम पिता
श्री राजय्या,
17-वार्ड, गुडीवाडा, कृष्णा जिला।
(अन्तरक)

2. श्री जी रामाराव
पिता श्री नागभूषनम,
श्रीमती राजलक्ष्मी
पति श्री रामराव,
माझाकलपूडी, जिला कृष्णा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर नं. 17-3-8, विस्तीर्ण 726 चौ. गज, काकीपाडु रोड, गुडीवाडा, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 3805/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गुडीवाडा।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एस. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर. ये. सी. नं. 53/86-87—

यतः मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं. इमारत है, जो सीतम्मापेट, राजेन्द्रनगर में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विशाखापट्टनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम की अवधारित प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवधारित प्रतिफल से, ऐसे तथ्य प्रतिफल का जो प्रतिफल से अधिक है और जो अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया था प्रतिफल निम्नलिखित प्रयोजन से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं लिया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पि. पद्मावती देवी
पति ए. नरसीम्हा राजू तलीयनवालसा,
भीमुनीपटनम तालूक, जिला वैशाक।

(अन्तरक)

2. श्री आई कृष्णामूर्ती
पिता लेट श्री आई. कामाशास्त्री,
50-63-10, सीतामापेट, राजेन्द्रनगर,
वैशाक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं. 50-63-10, सीतम्मापेट, राजेन्द्रनगर, वैशाक, विस्तीर्ण 400 वर्ग गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 8924/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वैशाक।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर.ये.सी.नं. 54/86-87--अतः मुझे, एम. जगन मोहन,
**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं. एकर है, जो नल्लापाडु में स्थित है
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है)
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
तारीख 8 अप्रैल 1985
**की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यक्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यक्यमान प्रतिफल से ऐसे व्यक्यमान प्रतिफल का** पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती **(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया** प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा की दिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन का अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा की दिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के नागेश्वर राव पति वेंकटेस्वरलु,
1 लाइन, रेमन्नापेट, गुंटूर।
(अन्तरक)

(2) दि प्रशांती नगर को-आपरेटी बिल्डिंग सोसायटी लि., बाइ सेक्रेटरी
श्री सीम्बाशिवराव, ब्रोडीपेट, गुंटूर।
(अन्तरिती)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास** लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित **हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 2.00 एकर, नल्लापाडु, गुंटूर, सर्वे नं. 590/1, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 10467/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर.ये.सी.नं. 55/86-87—अतः मुझे, एम. जगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. घर है, जो 14/5, वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8 अप्रैल 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की, बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम. पेराकुसेम (आलीयास खुमीनिस्मा) पति रंगा राव, येलूरु।

(अन्तरक)

(2) श्री यरयेच, सत्यनारायणा राजू पिता वेंकटा राजू, कत्तीया मीलसै होटल, जीयनटी, रोड, येलूरू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस निमित्त में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

इमारत, 14/5, वार्ड, येलूरु, जिला वेस्ट गोदावरी, विस्तीर्ण 185 चौ. गज., रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 6523/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरु।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.-----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं. आर.ये.सी.नं. 56/86-87—अतः मुझे, एम. अगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. घर है, जो बारुमपेट, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8 अप्रैल 1985

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक** रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की गणना, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अंतरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।**

**अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री व्ही. नरसीम्हा रेड्डी पिता जेता रेड्डी, नरसारावपेट, गुंटूर जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री टी. चंद्रय्या पिता पिचय्या और अन्य, घर नं. 3-12-19, बारुमपेट, नरसारावपेट, गुंटूर जिला।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उपधारा (1) अधिसूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

घर नं. 3-12-19, बारुमपेट, नरसारावपेट-विस्तीर्ण 113, चौ. गज, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 4193/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी नरसारावपेट।

एम. अगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर :

**प्रपत्र आई० टी० एन० एस०-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 57/86-87—यतः मुझे एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या घर है जो चौला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गूंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक मूल्य से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० वेंकटसुब्बाराव पिता चलमय्या, चौला गूंटूर।

(अन्तरक)

2. श्री आई० राधकृष्णामूर्ति पिता पेद्दा सुब्बय्या, कन्यका परमेस्वरी, टेंम्पल स्ट्रीट, नं० 21-3-62, गूंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर नं० 21-14-34, चौला, गूंटूर, विस्तीर्ण 102 वर्ग गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7961/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी गूंटूटूर।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 7-4-1986
मोहर

[अध्याय XX-बी देखिए]

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 58/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या घर है जो मेन रोड, आर० टी० सी० बस स्टेंड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय तनूकू में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सीएच सुर्य्याराव पिता सुब्बाराव, और अन्य एक तनूकू, जिला वेस्ट गोदावरी।

(अन्तरक)

2. श्रीमती चितूरी पार्वती देवी पति वेंकटेश्वर राव, ऊरवसी वाईनस, तनूकू, जिला वेस्ट गोदावरी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर विस्तीर्ण 202 चौ० गज, मेन रोड, आर० टी० सी० बस स्टेंड, तनूकू जिला वेस्ट गोदावरी, रजिस्ट्री त विलेख 3437/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी तनूकू ।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 1-4-1986

मोहर :

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**सक्षम प्राधिकारी**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 111/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें** इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है जो बोगुलर विलेज, मंगलपल्ली पोस्ट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, रंगा-रेड्डी जिला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1)** के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम कुमार सोनी,
   42, मधु कुंज,
   सरदार पटेल रोड, सिकन्दराबाद।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स आदर्श पोल्ट्री फार्मस, बाई पार्टनर श्री एम० जानकी राम, बोगुलूर विलेज, मंगलपल्लीपोस्ट, तालुक: इब्राहीमपटनम, जिला रंगारेड्डी।

   (अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उपधारणी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 7.01 एकड़, सर्वे नं० 109 मंगलपल्ली विलेज लेयर शेडस, और स्ट्रक्चर्स, इब्राहीमपटनम, तालुक जिला रंगारेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6041/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रंगारेड्डी जिला।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

**इस्म बाई.टी.एस.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 112/86-87:—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या एकर है जो बैंगलूर विलेज मंगलपल्ली पोस्ट, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय रंगारेड्डी जिला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के कार्यालय, रंगारेड्डी जिला में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त, 1985

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है है—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख)** ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती सुदेश कुमारी सोनी
पति राज कुमार सोनी।
प्रो० मैसर्स नागार्जुना पाल्ड़ी फार्म्स,
आइजिपिए श्री राम कुमार सोनी
42, मधूकुंज एस० पी० रोड,
सिकन्दराबाद।

(अन्तरक)

2. मैसर्स आदर्श पाल्ट्री फार्मस वाई पार्टनर
श्री एम० जानकीराम,
बैंगलूर विलेज, मंगलपल्ली पोस्ट,
इब्राहीम पटनम तालुक,
रंगारेड्डी जिला।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 3.33 एकर, सर्वे नं० 108, मंगलपल्ली विलेज, इब्राहीम पटनम, तालुक, जिला रंगारेड्डी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6040/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी रंगारेड्डी, जिला।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एस. एस.—3

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 131/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या घर का भाग है जो गांधी नगर, नया नाकाराम हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चिक्कडपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

[(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या छिपा जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए]

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्र कुमार निमकर,
पिता लेट गोविंदा राव,
घर नं० 3-5-98/5, राममोहल्ला,
नारायणगुडा, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री राजेन्दर सिंह पिता मंगत सिंह,
15-7-568, बेगमबाज़ार,
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं; वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

आपन अटेरेस प्रथम तल, घर नं० 1-1-742/2, गांधी नगर, नया नाकाराम, हैदराबाद, विस्तीर्ण 225.44 चौ गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1181/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चिक्कडपल्ली।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

**हस्ताक्षरित**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 130/86-87--यतः मुझे एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या घर का भाग है जो गाँधी नगर नया-आकाराम हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चीकलपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1986

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से,

ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्र कुमार निमकर
पिता लेट गोविन्द राव
3-5-98/5, राजमोहल्ला रोड,
नारायणगुडा, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती गुरजीत कौर
पति हरजीत सिंह,
15-7-568, बेंगमबाज़ार,
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए अग्रसर होता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

घर का भाग, प्रथम तल, एम० नं० 1-1-742/2, गाँधी नगर, नया आकाराम, हैदराबाद, विस्तीर्ण 165 चौ गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1180/85 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चीकलपल्ली।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. एच.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 129/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी संख्या घर का भाग है, जो गाँधीनगर नया बाकाराम, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चिक्कलपल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को अवभाग प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवभाग प्रतिफल से ऐसे अवभाग प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अभिलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के अर्जन :—**

1. श्री राजेन्द्र कुमार निमकर,
पिता लेट गोबिन्दा राव निमकर,
3-5-98/5, राजमोहल्ला, रोड,
नारायणगुडा, हैदराबाद।

(अंतरक)

2. श्रीमती अरविन्दर कौर
पति रंजीत सिंह,
15-7-568, बेगमबाजार,
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का भाग, ग्राऊण्ड फ्लोअर, और गरीयज, एम० नं० 1-1-742/2, गाँधी नगर, नया बाकाराम, हैदराबाद विस्तीर्ण 86.75 चौ० मी० और एक खुली विस्तीर्ण 14.0 × 23.9 बाथ रूम के साथ और दो बालकनीज, विस्तीर्ण 50.52 चौ० मी० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1179/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चिक्कप्रपल्ली।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 128/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या घर का भाग है, जो गाँधीनगर न्यू बाकाराम हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चीक्कड़पल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके श्यमान प्रतिफल से, ऐसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजेन्द्र कुमार निमकर, पिता लेट गोविन्द राव।
घर नं० 3-5-98/5, राजमोहल्ला रोड,
नारायणगुड़ा, हैदराबाद।
(अन्तरक)

2. श्रीमती कंवल जीत कौर
पति चरणजीत सिंह,
15-7-578,
हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का भाग, ग्राउण्ड फ्लोअर, एम० नं० 1-1-742/2, गाँधी नगर, न्यू बाकाराम, विस्तीर्ण 115.36 चौ० मीटर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1178/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चीक्कड़पल्ली।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1986
मोहर :

**इक्म साई.टी.एच.एच.) ------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, 8 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 89/86-87:—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट है जो अकबर टावर्स, नया मलकपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय आश्रमपुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बचाव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक से संपत्ति में अन्य प्रकार से उसके दावे में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स अबि कन्स्ट्रक्शन, बाई मैनेजिंग पार्टनर श्री सैयद अली अकबर, अकबर टावर्स, नया मलकापेट, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती उबिया अमजाद अली और अन्य एक, घर नं० 23-2-198/7, मोगल पुरा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आगे यह भी आदेश है :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों को सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 501, अकबर टावर्स, घर नं० 16-8-533/20, नया मालकमेट, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1166 वर्ग फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2366/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी आश्रमपुरा।

एम० जगन मोहन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.,---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

**अर्जन रेंज, हैदराबाद**

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 88/86-87:—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी संख्या फ्लैट है जो नरसिम्हा राव, अपार्टमेंटस, मासाब, टैंक स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 के **पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उसमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उपयमान प्रतिफल से, ऐसे उपयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. मैसर्स येम्के बिल्डर्स,
   10-3-22, मासाब टैंक, हैदराबाद।
   (अन्तरक)
2. श्री तहसीन अली सईद मिर्जा अहमद अली,
   16-9-581, मलकपेट,
   हैदराबाद।
   (अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट नं० 206, नरसिम्हा राव अपार्टमेंटस घर नं० 10-5-22, मासाब टैंक, हैदराबाद, विस्तीर्ण 862, चौ फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2067/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

इस्स ग्राम. टी., एम., एफ., हैदराबाद

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

सं० आर० ए० सी० नं. 87/86-87:—यत मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी हूं, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य

1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है जो मानोकबन्दर विलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय निज़ामाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन

तारीख 8 अगस्त, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और वह अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मास्टर बाई राजेश्वर गौड (माइनर)
बाई नायूरज पिता असर पालक
बाई हनमा गौड, अग्रीकलचरीस्ट,
मुबारक नगर, विलेज, ता० और
जिला निज़ामाबाद ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स दि सूखजीत स्टारच और कुमीकलस लि
फगवारा पंजाब, बाई होनरल मैनेजिंग (फाइनेन्स)
श्री एस० एम० जींदल,
घर नं० 11-1-183, कन्टेस्वर,
निज़ामाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्णा 2 08 एकड़ सर्वे नं० 23X28 29 माणिक भण्डार, विलेज, निज़ामाबाद तालुक और जिला रजिस्ट्रीकर्त्ता विलेख नं० 4874/86 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी निज़ामाबाद ।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 86/86-87:—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है जो माणिक भण्डार विलेज, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय निज़ामाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985।

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के उपक्रमण प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उपक्रमण प्रतिफल से, ऐसे उपक्रमण प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में** वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अंतरक से हुई किसी आय को बचाना, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना अपेक्षित था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वाई० दयानन्द गौड (माइनर)
पिता वाई० हनमा गौड,
वाई० नक्शरल पिता और पालक श्रीहनमा गौड,
अग्रीकलचररीस्ट, मुबारक नगर विलेज,
निज़ामाबाद ता० और जिला।

(अन्तरक)

2. मैसर्स सूखजीत स्टारच और केमीकल्स लि०,
फगवाड़ा पंजाब बाई जनरल मैनेजर (फाइनांस)
श्री एस० एम० जीदल,
घर नं० 11-1-83,
कन्टेश्वर निज़ामाबाद।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 2.08 एकड़, सर्वे नं० 23, 28 और 29 माणिकबन्धर, विलेज, निज़ामाबाद, ता० और जिला, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4873/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी निज़ामाबाद।

एम० जगनमोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 8 अप्रैल 1986

सं० आर० ए सी नं. 85/86-87:—अतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट है जो अकबर टावर्स न्यू मलकपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आमापुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त 1985।

मूल्य, उसके दर्शमान प्रतिफल से, ऐसे दर्शमान प्रतिफल को परिष्कृत, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित (अन्तरितियों) को बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया है वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—

को यथापूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दर्शमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार

1. श्री सैयद अली अकबर
घर नं० 17-8-532 न्यू मसकपेट
अकबर टावर्स हैदराबाद।
(अन्तरक)

2. श्री तोहरा काजी मुराद नगर
घर नं० 12-2-113/1 हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

45 दिन की अवधि यातत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अनुसूची

फ्लैट नं० 503. घर नं० 16-8-533/22 अकबर टावर्स न्यू मलकपेट, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1166 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2320/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आमापुरा।

एम० जगनमोहन,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 6-5-1986
मोहर :

उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

इस्स आई. टी. एच. एच. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**सारथ सदृश्य**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबा, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

सं० आर० ए० सी० नं० 84/86-87:—यत मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहविश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या अपार्टमेंट नं० 702 है, जो शिवा ग्लेन, अपार्टमेंटस कपाड़िया लेन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है', रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर से बचने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स लैण्ड मार्क बिल्डर्स,
6-2-980, खैरताबाद।
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती खादाजो बेगम जे ताबा बल्ली और अन्य एक शांता अपार्टमेंटस, तीसरा मंजला, बंजारा हील्स, रोड नं० 4, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अपार्टमेंटस, नं. 702, शिवास लेन अपार्टमेंटस, कापाडीया लेन, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1400 चौ फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4692/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

सं० आर० ए० सी० नं० 83/86-87:—यत मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी हूं, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट है जो कौती निकारा काम्पलेक्स, पंजागुट्टा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के अवभाव प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवभाव प्रतिफल से, ऐसे अवभाव प्रतिफल का साधु प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स विरंग कन्स्ट्रक्शन,
बाई० श्री वि० एम० रेड्डी,
बंजारा हिल्स हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. डा० एम० माधवराव,
फ्लैट नं० 69, ब्लाक एफ,
कौतीशिकरा, काम्पलेक्स, पंजागुट्टा,
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 69, फ्लाक नं० एफ०, कौतीशिकारा काम्पलेक्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद, वस्तीर्ण 415 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4580/85, रजिस्ट्रीकृत अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एस.**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ए (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

सं० आर० ए० सी० नं० 82/86-87:—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट है जो कौंती सिकन्तराबाद लेस, पंजागुट्टा, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985।

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व से अन्तरक के बचने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स विरंगा कन्स्ट्रक्शन,
बाई० श्री बी० एन० रेड्डी,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री एच० प्रसाद पिता के० एच० राव,
फ्लैट नं० 8, द्वारा मंजला,
कौंतीशिकारा काम्पलेक्स, पंजागुट्टा,
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट नं० 8, दूसरा मंजी, कौंतीशिकारा, कम्पलेक्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद, विस्तीर्ण 925 चौ फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4578/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986

**मोहर :**

फ्रम आई० टी० एच० इ० . . . .

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भाग एक-क**

**आयकर, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० आई० ए० सी० नं० 81/86-87—अतः-मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लेट है जो कान्तीशिकारा काम्पलेक्स, पंजागुट्टा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1985।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवधान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवधान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मसर्स विरमा कन्स्ट्रक्शन्स,
   बाई० श्री बी० एन० रेड्डी,
   बंजारा हिल्स, हैदराबाद।

   (अन्तरक)

2. श्रीमती पी० भारती, पति पि० वेंकट रामरेड्डी,
   फ्लेट नं० 7, कांतीशिकारा काम्पलेक्स
   पंजागुट्टा, हैदराबाद।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 77, कांतीशिकारा काम्पलेक्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद विस्तीर्ण 415, चौफुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4581/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986

मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० आई ए० सी० नं० 80/86-87:--अतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, **जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लेट है जो अरुण अपार्टमेंट, रेड हील्स, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथाघोषित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की बाध्यता में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स सनराईज बिल्डर्स,
11-5-348, रेड हील्स,
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री व्ही० श्रीनिवास,
174 बि/एम० आई० जी०-11,
एम० आर० नगर, हैदराबाद-381

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट नं० 211, अरुण अपार्टमेंटस, रेड हील्स, हैदराबाद विस्तीर्ण 901, चौ फुट, (और 81.30 चौ० मीटर रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4451/85, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एच.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर.यै.सी.नं. 79/86-87— अतः

एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लैट है, जो आरुण अपार्टमेंट्स, रेंज हील्स, में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8 अप्रैल 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सनराइज बिल्डर्स, 11-5-348, रेंज हील्स, हैदराबाद। (अन्तरक)

(2) श्री एम. नरसीम्हा राव, 20/3/, आरटी, यस आर नगर, हैदराबाद-38। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. 212, आरुण अपार्टमेंट्स, रेंज हील्स, हैदराबाद विस्तीर्ण 865 चौ. फुट, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 4449/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर.ये.सी.नं. 78/86-87— अतः मुझे, एम. जगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं. फ्लैट है, जो अरुण अपार्टमेंट्स, रोड हील्स, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 8 अप्रैल 1985 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सनराइज बिल्डर्स, 11-5-348, रोड हील्स, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती के. इंदिरा देवि, फ्लैट नं. 704, अरुण अपार्टमेंट्स, रोड हील्स, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं. 704,, अरुण अपार्टमेंट्स, रोड हील्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1218, चौ. फुट, रजीस्ट्रीकृत विलेख नं. 4450/85, रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम. जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

एक्स आई० टी० एल० एल०--------

**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 77/86-87--यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, जो आरूण अपार्टमेंटस, रेड हिलस स्थित है )और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स सनराइज बिल्डर्स
11-5-348, रेड हिल्स,
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(1) श्री पी० राघव राव, फ्लट सं० 410,
आरुण अपार्टमेंटस सं० 11-5-348, रेड हिलस,
हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट सं० 410, आरुण अपार्टमेंटस, रेड हिलस, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1180 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4511/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986

मोहर :

**इक्त बाई.टी.एम.एच.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**आयकर आयुक्त**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 76/86-87—यत: मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट है, जो बिन्दावन अपार्टमेंटस हिल्स, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8-85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स भागयनगर कन्स्ट्रक्शन को० 11-4-636/1, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री एल० कुमार जैन, 10-1-3, सीरीपुट्टम जंक्शन, वैभाग—3

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया

**अनुसूची**

फ्लैट सं० 714, बिंदुदावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1218 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृती विलेख सं० 2086/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 75/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, जो वानी आपार्टमेंटस, वानी गनर मलका जगीरी स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यक्त प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यक्त प्रतिफल से, ऐसे व्यक्त प्रतिफल का निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण जिसमें वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मेसर्स कृपा कन्स्ट्रक्शन्स, को० 31बी ईस्ट मारेडपल्ली 4, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

(2) पि० विजयलक्ष्मी प्रसाद, फ्लैट सं० 5, वानी अपार्टमेंटस, मलकाजगीरी, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट सं० 5, वानी अपार्टमेंटस, मलकाजगीरी, हैदराबाद, विस्तीर्ण 750 चौ० फुट रजिस्ट्री में विलेख सं० 2844/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वल्लभनगर ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्रकप भार॰ टी॰ एन॰ एच॰ ----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं॰ आर॰ ये॰ सी॰ सं॰ 74/86-87--यतः मुझे, एम॰ जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लैट है, जो कांतीशिकारा अपार्टमेंटस, पंजागुट्टा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अध्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अध्यमान प्रतिफल से, ऐसे अध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक को बचाने के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को आदेश देता हूं :—

(1) श्रीमती एम॰ बालाराज पति नरसीहा और अन्य एक, घर सं॰ 11-1-688 84 कांती शिकारा अपार्टमेंटस, पंजागुट्टा, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री के॰ जे॰ एस॰ सेठी पुत्र श्री एस॰ आर॰ सेठी, फ्लैट सं॰ 326 कान्ती शिकारा कपार्टमेंन्टस, तुंजागुट्टा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

कि वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं॰ 326, कांतीशिकारा अपार्टमेंटस, पंजागुट्टा, हैदराबाद विस्तीर्ण 1110 चौ॰ फुट रजिस्ट्रीकर्ता विलेख सं॰ 4299/86 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम॰ जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ब० सी० सं० 73/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, जो खैरताबाद एसोगार्डेस, स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त/1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स हैदराबाद बिल्डर्स
11-4-623, ए० सी० गार्डेस,
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) कुमारी एम० हेमलता (माइनर) बाई नेचुरल-फादर और गार्डियन, श्री एम० राजेन्द्रप्रसाद, फ्लैट 501, आसीना अपार्टमेंटस, ए० सी० गार्डेस, ए० सी० गार्डेस, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० 501, घर सं० 11-4-623, ए० सी० गार्डेस असोसियेशन अपार्टमेंटस, ए० सी० गार्डेस हैदराबाद, विस्तीर्ण, 1149 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2150/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**लय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० यें० सी० सं० 72/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० घर का भाग, है, जो संतोषनगर, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० भीमयाजू 12-2-823/ए/1/3, संतोषनगर, महदीपटनम हैदराबाद ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती पि० सीता पि० ए० वर्मा, बने और अन्य एक, घर सं० 12-2-823/ए/1/13, संतोषनगर, महदीपटनम हैदराबाद ।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए** कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

घर का भाग, घर सं० 12-2-823/ए/113, संतोषनगर, महदीपटनम हैदराबाद., विस्तीर्ण 1000 ग० चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2021/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 71/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर का भाग है जो संतोषनगर स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० भीमराजू 12-2-823/ए/1/3 संतोषनगर महेदीपटनम हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(1) श्री एस० वी० एस० एन० राजू घर सं० 12-2-823/ए/1/2/सी, संतोषनगर मेहदीपटनम हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर का भाग घर सं० 12-2-823/ए/1/3/सी संतोषनगर महेदीपटनम हैदराबाद विस्तीर्ण 1000 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2006/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद,

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 70/86/87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० घर है, जो आर० के० नगर मलकाजगीरी स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रंगारेड्डी जिला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मीनाक्षी पति श्री जी० एम० शंकरण, 23-35, आर० के० नगर, मलकाजगीरी, हैदराबाद । (अन्तरक

(2) श्री एम० रामजा चारी, घर सं० 23-23, आर० के० नगर, मलकाजगीरी, हैदराबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर सं० 23-34, आर० के० नगर, मलकाजगीरी, हैदराबाद, विस्तीर्ण 266.66 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5470/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रंगारेड्डी जिला ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

**फ़ार्म आई. टी. एन. एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 3 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० 69/86-87 एम०—यतः मुझे, आर० जगन एम मोहन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. घर है, जो भरानी कालोनी मलकाजगीरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 16) के अधीन दिनांक 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **व्ययमान प्रतिफल** के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख)** ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अपेक्षा के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शैला गाडबर्मे पति डी० वी० गाडबर्मे एडी-14, पहिला मंजिल 54 अन्नानगर मद्रास (अन्तरक)

(2) श्री व्ही० व्ही० अम्मोम्हा राव पिता व्ही० सीताराम 34-11 वि० एच० कालोनी मलकाजगीरी सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनसूची

घर सं० 34-119 वि० एच० कालोनी, मलकाजगीरी, सिकन्दराबाद विस्तीर्ण 511 वर्ग गज रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2857/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वल्लभनगर ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्रकप बाई.टी.एच.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर० ये० सी० सं० 68/86-87—यतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट है जो येलारेड्डीगुडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद

में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मेसर्स एम० एन० रेड्डी और को० बाई मैनेजिंग पार्टनर श्री एम० एन० रेड्डी और अन्य एक घर सं० 8-3-198/20/1 नागार्जुना नगर हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री मूरी नरसिम्हा मूर्ती पिता श्री रामामूर्ति और अन्य 15 घर सं० 6-1-699 खैरताबाद, हैदराबाद ।

अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप,—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इस लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट सं. 8-3-977/6/ए, सर्वे सं० 42, येलारेड्डीगुडा, हैदराबाद विस्तीर्ण 675 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2139/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के खैरताबाद

एम० जगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 67/86-87—यतः मुझे एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनिम' कहा गया है), की धारा 269-ख के 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 7 है, जो यूसुफगूड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 8/85

में पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **दृश्यमान प्रतिफल** के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) कोई धनराशि आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरवर जान्हा पति लेट जो चाँद आ० गा और अन्य एक, घर सं० 7 एम० आई० जो०-2 हुडा कालोनी मेहेदीपटनम, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० वसुन्धरा देवी पति स्वामी घर सं० 82-ओ, एस० आर० नगर, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट 7 सर्वे सं० 145/2 यूसूफगुडा-हैदराबाद विस्तीर्ण 350चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2201/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर

**[भाग III—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 24, 1986 (ज्येष्ठ 3, 1908) 19055**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० सं० 66/86-87—यतः मुझे एम० जगन मोहन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० फ्लैट है जो सरीता अपार्टमेंटस बंजारा हिल्स-स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री ब्वो० कामेश्वर शर्मा और दो
नन्दामपूडी तालूका अमलापुरम
जिला वेस्ट गोदावरी ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मसूना बेगम पति लेट प्रोफीट होसन अलीखान
फ्लैट सं० स० 4-2-421/1 सरिता अपार्टमेंटस,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

अनुसूची

फ्लैट सं० 102 घर सं० 8-2-421/1 सरिता अपार्टमेंट्स बंजारा हिल्स हैदराबाद विस्तीर्ण 1690 च० फुट और गैरीएज विस्तीर्ण 201 च० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2099/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्रपत्र आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 65/86-87--यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो उत्तमनगर मलकाजगीरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वल्लभनगर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

(1) श्री गंगाधरण नायर, 21-64, उत्तमनगर, मलकाजगीरी, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती डी० गौरी मानी, 6-3-609/82, आनन्द नगर, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों को सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 21-64, उत्तमनगर, मालकाजगीरी, सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 311 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2860/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वल्लभनगर ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 64/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, जो शेकपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8 अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

एतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० भामा राजू,
6-3-856/2, अमीरपेट, हैदराबाद ।
(अन्तरक)

(2) श्री ए० व्ही० प्रताप रेड्डी पिता लेट ए० व्ही० नारायणा रेड्डी,
चन्द्रलोक काम्प्लेक्स, सिकंदराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 3, सर्वे सं० 129, एम० सं० 8-2-335, रोड सं० 5, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 412 चौ. गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2229/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 63/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो रंगमपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वरंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जी० भाग्यलक्ष्मी पति जी० नरसय्या पिन्नावारी स्ट्रीट वरंगल।

(अन्तरक)

(2) डा० वसंत कुलकरणी पिता कोशनराव एम० जी० रोड, वरंगल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर सं० 15/71/1/1 रंगमपेट वरंगल, विस्तीर्ण 400 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1641/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वरंगल।

एम० जगन मोहन
समक्ष प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एल. एच.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर ये० सी० सं० 62/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, जो ब्रिन्दावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 85

को पूर्वोक्त संपत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम के अधीन कर निर्धारण में अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) मेसर्स भाग्यनगर कन्स्ट्रक्शन को० 11-4-656/1, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(1) श्री ई० मोहन रेड्डी पिता ई० व्ही० नरसिम्हा रेड्डी, फ्लैट सं० 209, ब्रिन्दावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट सं० 209, ब्रिंदावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 816 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2185/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन एस -------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 61/86-87—अतः मुझे एम० जेगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961** (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० फ्लैट सं० 110 है, जो लकड़ीकापुल ब्रिन्दावन अपार्टमेंटस स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) मेसर्स भाग्यनगर इन्स्ट्रक्शन को० 11-4-656/1, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री घूसीराम अगरवाल पिता स्वामी दास, फ्लैट सं० 110, ब्लाक नं० बी, ब्रिंदावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

**फ्लैट सं० 110, ब्रिंदावन अपार्टमेंटस, रेड हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1181 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत बिलेख सं० 2184/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।**

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 90/86/87--यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, जो धरम-करण रो०, स्थित है (और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मेसर्स रघुनाथ राव एसोसिएट्स, 7-1-70, धरमकरण रोड, अमीरपेट, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० पि० रमनानी पति पि० रमनानी वाई जो० पी० ए० श्रीमती शांता एम० खेमानो, 7-1-63/2, धरमकरण रोड, अमीरपेट, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट सं० एफ० तीसरा मंजला, प्लाट सं० 78, विस्तीर्ण 880 चौ० फुट घर सं० 7-1-70, धरमकरण रोड़, अमीरपेट, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4528/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

रूप आई. टी. एन. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 59/86-87—यतः मुझे एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० अपार्टमेंटम, है, जो कपाडीया लेन सोमाजीगुडा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 85

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स लैण्डमार्क बिल्डर्स
6-2-930 खैरताबाद
हैदराबाद । (अन्तरक)

(2) मैसर्स ओरीगेंट लोंगमैन लि० बाह डेप्युटी सेक्रेटरी श्री बी० एम० मोहम्मद अली
5-9-41/1 बसीर बाग हैदराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

अपार्टमेंटम सं 604 और गैरेज सं 1 घर सं 6-3-986 कपाडीया लेन सोमाजीगुडा हैदराबाद विस्तीर्ण 1160 चौ० फुट और 120 चौ फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख सं 4487/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 8-4-1986
मोहर :

[illegible]

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अप्रैल 1986

निदेश सं. ।।।/283/अर्जन/86-87—

अतः मुझे, दुर्गा प्रसाद,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं. थाना नं.-199 एम. एस. प्लौट नं.-706, सब प्लौट नं.-706/2, तुराना होल्डींग नं.-18, नया 262, नया होलडींग नं.-814 है, तथा जो ग्राम चन्दरी, थाना/जिला-रांची में स्थित है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 28-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और इसके फलस्वरूप विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, जिसके दृश्यमान प्रतिफल है, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल** निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण में हुई किसी बात को छिपाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवर्तनार्थ अन्तर्वलती द्वारा छिपाए नहीं गया था या किया जाना संभाव्य था, छिपाने में सुविधा के लिए"**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री रनजीत सिंह
पिता स्व. हरी चन्द सिंह,
निवासी—रातू रोड, थाना—सुखदेव नगर,
जिला—रांची।

(अन्तरक)

2. श्री विमल कुमार सिंह
पिता श्री राम प्रसाद सिंह,
निवासी—हाली शहर कौना,
थाना—बीजपुर, जिला—24 प्रगना
(वेस्ट बंगाल)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए [illegible]

उक्त सम्पत्ति के संबंध में आक्षेप या सलाह:—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समय लागू अधिनियम के सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

जमीन मय मकान जिसका रकबा 2 कटठा, 2 छटांक, 33 वर्ग फीट है तथा जो नयब ग्राम-चन्दरी, जिला-रांची में स्थित है और जो पूर्ण रूप से वसिका संख्या-8882 दिनांक 28-8-85 में वर्णित है और जिसका निबंधन जिला अवर निबंधक पदाधिकारी रांची के द्वारा सम्पन्न हुआ है।

दुर्गा प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 14-4-1986
मोहर :

**प्ररूप. आई. टी. एन. एस.---**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जालन्धर,
जालन्धर, दिनांक 14 मार्च, 1986

निदेश सं० ए० पी० सं० 5979--- अतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1985
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---

1) श्रीमति जसोदी सी० मसन्द पत्नि श्री सी० डब्ल्यू० मसन्द 4/202, शांगरीला 31—बन्द गार्डनज रोड, पूना-411001

(अन्तरक)

(2) श्रीमति सुरविन्द्र कौर पूरी, भगवान सिंह वासी साउथ एक्सटेंशन, बी-II, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जथोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

सम्पत्ति तथा जैसा कि विलेख सं० 2537 दिनांक अगस्त, 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-3-1986
मोहर

**प्ररूप आई. टी. एक्ट. एस. ----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जालन्धर
जालन्धर, दिनांक 14 मार्च, 1986

निदेश सं० ए० पी० 5980—अत. मुझे, आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ब्रिज भूषण भल्ला पुत्र जगदीशराम आफ माडल हाउस, जालन्धर, मुख्तयार एम० आफ वेद प्रकाश मोदेन्द्र पुत्र जगीरी लाल निवासी—426-मार टाईसन, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) मेजर मस्तान सिंह पुत्र जीवन सिंह अथवा श्रीमति प्रीतम कौर पत्नि मेजर मस्तान सिंह निवासी—73-ए, माडल टाऊन, जालन्धर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसाकि विलेख सं० 3064 दिनांक सितम्बर, 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० आर० गुप्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-3-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.-----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 मार्च, 1986

निदेश सं० ए० पी० नं० 5981 तथा 5982— अतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)**, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो मुक्तसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) वीरो उफ वीरो देवी विधवा इन्द्रमल पुत्र बालूमल वासी मुक्तसर, (अब निवासी सादूल शहर, जिला— गंगानगर

(अन्तरक)

2) रमेश चन्द्र एडवोकेट, पुत्र टोडरमल (आर० डी० नं० 2083) अथवा रजनी गोयल पत्नी रमेश चन्द्र गोयल एडवोकेट निवासी— मकान नं० 149 राम बाडा बाजार, मुक्तसर ।

(अन्तरिती)

**की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पत्र लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2083, ..... दिनांक अक्तूबर, 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर ने लिखा है ।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-3-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 25 मार्च, 1986

निदेश सं० ए० पी० न० 5984— अतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी पं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रेशम सिंह पुत्र नसीब चन्द, वासी–10 डिफेंस कालोनी, जालन्धर, मुख्तयार खास श्रीमति प्रकाश कौर पत्नी, पत्नि सन्तोख सिंह सन्धु, 34 हारलेप रोड, ग्रीन फील्ड, कालोनी, मिडल सेक्स, (यू० के०)

(अन्तरक)

2) श्रीमति वीना अग्रवाल पत्नी रमेश कुमार अग्रवाल 85, लाजपत नगर, जालन्धर, मार्फत मे० महावीर आयरन एण्ड ट्रेडिंग क० टाण्डा रोड, जालन्धर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सम्पत्ति कोठी नं० 85 जो लाजपत रोड, नगर, जालन्धर में स्थित है तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2871 दिनांक अगस्त, 1985 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 25-3-1981
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालधर, दिनांक 31 मार्च 1986

निर्देश सं० ए० पी० सं० 5985—अतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है** कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य और विवरण सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री फकीर चन्द वर्मा पुत्र शालिगराम निवासी 205, गुरु तेगबहादुर नगर जालन्धर मार्फत पंजाब नेशनल बैंक चौक सूदां जालन्धर

(अन्तरक)

2. श्रीमती वीर कौर अथवा माया देवी पत्नी दिवान सिंह निवासी विशाल इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, बस्ती दानिशमंदन जालन्धर

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त** व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2795 दिनांक अगस्त 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 31-3-1986
मोहर

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 31 मार्च 1986

निदेश सं० ए० पी० नं० 5986 अथवा 5987—यतः, मुझे, आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती रक्षा देवी पत्नी अमरजीत निवासी 357 आदर्शनगर जालन्धर

(अन्तरक)

(2) श्री चरनजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह आर० डी० नं० 2782 अथवा बलजीत कौर पत्नी चरनजीत सिंह वाली ए नं० एन० 375, मोहल्ला गोपाल नगर, जालन्धर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2782 तथा 2783 दिनांक अगस्त, 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर०आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 31-3-1986
मोहर

**प्ररूप आई. टी. एल. एस. ----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निदेश सं० ए० पी० नं० 5988 से 5993—यतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो कोटकपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री ओम प्रकाश पुत्र देस राज पुत्र चानण राम वासी कोटकपूरा (आर० डी० नं० 2828, 2829 और 2830),
   (2) श्रीमती दर्शना देवी पत्नी ओम प्रकाश वासी कोटकपूरा (आर० डी० नं० 2831),
   (3) श्री कमल चिन्दन (एम) पुत्र ओम प्रकाश वासी कोटकपूरा (आर० डी. नं० 4546 और 4587)

   (अन्तरक)

2. (2) श्री तरसेम चंद पुत्र परमानन्द वासी कोटकपूरा (आर० डी० नं० 2828 और 2830),
   (2) श्री विजय कुमार पुत्र परमानन्द पुत्र मंगल मल वासी कोटकपूरा (आर० डी० नं० 2829, 2831),
   (3) श्री विनोद कुमार पुत्र तरसेम लाल पुत्र परमानन्द आर० डी० नं० 4546,
   (4) श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी विजय कुमार पुत्र परमानन्द वासी कोटकपूरा (आर० डी० नं० 4587)

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2828, 2829, 2830 और 2831 दिनांक दिसम्बर 85 तथा 4546—4587 दिनांक जनवरी, 86 दिनांक 1-4-1986 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 1-4-1986
मोहर

प्ररूप आई. टी. ए. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, जालन्धर
जालन्धर, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं० ए० पी० नं० 5994, 5995--यतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति है, तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922** (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) **के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया** था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राजकुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी है० क्य्० 360 सौनक बाजार, जालंधर,
(अंतरक)
2. श्री गुरदेव सिंह अथवा गुरचरन सिंह सपुत्र करतार सिंह निवासी ई० पी०--184 मोहल्ला खोदियां, जालंधर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2569, 2570 दिनांक अगस्त, 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है ।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 1-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं०/ए० पी० सं० 5996—यतः मुझे आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच, ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मनोहर लाल लाँडा पुत्र लाल चन्द
निवासी—एन० डी०-101 विक्रमपुरा
जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) श्री कर्म सिंह पुत्र किशन सिंह
निवासी—मकान सं० 2 लाजपत नगर दिल्ली-III
(मारफत श्री रनजीत सिंह मै० परोमीयर रोड़
इण्डस्ट्रीज इण्डस्ट्रीयल एरिया जालन्धर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2940 दिनांक अगस्त 1985 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर

दिनांक : 1-4-1986
मोहर :

फार्म आई.टी.एन. एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं० ए० पी० सं० 5097—यतः मुझे आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है) तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० पी० शर्मा पुत्र बंसीधर बमदेवा निवासी—180-शक्ति नगर जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(2) श्री अमरजीत पत्नी भगवान सिंह, निवासी—एन० एम०-64 मौहल्ला कुआरा खान, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करताा हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इससूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2563 दिनांक अगस्त 1985 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा)

आर० ए० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 1-4-1986
मोहर :

**[फा. सं. आई.टी.एन.एस.----------]**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० /ए० पी० सं० 5998-5999—यतः मुझे, आर० आर० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा अनुसूची में लिखा है) तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीतां अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त-दिसम्बर 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगदीश कुमार पुत्र हरी चन्द
निवासी--409-आदर्श नगर, जालन्धर ।
(अन्तरक)

(2) श्री कीमती लाल जैन पुत्र देस राज (2857) तथा अमित जैन पुत्र कीमती लाल जैन तथा उर्वशी जैन पत्नी कीमती लाल जैन निवासी—एन० जै० 182 मौहल्ला लायन, जालन्धर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 2877 दिनांक अगस्त 85 तथा 4897 दिनांक दिसम्बर 85 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा।

आर० आर० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 2-4-1986
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ए० सी० सं० 14/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो लब्बीपेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरचरण सिंह ऊप्पल पिता बेअन्त सिंह गवर्नरपेट हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) मेसर्स पाइनियर फरटीलाइजर को० बाई पार्टनर, पट्टाभिरामाराव पिता सुब्बाराव, कस्तीबीवाई पेट, विजयवाड़ा—10।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**इस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 598 चौ० गज, लब्बीपेट, ब्लाक सं० 44 वार्ड सं० 28, विजयवाड़ा, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5256/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**प्ररूप आई. टी. एन. एस.------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 15/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो लब्बिपेट स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं,** उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1) श्री जसपाल सिंह लम्बा पिता मोहकम सिंह, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा—2।

(अन्तरक)

2) मेसर्स दि पाइनीयर फरटीलाइजर को० (प्रा० पोसानी फरटीलाइजर्स प्रा० लि०) बाइ इट्स, डायरेक्टर श्री पोसानी भास्कर राव, विजयवाड़ा—1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो **उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

भूमि विस्तीर्ण 598 चौ० गज, लब्बिपेट, ब्लाक सं० 4, वार्ड सं० 28, विजयवाड़ा, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5255/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मुहर:

**फार्म आई.टी.एन.एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 16/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० घर है, जो राम मंदिरम स्ट्रीट स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/1985

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्यमान प्रतिफल से ऐसे व्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) मेसर्स श्री कनकदुर्गा एण्टरप्राइजेस, बाइ मैनेजिंग पार्टनर श्री पि० मल्लीकाजीन राव और अन्य तीन गवर्नपेट विजयवाड़ा।
(अन्तरक)

(2) श्री जी० वेंकटसुब्बाराव पिता पेदीसेट्टी और अन्य 3, कालेश्वर राव रोड, गवर्नपेट विजयवाड़ा।
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**टिकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर सं० 29-2-4/5, राम मन्दिर स्ट्रीट, विजयवाड़ा, विस्तीर्ण 705 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5472/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986

मोहर :

**[फार्म आई.टी.एन.एस.-.....]**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 17/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है जो गुनदला विलेज, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० सत्यनारायण मूर्ती पिता बापाराव, लब्बिपेट, विजयवाड़ा ।

(अन्तरक)

(2) श्री एन० राजगोपालराव पिता वेंकटेश्वर राव कस्तूरीबाईपेट, विजयवाड़ा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

घर सं० 453/4बी, गुनदला विलेज (घर सं० 11-333) असेसमेंट सं० 40, विस्तीर्ण 1080 चौ० गज विजयवाड़ा, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5230/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 18/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो पाठशाला स्ट्रीट, कुमारगुड़ा स्थित है और (इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सारेडपल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० ए० सीता रामानुजम मुदलीयार और अन्य
घर सं० 8-2-214, कुमारगुड़ा, सिकन्दराबाद
(अन्तरक)

(2) श्री जी० रामनिवास पिता लिंगय्या,
घर सं० 1-5-7, धान बाजार,
सिकन्दराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 8-2-214, पाठशाला स्ट्रीट, कुमारगुड़ा, सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 165 चौ० ग०, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2275/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सारेडपल्ली ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 7 अप्रैल, 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 19/86-87—यत: मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है जो चीककडपल्ली स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती पी० लक्ष्मी पति पी० सुधाकर राव और अन्य, 1-8-41/1 चीककडपल्ली हैदराबाद
(अन्तरक)

(2) श्रीमती एम० अन्नपूर्णा पति एम० नरसिंग राव 1-8-41/1/ए चीककडपल्ली हैदराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 1-8-41/1 चीककडपल्ली हैदराबाद विस्तीर्ण 152.83 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4480/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**फ्रॉम आई. टी. एप. एल. ------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 20/86/87—यतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है जो श्रीनाथकाम्पलेक्स एस० डी० रोड स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी बहुत या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स श्रीनाथ कन्स्ट्रक्शन्स को० बई० मैनेजिंग पार्टनर श्री शिवचरण
घर सं० 5-8-612, ऐंबिडस्, हैदराबाद।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती जसोती बाई पति टीकमदास,
फ्लैट सं० 704, श्रीनाथ काम्प्लेक्स,
एस० डी० रोड, सिकंदराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण 1—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट सं० 704, श्रीनाथ काम्पलेक्स, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 1302 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 286/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सिकन्दराबाद।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**इसके आगे . . . पृष्ठ . . . पर**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 21/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन;

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० घर है, जो मारेडपल्ली सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मारेडपल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्रीमती एस० रेवती पति के० सुन्दर, 134, कृष्णा मेंनशन, आर० पी० रोड, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमां जॉन काम्फटि, पिता के० पी० देवदास 125, ईस्ट मारेडपल्ली, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

घर सं० 10-3-77/2, (प्लाट सं० 125) ए० पी० गवर्नमेंट एम्पलाइज को० आपरेटिव हाउसिंग कालोनी, मारेडपल्ली सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण 295 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2308/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मारेडपल्ली ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

**आंध्र प्रदेश सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 22/86-87--यत: मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 3, है, जो सोमाजीगूडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

की पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है, अर्थात :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती डी० सत्यवती पति पी० चौधरी और अन्य विजयवाड़ा ।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेशकुमार भटनागर, पिता नागेश्वरी प्रसाद और अन्य
घर सं० 5-9-31/1, बसीरबाग, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट सं० 3, सर्वे सं० 384, सोमाजीगूडा, हैदराबाद, विस्तीर्ण 480 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4646/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एस.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० यें० सी० सं० 23/86-87 यतः मुझे एम० जगन मोहन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है जो किशनपुरा हानमकोंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वरंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बहुत प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती** (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—**

(1) श्रीमती एम० शकुंतला पति संतान राव और अन्य घर सं० 5-10-24 किशनपुरा हानमकोंडा वरंगल ।

(अन्तरक)

(2) श्री व्ही० गुरुमलू पिता नागभूशनम और अन्य 4 5-10-24 किशनपुरा हानमकोंडा वरंगल

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

खुली जमीन विस्तीर्ण 855 चौ० गज, एम० सं० 5 10-24, (नया) किशनपुरा, हानमकोंडा, वरंगल, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1721/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वरंगल ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 24/86-87--यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा** 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर का भाग है, जो किशनपुरा, हानमकोंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वारंगल, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/1985,

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के** प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रतिफल से ऐसे प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;**

**और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एम० शकुंतला पति संतन राव और अन्य एक-5-10-24, किशनपुरा हानमकोंडा, वरंगल ।

(अन्तरक)

(2) डा० सी० एच० वेंकटपुरुषोत्तम रेड्डी पिता रमनारेड्डी 5-10-24, किशनपुरा, हानमकोंडा, वरंगल ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भाग, घर सं० 5-10-24 (नया) की किशनपुरा, हानमकोंडा, वरंगल विस्तीर्ण 380 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1055/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वरंगल ।

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० सं० 25/86-87--यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर का भाग है, जो किशनपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वरंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एम० शकुंतला पति संतानराव और अन्य एक घर सं० 5-10-24 किशनपुरा हानमकोंडा वरंगल जिला ।

(अन्तरक)

(2) मास्टर के० हरीशचन्द्रा (माइनर) पिता लेट बालकृष्णा रेड्डी बाई माता और पालक श्रीमती के० ऊमादेवी ।
5-10-24 किशनपुरा हानमकोंडा वरंगल जिला ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, **हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया है।**

**अनुसूची**

घर का भाग सं० 5-10-24 (नया) किशनपुरा हानमकोंडा वरंगल विस्तीर्ण 341 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1753/85 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वरंगल ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 26/86-87--यतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/1985,

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० श्रीपती पिता डा. एम. एस० राव, 6-3-347/5, द्वारकापुरी कालोनी हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री मैसर्स कलातउ कॉ-ऑपरेटीव्ह हाऊसींग सोसायटी लि० बाइ प्रेसीडेंट श्री मीर मेंहर अली सेक्रेटरी श्री मीराज युसफ आई 1 बंजारा अस्टल रोड सं० 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 7, विस्तीर्ण 1077 चौ० गज, सर्वे सं० 129/27 जोकपेट, विलेज, बंजारा हिल्स, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2152/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद ।

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**[भाग III—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, मई 24, 1986**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 27/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो आनन्दनगर कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिकनां अगस्त/1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के योजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओ० प्रभाकर राव पिता गनपती
डिप्टी डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चरल (पी० डी० एण्ड डी० फार्म
अमरावती गुंटूर जिला ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती डी० वेंकटा सीतामाहालक्ष्मी पति रामप्रभद्रया, 6-3-609/47, आनन्द नगर, खैरताबाद, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है;

अनुसूची

घर सं० 6-3-609/47, आनन्द नगर कालोनी, खैरताबाद, हैदराबाद, विस्तीर्ण 300 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4392/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

भाग III—खण्ड 1 का.आ.सं.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 28/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० घर है, जो बंजारा हिल्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त/1985, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ईश्वर राज माथुर, ए-7, बंजारा गार्डनस्, रोड, सं० 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद।
(अन्तरक)

(2) श्री के० लक्ष्मन बाबू
8-2-293/82/ए/1329/(प्लाट),
ज्यूबिली हिल्स, हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का भाग घर सं० 8-2-293/82/ए/प्लाट सं० 388ए, बंजारा हिल्स, शेकपेट, विलेज हैदराबाद विस्तीर्ण 609 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4434/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्रकाश संख्यांक. टी. एन. एच./.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

**आयुक्त सहायक**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 29/86-87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो कोंडम्मादुगु विलेज भोनगीर तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोनगीर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में यथास्थिति रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति की पावना, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे मोचन में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अपेक्षानुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मी नरेन पिता लेट मांगी लाल गुप्ता
बाई जि० पी० ए० श्री सूरी सीताराम
घर सं० 1-9-642/1, विद्यानगर,
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स मगना इण्टरनेशनल लि०,
बाई डाइरेक्टर श्रीमती सरला गुप्ता (डायरेक्ट्रेस)
घर सं० 1-2-261, यस० बी० रोड,
सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या इससे पश्चात्वर्ती व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 10-28 एकर, सर्वे सं० 598, कोंडामा दुगु विलेज, भोनगीर तालुक, जिला नलगोंडा, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1806/86, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भोनगीर ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 30/86/87—यतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो पाटक स्ट्रीट माटवाडा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वरंगल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 8/85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती के० विद्यावती पति सोमसुन्दरम् नियर : रेल्वे गेट वरंगल ।

(अन्तरक)

(2) मेसर्स दूटोन' सू आसोसियशन (एन एजूकेशन आसोसिएशन फॉर माइनारीटीज) बाइ सेक्रेटरी श्री पी० परम ज्योती) पाटक स्ट्रीट मतवाडा, वरंगल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सं० 13/483(ओल्ड) न्यू घर सं० 13-3-135, पाटकस्ट्रीट, मतवाडा, वरंगल, विस्तीर्ण 912 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1771/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वरंगल ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निर्देश सं० आर० [ये० सी० सं० 43/86-87--यतः

मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है जो रोड सं० 12 बंजारा हिल्स स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को प्रथमतः प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रथमतः प्रतिफल से, ऐसे प्रथमतः प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी लाने या उससे बचने में सुविधा के लिए;
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रजनिस बाहेल पिता के० के० बाहेल
बाई जी० पी० ए० होल्डर श्री के० के० खोंगला
पिता अमरनाथ खोंगला
प्लाट सं० 9 मारेडपल्ली अमर अपार्टमेंट्स
सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती काझीमुनिसा बेगम पति श्री मीर हासमथ
आली और अन्य तीन
घर सं० 8-2-696/697/3 रोड सं० 12
बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन विस्तीर्ण 430 चौ० गज प्लाट नं० 3 और प्लाट सं० एम० सं० 8-2-696/697/3 रोड सं० 12, बंजारा हिल्स सर्वे सं० 403 शेकपट विलेज हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2170/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 7-4-1986
मोहर

**प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 44/86-87--यतः मुझे, एम० जगन मोहन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है जो रोड सं० 12 बंजारा हिल्स स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी लाने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए**

**अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्रीमती उमा बहेल पति के० के० बाहेल सं० 1 बजीर कोंडा रोड सं० 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री मीर हासमत अली पिता मीर दीलावर अली और अन्य दो, घर सं० 8-2-696/697/4, रोड सं० 4, बंजरा हिल्स, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

विस्तीर्ण 1076 चौ० गज, प्लाट सं० 4, कम्पाउण्ड वाल के साथ, कामन टू प्लाट सं० 3, एम० सं० 8-2-696/697/4, रोड सं० 12, बंजारा हिल्स, सर्वे सं० 403, शेकपेट, विलेज, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2169/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 45/86-87--यत:

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो रोड सं० 3, बंजारा हिल्स, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) श्रीमती ऊषा देवी पति प्रतापकरण, घर सं० 289/99, शांतीनगर, मासाब टैंक, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री भरतकुमार मोर पिता लेट श्री मथनलाल मोर घर सं० 21-1-773, पटेल मार्केट, पथरगट्टी, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट सं० 1, विस्तीर्ण 855 चौ० गज, रोड सं० 3, बंजारा, हिल्स, हैदराबाद रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 2241/85, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

आन्ध्र प्रदेश

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 7 अप्रैल 1986

निदेश सं० आर० ये० सी० सं० 46/86-867--यत: मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० घर है जो रोड सं० 3 बंजारा हिल्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8/85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

किसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० विजयरामाराव पिता के० गोपाल राव 3-5-894 हिमायतनगर, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० महेन्वर रेड्डी पिता के० सी० कृष्णा रेड्डी तुलजागुडा ब्लाक मोजमजाही मारकेट हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एम० सं० 8-2-326/4 रोड सं० 3 बंजारा हिल्स हैदराबाद विस्तीर्ण 550 चौ० गज रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4503/86-87 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 7-4-1986
मोहर :

**इस भाग में दी हुई विभिन्न अधिसूचनाओं आदि की पृष्ठ संख्या**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 48270/85-86—यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 20 है, तथा जो काशी विश्वेश्वरा टेम्पल स्ट्रीट बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, गांधीनगर में दिनांक 29-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० एस० रामामोहन
2. श्री बी० आर० श्रीनिवासन
सं० 11, सरपेन्टैन रोड
कुमारी पार्क वेस्ट एक्सटेंशन बेंगलूर—20
(अन्तरक)

(2) श्रीमती डी० चन्द्रकान्ता
सं० 5, II क्रास अपस्टैर पार्क रोड,
बेंगलूर—53
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं० 1549/85-86 दिनांक 29-8-85) सम्पत्ति है, जिसका सं० 20 जो काशी विश्वेश्वरा टेम्पल स्ट्रीट बेंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 48387/85-86—यतः मुझे, आर० भारद्वाज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० एस० सं० 50 1 ई-2 है; तथा जो होसाबेडी विलेज मंगलूर तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985, मंगलूर को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) रिचरडो वास्तलिनो
सेक्पा थाम्पोण्ड
बोतार, मंगलूर—1

(अन्तरक)

(2) श्री पी० नाजीर अहमद
2. श्रीमती नजीमा बानु
201, मेनका, जे० पी० रोड, अन्धेरी,
वेस्ट, बम्बई—58

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं० 832/85-86 दिनांक अगस्त 85)

सम्पत्ति है, जिसका सं० एस०-50-1ई2 जो होसबेट्टी विलेज, मंगलूर तालुक में स्थित है ।

र० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 48205/85-86—यतः मुझे, आर० भारद्वाज, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० सं० 5/2 है, तथा जो सं० 90 वी० बोलूर विलेज मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मंगलूर में दिनांक 3-4-86,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यक्षमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यक्षमान प्रतिफल से, एसे प्रत्यक्षमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की वसूली, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों पतकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या तब था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोचिम मैकेल लसाराडो
सनआफ लूयिस लसाराडो कोडिकाल
अशोकनगर मंगलूर—6
2. श्री जोसफ लसाराडो उसके प्रतिनिधि
(अन्तरक)

(2) श्री जोचिम मैकेयिल लसराडो
कोडिकल अशोकनगर, मंगलूर
(अन्तरिती)

(3) श्री लेसली अलाशियस डी० सोजा
श्रीमती अलाशियस डी० सोजा
जिसके प्रतिनिधि श्री सिप्रियन
मैकेल डि० सौंजा सनआफ सलवडौर डीसौजा
एमिल्डा काटेज, अप्पर वेन्डूर
मंगलूर ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 726/85-86 दिनांक 14-8-85)
सब सम्पत्ति है, जिसका सं० आर० एस० सं० 5/2 जो 90वी में है, जो बोलूर विलेज मंगलूर में स्थित है ।

र० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, मंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर :

फ्रम्प आई. टी. एस. एच.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर
बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986
निर्देश सं० 48623/85-86—यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 196 है, तथा जो मैन रोड, कब्बनपेट बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, गांधीनगर, में दिनांक 28-8-85,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों को अर्जित है—

(1) श्रीमती शिन्दम्मा और कुछ लोग
सं० 11, VIII क्रास रोड, कृष्णप्पा लेआउट
सुधामनगर, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुब्बलक्ष्मम्मा
सं० 28, IX क्रास रोड,
कब्बनपेट, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं० 1740/85-86 दिनांक 28-8-85) सम्पत्ति है, जिसका सं० 196 है जो मैन रोड, कब्बनपेट, बेंगलूर में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर ।

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक: 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 48206/85-86--प्रभा: मुझे, आर० भारद्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)**, की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 88 है, तथा जो डेरेबैल विलेज मंगलूर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, मंगलूर सिटी में दिनांक

14-8-85,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरक से हुई किसी बात की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के** दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा सुविधा के लिए;**

**अतः अब**, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० रमा 2. ए० उमावती
येयाडी, पडवु विलेज
मंगलूर तालूक

(अन्तरक)

(2) श्री बी० पद्मनाभा
सर्विस और एग्रीकल्चरिस्ट
अशोकनगर मंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं** ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं० 729/85-86 दिनांक 14-8-85) सम्पत्ति है, जिसका सं० 88 जो डेरेबैल विलेज मंगलूर सिटी में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**बंगलूर शहर**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 48156/85-86--यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० 43 है, तथा जो अमरज्योती लेआऊट में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-8-85, बंगलूर जिले तालुक

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रत्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रत्यमान प्रतिफल से, ऐसे प्रत्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-**फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दायित्व से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री एस० जे० ग्रामपुरोहित
नं० 48, अमरज्योति हाऊसिंग कालोनी
राजमहलविलास स्टेज II, बेंगलूर-24
(अन्तरक)

(2) श्री पी० गणपति भट
एडवोकेट 16/39 कुमारा पार्क वेस्ट
XII क्रास, बेंगलूर—20
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर** सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 922/85-86 दिनांक 14-8-85)
साईट सं० 43 जो अमरज्योति लेआऊट नागशेट्टीहल्ली बेंगलूर नर्सि तालुक में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर ।

प्ररूप आई.टी.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 565/अगस्त/85-86---यतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 30 है, तथा जो बैरीदेवनकोप्पा हुबली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, हुबली में दिनांक अगस्त

1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सुन्दराबाई राजनसा चवाण
वाइडर गल्ली—गणेशपेट, हुबली ।
(अन्तरक)

(2) श्री शांताबाई रामकृष्णसा कबाडी
आजाद रोड, हुबली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1444 दिनांक अगस्त 85)
खुली जगह बैरीदेवनकोप्पा हुबली है । इसका एरीया 4 गुंठा 14-314 अत्ता है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

सादर सस्नेह

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 598/अगस्त/85-86—अतः मुझे, आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म्यूनिसीपल सं० 125/3 है तथा जो 5 एफ वार्ड, 7 डिविजन दावणगेरे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है),

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दावणगेरे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 19-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, अक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों पर, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है या किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित की सुविधा के लिए:

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मै० हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रियल कम्पनी और इसके दस हिस्सेदार, के० वी० बडावणे, दावणगेरे ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० यू० गंगबाई पती उल्ला नाईक एम० सी० सी० वी० ब्लाक, हाऊस सं० 2972 दावणगेरे ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3255, दिनांक 19-8-85)

सम्पत्ती खुला जगह है । इसका एरिया 51--23' 5फ बोर्ड 7वां डिवीजन दावणगेरे में है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-86
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (191 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 616/अगस्त/85-86--अतः मुझे, आर० भारद्वाज;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2505 है तथा जो के० आर० पुरम एक्सटेंशन हासन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हासन में
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908
का 16) के अधीन दिनांक 29-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) ने ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक में दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री ए० एन० चन्द्रचूड
सन/आफ लेट पटेल नन्जप्पा
मैसूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राकत कालीला
बैंक०/आफ श्री एम० एस० महमूद इस्माइल
काफी प्लान्टर रेलवे स्टेशन रोड
सकलेशपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1669/85-86 दिनांक 29-8-85) सम्पत्ति है जिसका सं० 2505 जो के० आर० पुरम एक्सटेंशन हासन में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-86
मोहर :

फ्रम्प आई. टी. इम. एस.,-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**
**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निदेश सं० 831/अगस्त/85-86--यतः मुझे आर० भारद्वाज,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2057 है तथा जो एम० जी० रोड चिक्कमगलूर टाउन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में (और पूर्ण रूप से वर्णित है)

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चिक्कमंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक से दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० एन० मन्जुनाथ
मास्टर एम० एम० दीपक
मास्टर एम० एम० अरुणकुमार
उपके प्रतिनिधि श्री एम० एन० मन्जुनाथ
एम० जी० रोड चिक्कमंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० विनायका कुमारा शेट्टी
सन/आफ श्री एम० जयराम शेट्टी
क्रिश्चियन कालोनी
चिक्कमंगलूर टाउन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

(दस्तावेज सं० 1336/85-86 दिनांक 28-8-85)

सम्पत्ति है जिसमें 6 दुकान हैं जिसका सं० म्यूनिसपल काता सं० 2057 पुराना म्यूनिसपल सं० 999 जो एम० जी० रो० चिक्कमंगलूर टाउन में स्थित है ।

आर० भारद्वाज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 3-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एच. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 4/अगस्त 1985--अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य ,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17, III लेन रितरडन रोड नयी सं० 2 चर्च लेन है, जो वेपेरी मद्रास--7 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुरसनावक्कम लेख सं० 1459/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1985,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रतिफल से, ऐसे प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व से बचने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सायचन्दर

(अन्तरक)

(2) श्री के० अब्दुल हमीद (मैनर) और दूसरे

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान--17III लेन, रितरडन रोड, न्यू सं० 2, चर्च लेन--वेपेरी --मद्रास--7

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

दिनांक : 2-4-1986
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०-

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**सादृश्य चालकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 8/अगस्त 1985--अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 8, वासन, स्ट्रीट--पेरम्बूर है, तथा जो मद्रास-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पुरशवाक्कम लेख सं० 1539/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए माई/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री वी० टी० ओ० बलराम मुदलियार और बी० अलगु

(अन्तरक)

(2) श्री एलंगोवन और श्री टी० रवीन्द्रन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान --सं० 8 वासन स्ट्रीट पेरम्बूर मद्रास-2 पुरशवाक्कम/लेख सं० 1539/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक : 2-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मदास

मदास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 22/अगस्त 85—अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 644, मौंठ रोड है, जो मदास-6 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बौसन्डलैटस लेख सं० 397/85 में भारत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दी मदास इन्वेस्टमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन। (अन्तरक)

(2) श्री रमेश आर० डोलानी और अन्यो (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित नहीं हैं किंतु इस अध्याय में दिया गया है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—644, मौंठ रोड, मदास-6 बौसन्डलेटस —लेख सं० 397/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मदास

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 23/अगस्त 85—अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 29, आण्डर्सन स्ट्रीट, नुंगम्बाक्कम है, जो मद्रास-39 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय यथौसन्डलैटस लेख सं० 398/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त वस्तुतः विलेख में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कलपगम

(अन्तरक)

(2) श्री अमरा हमीद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान-29, आण्डरसन स्ट्रीट, मद्रास यौसन्डलैटस लेख सं० 398/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 2-4-86
मोहर :

प्रकप्य आई. टी. एम. एच. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 29/अगस्त 85--अतः मुझे, एम० सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं०एस०सं०229/3ए, वेल्लिवायल पावडि गांव 149, पोन्नेरी तालुक है जो चेंगलपेठ में स्थित है और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुवोडियूर लेख सं० 2608/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम की दर्शाने प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दर्शाये प्रतिफल से एसे दर्शाये प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० नाल कृष्णन् और अन्यों

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गोपालन मीनाक्षी

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि खेती--वेल्लि वयल पावडिगांव एस० सं० 229/3ए 149, पोन्नेरी तालुक चेंगलपेठ तिरुवोटियूर लेख सं० 2608/85

एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मदास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 38/अगस्त 85—अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० के० के० नगर एस. सं० 419/1 बी० हिस्सा है, जो कोडम्बाक्कम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लेख सं० 2680/85 कोडम्बाक्कम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० अरुणगिरी ।

(अन्तरक)

(2) श्री बी० एस० अहमद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—सर्वे सं० 419/1 बी, हिस्सा कोडम्बाक्कम गांव के० के० नगर कोडम्बाक्कम लेख सं० 2680/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मदास

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मदास

मदास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 44/अगस्त 85—अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1, ललितापुरम स्ट्रीट—लाइटस रोड है, जो मदास-14 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1085/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक की दायित्व में कमी करने या उसमें अर्जन में सहिता के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मरगम चन्द्रशेकरन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रुकमणि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि-1, ललितापुरम स्ट्रीट—लाइटस रोड, मद्रास-14
मैलापुर लेख सं० 1085/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मदास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

**ग्रूप आई : टी. एस. एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 46/अगस्त 85-- अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 14 –बी० सिल्वा रोड है जो मद्रास-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1097/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० श्रीधरन

(अन्तरक)

(2) श्री एन० अप्पादुरै और अय्यंगार और अन्यों

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट-14 टी० सिल्वा रोड, मद्रास-4 मैलापुर लेख सं० 1097/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2 मद्रास

तारीख : 2-4-86
मोहर :

फार्म आई. टी. एस. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 198०

निदेश सं० 48/अगस्त 85-- अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3, 1 ट्रस्ट मेहन रोड मन्दवेलियक्कम है जो मद्रास-28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1114/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का कुछ प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० श्रीनिवासन
(अन्तरक)

(2) श्री जो० एस० रामचन्द्रन और एस० रवि
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान- - 3 I ट्रस्ट मैन रोड मन्दवेलियाक्कम मद्रास-28, मैलापुर लेख सं० 1114/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2: मद्रास

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**प्रूफ़ आई. टी. एन. एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं० 51/अगस्त 85--अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 62 मौविस रोड टी०टी० के० रोड है जो आलवारपेठ मद्रास-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1126/85 मेंभारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों)के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सरस्वती (अन्तरक)

(2) श्री जी० नागराजन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी अरिक्त द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि--62 मौविस रोड आलवारपेठ मद्रास-18 मैलापुर लेख सं० 1126/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 4-4-86
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 52/अगस्त 85, अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 9, वारन रोड मीमप्पेट है जो मैलापुर मद्रास-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख्य सं० 1129/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 के अधीन अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० एस० के० रत्तनम (अन्तरक)

(2) श्री देव० प्रकाश (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—9 (नयी सं० 28) वारन रोड भीमप्पेट मैलापुर मद्रास-4, आर० एस० सं० 3586/11 मैलापुर लेख्य सं० 1129/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख 2-4-86
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 54/अगस्त 1985 अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1/20 प्लाट 2 फ्लोर-8, रन रोड है जो मैलापुर-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1135/85 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती इन्द्रा नन्दकुमार

(अन्तरक)

(2) मैसर्स राकवेल्ड एलक्ट्रोडम इण्डिया लिमिटेड की चीफ एक्जीक्यूटिव श्री राजिन्द्रनाथ

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट-2 फ्लोर-1265 स्कोयर फीट-8 रन रोड, मद्रास-4 मैलापुर लेख सं० 1135/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**शासकीय**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 57/अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17, फस्ट क्रास स्ट्रीट सी० ए० टी० कालनी है, जो आर०एस० सं० 1607, मैलापुर स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर—लेख सं० 1148/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में सम्यक्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सी० एच० बालमणि

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मीरारामन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया

अनुसूची

भूमि और मकान—17, फस्ट क्रास स्ट्रीट, सी० ए० टी० कालनी मैलापुर—मैलापुर लेख सं० 1148/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 59/अगस्त 85--अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 37, लाइब्रेरी रोड-I स्ट्रीट-बालाजी नगर है, जो रामपेट्टा मद्रास-14 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1153/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरण की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० एन० चन्द्रा और अन्य

(अन्तरक)

(2) श्री एम० अब्दुल अहमद

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान--(1एए) नयी सं० 37--माशिलामणि मुदलियार रोड--बालाजी नगर रायपट्ठा मद्रास-14 मैलापुर लेख सं० 1152/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-1986
मोहर:

**फ्रारम नं० आई० टी० एन० एस० - - - - -**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**तमिल नाडु**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-2, मद्रास
मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 61/अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 43/II मेइन रोड, आर० ए० पुरम है, जो मद्रास-28 में स्थित (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1170/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखत में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनों के अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती तंकम तिरुपाड और श्रीमती सरोजा अघुकुट्टन
(अन्तरक)

(2) मैसर्स के० पी० के० मेडिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—43, II मेइन रोड,
मद्रास-28 मैलापुर—लेख सं० 1170/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-86
मोहर :

फ़ार्म आई.टी.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं० 63 अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं०, डूमिंग स्ट्रीट मैलापुर है, जो मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैलापुर लेख सं० 1184/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए हुए पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुए किसी ऋण की वापसी, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) हुयी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधाकिशन भैया गंगा किशन भैया

(अन्तरक)

(2) श्री नारायण प्रकाश भैया और श्रीमती कृष्णा एन० भैया और सिद्धार्थ एन० भैया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ॥

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि-1 डूमिंग स्ट्रीट मैलापुर मद्रास-4 मैलापुर—लेख सं० 1184/85

श्रीमती एम०
सक्षम
सहायक आयकर आयुक्त (
अर्जन रेंज-2,

तारीख : 4-4-1986

मोहर :

प्ररूप आई. टी. पूल. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं० 66/अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 11, III अविन्यू—इन्द्रा नगर है, जो मद्रास-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास दक्षिण/लेख सं० 2499/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित सद्उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर०एम० सुब्बैया
(अन्तरक)

(2) श्रीमती कामाक्षी सन्तानम और वी सीतारामन
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान-2, III अविन्यू इन्द्रा नगर, मद्रास-20 मद्रास दक्षिण—लेख सं० 2499 85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 4-4-86
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं० 69/अगस्त 85--अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 8 एस० सं० 2142/--140--तिरुवान्मियूर गाँव, है, जो शैदापेट तालुक चेंगलपेठ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास दक्षिण लेख सं० 2605/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अभिकथन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अभिकथन प्रतिफल से, ऐसे अभिकथन प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती निर्मला जगन्नाथन की पावर एजेन्ट निर्मला जगन्नाथन्

(अन्तरक)

(2) डा० के० प्रमिला और के० शुशीला की पावर एजेन्ट के० वी० नरसिंह राव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करती पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित रखने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि--8 1360, 1361, 1632--140, तिरुवान्मियूर गाँव शैदापेठ चेंगलपठ, मद्रास दक्षिण, लेख सं० 2605/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 71/अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6, मरेस गेठ रोड, आलवार पेठ है, जो मद्रास-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मद्रास दक्षिण/लिख सं० 2615/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (190 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति की उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वसन्ता मैनन और अन्यों
(अन्तरक)

(2) मैसर्स स्वीकार बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि-6, मरेस गेठ रोड, आलवार पेठ, मद्रास-18, मद्रास दक्षिण/लिख सं० 2615/85

श्रीमती एम०सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**फार्म आई. टी. एन. एस.-----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**[राइट अक्विजिशन]**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 125/अगस्त 85 अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का** कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि—2689—27, दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट है, जो टी० नगर, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर लेखा सं० 1006/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास** करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)** के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० एन० विश्वनाथनराव और पुत्र
(अन्तरक)

(2) श्री ए० जवहर
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के** पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि—2689, 27, दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट टी० नगर—मद्रास-17—टी० नगर—लेख सं० 1006/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , मद्रास-6

तारीख : 2-4-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 127/अगस्त 85—अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 8, क्रेसन्ट अविन्यू रोड, अडयार है, जो मद्रास-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर, लेख सं० 2211/85 में भारतीय जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का-16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सौदामिनी प्रभाकरम और अन्य (अन्तरक)

(2) श्री आर० सुब्रह्मण्यन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० 8, क्रेसन्ट अविन्यू रोड, अडयार मद्रास-20
अडयार लेख सं० 2211/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास-6

तारीख : 2-4-86
मोहर :

**इस्ड बाई.टी.एम.एस.** ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 129/अगस्त 85--अतः मुझे श्रीमती एम० सामुवेल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 27, दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट है, जो टी० नगर मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय टी० नगर लेख सं० 1007/85 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रकाशन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रथमवान प्रतिफल से, ऐसे प्रथमवान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० एन० विश्वनाथराव एण्ड सन (अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० विजया (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि--3023 स्केयर फुट 27 दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट टी० नगर मद्रास-17

टी० नगर/लेख सं० 1007/85

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास ।

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 31 मार्च, 1986

निर्देश सं० 130 अगस्त 85--अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि 27 दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट है जो टी नगर, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर, लेख सं० 1008/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित सद्उद्देश्य से उक्त अंतरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० एन० विश्वनाथाराव और पुत्र (अन्तरक)

2. श्री ए० ए० मनोहरन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि—27, दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट टी० नगर, मद्रास-17
टी नगर/लेख सं० 1008/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 131/अगस्त-85--ध.प्र., मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 27, दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट, टी नगर है, जो मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी नगर लेख सं० 1009/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके प्रथमान प्रतिफल से, ऐसे प्रथमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से दर्शित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ए० एन० विश्वनाथ राव और अन्य
(अन्तरक)

2. श्रीमती जे० स्वर्णाम्बाल
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

भूमि--सं० 27 दक्षिण दण्डपाणि स्ट्रीट टी नगर, मद्रास-17 टी नगर लेख सं० 1009/85 ।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्रफुल्ल बाई टी एन एस ----

1. श्रीमती के० राजम्मा और अन्य ।

(अन्तरक)

2. श्री ए० नल्ला मुहम्मद ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 132/अगस्त 85—यतः, मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एम. सं० 138/1, प्लाट सं० 30-2, मूसा सैयत स्ट्रीट, टी नगर है, तथा जो मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी नगर, लेख सं० 1010/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और मकान सर्वे सं० 138/1, प्लाट सं० 30, 2, मूसा सैयत स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-17, टी नगर लेख सं० 1010/85 ।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी, एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 3 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 148/अगस्त-85--यतः, मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि, प्लाट सं० 29, पाँच एवेन्यू बेसन्ट नगर है, तथा जो मद्रास-90 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अडयार--लेख सं० 2220/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी० चक्रपाणि ।

(अन्तरक

2. श्री परवीन ए० रमणलाल ।

(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो ऐसी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—प्लाट सं० 29, पाँच एवेन्यू बेसन्ट नगर, मद्रास-90, अडयार--लेख सं० 2220/85 ।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्रकरण आई.टी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 149/अगस्त-85—यतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6—न्यू सीरियल सं० 11—बेसन्त एवेन्यू रोड, ऊरूर गांव है, जो शैदापेठ ताल्लुक में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अड्यार लेख सं० 2233/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कैप्टन एम० सुन्दरम्

(अन्तरक)

2. श्री टी० श्याम कुमार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और मकान—प्लाट सं० 6—न्यू सीरियल सं० 11, बेसन्त एवेन्यू रोड़—ऊरूर गांव—शैदापेठ, अड्यार— लेख सं० 2233/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

**अक्स बाई.टी.एस.एस. ----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**सादर सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1086

निर्देश सं० 152/अगस्त-85—यत:, मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 8, I मेन रोड़, गांधीनगर, अड्यार है, तथा जो मद्रास-600020 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अड्यार—लेख सं० 2275/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) वस्तुत: से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० वेंकट रामणि,

(अन्तरक)

2. श्रीमती वसन्ती सुब्रमणियन्

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 8, I मेन रोड़, गांधी नगर, अड्यार मद्रास-20 अड्यार लेख सं० 2275/85 ।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 153/अगस्त-85—यतः, मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लाट 22-टी एस० सं० 10-I एवेन्यू है, तथा जो 27, शास्त्री नगर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अड्यार लेख सं० 2328/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अरुणपूर्णी सीतारामन्

(अन्तरक)

2. श्री एस० सुब्रमणियम्

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया

अनुसूची

भूमि और मद्रास—फ्लाट सं० 22, टी० एस० सं० 10, ऊडर गांव—27, शास्त्री नगर, मद्रास, अड्यार—लेख सं० 2328/1985 ।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

**अल्प बाई. टी. एस. एस. - - - - ----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 160/अगस्त-85—यतः, मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7, राजाम्बाल स्ट्रीट —टी०एस० नगर, एस० सं० 9300 है, तथा जो टी० नगर, मद्रास-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर, लेख सं० 928/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए यही/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती एम० वेलम्मा, एस० श्रीधरन

(अन्तरक)

2. कुमारी आर० महालक्ष्मी के पिता और संरक्षक डा० एन० रंगनाथ्याम ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूमि और मकान सं० 7, राजाम्बाल स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-17, सर्वे सं० 9300, टी नगर—लेख सं० 928/85 ।

श्रीमती एम० समुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

**की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1986

निदेश सं० 167/अगस्त/85— अतः मुझे, श्रीमती एम० सामुवेल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 36, चर्च स्ट्रीट, सान्तोम मालापुर है, तथा जो मद्रास-28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर, लेख सं० 1036/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् है—

(1) श्री आनन्दम सेक्रियर।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० पोन्नु कामाक्षी आय्यारी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

भूमि और मकान—36, चर्च स्ट्रीट, सान्तोम मैलापुर-मद्रास-28 मैलापुर-लेख सं० 1036/85।

श्रीमती एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 2-4-1986
मोहर :

प्रकृप आई.डी.एन.एस.--------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, मद्रास

मद्रास, दिनांक 4 अप्रैल 1986

निदेश सं० 168/अगस्त/85— अतः मुझे, श्रीमति एम० सामुवेल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० II, I ट्रस्ट क्रास स्ट्रीट, मन्दवेलिप्पाक्कम है तथा जो मद्रास-28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापुर लेख सं० 1068/85 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अगस्त, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके कथ्यमान प्रतिफल से, ऐसे कथ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति वी० अलमेलु ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमति एस० सावित्री ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

भूमि और मकान—II, फस्ट ट्रस्ट क्रास स्ट्रीट, मन्दवेलिप्पाक्कम मद्रास-28, आर० एस० सं० 4457 मैलापुर लेख सं० 1068/85

श्रीमति एम० सामुवेल
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, मद्रास-6

तारीख : 4-4-1986
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एच. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निदेश सं० 2257/एक्वी० रेंज-III/कलकत्ता/86-87—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है तथा जो नरेन्द्रचन्द्र दत्तसरीन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रामगोपाल गानेरविला प्रा० लि० एवं अन्य।
(अन्तरक)

(2) मदन लाल एजेन्सीस लि०।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं०-1, चारसल्ला, 1829.89 वर्गफुट 2, नरेन्द्रा चन्द्रा दत्ता सारीन, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 11-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भाइए हस्ताक्षर**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निदेश सं० 2258/ अर्जन रेंज- / कलकत्ता-86/-87—

अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य**
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 39/1 है तथा जो सरत बोस रोड, क्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1985

**को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित प्रयोजन से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1) मिगगा प्रा० लि० ।

अन्तरक)

(2) रमेश सं० कोठारी एवं अन्य ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति की अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन की सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1660 वर्ग फुट प्लाट 1 नं० तिनतल्ला 1-बी 2, पेनिसेस नं० 39/1 सरत बोस रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास, 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2289/एक्यु आर-3/कल०/86-87—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 94ए है तथा जो कुल बागान रोड, के पास स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम किशोर बानसेल एवं अन्य
(अन्तरक)

(2) श्री मती शान्तीबेन रतोलाल देसाई एवं अन्य
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नंबर 4ए, पांचतला 1824 वर्गफीट, प्रमिसेस नम्बर 94ए, बकुल बागान रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, कलकत्ता।

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निदेश सं० 2260/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 32/1 है तथा जो सरत बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मिगमा प्राईवेट लिमिटेड
(अन्तरक)

(2) श्री लिलाधर टी० डुटिया एवं अन्य
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर ए-2 तिनतल्ला, 1015 वर्गफुट, 39/1, सरत बोस रोड कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता I-1 6

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2261/एकु आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7बी/1ए है तथा जो पाम ऐवेनई कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सुकला घोष
(अन्तरक)

(2) श्री आल्पना बनर्जी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर 1बी, दोतला, 966 वर्गफीट, प्रेमिसेस नम्बर 7बी/1, पाम ऐम नई, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

रूप आई. टी. एस. ———

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता।

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० 2262/एकु आर-3/कल०/86-87यतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 180 है तथा जो एवं० बिहारी एमेनिई, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनों अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० काट एवं एसोसिएट (अन्तरक)

(2) श्रीमती शामकू देवी एवं अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर-सी-2, 1294 वर्गफुट, प्रेमिसेस नम्बर 180; रास बिहारी एमेनिई, कलकत्ता-29 सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2263/एक आर-3/कल०/86-87--यतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2/5 है तथा जो सरत बोस रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सामसेन डेमालापमेंटस प्रा० लिमिटेड
(अन्तरक)

(2) श्री पवन कुमार आगरवला एवं अन्य
(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

22 कट्ठा 3 छटांक जमीन 12/5 सरत बोस रोड, कलकत्ता 1710 वर्गफुट प्लाट सपत्नीका पर सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2264/एक्यू आर-3/कल०/86-87---यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1ए है तथा जो कलेज ए० कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अ० र० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सरोज बरन मुखर्जी

(अन्तरक)

(2) ग्रामीन शिल्पउद्योग

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रेमिसेस नम्बर---1ए, कलेज ऐ, कलकत्ता, सब रजिस्ट्रार - अब एसिस्टेंट, कलकत्ता की पास 17-8-85 तारीख से रजिस्ट्रीकरण हुआ।

दलील संख्या---12074

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

रूप आई.टी.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2265/एक्यू आर-3/कल०/85-86--यतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 43 है तथा जो कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 262-ब की उपधारा (1) के अधीन,, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महेश प्रापर्टिस प्राईवेट लिमिटेड (अन्तरक)

(2) श्री सुरेस कुमार मथुरा कुमार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर 523, धरातल्ला, प्रेमिसेस नम्बर 43 कैलास बोस स्ट्रीट, कलकत्ता, 15682 वर्ग फुट सक्षम प्राधिकारी के पास, 14-8-85 तारीख से रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

**प्रारूप आई. टी. एस. एस.----------**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 1 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2266/एक्यु रेंज-/कल०/86-87--यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

**आयकर अधिनियम**, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है** कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 224, 224/1 है तथा जो आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड एवं 68, बालिगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार** मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० के० ठाक्कर, प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड।
(अन्तरक)

(2) श्री मन मोहन सेठी
(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होता हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट नम्बर-एफ, पौचतल्ला, 1483 वर्गफुट, 224, 224/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, एवं 68, बालिगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता में सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16।

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम,, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2267/एक्यु० रेंज-III/कल०/86-87--यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गरियाहट रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —-

(1) बी० के० प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

(अन्तरक)

(2) जोइंट प्लाट कमेटी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सांपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नम्बर 5ए, छयतल्ला, प्रेमिसेस नम्बर 18/2, गरियाहट रोड, कलकत्ता सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

ब्रुक्स बाई. टी. एस. एस.

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2268/एक्यू रेंज/कल०/86-87—यतः मुझे, शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गरियाहट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का जो प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) द्वारा मुझे सम्प्रलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बी० के० प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) श्री गोपाल व्यास एवं अन्य।

(अन्तरिती)

**जहां यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।**

**उक्त सम्पत्ति में अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

प्लाट नम्बर 7सी, आठतल्ला, प्रेमिसेस नम्बर 18/2, गारिया-हट रोड़, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

फ्रॉर्म आई. टी. पी. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2269/एक्यू० आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 24/डी है तथा जो देशप्रिय पार्क, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० अलीपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करना या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुधिर चन्द्र चक्रवर्ती (अन्तरक)

(2) श्री पुरानी बागचि (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है;

**अनुसूची**

3 कट्ठा 8 छटांक वर्गफुट जमीन प्रेमिसेस नम्बर 24/डी, देशप्रिय पार्क, कलकत्ता, स० र० अलिपुर में 31-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

दलील संख्या—7689

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

**प्रारूप आई. टी. एस. एस.----**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निदेश सं० 2270/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

दोमंजिला मकान सं० 12ए है तथा जो अमिता बनर्जी रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मनिकलाल मुखर्जी व अन्य

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रेखा अगरवाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या हितसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

दोमंजिला पक्का बाड़ी 3 कट्टा 7 छटांक 12 वर्ग फीट जमीन का उपर प्रेमिसेस नम्बर 12-ए, अमिता बनर्जी रोड, कलकत्ता-26 सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्री हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

**फार्म आई.टी.एन.एस.-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2271/एक्यू० आर-3/कल०/85-86—यतः, मुझे, शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 52ए है तथा जो प्रमुनाथ पंडित स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन चकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बेसील डाईसिंग कारपोरेशन

(अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र कुमार खेतान एवं अन्य

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

प्लाट नम्बर 1सी, दीतला पेमिसेस नम्बर 52ए, प्रमुनाथ पंडित स्ट्रीट, कलकत्ता, 1314 वर्गफुट, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 18-4-86

मोहर ।

हस्त बार्ड एस.एस.----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निर्देश सं० 2272/एकु आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे शेख नईमुद्दीन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 1,00,000 रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 224, 224/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-8-85

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का** पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती **(अन्तरितीतों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख)** ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) **के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मैं० वी० के० ठक्करड़ प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
(अन्तरक)

(2) मसर्स कलकत्ता इलैक्ट्रानिक्स एण्ड मशीनरी कं०
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर-ई, नयातला, 2099 वर्गफुट, 224, 224/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख से रजिस्ट्री हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-86
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2273/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः, मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 30/1 है तथा जो लान्सडाउन रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 14-8-86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर धनकर अधिनियम, 19 57 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दमशेन आर० स्वदेशी (अन्तरक)

(2) सुमनबेन पारिख एवं अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर 43, 1279 वर्गफुट पावनशा, प्रेमिसेस नम्बर 30/1, लान्सडाईन रोड, कलकत्ता सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज.III, कलकत्ता

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2274/एक्यू आर०-3/कल०/86-87—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2/5 है तथा जो सरद बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सामसेन डेवलपमेंट्स प्रा० लिमिटेड ।
(अन्तरक)

(2) मीना गुप्ता एवं अन्य ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर डी/1, निनयला, प्रेमिसेस नम्बर, 2/5, सरत बोस रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख से रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2275/एसयू आर-3/कल०/86-87--यतः मुझे, शेख नईमुद्दीन
आयकर अधिनियम, 1961 (1861 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 224, 224/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, एवं 65 बालीगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी से, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मै० वी० के० ठक्कर प्रापरटीज प्राईवेट लिमिटेड।
(अन्तरक)

(2) मै०एच० जी० हलाई, मै ज्योती हलाई
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट-डी, पांचतल्ला, 932 वर्गफुट 224, 224/1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड एवं 65, बालीगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-86
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2276/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 48 है तथा जो काली टेम्पल रोड, कलकत्ता स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मास्टर बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) प्रेम गुलाडी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट नम्बर 4सी, 1187 वर्गफुट, 48, कालीटेम्पल रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

**प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2277/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः मुझे, शेख नईमुद्दीन

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गारीयहाट रोड, कलकत्ता स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-85

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—**

(1) बी० के० प्रापरटीज प्राईवेट लिमिटेड

(अन्तरक)

(2) जाइंट प्लानी कमेटी ।

(अन्तरिती)

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

**उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर 3ई चारतला, 1547 वर्ग फुट, प्रेमिसेज नम्बर 18/2, गारीयहाट रोड कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 19-4-86

मोहर :

प्रकाश कार्ड्स (प्रा) लि. एवं अन्य

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल 1986

निर्देश सं० 2278/एक्यू आर-3/कल०/86-87—यतः मुझे, शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गरियाहाट सरकुलर रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सक्षम प्राधिकारी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-86

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, पूर्वोक्त दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) को ऐसे अन्तरण की लिए तय किया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी अन्य आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बी० के० प्रापरटीज प्राईवेट लिमिटेड।

(अन्तरक)

(2) कुनाल मित्रा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर-4-एफ, पालिताना, प्रेमिसेस नम्बर—18/2, गरियाहाट रोड, कलकत्ता सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता-16

तारीख : 18-4-86
मोहर :

फ्रारम नं० टी, एस० एच०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निदेश सं० 2279/ अर्जन रेंज-III/ कलकत्ता/86-87—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गरियाहट रोड़, कलकत्ता में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1986

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1) श्री एस० के० श्रीवास्तवा एवं अन्य ।

(अन्तरक)

2) बी०के० प्रापर्टीज लि० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट नं० 5ए, छः तल्ला, प्रामिसेस नं० 18/2, गरियाहाट रोड, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निदेश सं० 2280/ अर्जन रेंज- / कलकत्ता/85-86—अतः मुझे शेख नईमुद्दीन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18/2 है तथा जो गरियाहाट रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मीके प्रापर्टीज लि०।

(अन्तरक)

(2) जयते प्लान्ट कंनिटि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 6ई, भान तल्ला, 1599 वर्ग फुट, प्रामिसेज नं० 18/2, गरियाहाट रोड, कलकत्ता सक्षम प्राधिकारी के पास, 14-8-85 को तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निदेश सं० 2281/ अर्जन रेंज-III/कलकत्ता/ 85-86—अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 40/20 है तथा जो मुर ऐ मेनिइ, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) माया मोदक एवं अन्य ।

(अन्तरक)

(2) माधर पुस्तकालय ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दोतला फ्लाट, 937 वर्ग फुट, प्रामिसेस नं० 40/20 मुर एमेनिइ, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-85 को रजिस्ट्रीकरण हुआ ।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

प्रकम आई. टी. एच. एच./----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 18 अप्रैल, 1986

निदेश सं० 2282/ अर्जन रेंज-III/ 85-86— अतः मुझे, शेख नईमुद्दीन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य

1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 118 है तथा जो डाक्टर मेघनाथ साहा, सरीन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-8-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अवमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके अवमान प्रतिफल से, ऐसे अवमान प्रतिफल का सम्यक् प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) रतन देवी जैन।

(अन्तरक)

(2) चन्दा देवी सारोन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट नं० 3ए, प्रामिसेज नं० 118 डाक्टर, मेघनाथ साहा सरीन, कलकत्ता, सक्षम प्राधिकारी के पास 14-8-1985 तारीख में रजिस्ट्रीकरण हुआ है।

शेख नईमुद्दीन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 18-4-1986
मोहर :

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st May 1986

F. No. 44/86/SCA(General).—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended) the Hon'ble Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, May 12, 1986 to Saturday, July 12, 1986 (both days inclusive) and will reopen on Monday, July 14, 1986.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended) the Hon'ble Chief Justice of India has nominated Hon'ble Mr. Justice Sabyasachi Mukharji and Hon'ble Mr. Justice G. L. Oza to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under the above Rules may be heard by a Judge sitting singly, during the period shown against their names below :—

Hon'ble Mr. Justice Sabyasachi Mukharji from May 12 to June 10, 1986

Hon'ble Mr. Justice G. L. Oza from June 11 to July 13, 1986

Hon'ble Mr. Justice Sabyasachi Mukharji will sit in the Court on Mondays, May 19 and June 2, 1986 and Hon'ble Mr. Justice G. L. Oza will in the Court on Mondays, June 16 and June 30, 1986. Sitting will, however, continue on the following working day if matters fixed for any day are not finished on that day.

During Summer Vacation, the offices of the Court will remain open daily from 10.00 a.m. to 4.30 p.m. except on Saturdays, holidays and Sundays. The Offices of the Court will however, remain open on Saturday, July 12, 1986 from 10.00 a.m. to 1.00 p.m.

A. N. OBERAI
Registrar
Supreme Court of India

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 011, the 6th March 1986

No. A.38013/4/85-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri Rajinder Singh, a permanent Assistant and officiating Desk Officer (adhoc) of the CSS cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of the 28th February, 1986 in terms of Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 33/12/73-Ests(A) dated the 24th November, 1973.

The 15th April 1986

No. A.35014/3/85-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri N. S. Venkataraman, Junior Accounts Officer of the office of Union Public Service Commission to the post of Accounts Officer (Group 'B' in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200) in the Commission's office wef the 15th April, 1986 until further orders, on promotion basis.

The 30th April 1986

No. A.38012/1/85-Admn.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri M. L. Dhawan, a permanent Superintendent (Holl) and officiating at Manager (DP) has relinquished the charge of the office of the Manager (DP) in the office of the Union Public Service Commission wef the afternoon of 30-4-1986.

M. P. JAIN
Under Secy (Admn.)
Union Service Public Commission

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

A.D.I. Section

New-Delhi, the 30th April, 1986

No A.31016/3/85-AD.I.(DPC)—The President is pleased to appoint the following officiating Superintendents of Police, Central Bureau of Investigation Special Police Establishment as Superintendents of Police in a substantive capacity with effect from the dates shown against their names :—

| Name | Date from which confirmed |
|---|---|
| 1. Shri R. N. Kaul | 31-3-84 |
| 2. Shri D. Bagchi | 3-5-84 |
| 3. Shri Murarilal | 3-5-86 |
| 4. Shri A. K. Majumdar | 3-5-84 |

D. P. BHALLA
Administrative Officer(E)/CBI

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st May 1986

No. 18/4/86-Adm.II.—Shri M. V. Narsimha Reddy, an Inspector from Andhra Pradesh Police, is appointed as Deputy Superintendent of Police (Instructor) on deputation in the Central Detective Training School, Hyderabad with effect from 31st January, 1986 (AN) for a period of one year in the first instance.

The 2nd May 1986

No. 18/7/86-Adm.II.—Shri Triloki Nath, Assistant News Editor on being relieved from the News Service Division, All India Radio, New Delhi has taken over charge of his duties on the forenoon of 10th March, 1986, as Editor, Indian Police Journal in the Bureau of Police Research and Development in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.

S. K. MALLIK
Director General

New Delhi-110003, the 30th April 1986

No. D.I.17/86-Estt.I.—The services of Shri P. N. Ramakrishnan, Additional Deputy Inspector General of Police, Group Centre, CRPF Gandhi Nagar, are placed at the disposal of Oil and Natural Gas Commission on deputation basis with effect from the afternoon of 25th March, 1986.

No. O.II.2145/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. N. Sreenivasulu as Generaly Duty Officer, Grade-II, (Deputy Supdt. of Police/Coy Commander) in the Central Reserve Police Force in the temporary capacity with effect from the forenoon of 27th March, 1986, till further orders.

No. O.II.2196/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) S. Sujatha as General Duty Officer, Grade-II, (Deputy Superintendent of Police/Coy Commander) in the Central Reserve Police Force in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th April, 1986, till further orders.

No. O.II.2197/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. T. Prabhakara Rao as General Duty Officer, Grade-II (Deputy Superintendent of Police/Coy Commander) in the Central Reserve Police Force in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12th April, 1986, till further orders.

No. O.II.2198/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. Pulok Kumar Ghosh, as General Duty Officer, Grade-II (Deputy Supdt. of Police/Coy Commander) in the Central Reserve Police Force in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th April, 1986, till further orders.

No. O.II.2199/86-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. K. Seetharama Raju as General Duty Officer, Grade-II (Deputy Superintendent of Police/Coy Commander) in the CRPF in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21st April, 1986, till further orders.

D. D. GUPTA
Dy. Director (Estt.)

New Delhi, the 25th April 1986

No. O.II-1819/83-Estt.I.—The Government of India, MHA have accorded approval for extension of deputation period in respect of Dr. (Mrs.) Bina Pani Rath, GDO Grade-II on deputation from Government of Mizoram to the CRPF for further period of one year with effect from the forenoon of 10th March, 1986 on the existing terms and conditions.

ASHOK RAJ MAHEEPATHI
Asstt. Director (Estt.)

## DIRECTORATE GENERAL
## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 24th April 1986

No. E-16016(1)/1/85-Pers.I.—On transfer on deputation Shri K. B. Mathur, Audit Officer, Office of the Director of Audit, Central Revenues-I, New Delhi, assumed the charge of the post of Asstt. Director (Accounts) in the Directorate General, CISF, New Delhi with effect from the afternoon of 14th April, 1986.

The 30th April 1986

No. E-16013(2)/40/84-Pers.I.—On appointment on deputation, Shri K. K. Das, IPS (WB : 69) has assumed charge of the post of Commandant, CISF Unit, ASP, Durgapur with effect from the afternoon of 16th April, 1986.

Sd/- Illegible
Director General/CISF

## MINISTRY OF FINANCE
## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
## BANK NOTE PRESS

Dewas (MP), the 25th April 1986

No. BNP/C/5/86.—Shri G. R. Thakoor, a permanent Deputy Technical Officer (Ink Factory) is appointed to officiate on regular basis, as Technical Officer (Ink-Factory), in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-40-1200 (Group 'B' Gazetted), in the Bank Note Press, Dewas (MP), w.e.f. 1-3-86 (FN) until further orders.

F. No. BNP/C/5/86.—In continuation of this office's notification No. BNP/C/5/85 dated 22-9-85, Shri P. V. Verghese, Sectional Officer (Accounts) is appointed to officiate on regular basis as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 (Group B Gazetted) in the Bank Note Press, Dewas (MP), wef 9-11-85 (FN) until further orders.

No. BNP/C/5/86.—The following Deputy Works Engineers of Workshop are appointed to officiate on regular basis as Asstt. Engineers in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (Group 'B' Gazetted) in the Bank Note Press, Dewas (M. P.), w.e.f. 1-3-86 (FN) until further orders.

| S. No. | Name of the Officer | Post against which appointed to officiate on regular basis |
|---|---|---|
| | S/Shri | |
| 1. | A. K. Chouhan | Asstt. Engineer (Electrical) |
| 2. | Rambriksha (SC) | Asstt. Engineer (Mechanical |
| 3. | R. N. Thakur (ST) | Asstt. Engineer (Air Conditioning) |
| 4. | K. K. Garg | Asstt. Engineer (Civil) |

The 27th April 1986

F. No. BNP/C/5/86.—The following Deputy Technical Officers of Printing and Platemaking Sections are appointed to officiate on regular basis as Technical Officer (Printing & Platemaking), in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (Group 'B' Gazetted) in the Bank Note Press, Dewas (M.P.) w.e.f. 1-3-86 (Forenoon) until further orders.

S/Shri
1. S. K. Shukla
2. R. K. Ghoshal
3. H. S. Ronad
4. S. P. Phulkar
5. M. C. Koshy
6. C. S. Ranade
7. R. S. Gopalan

M. V. CHAR
General Manager

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
## OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT CENTRAL REVENUES-I

New Delhi, the 29th April 1986

No. Admn.I/O.O. No. 27.—The Director of Audit, Central Revenues-I, hereby appoints Shri K. K. Malik an officiating Audit Officer of this office, in a substantive capacity against a permanent post of Audit Officer in the time scale of Rs. 840—1200 with effect from 1-10-1984.

The 2nd May 1986

No. Admn.I/O.O. No. 31.—The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the undermentioned permanent Section Officers (Now Asstt. Audit Officers) of this office to officiate as Audit Officers in the scale of Rs. 840—1200 with effect from the forenoon of 29th April 1986 until further orders.

(1) Shri Harisaran Saraswat.

(2) Shri Amlendu Chakravorty.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Director of Audit (Admn.)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. Admn.I/8-132/86-87/23.—The Accountant General (Audit)-I, A.P. Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officer to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from the date noted against him until further orders.

*Name and Date of assumption of charge*

1. Sri R. Padmanabha Rao—25-4-1986 AN.

The promotion ordered above is without prejudice to the claims of his seniors if any and is also subject to the result of the writ petitions pending in the A.P. High Court/Supreme Court. He should exercise the option within one month of the date of promotion in terms of Govt. of India O.M. No. F.7/1/80-Estt. (Pt.I) dated 26-9-1981.

Sd./- ILLEGIBLE
Senior Deputy Accountant General
Administration

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) KERALA

Trivandrum, the 30th April 1986

No. Entt. & Cash/1/10-3/86-87/26.—Shri K. Janardhanan Pillai, Assistant Audit Officer of the Office of the Accountant

General (Audit), Kerala, Trivandrum retired from Government service on superannuation on 31-3-1986 A.N.

V. LAKSHMI NARAYANAN
Accountant General (Audit)
Kerala, Trivandrum

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL AUDIT-I MADHYA PRADESH

Gwalior, the 29th April, 1986

No. Admn. XI/Gr.I/Promotion/AO19/17 - The Accountant General (Audit) I Madhya Pradesh, Gwalior has been pleased to promote the following Asstt. Audit Officers as Audit Officers in the officiating capacity in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from thet dates of their taking over as noted against them.

| S. No. | Name | Permanent No. 01/ | Date of taking over/date of promotion |
|---|---|---|---|
| | S/Shri | | |
| 1. | Joginder Singh | 373 | 29-1 86 A.N. |
| 2. | M. M. Deshpande | 387 | 30-1-86 F. N. |
| 3. | C. P. Banga | 354 | 29-1-86 F. N. |
| 4. | S. C. Gupta | 357 | 5-2-86 F.N. |
| 5 | S. Y Bhandakar | 356 | 30-1-86 F. N. |
| 6 | S. Sen. | 367 | 29-1-86 F.N. |
| 7. | K V. Phadke | 358 | 29-1-86 F.N. |
| 8. | T. N. Sharma | 370 | 5-2-86 F. N. (Proforma Promotion under N. B. R.) |
| 9. | C. N. Shrivastava | 375 | 5-2-86 F.N. |
| 10. | M. C. Dube | 369 | 26-2-86 F. N. |
| 11. | S. K. Nath | 376 | 26-2-86 F.N |
| 12. | B. K. Saxena | 371 | 26-2-86 F.N |

(Authority : A. G. (Audit) : I.M.P. Orders dated 29-1-86 & 26-2-86).

M. DEENA DAYALA
Dy. Accountant Gen./(Admn.

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) WEST BENGAL

Calcutta-700 001, the 21st April 1986

No. Admn.I/1038-XXI/6.—The Accountant General (A&E), West Bengal, has been pleased to appoint on ad-hoc and provisional basis Shri Parimal Kumar Chakraborty, Permanent Section Officer to officiate as Accounts Officer in temporary and officiating capacity with effect from 1-4-86 (FN) or the date on which he actually takes over charge thereafter as Accounts Officer in this office whichever is later and until further orders.

The Accountant General (A&E) has also been pleased to grant S/Shri Gouranga Bhattacharya and Nabagopal Chatterjee, permanent Section Officers on deputation to Calcutta Metropolitan Development Authority, Calcutta, proforma promotion on ad hoc and provisional basis in the scale of Rs. 840—1200/- in temporary and officiating capacity with effect from 24-12-85 (AN) i.e. the date on which their immediate juniors S/Shri Arun Mohan Chakraborty and Dinabandhu Mukherjee I take over charge as Accounts Officers in this office and until further orders. All the conditions precedent to the grant of promotion under the "Next Below Rule" stand fulfilled in this case and the Accountant General (A&E), West Bengal has been pleased to declare the posts held by S/Shri Bhattacharya and Chatterjee on deputation, to be outside the ordinary line of service under the second proviso to FR 30(1).

It should be clearly understood that the aforesaid promotions in the cadre of Accounts Officer are purely provisional during pendency of the Rule in the Calcutta High Court case and will subject to final decision of the Court case filed against the Union of India and others under C.R. case No. 14818(W) of 1979.

The newly promoted Accounts Officer will have to exercise option within one month. On their promotions their pay shall be first fixed under FR 22C and in case they exercise option in terms of para 2(b) of OM dated 26-9-81 within the prescribed period of one month, their pay should be first fixed under RR 22(a)(i) with effect from the date of their promotion and then under FR 22C only with effect from the date of next increment in the feeder post.

D. MISRA
Senior Deputy Accountant General
(Administration)
West Bengal

## MINISTRY OF COMMERCE

## OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 25th April 1986

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1444/83-Admn(G).—On attaining the age of superannuation Shri L. P. Ghate, Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May 1985.

No. 6/1378/82-Admn(G)2600.—On attaining the age of superannuation Shri M. D. Dholakia, Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July 1984.

No. 6/1464/84-Admn(G) 2607.—On attaining the age of superannuation Shri R. J. Manerikar, Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September 1985.

No. 6/1460/84-Admn(G) 2644.—On attaining the age of superannuation Shri S. L. Sonawane, Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March 1984.

No. 6/1461/84-Admn(G) 2621.—On attaining the age of superannuation Shri K. R. Nakhwa, Controller of Imports & Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July 1985.

SHANKAR CHAND
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
*for* Chief Controller of Imports & Exports

## MINISTRY OF TEXTILES

## (DEPARTMENT OF TEXTILES) OFFICE OF THE TEXTILE CCOMISSIONER

Bombay-20, the 29th April, 1986

No. CER/5/86-CLR.—In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (I) of clause 24 of Textiles Control) Order, 1986, I hereby authorise each of the officers in the the office of the Textile Commissioner specified in Column 3 of the Table appended to this Notification, to discharge on my behalf the functions and powers of the Textile Commissioner under the clause or clauses of the said order specified in the corresponding entry in column 2 of that table :

| S. No. | Clauses | Designation of the Officers |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Clause 4(1) (4) 6(1) and 7 | Directors, Senior Enforcement Officer, Deputy Directors Assistant Directors and Assistant Enforcement Officers at the Headquarters and in the Regional Offices. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Clause 8 | Directors, Senior Enforcement Officer, Deputy Directors, Assistant Directors and Assistant Enforcement Officers at the Headquarters. |
| 3. | Clause 15 | Directors and Senior Enforcement Officer in the Headquarters and in the Regional Offices. |
| 4. | Clause 16(1)(a) (b) and (e)<br>Clause 16(2) and Clause 16(4) | Directors and Senior Edforcement Officer in the Headquarters. |
| 5. | Clause 18(1) | Directors, Senior Enforcement Officer and Deputy Directors in the headquarters. |
| 6. | Clause 20 . . | Directors, Senior Enforcement Officer, Deputy Directors, Assistant Directors, Assistant Enforcement officers Enforceement Inspectors and Technidcal Investigators at the Headquarters and in the Regional Offices. |
| 7. | Clause 21(1) | (i) Directors, Senior Enforcement Officer, Deputy Directors, Assistant Directors, Assistant Enforcement Officers, Enforcement Inspectors and Technical Investigators at the headquarters,<br>(ii) All Officers in the Regional Offices of the Textile Commissioner not below the rank of Technical Investigators within the jurisdiction of their offices to which they are posted. |
| 8. | Clause 22 | Directors, Senior Enforcement Officer, Deputy Directors, Assistant Directors and Assistant Enforcement officers in the Headquarters and in the Regional Offices. |
| 9. | Clause 23 | Directors and Senior Enforcement Officer at Headquarters. |

ARUN KUMAR
Textile Commissioner

## OFFICE OF THE CONTROLLER-GENERAL
## PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS

Bombay-400 020, the 23rd April 1986

No. CG/F/14/7(13)(Patents)/86/159.—Shri K. C. Vaghri is hereby appointed in a substantive capacity in the post of Examiner of Patents and Designs in the Patent Office with effect from 6-8-1984.

No. CG/F/14/7(13)(Patents)/86/160.—Shri M. A. Hafeez is hereby appointed in a substantive capacity in the post of Examiner of Patents and Designs in the Patent Office with effect from 23-6-1982.

No. CG/F/14/7(13)Patents/85/161.—Consequent to the reversion of Shri D. K. Roychoudhury to the post of Assistant Controller of Patents and Designs Shri S. Chandrasekaran has relinquished charge of the post of Assistant Controller of Patents and Designs in the Patent Office Branch, Bombay with effect from afternoon 2-12-1985 and assumed charge as Examiner of Patents and Designs in the same office with effect from 3-12-1985.

No. CG/F/14/7(13)(Patents)/86/162.—Shri N. K. Garg is hereby appointed in a substantive capacity in the post of Examiner of Patents and Designs in the Patent Office with effect from 26-4-1982.

No. CG/F/14/7(13)(Patents)/86/163.—Shri K. S. Kardam is hereby appointed in a substantive capacity in the post of Examiner of Patents and Designs in the Patent Office with effect from 27-12-1984.

No. CG/F/14/7(13)P.I.S./86/164.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Krishnan as Administrative Officer, (Group "A" Gazetted) in the pay scale of Rs. 700—1300 on deputation basis with effect from 18-12-1985 F.N. in the Patent Information System, Nagpur.

No. CG/F/14/7(13)(Patents)/86/165.—Shri K. Venugopal is hereby appointed in a substantive capacity in the post of Examiner of Patents and Designs in the Patent Office with effect from 28-1-1983.

R. A. ACHARYA
Controller General
Patents, Designs and Trade Marks

## ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
## (KHAN VIBHAG)
## GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 24th March 1986

No. 1993B/A-32013(4-Driller)/83-19B.—The following officers of the Geological Survey of India are appointed on promotion to the post of Driller in the G.S.I. by the Director General, G.S.I. on pay according to rules in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- in an officiating capacity with effect from the date mentioned against each until further orders.

*Sl. No. and Date of joining*

1. Sri C. M. E. Oliveria, STA (Drilling)—30-1-86 (FN).
2. Sri V. C. Cheriyan, STA (Drilling)—30-1-86 (FN).

The 29th April 1986

No. 2566B/A-19012(JSA)/84-19A.— No. A-19012(JSA)/84-19A.—Shri J. S. Ahuja, Administrative Officer, Geological Survey of India retired from Government Service voluntarily with effect from 31-1-86 (A.N.).

A. KUSHARI
Director (Personnel)

## INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 1st May 1986

No. A-19012(223)/86-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri A. Francis, Store Keeper (Tech) Gd. II, Indian Bureau of Mines has been promoted to officiate in the post of Assistant Store

Officer in the Indian Bureau of Mines w.e.f. 21st March 1986. (F.N.).

P. P. WADHI
Administrative Officer,
*for* Controller General,
Indian Bureau of Mines

---

## ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 30th April 1986

No. F.30-47/85-Estt./7398.—Smt. Rema Devi Karunakaran is hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group B) in the scale of Rs. 650—1200 in the Western Regional Station, Zoological Survey of India, Poona, in a temporary capacity with effect from 8th April 1986 (FN), until further orders.

DR. B. K. TIKADER
Director,
Zoological Survey of India

---

## DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 16th April 1986

No. 4/9/83-S.II.—In continuation of the Directorate General, All India Radio's notification No. 4/9/83-S.II, dated the 9th January 1985, Director General, All India Radio, is pleased to extend the appointment of Shri D. P. Sharma, Senior Hindi Translator, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi and at present working as Hindi Officer, on deputation in the pay-scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on ad-hoc basis for a further period of one year beyond 26-12-1985 till further orders.

MOHAN FRANCIS
Dy. Director of Administration
*for* Director General

---

New Delhi-1, the 2nd May 1986

No. 6(71)/63-SI(Vol.III).—Shri V. A. Vijayasarthy, Programme Executive, All India Radio, Pondicherry retired voluntarily from Govt. service with effect from the forenoon of 1st October 1985.

I. L. BHATIA
Dy. Director of Administration (WL)
*for* Director General

---

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
(M. H. SECTION)

New Delhi, the 30th April 1986

No. A.12026/18/85-MH.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Nand Lal Jaisal, Health Educator to the post of Health Education Officer in Safdarjang Hospital, New Delhi on ad hoc basis, w.e.f. 21-2-1986 (FN) for an initial period of six months or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier.

P. N. THAKUR
Dy. Director Administration (CGHS-I)



## DIRECTORATE OF OILSEEDS DEVELOPMENT

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVEMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

Hyderabad-500 029, the 2nd April 1986

No. F.8-5/85-Estt.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the Director, Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad is pleased to appoint Shri Ramdhani Ram, to the post of Hindi-cum-Publicity Officer (Group 'B' Gazetted) in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad on temporary basis in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 w.e.f. 24-3-1986 F.N. and until further orders. He will be on probation for a period of 2 years from 24-3-86. He will draw pay and allowances as admissible under the rules.

M. D. WASNIK
Director

---

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
## DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 28th April 1986

Ref. No. DPS/41/18/85-Adm./2303.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri A. P. Mavani, a permanent Jr. Purchase Assistant and officiating Purchase Assistant to officiate as an Asstt. Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 from 3-3-1986 (FN) to 5-4-1986 (AN) in the same Directorate vice Shri A. H. Sadarangani Asstt., Purchase Officer granted leave. While so officiating his pay will be fixed under normal rules effecting a token deduction of Re. 1/-.

The 29th April 1986

No. DPS/28/1(1)/85-Adm./2309.—Consequent on his attaining the age of superannuation Shri N. John Johny, Asstt. Stores Officer, Central Stores Unit in this Directorate has retired from Government service with effect from 31st March 1986 (AN).

No. DPS/2/1(11)/83-Adm./2314.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri N. B. Nadkarni, a permanent Storekeeper to officiate as a Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 1, 1986, until further orders in the same Directorate.

The 30th April 1986

No. Ref. No. DPS/41/3/85-Adm./2324.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Abdul Sattar Haider Shaikh, a permanent Assistant Accountant to officiate as an Assistant Accounts Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 from 14-2-1986 (FN) to 22-3-1986 (AN) in the same Directorate vice Shri L. Unnikrishnan, Assistant Accounts Officer promoted as Accounts Officer-II (ad-hoc).

B. G. KULKARNI
Administrative Officer

---

## NUCLEAR FUEL COMPLEX

New Delhi, the 28th April 1986

No. NFC/PAR/0704/728.—Deputy Chief Executive (A), NFC appoints Shri M. M. Rasool, Selection Grade Clerk, to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 on ad hoc basis from 28-4-1986 to 14-6-1986 or until further orders whichever is earlier.

G. G. KULKARNI
Manager, Personnel & Admn.

## HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 30th April 1986

Ref. No. 05012/R2/1766.—Chief Executive, Heavy Water Projects appoints Shri Dalpatbhai Bhagwanji Barot, Upper Division Clerk, Nuclear Power Board, Bombay to officiate as Assistant Personnel Officer in Heavy Water Plant (Baroda) w.e.f. January 30, 1986 (AN) until further orders.

SMT. K. P. KALLYANIKUTTY
Administrative Officer

## ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500016, the 30th April 1986

No. AMD-16/8/85-Rectt. 6694.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri J. K. Sharma, a permanent Upper Division Clerk and officiating Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an ad-hoc basis with effect from April 7, 1986 to June 6, 1986.

S. PADMANABHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st May 1986

No. A. 32013/1/83-EW.—The President is pleased to appoint Shri L. C. Gupta, Assistant Director (Eqpt.) on promotion to the grade of Deputy Director (Equipment), Civil Aviation Department for a further period from 5-4-1985 to 31-3-1986 on ad-hoc basis, or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. Shri L. C. Gupta is posted in the office of the Director General of Civil Aviation, R. K. Puram, New Delhi.

VED PRAKASH
Dy. Director of Administration
*for* Director General of Civil Aviation

New Delhi, the 28th April 1986

No. A. 12025/1/84-ES.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sudipta Dutta to officiate as Airworthiness Officer in the scale of Rs. 700-1300/- with effect from 27-2-1986 (F/N) until further orders.

Shri Sudipta Dutta is posted in the O/o the Director of Airworthiness, Calcutta Airport, Calcutta.

No. A. 12025/1/84-ES.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to apoint Shri Babu Lal to officiate as Airworthiness Officer in the scale of pay of Rs. 700-1300/- with effect from 18-2-1986 (F/N) until further orders.

Shri Babu Lal is posted in the O/o the Director of Airworthiness, Civil Aviation Deptt., Calcutta Airport, Calcutta.

M. BHATTACHARJEE
Dy. Director of Administration

## OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 31st March 1986

No. 1/564/86-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. Gopalan, Supervisor, Madras Branch as Dy. Traffic Manager, in an officiating capacity in the same branch for the period from 25-11-85 to 14-12-85 (both days inclusive) against a short term vacancy.

R. K. THAKKER
Dy. Director (Admn.)
*for* Director General

## OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Vadodara, 25th April 1986

No. 14/86.—Shri H. Chand, Engineer Workshop Megdalla of Customs Surat has retired on attaining the age of Superannuation in the afternoon of 31-3-86.

A. M. SINHA
Collector

## CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110066, the 25th April 1986

No. A-19012/1145/85-Estt. V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Samir Kumar Das, Supervisor to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer (Engg) on a purely temporary and ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier with effect from the afternoon of 31-12-1985.

MEENAKSHI ARORA
Under Secy.
Central Water Commission

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS

## CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 30th April 1986

No. 1/428/69-EC IX.—Shri J. P. Verma, Senior Architect of this Department retires from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 1986.

PRITHVI PAL SINGH
Dy. Director of Administration-I

New Delhi, the 2nd May 1986

No. 32/3/85-ECII.—On attaining the age of superannuation the following officers of the CPWD belonging to the CES Gr. A and CE & MES Group A and working as EE(C) and EE(E) in the officers mentioned against each have retired from Govt. service with effect from the dates indicated agaisnt their names:—

| S. No. | Name of the Officer | Date of Retirement | Last posting station and designation |
|---|---|---|---|
| | S/Shri | | |
| 1. | R. K. Malhotra | 30-4-86 (AN) | EE(E) Dadun Project, CPWD, Divn., Dehradun. |
| 2. | K. L. Dhamija | 30-4-86 (AN) | EE(E) SW(E)V, CPWD O/O the CE(E), New Delhi |
| 3. | G. G. Shewaramani, | 30-4-86 (AN) | EE(C) 'P' Divn., CPWD, New Delhi. |
| 4. | Y. P. Wadhera | 30-4-86 (AN) | CEE(C) D.D.Training) CPWD, New Delhi. |

K. C. DEHURY
Dy. Dir. of Admn.
*For* Dir. Gen. (Works)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR

Original Jurisdiction

*In the matter of the Companies Act,* 1956

*and*

*In the matter of M/s. J. B. Switchgears Private Ltd.*

Company Petition No. 4 of 1983

The Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur — *Petitioner*

Jaipur, the 21st April 1986

*Notice of Winding-up Order*

By an order made by the High Court at Jaipur in the above matter, dated the 31st day of January, 1986 it was ordered that the above-named company be wound up under the provisions of the Companies Act, 1956.

TEJ BAHADUR MATHUR
Advocate for the Petitioner

---

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Srini Packaging Private Limited*

*Hyderabad*-1, *the* 8*nd May* VTRF

No. 3827/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Srini Packaging Privatt Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Bhagyanagar Tools & Fabricators Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 3425/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bhagyanagar Tools & Fabricators Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Bimcons Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 1280/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bimcons Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Pioneer Chits and Finance Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 2787/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Pioneer Chits and Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Hyderabad Textiles Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 2034/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Hyderabad Textiles Private Limited. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Labour Economic & Personnel Services Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 1697/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Labour Economic & Personnel Services Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Sofarim Chemical Process Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 2429/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sofarim Chemical Process Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act,* 1956 *and of M/s. Hotel Sagar View Private Limited*

Hyderabad, the 2nd May 1986

No. 1340/TA.III/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hotel Sagar View Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies
Andhra Pradesh
Hyderabad

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th April 1986

Ref. No. III-1284/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 199 M.S. Plot No. 706 H. No. 18 New H No. 814 Sub-Plot No. 706 situated at Village Chadri, P.S. Ranchi, District Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ranchi on 28-8-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sardar Ranjeet Singh,
Late Hari Chand Singh,
R/o Ratu Road, Ranchi,
P.S. Sukhdeo Nagar, District Ranchi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Prasad Singh,
S/o Late Mohabat Singh,
R/o Hali Town Kona, P.O. Haji Nagar,
P.S. Beejpur, District 24 Pargana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 katha 2 Chhataks with building at village Chadri P.S. Ranchi, District Ranchi and morefully described in deed No. 8884 dated 28-8-1985 registered with the District Sub-Registrar at Ranchi.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar Patna.

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna-800 001 the 14th April 1986

Ref. No. III-1285/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 199 M.S. Plot No. 706, Sub Plot No. 706/3, H. No. 18, Present H. No. 814 situated at Village Chadri P.S. & District Ranchi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Ranchi on 28-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sardar Ranjeet Singh,
Late Hari Chand Singh,
R/o Rutu Road, Ranchi,
P.S. Sukhdeo Nagar, District Ranchi.
(Transferor)

(2) Shri Abhay Kumar Singh,
S/o Ram Prasad Singh,
R/o Hali Town, Kons P.S. Beejpur,
District West Bengal, 24 Pargana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 katha 709 sq. ft with building situated at Village Chadri P.S. & District Ranchi and morefully described in deed No. 8881 dated 28-8-85 registered with the District Sub-Registrar Ranchi.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar Patna.

Date : 14-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th April 1986

Ref. No. III-1286/Acq/86-87.—Whereas, I,
DURGA PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 199 M.S. Plot No. 707 H. No. 19 New H. No. 815 stuated at Village Chadri P.S. & District Ranchi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ranchi on 28-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tejman S/o Manga Ram,
S/o Ratu Road, Krishna Nagar Colony, Ranchi,
P.S. Sukhdeo Nagar, District Ranchi.
(Transferor)

(2) Shri Binay Kumar Singh,
S/o Ram Prasad Singh,
R/o Hali Town Kona, P.S. Beejpur,
District 24 Pargana, West Bengal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 11 kari with building situated at Village Chadri P.S. & District Ranchi and morefully described in deed No. 8883 dated 28-8-1985 registered with the District Sub-Registrar Ranchi.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1986

Ref. No. ARIV/37EE/21559/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Land S. No. 176, H. No. 5(pt) C.T.S. No. 2501, 2502, 2503, 2505, Shiv Vallabh Road, Dahisar village, Borivli (East), Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. P. Builders. (Transferor)

(2) M/s. Nikhil Builders. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land S. No. 176, H. No. 5(pt.) C.T.S. No. 2501, 2502, 2503 & 2505, Shiv Vallabh Road, Dahisar Village, Borivli (East), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/215559/85-86 on 18-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1986

Ref. No. ARIV/37EE/21794/85-86.—Whereas, I. LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Property bearing S. No. 202 H. No. 1 S. No. 264, H. No. 2C (pt) S. No. 264 H. No. 6, C.T.S. No. 881 Ranchoddas Road, Dahisar (West), Bombay
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partis has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) M/s. Laxminarayan Constructions. (Transferor)

(2) M/s. Saibaba Developments. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing S. No. 262, 264 H. No. 6, 2c (pt) and C.T.S. No. 881 and 881-A of Ranchoddas Road, Dahisar (West), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/21794/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1986

Ref. No. ARIV/37EE/21545/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Shop Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,, 7 and 8 ground floor Cluster No. III Krishna at Shantivan, Borivli (East), Bombay-66.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

41—76 GI/86

(1) M/s. D. Doyal Builders and M/s Developers Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) M/s. National Leasing Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

THE SCHEDULE

Shop No. 1 to 8 ground floor cluster No. III Krishna Bldg. Shantivan, near National Park, Borivli (E), Bombay-66.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/21545/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1986

Ref. No. ARIV/37EE/21571/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, haing a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat No. 101 & 102, ground floor, Swami Vivkanand Road, Dahisar (East), Bombay-68. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that such transfer as agreed to between tl truly stated in the said instrument of ct of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. G. B. Construction. (Transferor)

(2) M/s. The Deccan Merchants Co-op. Bank Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101 & 102, ground floor, Nilesh Apartments, Swami Vivekanand Road, Dahisar (East), Bombay-68.
The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/21571/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 31st March 1986

Ref. No. ARIV/37EE/215221/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Piece of land bearing S. No. 185/3, 183/2, 183/3, 185/7-A Mahajan Estate, Ovripada Near Dahisar Police Station, (East), Bombay-68
'(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhaskar H. Mahajan. (Transferor)

(2) M/s. Kazi & Kazi Co. (Transferee)

(3) Transferor (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land lying at Village Dahisar (East) bearing S. No. 183/3, 183/2, 182/3, 183/3 and 185/7-A Mahajan Estate, Ovripada, Near Dahisar Police Station, Dahisar (E), Bombay-68.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under No. ARIV/37EE/21522/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS-1

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 14th April 1986

Rerf. No. AR.III/37EE/23477/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority, under Section 269A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.,
Plot No. 530 C.T.S. No. 1448 in Sub Scheme No. III, 12th Road, Chembur, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respest of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Shipora B. Abrahams. (Transferor)

(2) Mr. Ghanshyam Das Agarwal & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 530 C.T.S. No. 1448 in Sub : Scheme No. III, 12th Road, Chembur, Bombay

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/23477/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 14th April 1986

Ref. No. AR.III/37EE/23144/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
**being the Competent Authority under Section 269B of the** Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to **as the 'said Act'), have reason to believe that the im**movable property having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
B-13 Flat No. 197, Rajawadi Co-op. Hsg. Soc. Ltd Rajawadi, Ghatkopar, Bombay-400 077
**(and more fully described in the Schedule annexed hereto),** has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair **market value of the aforesaid property and I have reason to** believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more **than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—**

(1) Mrs. Nirmala Kantilal Mistry & Ors. (Transferor)

(2) (Dr.) Malti M. Shah & Ors. (Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later,**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

**EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

B-13, Flat No. 197, Rajawadi Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Rajawadi, Ghatkopar, Bombay-400 077.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37EE/23144/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, BOMBAY

Bombay, the 14th April 1986

Ref. No. AR.III/37EE/23314/85-86.—Whereas, I, LAXMAN DAS,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Bunglow No. 7 with open car parking space No. 5, Zenith Park, Farm Road, Deonar, Chembur, Bombay-409 072
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority
at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Zenith Enterprises. (Transferor)

(2) Mrs. Kalawanti L. Madan & Ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bunglow No. 7 with open car parking space No. 5 Zenith Park, Farm Road, Deonar, Chembur, Bombay-72.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. .AR.III/37EE/23314/85-86 on 1-8-1985.

LAXMAN DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Bombay

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 14th April 1986

Ref. No. AR.III/47.EE/23772/85-86.—Whereas, I, AKHILESH PRASAD,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reasons to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Shop No. 1, Gr. floor, Satnam Apartments,
Mulund (E), Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shah Bandelkar & Associates.
(Transferor)

(2) The North Kanera Goud Saswat Brahmin Co-op. Bank Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1, Ground Fl. 'Satnam Apartments, Mulund (East), Bombay.
The agreement has been rtgistered by the Competent Authority, Bombay under Sr. No. AR.III/37.EE/23772/85-86 dated 1-8-1985.

AKHILESH PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208-012, the 14th April 1986

Ref. No. K-495/85-86.—Whereas, I, H.R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 14/113 situated at Civil Lines, Kanpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi under registration No. 1205 dt. 14-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Upper India Chamber of Commerce
14/113 Civil Lines, Kanpur.
(Transferor)

(2) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd.
14/76 Civil Lines,
Kanpur.
(Transferee)

(3) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd.
14/76 Civil Lines,
Kanpur.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd.
14/76 Civil Lines,
Kanpur.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Open land at 14/113, Civil Line, Kanpur.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 14-4-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
*ACQUISITION RANGE*
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208-012, the 14th April 1986

Ref. No. K-333/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
land situated at Mouja Gengagaj Tehsil Kanpur Distt. Kanpur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur under registration No. 18175 dt. 31-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

34—56GI/86

(1) Shri Rakesh Kumar Gupta
S/o Shri Shyam Sunder Gupta
Secretary :—
R.S. Co-operative Housing Society Ltd.
117/106 K Block, Sarvodaya Nagar(
Kanpur.
(Transferor)

(2) Apni Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.
Kanpur, 117/1, N Block,
Kakadeo Kanpur.
(Transferee)

(3) Apni Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.,
Kanpur, 117/1, N Block,
Kakadeo Kanpur.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) Apni Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.,
Kanpur, 117/1, N Block,
Kakadeo Kanpur.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) By any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

As land at Mouja Gangagaj, Tehsil Kanpur, Distt. Kanpur.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM I.T.(S.)——

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LAJPAT PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Refft No. M-1078/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair arket value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 31, 38, 50, 110, 62, 59, 76, 151 and 115 situated at Salarpur Khadar, Dadri, Ghaziabad. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dadari under registration No. 7167 dated 29-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the faiar market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Susil Kant Chakravarti
S/o Shri Dharti Kant Chakravarti
W 111 A Greater Kailash-I,
New Delhi
(Transferor)

(2) Shri Subendra Kumar
S/o Shri Girdhari Lal
R/o 48/43 West Punjabi Bag,
New Delhi.
(Transferee)

(3) Shri Subendra Kumar
S/o Shri Girdhari Lal
R/o 48/43 West Punjabi Bag,
New Delhi.
(Person in occupation of the property)

(4) Shri Subendra Kumar,
S/o Shri Girdhari Lal
R/o 48/43 West Punjabi Bag,
New Delhi.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khata No. 31, 38, 50, 110, 62, 59, 76, 151 and 115
Salarpur, Khadar, Dadri, Ghaziabad.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. M-1074/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 132 situated at Pasonda Loni (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad under Regn. No. 33172 dated 14-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax und the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Filtion Materials (India) Pvt. Ltd.,
166A S.P. Mukherjee Marg
Delhi 6.
Through Shri Iqbal Singh Sait.
(Transferor)

(2) Shri Maharaj Kishan
S/o Late Lala Ishwar Chandra
R/o 20 Yamuna Marg
Civil Lines, Delhi.
(Transferee)

(3) Maharaj Kishan
S/o Late Lala Ishwar Chandra
R/o 20 Yamuna Marg
Civil Lines, Delhi.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) Maharaj Kishan
S/o Late Lala Ishwar Chandra
R/o 20 Yamuna Marg
Civil Lines, Delhi.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building No. 132, Village Pasonda, Loni, Ghaziabad.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. M-1076/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 490 situated at Daulatpura Loni
Gurgaon, Bombay-4
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad under Regn. No. 32969 dated 18-8-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following purpose, namely :—

(1) Smt. Satya Rani
W/o Shri Mangat Ram Deo
R/o 179 Turab Nagar, Ghaziabad.
(Transferor)

(2) Smt. Indira Rani
W/o Shri Vinod Kumar
R/o 3/43 Raj Nagar,
Ghaziabad.
(Transferee)

(3) Smt. Indira Rani
W/o Shri Vinod Kumar
R/o 3/43 Raj Nagar,
Ghaziabad.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) Smt. Indira Rani
W/o Shri Vinod Kumar
R/o 3/43 Raj Nagar,
Ghaziabad.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writng to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

490 Khasra No. 625, 623, 626 Daulatpura Loni, Ghaziabad.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-334/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2061 situated at Mawana Kalan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mawana under regn. No. 5124 dated 8-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jeetu
Moh. Munnalal Mawana Kalan,
Meerut.
(Transferor)

(2) Shiv Puri Sahkari Grah Niran Samiti Ltd.
Mawana ,
Through Shri Brij Mohan Sharma
Mohalla Munnalal,
Mawana, Meerut.
(Transferee)

(3) Shiv Puri Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd.
Mawana ,
Through Shri Brij Mohan Sharma
Mohalla Munnalal,
Mawana, Meerut.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) Shiv Puri Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd.
Mawana ,
Through Shri Brij Mohan Sharma
Mohalla Munnalal.
Mawana, Meerut.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khasara No. 2061 situated at Vill. Mawana Kala, Meerut.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-348/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 3-A situated at Laxmi Road, Dehradun
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun under regn. No. 7225 dated 23-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Man Mohan Singh,
Smt. Tejendra Shah Singh
2nd floor, Darcold
J. Mehta Road, Bombay. (Transferor)

(2) Shivam Commercial Services Ltd.
Lal Bagh, Lucknow
Through Shri Vineet Chandra
7/47, Tilak Marg, Kanpur. (Transferee)

(3) Shivam Commercial Services Ltd.
Lal Bagh, Lucknow
Through Shri Vineet Chandra
7/47, Tilak Marg, Kanpur.
[Person(s) in occupation of the property]

4) Shivam Commercial Service Ltd.
Lal Bagh, Lucknow
Through Shri Vineet Chandra
7/47, Tilak Marg, Kanpur.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this noice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 3-A (New No. II) Laxmi Road, Dehradun.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTIVE ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-365/85-86 -Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 3-A situated at Laxmi Road, Dehradun (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun under regn. No. 7180 dated 19-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Charanjeet Shah Singh,
Smt. Ramendra Shah Singh
3-A, Laxmi Road, Dehradun
(Transferor)

(2) The Tripati Service Ltd.
Through Ishwar Chandra,
Basant Vihar, New Delhi.
(Transferee)

(3) The Tripati Service Ltd.
Through Ishwar Chandra,
Basant Vihar, New Delhi.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) The Tripati Service Ltd.
Through Ishwar Chandra,
Basant Vihar, New Delhi.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 3-A (New No. 11) Laxmi Road, Dehradun.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-381/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 434 situated at Matuar, Daurala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardhana under registration No. 3983 dt. 13-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Jagdish, Dharampal, Ompal S/o Sri Tara Chand
Vill. Matuar, Dist Meerut. (Transferor)

(2) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Distt. Meerut. (Transferee)

(3) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Distt. Meerut.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Distt. Meerut.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khasara No. 434 Area 1-7057 Hectier situated at Vill. Matur Distt. Meerut.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-382/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 449 situated at Matuar, Daurala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred andregistered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardhana under registration No. 3957 dated 13-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

43—76 GI/86

(1) Shri Shiv Charan
S/o Shri Nyadar
Vill. Matuar, Distt. Meerut.
(Transferor)

(2) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Daurala Sugar Works
Daurala, Meerut.
(Transferee)

(3) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Daurala Sugar Works
Daurala, Meerut.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Daurala Sugar Works
Daurala, Meerut.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khasara No. 449 Area 0-8645 sq. mts. situated at Vill. Matuar Daurala, Distt. Meerut.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONEROF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

Ref. No. MD-383/85-86.—Whereas, I, H.R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 442 situated at Matuar, Daurala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardhana under registration No. 3938 dated 12-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of tht liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue o fthis notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Khacherua
S/o Shri Bhure
Matuar, Meerut.
(Transferor)

(1) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Meerut.
(Transferee)

(3) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Meerut.
[Person(s) in occupation of the property]

(4) D.C.M. Ltd.
Through Sri S. L. Gupta
General Manager,
Duarala Sugar Works
Daurala, Meerut.
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khasara No. 442 Area O-8985 Sq. Mts. Situated at Vill. Matuar, Daurala, Meerut.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 9-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
106/282, KANCHAN BHAWAN
GANDHI NAGAR OPP. LANIN PARK,
KANPUR-208 012

Kanpur-208 012, the 9th April 1986

No. MD-384/85-86.—Whereas, I, H. R. DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 421 situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and registered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sardhana under registration No. 3958 dated 13-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hukum Singh S/O Suraj Mal
Vill. Matuar-Daurala-Meerut.
(Transferor)

(2) D.C.M. Ltd. through Sri S. L. Gupta
General Manager Daurala Sugar Works,
Meerut.
(Transferee)

(3) —do—
(Person(s) in occupation of the property)

(4) —do—
(Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Khasara No. 421 Area 1-0133 Hacteir situated at Vill. Matuar-Distt. Daurala.

H. R. DAS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 9-4-85
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 7th April 1986

C.R. No. 62/48323/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 87A, TS No. 312-1, RS No. 228-1, situated at Kadri village, Mangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Mangalore on 26-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that he fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) Shri B. Sadashiva Rai,
Devi Kripa, Vas Lane,
Balmatta, Mangalore.

Transferor(s)

(2) Shri Mark V. Serrao,
Shiva Bagh Road,
Kadri, Mangalore.
repd. by Mr. Walter J. Salduha,
"Angelo Krupa", Kamannu,
Udupi Tq.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respect persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 774/85-86 dated 26-8-85]

Apartment No. Sq. bearing D. No. 15-9-487/11, II floor, of the "Kavitha Apartments" in No. 87A, Kadri village, Mangalore,TS No. 312-1, RS No. 228-1, No western portion.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 7-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 8th April 1986

C.R. No. 62/48374/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 1091, IX floor situated at Nos. 45 & 45/2, Palace Road, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Gandhinagar on 14-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the has not been truly stated in the said instrument of transfer the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. V. M. Ranjit Rao,
"Sirisha" Road, 5,
Banjara Hills,
Hyderabad.
Transferor(s)

(2) Mrs. Kundakathi Laxmi Devi
Kumar, 21, Cenotaph,
II Lane, Madras-18.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1412/85-86 dated 14-8-85]
Flat No. 1091 on IX floor, on Nos. 45 & 45/2, Palace Road, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 8th April 1986

C.R. No. 62/48357/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'stid Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 854, situated at Indiranagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Shivajinagar on 29-8-1985 for an apparent consideration which i less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between t. parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimathi R. Padma,
No. 9, Murugesh Mudaliar Road,
Frazer Town, Bangalore-5.
Transferor(s)

(2) Shri M. Fazlur Rahman,
No. 38, 'B' Cooks Road,
Bangalore-1.
Transferee(s)

(Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1643/85-86 dated 29-8-85]

Site No. 854, Indiranagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 7th April 1986

C.R. No. 62/48322/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. TS No. 312-1, RS No. 228-1, situated at Kadri village, Mangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Mangalore on 26-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealcent of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Sadashiva Rai,
Devi Kripa, Vas Lane,
Malmatta, Mangalore.

Transferor(s)

(2) Shri John B. Lobo,
P.A. holder of 1, Lawrence Charles D'Souza,
2. Shalini Janet D'Souza,
Kavitha Apartments,
Bendur, Mangalore.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi-Cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 773/85-86 dated 26-8-85]
Apartment No. FR 3, IV floor of Kavitha Apartments in No. 87A, Kadri village, Mangalore, TS No. 312-1, RS No. 228-1, North Western Portion, 809.40 Sq. Mtrs.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 7-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 8th April 1986

C.R. No. 62/48630/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 35 situated at Millers Cross Road, Benson Town, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at Gandhinagar under document No. 1765/85-86 on Sept 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimathi Acca Joseph
w/o Mr. C. A. Joseph
No. 35, Millers Cross Road,
Benson Town,
Bangalore-560046.

Transferor(s)

(2) Shrimathi Smita Shah
w/o Mr. Clay Kelton
No. 56, Palace Orchards,
Bangalore.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1765/85-86 dated Sept. 85]

All that property bearing No. 35 situated at Millers Road Cross Benson Town, Bangalore-46.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 7th April 1986

C.R. No. 62/48324/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
TS No. 312-1, RS No. 228-1, situated at Kadri village, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Mangalore on 26-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Sadashiva Rai,
Devi Kripa, Vas Lane,
Balmatta, Mangalore.

Transferor(s)

(2) Shri Mark U. Senrao,
Shiva Bagh Road,
Kadri, Mangalore,
repd. by Rita J. Goveal.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 775/85-86 dated 26-8-85]
Apartment No. G4, Ground floor, Kavitha Apartments, Kadri Village, Mangalore in TS No. 312-1, RS No. 228-1, North Western portion.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 7-4-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 8th April 1986

C.R. No. 62/48039/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
12/9/01, situated at IX Main, III Block, Jayanagar Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Jayanagar on 6-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market vaule of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of ;—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C o the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesair property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;—

(1) Shri G. R. Aswathanarayana,
General Motors,
Chamarajanagar-571313.

Transferor(s)

(2) Shri G. N. Shiva Shankar,
No. 12, IX Main,
III Block, Jayanagar,
Bangalore-11.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1146/85-86 dated 6-8-85]
Vacant site No. 12/9/01, at IX main, III Block, Jayanagar, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 8th April 1986

C.R. No. 62/49077/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
R.S. No. 506 -A, 361 T.S. No. 344-A, 346 situated at Kodialbail & Casba Bazaar village, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Mangalore under document No. 1224/85-86 on 15th November 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Narayana Aithal,
s/o Mr. Narasimha Aithal P.
No. 8, Salai Street,
Madras-600004.
Transferor(s)

(2) Shri T. A. Abdul Rahiman
s/o T. Abdulla
Tharavath,
Kasargad Taluk.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette, or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in the Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1224/85-86 dated 15th Nov 85]
All that property bearing No. R.S. No. 506-A, 361 & T.S. No. 344-A, 344 situated at Kodiabail & Casba Bazaar village Mangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisssioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 7th April 1986

C.R. No. 62/48208/85-86/ACQ/B.—Whereas, I,
**R. BHARDWAJ,**
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
TS 312-1, RS. No. 228-1, situated at Kadri village, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
**Mangalore on 14-8-1985**
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or (the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. Sadashiva Rai,
**Devi Kripa,**
**Vas Lane,**
**Balmatta,**
Mangalore.

Transferor(s)

(2) Mrs. Shakila,
**Hardalli,**
**Bidkalkatte,**
Coondapura Tq.,
D.K.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 734/85-86 dated 14-8-85]
Apartment No. S4, II floor of the Kavitha Apartments, in No. 87A, Kadri village, Mangalore, TS No. 312-1, RS. No. 228-1, North Western portion, 809.40 Sq. Mts.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 7-4-86
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT *COMMISSIONER OF INCOME-TAX*

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/584/37G/DWR/85-86/ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Survey No. P. No. 154 and 173 situated at Gabbur, Hubli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Hubli vide Document No. 1604/85-86 dated 22-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Nagawwa
w/o Mr. Shankrappa Kubsad
Bhurpet, Hubli,
Post Hubli
Transferor(s)

(2) Mr. Neelkanth Vithalsa Shibargatti
Bardankalli Hubli,
Post Hubli.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein but are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1604/85-86 dated 22-8-1985]
An open site bearing Survey No. P. No. 154 and 173 totally measuring about 7.50 Gunthas situated at Gabbur, Hubli.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
*Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax*
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-86
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/618/37G/DWR/85-86/ACQ|B.—
Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
CS No. 3782/48 A, 1B and 3782/48A/1A/1A/1A1 situated at Terina Raste, Gadag
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Gadag vide Registration No. 1103/85-86 on 6-9-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent o fsuch apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Thondadha Siddalinga Mahaswamy
Samastana Matta,
Thondadarya Matta,
Station Road, Gadag.
Transferor(s)

(2) M/s S. P. Gadag Roller Floor Mills,
Gadag.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1103/85-86 dated 6-9-85]
Property bearing CS No. 3782/48 A1+1B and 3782/48A/1A/1A1 situated at Terina Raste, opposite Hospital, Gadag.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-86
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 25th March 1986

C.R. No. 62/48181/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Nos. 52 to 60 & 60/1 situated at M. G. Road, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. Subbarao
Partner of M/s. King Partridge,
No. 26/1, Lavelle Road,
B'lore-1.
(Transferee)

(2) M/s. Deccan Enterprises
No. 4311, III floor,
High Point,
Place Road,
B'lore-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1428/85-86 Dated August 85). Premises Nos. 52 to 60 & 60/1 at M. G. Road, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 25-3-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/589/Aug/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Sy. No. 122/3 situated at Cotorlion Sangaon, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
Sangaon Goa under document No. 276/dt. 14-8-1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or wich ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Pandurang Esvonta Camotim Alias Pandurang Y. Kumat and
2. Smt. Churusilla Pandurang Camotim alias Chamshila P. Kumat
R/o Margao, Sakete, Goa.

(Transferor)

(2) M/s. Babal Sanlo Naik Tari and Sons
Near Town Hall,
Sangaon, Goa.

(Transferees)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 276 Dated 14-8-1986).
It is residential house situated at Cotarlim, Sangaon Goa, under municipal No. 112 (Sy. No. 122/3). Its measuring as under Main Building 181.45 mtr., sub house 176.15 mtr., total 257.6 mtr.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 65/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Land and building S. No. 195/30, East Mada Street, Thiruvanmiyur, Madras-41
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madras South /Doc. No. 2498/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

( ) 1. Smt. Amma Kannammal
2. T. S. Vadagiri
3. Sri Velayutham
No. 13, Hutmund Street,
CIT Nagar,
Madras-35.

(Transferor)

(2) Sri Chennaiyol Yurukkum Reddiapatti Nadar's Uravin Murai
Sri S. S. Pennusamy Nadar and Thanusamy
No. 2, Venkatesh Agraharam,
Mylapore,
Madras-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Door No. S. No. 195/30, East Mada St., Thiruvanmiyur, Madras-41.

Madras South/Doc. No. 2408/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 76/Aug/85.—Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Vacant site at No. 27, Sundaramurthy situated at Vinayagar Koil St., Madras-5 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Triplicane/Doc. No. 629/85 on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. S. Chandra Bai
No. 27, Sundara Murthy Vinayagar Goil St.,
Madras-5.
(Transferor)

(2) Sri Thirunavukkarasu
27, Sundaramurthy Vinayagar Koil St.,
Madras-5.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Door No. 27, Sundaramurthy Vinayagar Koil St., Madras-5.
Triplicane/Doc. No. 629/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Auhority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 80/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Annuppar Palayam Village situated at Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 3407/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. S. Srinivasan and
P. S. Saraswathi
W/o Ltd. Ramanathan and others and
all Sons of P. S. Seetharama Iyer
Mahalakshmi Bungalow,
Travellers' Bungalow Road,
Coimbatore.

(Transferor)

(2) All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
By President : Hon'ble Thiru M. G. Ramachandran
275, Avvai Shanmugham Salai,
Madras-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Anupparpalayam, Ward 3, New Survay No. 185, Coimbatore.
Coimbatore/Doc. No. 24078/5.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 109/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Pollachi, Anaimalai situated at Tiruppur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anaimalai/Doc. No. 1001/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri T. Ramaboyan
S/o Dasaboyan
Singanallur Village,
Pollachi,
Coimbatore.
(Transferor)

(2) Smt. G. Lakshmi
W/o Ganesan
Palani Town,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Pollachi, Anaimalai, Thiruppur.

Anaimalai/Doc. No. 1001/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal:

FORM ITN8———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, MADRAS

Madras, the 8th April 1986

Ref. No. 110/Aug/85.—Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961( 43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Marchnaickenpalayam Village situated at Pollachi, Thirppur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Anaimalai/Doc. No. 1046 and 1047/85 in August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Thayarammal
W/o Sri G. R. Devarajulu Naidu
Avinasi Road,
Shell House,
Coimbatore. (Transferor)

(2) Sri T. Ramaboyan
S/o Dass Boyan
Singanallur,
Pollachi. (Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land: Marchanickenpalayam village Pollachi, Thiruppur, Anaimalai/Doc. No. 1046 and 1047/85.

MRS. M SAMUEL
Competer. Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisitio n Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600-006

Madras-600 006. the 8th April 1986

Ref. No. 111/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Anaimala, Pollachi situated at Marchnaickenpalayam village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anaimalai/Doc No. 856/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 259C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri B. Basha Mohideen Sahib
S/o Basheer Ahmed Sahib
Meherunnisa Begum
W/o Basha Mohindeen Sahib
Ansari St.,
Udumalai.

(Transferor)

(2) Minor Krishnaveni
By Grant father Kuppusamygounder
S/o Subbegounder
Nalligoundenpalayam,
Pollachi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land: Marchnaickenpalayam village, Pollachi, Anaimalai, Thirupur.

Anaimalai/Doc. No. 856/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600-006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 113/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Gandhipuram, Ganapathi village situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore/Doc. No. 3473/85 on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. C. Devadas
S/o Chinnamurthy
Sri D. Karunakaran
Smt. Rosykumari
W/o Jagannathan
Sri D. Abraham
All residing at No. 125,
Ciriankal Uthuk Colony,
Chithapudur,
Coimbatore.

(Transferor)

(2) Sri S. Rajagopalan &
Sri A. Hariharan,
Ramnagar,
Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Ganapathy village, T.S. No. 1279, Gandhipuram, Coimbatore.
Coimbatore/Doc. No. 3473/85.

MRS. M, SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600-006

Madras-600 006. the 8th April 1986

Ref. No. 114/Aug/85.—Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Kurunchi Village, S. K. No. 188, 188 situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore/Doc. No. 8493/85 on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri M. Ekambaram
S/o T. Murugesan
M/s. Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd.
58-61, Greams Road,
Madras-6.
(Transferor)

(2) Sri A. Shanmugasundaram
Director, Rukmini Offset Press,
51, Sakthinilayam,
51, Nachimuthunagar,
Pollachi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable prpoerty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kurunchi village S. K. No. 188, 189,—4964 acres of land with a shed, Coimbatore District.

Coimbatore/Doc. No. 3493/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600-006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 115/Aug/85.—Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. T.S. No. 10/1751 situated at Ramanathapuram Village (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore Doc. No. 3561/85, 3562/85 on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri G. Paulraj
S/o Late Gnanaprakasam
6/531, Trichy Road,
Coimbatore. (Transferor)

(2) Sri N. Rajendran
S/o S. V. Natchimuthu
95, Trichy Road,
Sulur, Palladam Taluk. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chaper.

THE SCHEDULE

Land and building : Ramanathapuram Village T.S. No. 10/1751.

Coimbatore/Doc. No. 3561 and 3562/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600-006

Madras-600 006, the 8th April 1986

Ref. No. 117/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
New H.S. No 417/2, T.S. Ward No. 9 situated at Coimbatore Property as per schedule to Doc. No. 3631/85
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 3631/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri N. Viswanathan
S/o Late Mr. Nataraja Iyer
Door No. 83,
Ansari St.,
Ramnagar,
Coimbatore.
(Transferor)

(2) Mrs. Shantha Agastine
D/o Agastine Mathew
20, Cox St.,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : New T.S. No. 417/2, T.S. Ward 9, Old T.S. No. 30/2, Old D. No. 9/53, Asstt No. 11/13, Property as specified in schedule to Doc. No. 3631/85.

Coimbatore/Doc. No. 3631/85.

MRS. M. SAMUEL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 8-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

**NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 8th April 1986

Ref. No. 133/Aug.85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
S. No. 105, 106, T. S No. 12, Block No. 25,
situated at
Property as specified in schedule to Doc. No. 2183/85
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Adyar/Doc. No. 2183/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Thajunnisa,
4, II St., Dhamadarapuram,
Madras-4.
(Transferor)

(2) Smt. Shantha Rajaram,
10, Kandasamy St.,
Madras-28.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Property as specified in schedule to Doc. No. 2183/85 S. Nos. 105 and 106/URUR Village, Adyar/Doc. No. 2183/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date: 8-4-86
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 162/Aug. 82.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2, 1st Cross St., Vijayaraghavachari Road,
situated at Madras-17.
(and more fully described in the schedul annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
T. Nagar/Doc. No. 947/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion ot the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faeilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. Jagannatha Rao,
No. 7, Manonmani Ammal St., Kilpauk,
Madras-10.
and Mrs. S. Diana, West Pahm,
Wingate Garden, No. 2, School Road,
Mandaveli,
Madras-28.
(Transferor)

(2) Sri V. Chandrasekaran,
7, I Cross St., Venkatesapuram colony,
Ayanavaram,
Madras-600 023.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice** in the Official Gazette or a period of 30 days from **the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land : and common passage at No. 2, I Cross St., Vijayaraghavachari Road, Madras-17.

T. Nagar/Doc. No. 947/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 68/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 475, Kamaraj Nagar West, First Main Road,
situated at S. No. 41, Thiruvanmiyur, Mylapore.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madras South/Doc. No. 2592/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri T. Somasundaram,
No. 5, II Cross St.,
Indira Nagar,
Madras-20.
(Transferor)

(2) Smt. Soundaram Narayanan,
No. 1, Daniel St., T. Nagar,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of noitce on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as able property, within 45 days from the date of the Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Plot No. 475, Kamaraj Nagar, West I Main Road, Thiruvanmiyur, Madras-41.

Madras South/Doc. No. 2592/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 21/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 15, Chowdry Colony, Sterling Road,
situated at Madras-34.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Thousandlights/Doc. No. 395/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from thet transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secion 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. V. G. Rajeshwari,
W/o V. V. Gowrishankar,
represented by her Power of Power of Attorney Agent,
K. Srinivasan S/o S. K. Iyer,
Regd. Doc. No. 33/85,
S. R. D. (Chitteer).
2. Sri K. Srinivasan,
S/o S. K. Iyer,
both residing at
No. C. 2/12, Safdarjang Dev Area,
New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Bhatia Brothers,
a partnership represented by its
Managing Partner : Mr. Deepak Bhatia,
Carrying on business : 26/27, Errabalu Chetty St.,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Site : Plot No. 15, Chowdhry Colony, Sterling Rd. Nungambakkam, Madras-34.

Thousandlights/Doc. No. 395/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 6/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 28, 3rd Cross Road, M. K. B. Nagar,
situated at Madras-39.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Purasawalkam/Doc. No. 1500/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mrs. S. Velu Ammal,
13, Andiappa Mudali St.,
Madras-600 021.

(Transferor)

(2) Ruby Margret,
28, 3rd Cross Road,
M. K. B. Nagar,
Madras-600 039.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Land and Building : Plot No. 28, 3rd Cross Road, M. K. B. Nagar, Madras/39 Purasawalkam/Doc. No. 1500/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 3/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 93, (Old No. 40) Bricklin Road, Ottery,
situated at Madras-12.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Purasawalkam/Doc. No. 1399/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Best Cast Pvt. Ltd.,
No. 141, Bricklin Road,
Ottery,
Madras-12.
(Transferor)

(2) Sri. A. Palanisamy, A. Ganesan,
A. Jayaraj, A. Sundararaj,
A. Manickavel and A. Dhanushkodi,
All sons of P. S. Arunachala Nagar,
No. 38, Bhavani Ellamman Koil St.,
Ottery,
Madras-12.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Brick Kilm Road, Purasawalkam, Ottery, Madras-12.
Purasawalkam/Doc. No. 1399/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 78/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 1,00,000/- and bearing No.
S. No. 13/150—Thelungupalayam T. S. No. 13/150—No. 26 Venkadajalamudaliar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Coimbatore/Doc. No. 3296/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afodesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

47—76 GI/86

(1) Hirejinagarani,
S/o Idumal,
C/o Queensway, Krishnamarket,
Oppanakaras.,
Coimbatore Town.
(Transferor)

(2) Sri D. N. Arulmani,
2. N. Chendilarasu,
S/o N. Namachivayam,
21, Rangegounder St.,
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : T. S. No. 13/150—Thelungupalayam, Venkatachalamudaliar cooperative colony, Coimbatore.
Coimbatore/Doc. No. 3296/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 100/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 1,00,000/- and bearing No.
Door No. 65A, Ward No. IV, Assessment No. 933 of Ootacamund Town.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Uthagamandalam/Doc. No . 743/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Mr. Kushl Gopaldas Jagtiani,
S/o Mr. Gopaldas Jagtiani,
Jaggi Stud Farm,
Nandhi Hill Road,
Kerahalli Post, Devahalli,
Bangalore.
(Transferor)

(2) Mr. Suresh Mahindra,
S/o Mr. J. C. Mahindra,
Green Acres Estate & Agricultural Farm,
Avalhali Estate, Yalshanka,
Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : R. S. No. 4388—Door No. 65A, Ward No. IV, Assessment No. 933 of Ootacamund Town. Uthagamandalam/Doc. No. 743/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 75/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to belive that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs, 1,00,000/- and bearing No.
Vacant site at No. 9, 3rd Avenue, Beat Club Road,
situated at Madras-28.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Madras South/Doc. No. 2397/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afroesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Binny Limited,
65, Armenian St.,
Madras-600 001.

(Transferor)

(2) The India Cements Ltd.
No. 827, Anna Salai,
Madras-600 002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site : No. 9, III Avenue, Beat Club Road, Madras-28.
Madras South/Doc. No. 2397/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal:

**FORM ITNS——————**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 45/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 46, Venkatachala Mudali St., Royapettah, situated at Madras-14. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1086/85 on Aug 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri G. Kabali Nadar,
No. 54, Lal Mohamed St.,
Triplicane, Madras-5.
(Transferor)

(2) Sri N. Sriniwasan (2) Sri N. Sampath,
Sri N. Krishnamurthy,
No. 12, Balaji Nagar, First St.,
Royapettah, Madras-14.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land : Door No. 46, Venkatachala Mudali St., Royapettah, Madras-14.
Mylapore/Doc. No. 1086/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-600 006

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 170/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs, 1,00,000/- and bearing No.
20, 6th Main Road, R. A. Puram, Madras-28,
situated at Madras-28.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylanore/Doc. No. 921/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. A. Mehrunnica Bivi,
S/o Sri S. Doraiswamy,
No. 1, Fourth Street,
Selvin Lodge Colony, Madras-600 010.
(Transferor)

(2) Mrs. K. K. Mehrunnisa Bivi,
W/o Mr. K. A. Abdul Razack,
No. 4, II Main Road, CIT Colony,
Mylapore, Madras-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : No. 20, 6th Main Road, R. A. Puram, Madras-28.
Mylapore/Doc. No. 921/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
*MADRAS-600 006*

Madras, the 7th April 1986

Ref. No. 128/Aug. 85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1962 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs, 1,00,000/- and bearing No.
Rangan St., T. Nagar, Madras-17.
situated at Madras-17.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
T. Nagar/Doc. No. 1013/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market vlaue of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Mohana Santhanam,
No. 16, Rangan St., T. Nagar, Madras-17.
(Transferor)

(2) Mrs. Usha Seshaiyan,
No. 28, Saiva Muthiah Mudali St.,
Muthialpet, Madras-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

LAND AND BUILDING : Rangan St. T. Nagar, Madras-17.
17. T. Nagar/Dac No. 1013/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 7-4-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 159/Aug.85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 21, Venkatanarayana Road situated at T. Nagar, Madras-17
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
T. Nagar Doc. No. 956/85 on Aug 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. S. Meenal, Lalitha Sundaram, Alamelu Arumugam.
7/34/2, Besant Nagar, Madras-90.
Transferor(s)

(2) Sri S. Rajesh Sharma (Minor), R/o by father and guardian, S. Shantilal Surama, 32, Nathed Subedar Koil St., Alandur Madras-16.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land : 5190 sq. ft. at No. 21, Venkatanarayana Rd. T. Nagar Madras-17 T. Nagar/Doc. No. 956/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 56/Aug.85.—Whereas I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Door No. 31, R. S. No. 3946, 6th Main Road situated at
R. A. Puram, Madras-28.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Mylapore Doc No. 1139/85 on Aug 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Sri Krishnavijayaraghavan,
30, 6th Main Road,
R. A. Puram, Madras-28.
Transferor(s)

(2) Sri R. N. Ratnam,
No. 8, 5th St.,
Dr. Radhakrishnan Road, Madras-4
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building Door No. 31, 6th Main Road, R. A. Puram Madras. Mylapore/Doc. No. 1139/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 72/Aug.85.—Whereas. I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable Property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. 18, V. Cross St., United India Colony, situated at Madras-24. (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras South Doc. No. 2299/85 on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

48—76 GI/86

(1) Sri N. Balasubramaniam,
18, V Cross St.,
United India Colony,
Madras-24.
Transferor(s)

(2) Sri K. Rajagopalan,
9, Andai Street East Tambaram, Madras-59
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : at 18, V Cross St., United India Colony, Madras-24.

Madras South/Doc. No. 2299/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 156/Aug.85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No.
Plot No. 178 Neelangarai Village situated at Saidapet, Madras-15.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Adayar Doc. No. 2094/85 on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. Seshasayee,
No. Q 145, R.B.I. Quarters,
Kilpauk, Madras-10.
Transferor(s)

(2) Smt. C. S. Alamelu Subramaniam,
No. 2-B, Karpagambal Nagar,
Kottivakkam, Madras-41.
Transferee(s)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of forty-five days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site : Plot No. 178, Neelankarai Village Madras-15. Adayar/Doc. No. 2094/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 97/August-85.—Whereas I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Hullathy village, Ootacamund Taluk with the shed No. 8 in the SIDCO's Industrial Complex.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Uthagamandalam Doc No. 864/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Ltd., No. 5. Creams Road, Madras6.
Transferor(s)

(2) Chathoth Raghavan, Sole Proprietor Steel Wood Industries, Villa Chantelia Higgins Road, Octacamund.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 5100 s. ft. in H. No. 188 part of Hullathy village, Ootacamund Taluk with the shed No. 8, in the SIDCO's Industrial Complex. Uthagamandalam/Doc No. 864/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 7th April 1986

Ref. No. 87/Aug.85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 111, 11th Ward Palani Road, situated at Udumalaipet, Thiruppur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Udumalpet Doc. No. 1875/85 on Aug. 1985
market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kasthuri Ammal, W/o Late Gurusamy Naidu, III, Palanipadai, Udumalaipettai.
Transferor(s)

(2) Sri M. Thirunavu Karasu,
For Udumalai Sarvadaya Sangam),
10, Rajendra Road,
Udumalaipettai.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : At No. 111, 11th Ward, Palani Road, Udumalpat Thiruppur. Udumalpet/Doc. No. 1875/86.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006.

Date. 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/179.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House No. S-311, measuring 203 sq. yds. situated at Greater Kailash-I, New Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kusum Karnani W/o Jagdish Rai Karnani r/o S-311, Greater Kailash-I, New Delhi. through general attorney Jagdish Rai Karnani,
Transferor(s)

(2) Ashok Kumar Bhandari S/o Shri K. G. Bhandari r/o J-105 Kirti Nagar, New Delhi.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. S-311, measuring 203 sq. Yds. Greater Kailash-I, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road
Acquisition Range-I
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/182.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act)' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property No. M-178, Measuring 300 sq. yyds. situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chander Kanta
w/o Ashok Kainth,
A-2/35, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
Transferor(s)

(2) Shiv Hari Agarwal S/o Shri Jamna Dhar Agarwal and Mrs. Rani Agarwal W/o Vijay Agarwal
r/o 108 Munirka Enclave. S.F.S. DDA Flats.
New Delhi.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the serviceo of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. A, Ground Floor, Part of property No. M-178, measuring 300 sq. yds. Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf All Road
Acquisition Range-I
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal:

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/183.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. M-67 Greater Kailash-II situated at New Delhi measurinig 250 sq. yds (208 sq. mtrs)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor, by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gurbax Singh Pablia
K-9, N.D.S.E-II, New Delhi.
Transferor(s)

(2) M/s. Mohan Builders
through its partner Mohan Singh.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Plot No. M-67 Greater Kailash-II, New Delhi measuring 250 sq. yds. (208 sq. mts.)

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road
Acquisition Range-I
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SRIII/8-85/184.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No M-170 measuring 300 sq yds situated at Greater Kailash-II New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sanduran Kapur W/o Rajinder Lal Kapur.
Smt. Abbilash Kanwara W/o Behari Lal Kanwara
Smt. Param Obhrai W/o Prem Parkash Obhrai
Smt. Janak Malhotra W/o Prem Paul Malhotra
and Smt. Veena Kumar W/o Satpal Kumar,
r/o 5-AV/10916, gali No. 2, Sat Nagar
Karol Bagh New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Kamal Talwa S/o Sikander Lal Talwar r/o BA/43-A Janakpuri, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. M-170, measuring 300 sq. yds Greater Kailiash-II New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/1/8-85/186.—Whereas, I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. M-114 measuring 505 sq. yds. situated at Greater Kailash-II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Major Gurcharan Singh Rishiraj
S/o Jagat Singh Rishiraj
r/o M-114, Greater Kailash-II, New Delhi.
(Transferor)

(2) Manmohan Kumar Bhargava
S/o Anant Ram Bhargava
r/o M-114, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First floor of property M-114, measuring 505 sq. yds. Greater Kailash-II New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 31st March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/198.—Whereas I R. P. RAJESH, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. W-175 Greater Kailash-II area 400 sq. yds situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on August 1985 **for an apparent consideration which is less** than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the **aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—**

(1) Shri Harinder Bansi S/o Col. Gurdas Singh through Col. Gurdas Singh.
Transferor(s)

(2) Smt. Leela Hoon R/o A-1 w/o late Shri N. S. Hoon ujan Singh Park New Delhi. Through Attorney Sh. V. C. Hoon.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

W-175 Greater Kailash-II New Delhi Area 400 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Aggarwal House, 4/14-A, Asaf Ali Road
Acquisition Range-I
New Delhi.

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/202.—Whereas, I, R. P. RAJESH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
property, having a fair market value
No. Building No. S-229, Greater Kailash-II, area 300 sq. yds. situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to **believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Delite Builders,
Through its Attorney S. Dharam Singh,
A-2/140, Safdar Jang Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Yashoda Kapur, Shri Ramesh Chand Kapur, Smt. Pushpa Kapur, Shri Rohit Kapur all residents C/o G-22, Maharani Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the** publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire Ground floor and basement hall of building No. S-229, Greater Kailash-II, comprising of basement hall, 3 bed rooms, drawing dining, kitchen, Car parking, front lawn back courtyard with 45% share in the land. Area 300 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/203.—Whereas, I,
R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Residential House, C-595, Defence Colony situated at
New Delhi measuring about 383 sq. yards
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Col. Birender Singh Chimni,
C-6/57, Safdarjang Development Area,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Jai Prakash Jain,
Magan Mala Jain & Rajeev Jain
R/o Jain Street, P.O. Kandhla,
Distt. Muzaffar Nagar (U.P.).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential House, C-595 Defence Colony, New Delhi, Measuring about 383 sq. yards.
Ground floor—1712 sq. ft.
First floor—1712 sq. ft.
Barsati—427 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR III/8-85/204.—Whereas, I, R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Property No. M-169 Greater Kailash-II situated at New Delhi, Mg. 400 Sq. yds.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Mrs. Kamini Sondhi,
C-480, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Cable Corporation of India Limited,
Milap Niketan, 2nd floor,
8-A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazete or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3 (One-third) undivided share of land underneath the property No. M. 169 Greater Kailash-II, New Delhi measuring 400 sq. yards together with the dwelling unit consisting of 1 drawing/dining, 3 bedrooms with 3 attached bathrooms, 1 kitchen, garage, 1 servant quarter with WC, staircase, mumty and lawn.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

213—25 5/3/86

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/206.—Whereas, I, R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. 56, Block 'X' Okhla Industrial Area, situated at Phase-II, New Delhi, measuring 505 sq. mtrs.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Prem Enterprises (Regd.),
C-322, Mayapuri Industrial Area, B Phase-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Sunil Wires Industries Pvt. Ltd.,
1564, Ishwer Niwas, Bhagirath Palace,
Chandni Chowk, Delhi
through its Director Shri Rishi Kumar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Industrial Plot No. 56, Block 'X' in the layout plan of Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi, measuring 505 sq. mtrs.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/208.—Whereas, I, R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269B of the to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Agr. Land measuring 19 Bighas 4 Biswas situated at Village Jonapur, Tehsil Mehrauli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Nirmala Mehra,
J-367, New Rajinder Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sanjay Jain & Master Pankaj Jain,
B-19, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 19 Bighas 4 Biswas bearing Khasara No. 7/25, 20/5, 20/6, and 20/15 with Farm House in Village Jonapur, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/210.—Whereas, I, R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immoveable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. 99 in Block 'S' in Greater Kailash-II, situated at New Delhi, measuring 300 sq. yds.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; said/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Purshottam Lal Handa,
C-II, Nizamuddin West,
New Delhi.
(Transferor)

(2) (1) Shri D. D. Malhan,
(2) Shri J. K. Malhan and Smt. Darshana Dhawan,
E-588, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 99 in Block 'S' in Greater Kailash-II, New Delhi, measuring 300 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/211.—Whereas, I, R. P. RAJESH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Single Storeyed House No. 218 in Block 'S' situated at built on 300 sq. yds. in Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985
for an apparent consideration which in less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

50—76 GI/86

(1) Shri Krishan Kumar Anand,
S-533, Greater Kailash-II,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Purshottam Lal Handa,
C-11, Nizamuddin West,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storeyed house No. 218 in Block 'S' built in 300 sq. yds. in Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/212.—Whereas, I, R. P. RAJESH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. 93, Block 'E' situated at Greater Kailash-II, New Delhi, measuring 245 sq. yds.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jaya Anand Kundaji,
w/o. Shri Anand Ram Mohan Kundaji
C/o D. K. Kapoor & Co.,
103, Gagan Deep Rajindra Palace,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sachin Choudhary
Son of Shri Subhash Chand Choudhary,
r/o 4/104, Sona Apartments,
Kaushalya Park, Hauz Khas,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 93, Block 'E' Greater Kailash-II, New Delhi, measuring 245 sq. yards.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
New Delhi

Date : 1-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/213.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House No. W-1, Greater Kailash-II
situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—
Seal :

(1) Shri Peshaura Singh S/o
Shri Nehar Singh Thind permanent c/o
M/s Hydle Construction Pvt. Ltd.,
P.O. Maya Bunglow, Shillong (Meghalaya).
(Transferor)

(2) 1. Mr. Baini Parshad,
2. Smt. Lajja Gugnani,
3. Mr. Vinod Gugnani,
4. Smt. Bina Gugnani,
all resident of W-1, Greater Kailash-II.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. W-1, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 on 1144 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/223.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. M-186, measuring 300 sq. yds, situated at Greater Kailash-II, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent considertation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes o fthe Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Mohan Builders through its partner Sardar Mohan Singh S/o S. Naghia Singh r/o 52/42, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Surinder Bajaj w/o Dev Mitter Bajaj r/o 4-B, Vandna Bldg., Tolstoy Marg, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the strvice of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

**THE SCHEDULE**

Entire ground floor of property No. M-186, measuring 300 sq. yds. at Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/224.—Whereas I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. E-352, measuring 250 sq. yds
situated at Greater Kailash-II, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jit Raj Bajaj S/o
Munshi Lal Bajaj and
Smt. Lal Devi Bajaj W/o
Shri Jit Raj Bajaj R/o
C-36 Lajpat Nagar-I, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Asha Rani W/o
Banarsi Lal
r/o A-2/35, Safdarjung Enclave, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. E-352, measuring 250 sq yds. at Greater Kailash-II, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/225.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. M-2, (Shop) Greater Kailash-II Market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 or 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sanjay Bansal
B-15, Greater Kailash-I,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Amarjyoti India (Pvt.) Ltd.
U-16, Green Park, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Basement, Ground Floor and Mezzanine Floor of Building bearing No. M-2 (Shop) Greater Kailash-II Market, New Delhi-48 (195 sq. yd.),

Basement : 1404 sq. ft.

Ground Floor : 1404 sq. ft.

Mezzanine Floor : 351 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONEROF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 1st April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/226.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Property No. W-46, measuring
500 sq. yds. Greater Kailash-I, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of tht liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue o fthis notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s A. G. Gupta & Brother (HUF), 803, Niharika 17/16, Alipur Road, Calcutta through attorney Lalit Kothari. (Transferor)

(2) Smt. Usha Shanker W/o Bhawani Shanker r/o 53, Gold Links, New Delhi and Awini Ambuj Shanker (minor) S/o Bhawani Shanker. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Proerty No. W-46, measuring 500 sq. yds. Greater Kailash-I, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

*New Delhi, the 1st April 1986*

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/266-A.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. 6/30, Shanti Niketan,
situated at New Delhi area 380 sq. yards.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. S. Ahluwalia,
s/o late Shri Teja Singh Ahluwalia, and
Mrs. Parkash Kaur w/o Shri T. S. Ahluwalia,
both r/o No. 6/30 Shanti Niketan, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ganesh Dass, S/o Shri Kura Mal
resident of No. 25-Y, Rajdoot Marg,
New Delhi (Chanakyauri)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 6/30, Shanti Niketan, New Delhi. Area 380 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 2nd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/SR-III/8-85/226.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Property No. G-39, Plot No. 6 situated at Connaught Place, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

51—76 GI/86

(1) M/s Dewan & Sons Investments Pvt. Ltd. P-14, Connaught Place, New Delhi through its Director Shri Raj Gopal.
(Transferee)

(2) M/s J. S. R. Family, Trust G-39, Connaught Place, New Delhi through its Trustee Shri Raj Gopal and others.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. G-39, Plot No. 6 Connaught Place, New Delhi, measuring 5306 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/1999.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1..00,000/- and bearing
No. S-59 Plot Greater Kailash, II, area 300 sq. yds.
situated at New Delhi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
IAC, Acq. Range-I, New Delhi
in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or th esaid Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Singh Bohania
S/o Shri Udam Singh 124, Saini Enclave, Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Amarjit Singh Johar & Co.
C-139 Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested i nthe said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION S—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

S-59 Plot Greater Kailash-II, New Delhi area 300 sq. yds.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2003.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat No. 6 on First Floor in Himalaya House
situated at 23 K.G. Marg, New Delhi area 2737 sq. ft.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the I.T. Act 1961
IAC, Acq. Range-I
New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfe and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Achla Sharma
w/o Shri D. R. Sharma
W-129, G.K.-I, New Delhi & Mrs. Pushpa Vanti
w/o Shri S. R. Sharma, A-128, Inder Puri,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s Vardhman Cones & Bobins Pvt. Ltd.
3, Birbal Road, Jangpura Extn. New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 6 on First Floor in Himalaya House, 23, K.G. Marg, New Delhi area 2337 Sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 3-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2010.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat No. 703 area 1600 sq. ft. Group Housing Scheme, Nilgiri Apartments 9 B.K. Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the I.T. Act 1961
IAC Acq. Range-I, New Delhi,
in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Kailash Nath and Associated
1006 Kanchenjunga, 18 Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Ashok Malik, 57 (s)
Sadar Thana Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One residential flat No. 703, area 1600 s. ft. on 7th floor, and one open Car Parking space in proposed Group Housing Scheme Nilkiri Apartments at 9 Barakhamba Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 3-4-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2020.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. Agr. Land Village Bijwasan
New Delhi 14 Bighas and 8 Biswas,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961
IAC, Acq. Range-I, New Delhi,
in August 1985,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration** for such transfer as agreed to between the **parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the **purposes of the Indian Income-tax Act, 1922** (11 of 1922) or the said Act, or the **Wealth-tax** Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Anjula Khanna
w/o Shri J. P. Khanna,
r/o J-17A, Hauz Khas Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri J. P. Bhalotia and Shri V. C. Bhalota,
5-Clive Row, 9th floor
Calcutta.
(Transferee)

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 14 Bighas and 8 Biswas comprising of Rect. No. 37, Killa Nos. 12(4-16), 19(4-12), 20 Min East (2-08) and 28-04, 11 Min East (2-08) in and around village Bijwasan, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 3-4-1986

Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 3rd April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2022.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat Unit No. 8, 3rd Floor, Vandhna Building 11,
situated at Tolstoy Marg, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Lal Kaushalya Devi Chandhok Trust, H-6 Maharani Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Ashish Holdings Private Ltd.
706/21, Faiz Road, Karol Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat Unit No. 8, 3rd Floor Vandhna Building, 11, Tolstoy Marg, New Delhi-1.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Delhi/New Delhi

Date : 3-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD.
NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2028.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Scindia House Building is on 3.291 acres of land having having Ground, First & Second Floor and a very large covered area
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act 1961
Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC. Acq. Range-I, New Delhi. on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabiilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ms. Atma Ram Properties Pvt. Ltd.
C-37, Connaught Place.
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Govan Bros. (Rampur) Pvt. Ltd.
4, Scindia House,
New Delhi-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

The total Scindia House Building is on 3.291 acres of land having Ground, First & Second Floors and a very large covered area C-37, Connaught Place, New Delhi and now known as Atma Ram Mansion out of the area of 27,936 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Aggarwal House
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2038.—Whereas, I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
20, Prithvi Raj Road, area 1730 sq. yds. situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at
IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devi Chand Sawhney and
The Triveni Engineering Works Ltd.
Kailash Building,
2nd Floor,
26, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. National Synthetics Ltd.
P.N.G. School Road,
Gangtok,
(Sikkim).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 20, Prithvi Raj Road, New Delhi, Area 1730 Sq. Yards.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Aggarwal House
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2041.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 603, measuring 1500 sq. ft. on 6th floor situated at Group Housing Complex, 2, Tilak Marg, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely ;—

52—76 GI/86

(1) Dr. Gauri Nath Sondhi
27, Sondhi Tolla, Chowk,
Lucknow (U.P.).

(Transferor)

(2) Dr. Purshottam Nath Sondhi &
Mrs. Kamal Sondhi
27, Sondhi Tolla, Chowk,
Lucknow (U.P.).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein but are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 603, measuring 1500 sq. ft. on 6th floor in the proposed Group Housing Complex, 2, Tilak Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Aggarwal House
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2042.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Part of Plot No. I-48, Connaught Circus situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at
IAC, Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 15 per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Sudarshan Seth
2. Mrs. Uma Seth
3. Mrs. Shukla Seth
4. Mrs. Promila Seth
5. Mrs. Asha Seth
6. Mr. Naresh Seth
All R/o Sadhna Rayon House,
Dr. D. N. Road,
Bombay.

(Transferor)

(2) M/s. Pragati Construction Complex
(Devika Chamber)
W-49, Greater Kailash-I,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on he respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Plot No. L-48, Connaught Circus, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Aggarwal House
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2043.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Resdl. Flat Nofl 'B' area 1600 sq. ft. situated at multistorey-Group Housing Scheme 'Nilgiri Apartments at 9 B. K.Rd., New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at
IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates,
1006, Kanchanjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi. (Transferor)

(2) Mrs. Veena Aggarwal
M-14 B, NDSE Part -II,
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Resdl. Flat No. 'B' area 1600 sq. ft. in rear block on 2nd floor and one open car parking space in proposed multi-storeyed Group Housing Scheme 'Nilgiri Apartments at 9, Barakhamba Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-1, BOMBAY-400 038

Bombay, the 17th March 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2047.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Residential flat No. 10 area 1580 Sq. Ft. situated at Group Housing Scheme Gauri Apartments at 3 & 4 South End Lane, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at
IAC, Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates
1006, Kanchenjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Radha Singh
P.O. Box 39931,
Ikeja, Lagos State.
Nigeria.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the servcie of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A resdl. flat No. 10 area 1580 S. Ft. on Ist floor, a servant Qtr. No. 10 area 130 S. ft. on Ist Flr. & Open terrace area 290 Sft. in the multi-storeyed Group Housing Scheme Gauri Apartments at 3 & 4 South End Lane, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-1/37EE/8-85/2048.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 810, Area 615 Sq. ft., 14 K, G. Marg, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at
IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor for more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M. P. D. Associates (P) Ltd.
A-1/18, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Nimmi Investment (P) Ltd.
Cabin No. 8,
Coronation Hotel,
Fatehpuri,
Delhi.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 810 Area 615 Sq. ft. 14 K. G. Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2050.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
A residential flat on 6th floor in multi-storeyed area 1600 sq. ft. situated at Group Housing Scheme 'Nilgiri Apartments at 9, Barakhamba Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vaniyambadi (Doc. No. 1773/85) in August, 1985
IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from thet transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Seclon 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates
1006, Kanchanjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Rajinder Pal Goel
10, Judges Court Road,
Police Station,
Alipore,
Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential flat on 6th floor and Car Parking space in proposal multi-storeyed group housing scheme, Nilgiri Apartments at 9, Barakhamba Road, New Delhi, Area 1600 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2051.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
Flat in South Tower on the 5th floor multi-storeyed Building at 34, Ferozeshah Road, New Delhi Area 1844 sq. ft.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC, Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considera'ion therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of tht liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue o fthis notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vikas Chandra
Vineet Chandra &
Smt. Kusum Lata
R/o 8, Ishwar Nagar (East),
Mathura Road,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Tani Bhargava &
Sh, Rajeev Bhargava
R/o 18, Maharani Bagh.
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat in South Tower on the 5th floor, in the proposed multi-storeyed Building at 34, Ferozeshah Road, New Delhi-1 area 18445 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2052.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Residential Flat area 1600 sq. ft. multi-storeyed situated at Group House Scheme Adishwar Apartments at 34, Ferozeshah Road New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has ben transferred under the I. T. Act, 1961
in the Office of the registering Officer at IAC.Acq. Range-I, N. Delhi. on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the isue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of he said Act, to the following persons, namely : —

(1) Ms. Kailash Nath & Associates
1006, Kunchanjunga,
18, Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) L. P. Aggarwala HUF and
N. P. Aggarwala HUF.
both No. I-B, Old Post Office Street,
Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential flat plinth area 1600 sq. ft. righthand side flat No. 7 on 5th Floor of proposed multi-storeyed Group House Scheme 'Adishwar Apartments' at 34, Ferozeshah Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acqcisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2053.—Whereas, I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Resdl. flat No. 5-A area 1600 s.ft. Group Housing Scheme Nilgiri Apartments at 9 Barakhamba Road, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the I. T. Act 1961
in the Office of the Registering Officer
at IAC. Acq. Range-I, New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

53—76 GI/86

(1) M/s Kailash Nath and Associates,
1006 Kanchenjunga, 18 Barakhamba Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mr. Surender Nath Kapur and
Mrs. Rajeshwari Kapur,
C/o Grindlays Bank P.I.C.,
90 Mahatma Gandhi Road, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One resdl. flat No. 5-A area 1600 s.ft. approx. proposed Group Housing Scheme Nilgiri Apartments at 9 Barakhamba Road, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2056.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Office Space measuring 696 sq. tf. at 13 Tolstoy Marg situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC. Acq. Range-I, New Delhi in August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Davinder Puri and
Mr. Sanjiv Puri,
R/o B-4, Gujranwala Town,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Raj Kumari Seth,
Mrs. Neelam Bagha,
Miss Puja Seth,
Miss Rajan Seth
all R/o 2408, Tilak Street, Chuna Mandi,
Pahar Ganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Booking of Office space measuring 696 sq. ft. on 4th floor in the proposed multystoreyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AGGARWAL HOUSE 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 4th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-I/37EE/8-85/2057.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
First Floor (Rear Flat) in Pawan House situated at Middle Circle Behind G-39 Connaught Circus, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act 1961
in the Office of the Registering Officer
at IAC. Acq. Range-I, New Delhi in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s J. S. R. Family Trust,
C-39, Connaught Circus, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. R. S. International,
16A/19, W.E.A. (Basement), Koral Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

First Floor (Rear Flat) in Pawan House, Middle Circle, Behind G-39, Connaught Circus, New Delhi area 591.65 sq ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-IISR-I/8-85/191.— Whereas, I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Property No. 26, Road No. 73 Class B situated at Punjabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kulwant Kaur Sahni,
W/o S. Onkar Singh Sahni,
Harcharanjit Sahni and
Shri Gurvinder Singh,
S/o Shri Onkar Singh Sahni,
r/o B-5 Pearl Green Building North Avenue Road,
Santa Cruz (West Bombay).
(Transferor)

(2) 1. Shri Mathra Dass,
S/o Shri Behari Lal,
2. Surinder Chhabra,
3. Rajinder Chhabra,
4. Mahinder Chhabra,
S/o Mathra Dass,
R/o 14/26, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free-hold property No. 26, on Road No. 73 in Class B, area meas. 1093.83 sq. yds. situated in the residential colony known as Punjabi Bagh, New Delhi. Free-hold.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-4-1986
Seal :

**FORM ITNB———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, AGGARWAL HOUSE
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-I/8-85/192.—Whereas, I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Property No. 16, Road No. 4, situated at Jai Dev Park, Rohtak Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Singh,
s/o Shri Devi Chand,
r/o 4/16, Jaiv Dev Park Rohtak Road,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Sat Narain Beriwal,
s/o late Shri Chhabil Dass Beriwal,
r/o 4165 Nai Sarak, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 16, on Road No. 4 built on land measuring 501 Sq. yds. situated at Jai Dev Park, on Rohtak Road, Delhi

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

### OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-1/8-85/194.—Whereas, I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfer referred to as the "said Act") have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 2, Block D-1, Rajouri Garden, Village Bassai Darapur, situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at New Delhi in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability** of the transferor to pay tax under th esaid Act in **respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the

(1) S. Captain J. S. Gill,
S/o Shri Deva Singh Gill,
R/o D-1/2, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Ruby Lamba,
W/o Shri Jatinder Singh and
Masters Harneet Singh,
S/o Shri Jatinder Singh Lamba,
under the Guardianship of his father,
both R/o J-9/2020, Naiwala Karol Bagh.
New Delhi.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period** of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 **days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Single storeyed house on plot No. 2, Block D-1, mg.478.8 Sq. Yds. situated at Rajouri Garden, area of village Bassai Darapur Delhi State, Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisitino Range
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. JAC/Acq-II/SR-I/8-85/204.—Whereas, I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
D-6, Residential Colony, Kirti Nagar, Vill. Bassai Darapur, Delhi situated at Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under hte said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. Harbans Singh,
S/o S. Gopal Singh, and
Smt. Surjit Kaur,
w/o S. Harbans Singh,
both r/o D-6, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Madan Lal Dawar,
Shri Om Parkah Dawar and
Shri Gulshan Kumar Dawar,
sons of Shri Amir Chand Dawar,
all R/o D-6, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing No. D-6, measuring 500 sq. yds. situated at Residential Colony known as Kirti Nagar, area of Village Bassai Darapur Delhi State, Delhi. Free-hold.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Aggarwal House
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 10-4-1986
Seal:

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE
**INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
4/14, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/8-85/215.—Whereas I,
R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. I-7 Kirti Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in August 1985,
**for an apparent consideration which is less than the fair** market value of the aforesaid property **and I have reason to** believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer **with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the** aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lajpat Rai
S/o Shri Khan Chand
r/o I-7, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Virinder Pal Khurana,
s/o Shri C. B. Khurana,
R/o A-70, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property** may be made in writing to the undersigned :—

(a) **by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this** notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given** in the Chapter.

THE SCHEDULE

Built on free-hold Plot of land, bearing plot No. I-7, mg. 300 sq. yds. situated in the residential colony known as Kirti Nagar, area of Vill. Bassai Darapur, Delhi State, Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, New Delhi

Date : 17-4-1986
Seal ;

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
4/14, ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 17th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/8-85/216.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 37/1, Block No. C, Wazir Pur Industrial Area, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the conceal ment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahinder Chand Jain
S/o Shri Chhuttan Lal Jain
R/o 3341/3, Christian Colony, Karol Bagh,
New Delhi G.P.A. of M/s Rattan Bagh, House 47 Swadeshi Market, Sadar Bazar, Delhi.
(Transferor)

(2) Messrs East West Traders, 131,
Sadar Bazar, Delhi through tis partner
Shri Surinder Mohan Jain s/o
late Shri Ram Lal Jain-Smt. Rekha Jain
W/o Shri K. B. Jain both R/o 14-15
Veer Nagar, Delhi-7 and Smt. Santosh Jain
W/o Shri J. K. Jain and Smt. Promila Jain
C-1/13, Ashok Vihar Phase-II, Delhi-52.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built up factory built on lease hold factory plot No. 37/1, Block No. C, measuring 604 sq. yds. situated in the lay-out Plan of Wazir Pur Industrial Area, Delhi. Leasehold.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-4-1986
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 10th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-II/37-EE/8-85/781.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and
No. Krishna Niketan 3455/57 Delhi Gate New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at
New Delhi on August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Delton Cables Limited,
Bharat Ram Road, 24 Barya Ganj,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri R. K. Gupta, 46-A
Friends Colony, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Krishna Niketan 3455/57 Delhi Gate New Delhi.
Free-hold.
Ground Floor 334.20 sq. mt.
First floor 269.28 sq. mt.
Second floor 229.89 sq. mt.
Third floor 136.10 sq. mt.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 10-4-1986
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
AGGARWAL HOUSE, 4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 18th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1175.—Whereas I, R. P. RAJESH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 13/17 situated at WEA, Karol Bagh, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of SectionD of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Ch. Des Raj.
2. Ch. Balbir Singh
3. Ch. Jagdish Singh
4. Ch. Hem Chander
5. Smt. Dhanpati Devi and
6. Smt. Nihalo Devi, WZ-159, Village Das Gupta, Pusa Institute, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Anand Saroo Malik
s/o Shri Raja Ram Malik and
Shri Raja Ram Malik
s/o Shri Dewan Chand Malik,
r/o B-31, Moti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing Municipal No. 10600, Block No. 13, Plot No. 17, measuring 276 sq. yds. situated at WEA, Karol Bagh, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/37EE/8-85/1008.—Whereas I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that he immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Shop No. 101, at 5, Bhikaji Cama Place,
situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the I.A.C. Acq.III New Delhi,
in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders (P) Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Pankaj Narula,
u/o of Mrs. Sneh Narula,
41, North Avenue, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 101, on 1st floor at 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi. Approx. Area 535 sq. ft.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
AGGARWAL HOUSE, 4/14A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq.III/37EE/8-85/1009.—Whereas I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Shop No. 102, at 5, Bhikaji Cama Place,
situated at New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under I.T. Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the I.A.C. Acq. III, New Delhi,
in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reducing or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealcent of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Som Datt Builders (P) Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Master Puneet Narula and Baby
Srishty Narula, U/G of Mrs. Sneh Narula,
41, North Avenue, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a perod of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 102, on 1st floor at No. 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi.

R. P. RAJESH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALL ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq. III/37EE/8-85/1013.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 106, at 5, Bhikaji Cama Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
under the I.T. Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the I.A.C. Acq. III, New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Som Datt Builders, (P) Ltd.,
56, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. Narula Holdings (P) Ltd.,
402, Gagan Deep, 12, Rajindra Place,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 106, on 1st floor at 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi. Approx. Area 503-6 sq. ft.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquistion Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-4-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-II/8-85/2662.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No Property No. 14, on Road No. 26 situated at Punjabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer
at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mathra Dass s/o Shri Behari Lal, r/o 14/26, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Chander Bhan Garg-2. Sh. Sheesh Pal Garg, and 3. Mukesh Garg sons of Sh. Mani Ram Garg, all residents of 15/26, Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free hold property No. 14 on Road No. 26 area measuring 555.55 sq. yds. situated in the residential colony known as Punjabi Bagh, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquistion Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALL ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-II/8-85/2673.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 8/14 situated at Punjabi Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S. Harjit Singh Bajaj,
8/14, Punjabi Bagh,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Sh. Mahesh Bajaj, Smt. Shashi Bala,
Smt. Saroj Bajaj and Gautam Bajaj all
residents of B-1/233, Paschim Vihar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 8, on Road No. 14, Punjabi Bagh, New Delhi, measuring 557.15 sq. yds.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisssioner of Income-tax
Acquistion Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-4-1986
Seal ;

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALL ROAD,
NEW DELHI

New Delhi, the 7th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1155.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,0,000/- and bearing
No. Mpl. No-10006, Plot No. 5, Block No. 18 WEA, Karol Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proeceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gyan Chand 2. Prem Chand 3. Subhash Chand all Ss/o Mahesh Chand 4. Smt. Chander Kala Aggarwal w/o late Sh. Naresh Chand 5. Smt. Manjula Shinghal 6. Smt. Manjula Gupta 7. Smt. Madhu Nigam 8. Smt. Meena Pathi all d/o late Naresh Chand at present all staying at 18/5, WEA, Karol Bagh, New Delhi Pvt. Ltd.
(Transferor)

(2) M/s Eleven Stars Properties Pvt. Ltd., through its managing Director Suraj Prakash Aneja, s/o Attar Chand Aneja, FF3, Stutee Buildings, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Propety bearing Mpl. No. 10006, Plot No. 5, Block No. 18, WEA, Karol Bagh, measuring 226 sq. yds. Khasra No. 772/767, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1160.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
G-5A, Green Park Extension situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Gurbaz Singh Sandhu s/o Ajit Singh, 2. Parminder Singh, 3. Gurinder Singh both sons of Shri G. S. Sandhu and 4. Smt. Sharanjit Kaur w/o G. S. Sandhu
all r/o G-5A, Green Park Extn.,
New Delhi.
(Transferor)

) Smt. Sita Dhar w/o Shri Ranjit Dhar,
r/o S-104, Panchsheel Park,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. G-5A, Green Park Extension, New Delhi measuring 200 sq. yds.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal:

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1169.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 95, Navjeevan Vihar, New Delhi situated at New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Maj. Gen. Inder Mohan,
95, Navjeevan Vihar, New Delhi.
(Transferor)

(2) A. R. Srinivasan,
D-6/34, Vasant Vihar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 95, Navjeevan Vihar, New Delhi measuring 266 sq. yds. (about 222.42 sq. mtrs.)

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1170.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,

**being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. D-37 situated at Gulmohar Park, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to **believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said** Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. A. R. Kerela Varma s/o Shri M. V. Namboodripad, r/o D-37, Gulmohar Park, New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Sh. Deepak Talwar s/o Shri R. N. Talwar and
2. Smt. Gita Talwar w/o Sh. Deepak Talwar, 132-F, Malcha Marg, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of** 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from **the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

D-37, measuring 300 sq. yds. situated at Gulmohar Park, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.**

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. Ni. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1177.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. B-6/107, SDA, Residential Scheme situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reducion or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shadi Lal son of
late Shri Hans Raj Mehra,
15, Vaikunt Mount Mary Road,
Bandra, Bombay.
(Transferor)

(2) Lt. Col. Parkash Chander Sawhney,
B-6/107, SDA, Residential Scheme,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

B-6/107, SDA, Residential Scheme, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL HOUSE,
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1178.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
H. No. 2458 situated at Khasra No. 328,Block M. Gali No. 9-10, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
New Delhi on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by the more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Wati w/o
Shri R. N. Chadha,
2458/59, 9-10,Beadonpura,
Karol Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) M/s. M. K. Constructions,
A-14/1, Mayapuri Phase I,
New Delhi through its partner
Puran Manchanda and others.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any person interested in the said immovable property within 45 day from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2458, measuring 222 sq. yds. plot/khasra No. 328, Block M. Gali No. 9-10, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

*GOVERNMENT OF INDIA*

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT** COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
AGGARWAL HOUSE, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1986

Ref. No. IAC/Acq-III/SR-III/8-85/1179.—Whereas, I, SUNIL CHOPRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Killa No. 53, Khasra No. 14 (4-16), 17 (4-16), 18 (4-12), 26 (0-4), 13 (4-16), agrl. land mg. 19 bighas, 4 biswas situated at Village Mehrauli, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Duli Chand
H. No. 104,
Ward No. 9,
Krishan Garh,
Village Mehrauli,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Shanmuganda Coop. Group Housing Society Ltd.
through Gen. Sec.
Shri R. Kumar
957, Sunlight Colony,
Ashram,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 19 bighas 4 biswas, Killa No. 53, Khasra No. 14 (4-16), 17 (4-16), 18 (4-12), 26 (0-4), 13 (4-16) in village Mehrauli, Tehsil Mehrauli, New Delhi.

SUNIL CHOPRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquistion Range-III
Delhi/New Delhi

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 1/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Acres of land situated at Enikipadu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijaywada on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Kodali Subba Rao
S/o Kotiah & 5 others
Enikipadu village,
Vijaywada Tq.
(Transferor)

(2) Sri Dasari Venkata Satya Varaprasad
S/o Lingayya
Mg : Partner of
M/s. Sri Srinivasa Industries
Enikipadu village,
Vijawada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 1-08 cents at Enikipadu village, Vijaywada Tq., in RS No. 15, registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 5291/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 2/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Acres of land situated at Enikipadu village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vijaywada on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any inmoce or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

56—76 GI/86

(1) Sri Kodali Subba Rao
S/o Kotaiah & 5 others
Enikipadu village,
Vijaywada Tq. (Transferor)

(2) Sri Dasari Lingayya
S/o Chinna Pitchayya
Mg : Partner of
M/s. Sai Baba Casting Works
Mogalrajpuram,
Vijaywada. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable proptrty, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 1-10 cents at Enikipadu in R. Sy. No. 156/2, Vijaywada Tq., registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 5292/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 3/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Cotton & Rice Mill situated at Ganapavaram, Chilakaluripet (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chilakaluripet on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Chinni Veera Raghavaiah
S/o Appaiah
Chilakaluripet,
Guntur Dist.
(Transferor)

(2) M/s. Sri Dhanalaxmi Cotton & Rice Mill (P) Ltd.
rep : by its Mg : Director
Sri N. Venkatrathnam
Ganapavaram,
Chilakaluripet Tq.,
Guntur Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M/s. Sri Dhanalaxmi Cotton & Rice Mill (P) Ltd., in an area of Acre 0-50 cents or 2420 sq. yds. in Sy. No. 542/B, 9-52 situated at Ganapavaram Chilakaluripet Tq., Guntur Dist., vide Document No. 2677/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 4/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Acres of land situated at Dokiparru village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phirangipuram on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chavvakula Sivakumari
W/o Koteswara Rao
M. G. Road,
Brindavan Gardens,
Guntur. (Transferor)

(2) Sri Parvatha Reddy Sashidhar
S/o Gopala Krishna Parvatha Reddy
Shyamala Nagar,
Guntur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 8-16 cents in Sy. Nos. 111-2E, 111-3B, 112-G, 112-D & 112-E at Kokkuparri village, Phirangipuram, Guntur Dist., registered by the SRO, Phirangipuram vide Document No. 1382/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 5/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Acres of land situated at Ramanayyapet village (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kakinada in August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Pichhika Veera Raju
S/o late Suranna
Thummada Palem,
D. No. 57-24-79,
Visakhapatnam.
(Transferor)

(2) Sri Kantipudi Satyanarayana Murthy
S/o Audinarayana Murthy & 5 others
Tamara Palli,
Ramachandrapuram Tq.,
EG Dist,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Dry Acres of land Ac 0-57 cents or 2758 sq. yds. situated in Sy. No. 163/16, Patta No. 12, Block No. 67, at Ramannayyaper village, Kakinada Tq., E. G. Dist., registered by the SRO, Kakinada vide Document No. 9432/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT. 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC. No. 6/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing No. Acres of land situated at Kutukudumilli village, Pithapuram (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pithapuram, EG Dist. on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilities the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kotha Ramachandra Rao
S/o Laxmi Venkaiah & 3 Others
10-Ward,
Pithapuram,
E.G. Dist.
(Transferor)

(2) Sri Chekka Venkata Subrahmanyam
S/o Butchiraju
8th Ward,
Pithapuram,
E.G. Dist.
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac-6-80 cents att Kutukudumilli village of Phithapuram Mandalam, EG Dist., in Sy. No. 55/4 & 56/2, registered by the SRO, Pithapuram vide Document No. 3383/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 7/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House situated at Brodipet, Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on August, 1985 for an apparent consideration which i less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

sons, namely :—
Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persNow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

(1) Smt. M. Sowbhagyamma
rep : by GPA
Mr. S. J. Samuel
222, West Marrendpally,
Secunderabad.
(Transferor

(2) Mr. D. Prempyari
rep : by GAP
Mr. D. Premswarup
6/13, Brodipet,
Guntur.
(Transferee)

(Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned ; —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 5-94-7, at 6/13 Brodipet, Guntur, admeasuring 536 sq. yds. in Block No. 2, New Ward No. 2 and TS No. 67, 68 registered by the SRO, Guntur vide Document No. 7957/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 8/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at H. No. 16-1-16/A, near Beach, Vizag
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vizag on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Paramount Constructions
rep : by Mg : Partner
Smt. B. Laxmi
Dasapalla Hills,
Vizag. (Transferor)

(2) Smt. Sankari Anasuya Devi
W/o S. Janardhana Rao
H. No. 47-7-27,
Dwarka Nagar,
Vizag-16, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of buplication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXX of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat in Door No. 16-1-16/A, near : Beach, Opp : to Coastal Battery, Vizag, admeasuring 900 sq. ft. registered by the SRO, Vizag vide Document No. 8874/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 9/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at Flat in D. No. 16-1-16/A, near : Bearch (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizag on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Paramount Constructions
rep : by its Mg : Partner
Smt. B. Laxmi
Dasapalla Hills,
Vizag. (Transferor)

(2) Smt. Arabolu Satya Ramanujamma
W/o Appalla Rao
47-7-27, Dwaraka Nagar,
Vizag. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat in Door No. 16-1-16/A, near : Beach, opp: to Coastal Battery, Vizag, admeasuring 900 sq. ft. registered by the SRO, Vizag vide Document No. 8873/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 10/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Acres of land situated at Guntur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Guntur in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed bffly the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Puvvada Balayya
S/o Bapanaiah,
Kothapet,
Guntur.
(Transferor)

(2) M/s Hreenkaramay Sree Chintamani Kalpataru Parshwantha Jain Swetamber Teerth Trust,
rep : by its Chairman Sri Jasraj Bansali,
H. No. 22-2-73, Cloth Bazar
Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of th eaforesaid persons within a period of in the Official Gazette or a period of 30 days from 45 days from the date of publication of this notice the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, with 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazede.

EXPLANATSON :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 2-68.1/2 cents, Nambur Panchayat, plinth area 300 s.ft. tin shed at Guntur registered by the SRO, Guntur vide Document No. 9743/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 11/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Acres of land situated at Nambur road, Guntur
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Guntur in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from that transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the ndian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, inpursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Padarthi Venkata Koteswara Rao,
S/o Subbaiah,
Guntur.
(Transferor)

(2) M/s Hreenkaramay Sree Chintamani Kalpataru Parshwantha Jain Swetamber Teerth Trust,
rep : by its Chairman Sri Jasraj Bansali,
Cloth Bazar,
Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication ofithis notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 2-68.1/2 cents and plinth area 300 s. ft. Opp. to Nagarjuna University, Nambur Panchayat area, registered by the SRO, Guntur vide Document No. 9744/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 12/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Vacant site situated at Resapuvani palem,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vizag in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pandi Mutyalamma
W/o late Sanyasi,
D. No. 52-8-18, Resapuvani palem,
Visakhapatnam-13,
(Transferor)

(2) M/s Healthy Investments Ltd.,
rep : by its Director Sri Harjachandra Prasad
Kakani, Maker Chambers-V, 8th floor,
Nariman Point, Bombay-21.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site total area of 1676 sq. yds. at Resapuvani Palem, in Sy. No. 56/3, at Visakwhapatnam, registered by the SRO, Vizag vide Document No. 9054/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 13/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Vacant site situated at Resapuvani palem,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferredas per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vizag in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Pandi Apparao
S/o late Sri Sanyasi,
Resapuvani palem,
D. No. 52-8-18, Visakhapatnam.
(Transferor)

(2) M/s Healthy Investments Ltd.,
rep. by its Director Sri Harischandra Prasad K.
Maker Chambers-V, 8th floor,
Nariman Point, Bombay-21.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site total area of land 177 sq. yds. Resapuvani-palem, in Sy. No. 56/3 at Visakhapatnam, registered by the SRO, Vizag, vide Document No. 9055/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 31/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Land and building situated at Tanuku
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Tanuku in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) M/s The Venkateswara Gur and Khandsari Sugars (P) Ltd., rep. by its Mg. Director Sri Ch. Venkateswara Rao, Tanuku W.G. Dist.
(Transferor)

(2) Sri Akkina Krishna Murthy S/o Sriramulu, Undrajavaram village, Tanuku Tq., W.G. Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 0-99 cents and building plinth area of 22219 s. ft. at Tanuku, WG Dist., registered by the SRO, Tanuku vide Document No. 3159/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 32/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Building situated at Maruthi Nagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or th esaid Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Talabathula Surya Prakasa Rao
S/o Kamayacharyulu,
Bhavan Narayana Street,
Vijayawada-1.
(Transferor)

(2) Sri Desu Venkata Seshagiri Rao
S/o Venkata Subbarao,
Brahman Street,
Vijaywada-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building No. 31-23-3- (new), Maruthi Nagar, Vijaywada, admeasuring 559 sq. yds. registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 5473/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 33/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat situated at Santhi Apartments, Patamata,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Offictr at
Vijaywada in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Vallurupatti Prabhukishore
S/o Kesavrao Choudary
Sri G. V. Narasimha Raju
S/o Ranga Raju
Builders of Santhi Apartments,
Patamata, Vijaywada.

(Transferor)

(2) Sri Medepalli Prabhu Varaprasad Babu
S/o Jesupadam,
Marrivada,
Krishna Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meanings as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat in Shanti Apartments, near Saibaba Temple, Patamata, Vijaywada, admeasuring 870 s. ft. registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 3193/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 34/1986-87.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat situated at Mogalrajpuram, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vijaywada in August 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Aruna Builders,
rep. Sri Potti Janardhana Rao and
Sri Pothuri Nagabhushnam,
Labbipet,
Vijaywada.

(Transferor)

(2) Sri Chunduru Seetharam (Janshedpur),
S/o Seetharamaiah
A flat in Aruna Builders,
Mogalrajpuram, Labbipet,
Vijaywada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat admeasuring 750 s. ft. in Aruna Builders, Mogalrajpuram, Labbipet, Vijaywada registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 534/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 35/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Acres of land situated at Lankala Palem,
Sabhavaram Tq.,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferredas per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vizag in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of his notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Chegolu Venkata Nageswara Sastry
S/o late Venkata Somayajulu,
H. No. 18-1-64, K.G.H. down,
Vizag.
(Transferor)

(2) M/s Prasad Steel Fabrications
rep. by Sri Tripuraneni Venkata Kesava Rao;
Lankalapalem,
Sabhavaram Tq.,
Visakhapatnam Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 1-27 cents in Sy. No. 178 at Lankalapalem village, Sabhavaram Tq., Vizag Dist. registered by the SRO, Vizag vide Document No. 8784/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONEROF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 36/1986-87.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House situated at Gannavaram, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Offictr at Gannavaram in August 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kaza Visweswara Rao
S/o Suryanarayana,
Gannavaram,
Krishna Dist.
(Transferor)

(2) Smt. Yelamanchili Rajani
W/o Venkateswara Rao,
Door No. 85, Ward No. 1,
Gannavaram,
Krishna Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Door No. 85 in Ward No. 1, Gannavaram, Krishna Dist. admeasuring 304 sq. yds. registered by the SRO, Gannavaram vide Dicument No. 2432/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 37/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Acres of land situated at Gunadala village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijayawada on August 1985
for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have resaon to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for** the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 **(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—**

(1) Sri Chennupati Rambabu,
S/o Rajarao,
Gunadala,
Vijaywada-5. (Transferor)

(2) Sri Talla Hanumantha Rao,
S/o Venkayya,
PALAPARRU,
Chilakaluripet Tq.,
Guntur dist. (Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable** property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given **in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Acres of land 0-60 cents at Gunadala, Vijaywada in Sy. No. 139/1, registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 5321/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad

Date : 7-4-1986
Seal:

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 38/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No House situaed at Autonagar, Vijaywada,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vijaywada on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than 15 per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Ijjada Simhachalam,
S/o Apparao,
Patamata,
Vijaywada. (Transferor)

(2) Smt Boppana Vijayalaxmi,
W/o Krishna kumar,
Maruthi nagar,
VIJAYWADA. (Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Daba with tin shed in an area of 500 sq. yds situated at Jawahar Autonagar, Vijaywada, registered by the SRO, Vijaywada vide Document No. 5391/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 39/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Acres of land situated at Dwarapudi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the at Vizianagaram on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1923 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Kalla Appalaswamy,
S/o Appanna,
Dwarapudi,
VIZIANAGARAM.
(Transferor)

(2) M/s Vizianagaram Non-gazetted Employees,
Co-op. Building Society,
rep : by Sri Vadlamani Somasundaram,
Dwarapudi,
VIZIANAGARAM.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 1-60 cents at Dwarapudi village, VIZIANAGARAM in Sy. No. 263/2, registered by the SRO. Vizianagaram vide Document No. 3137/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 40/1986-87.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land situated at Sajjapuram village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tanuku on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri Md Shahabuddin Ahmad,
S/o Shamshuddin & others,
ATTILI,
W.G. Dist. (Transferor)

(2) Sri Udayagiri Sriramamurthy,
S/o Venkateswara Rao & others,
AJJARAM,
Tanuku Tq. WG Dist. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Total area of land 536 sq. yds in Ward No. 17 (new), at SAJJAPURAM village, at Velpur Road, TANUKU, WG dist. registered by the SRO, Tanuku vide Document No. 2942/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 41/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No Vacant site situated at Waltair Ward,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Vizag on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Savitri Mitra,
W/o A.K. Mitra,
166/34, Lake Gardens,
CALCUTTA-700045.
(Transferor)

(1) Smt K. Padmavathi W/o Satyanarayana Raju,
2. Sri KVRRK Raju S/o Satyanarayana Raju,
UNDURU-534 187,
Undi Tq.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site admeasuring 590 sq. yds in TS No. 1011/1P, at Waltair Ward, Panduranga Puram layout, Visakhapatnam registered by the SRO, Vizag vide Document No. 9557/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date 7-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 42/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No Vacant site situated at Waltair Ward.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Said Act in the Office of the Competent Authority
at Vizag on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Savitri Mitha,
W/o late A.K. Mitra,
166/34, Lake Gardens,
CALCUTTA-700045. (Trfansferor)

(2) Smt D. Pushpa Kumari Gupta,
W/o Dinesh Kumar Gupta,
20, Doctors' colony,
Seethammadhara, Vizag, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site admeasuring 259 sq. yds in TS No. 1011, at Waltair Ward, Pandurangapuram layour, Visakhapatnam registered by the SRO, Vizag vide Document No. 9558/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hydeabad A.P.)

Date 7-4-1986.
Seal :

**FORM I.T.N.S.——**

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. AR-I/37EE/7620|85-86.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heerinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No Acres of land situated at Vadapalli village, Kovvur Tq., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income tax Act 1961 in the office of the at Kovvuru on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

59—76 GI/86

(1) Sri Ponnada Pundarikakshudu,
S/o Suryaprakasa Rao,
2.Smt P. Sithamahalaxmi,
W/o Pundarikakshudu,
VADAPALLI village,
Kovvuru Tq., WG Dist.
(Trfansferor)

(2) Sri Bikkina satyanarayana,
S/o Suranna,
VADAPALLI,
Kovvuru Tq., WG Dist.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice **in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazettte.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given **in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Total Acres of land Ac 3-73 cents in RS No. 196 Vadapalli village, Kovvur Tq., WG Dist., registered by the SRO, Kovvur vide Document No. 1998/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date 7-4-1986.
**Seal :**

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING**
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 48/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Acres of land situated at S. Chikkala Village, Poduru Tq.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Narsapuram WG Dist on 8/1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the proverty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kunchanapalli Surya Satyanarayana Pandu Babu S/o. Venkata swmy Naidu & Others,
Narsapuram,
WG Dist.
(Transferor)

(2) Smt. Dantuluri Savitri Devi W/o. Venkata Kumara Varma, S. Chikkala village,
Poduru Tq.,
W.G. Dist.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are definde in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Total acres of land Ac 2-91 cents at S. Chikkala village, Poduru Tq., WG Dist., registered by the SRO, Narasapuram vide Document No. 1738/85.

M. EJGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad A.P.)

Date : 7-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 49/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Vacant Site situated at Ward No. 3, Palacol
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Palacol on 8/1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration said that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Aakina Venkata Ramana murthy (minor), rep : by natural father & guardian Sri A. Veeraswamy, Mattaparru village,
Palacol Tq.,
WG Dist.
(Transferor)

(2) M/s. Poornachandra Corporation,
rep : by Mg : Partner Sri P. Satyanarayana,
Palacol Tq.,
WG Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Total area of land 555 sq. yds. in Ward No. 3, at Palacol WG Dist., registered by the SRO, Palacol vide Document No. 3575/85.

M. EJGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986.
Seal :

FORM ITNS.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 50/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Vacant Site situated at Ward No. 3, Palacol
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Palacol on 8/1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Aakina Narsimha Murthy (minor)
rep : by natural father & guardian Sri A. Veeraswamy, Mattaparru village,
Palacol Tq.,
WG Dist.
(Transferor)

(2) M/s. Poornachandra Corporation,
rep : by MG : Partner Sri P. Satyanarayana,
Palacol Tq.,
WG Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Total area of land 616 sq. yds. in Ward No. 3, at Palacol, WG Dist., registered by the SRO, Palacol vide Document No. 3574/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986.
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISTION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.51/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House situated at Ward No. 7, Tadepallegudem
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Tadepallegudem on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saladi Meenakshi,
W/o Sri Sitharama Gurunadham,
Ward No. 15, TADEPALLIGUDEM,
WG Dist.
(Transferor)

(2) Smt. Valiveti Venkata Laxmi,
W/o Gopala Sitaramaiah & others,
Vijay Nagar Colony,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and the expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No.9-10-5, admeasuring 330 sq. yds at Ward No. 7, Tadepallegudem, W.G. Dist. registered by the SRO, Tadepallegudem, vide Document No. 4505/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISTION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 52/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
House situated at Kankipadu Road, Ward No. 17,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at Gudivada on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Potluri Nagabhushanam,
S/o Rajaiah,
17-Ward, Gudivada,
Krishna Dist.
(Transferor)

(2) Sri Gummadi Ramarao S/o Nagabhushanam,
Smt G. Rajalaxmi W/o Ramarao,
Mokhasakalapudi,
Krishna dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 17-3-8, admeasuring 726 sq. yds. at Kankipadu Road, Gudivada, registered by the SRO, Gudivada vide Document No.3805/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.53/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Building situated at Sithammapet, Rajendra nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizag on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Poosapati Padmavathi Devi, W/o Appala Narasimha Raju, Tallavalasa, Bhimunipatnam Tq., Vizag. Dist., (Transferor)

(2) Sri I. Krishna Murthy, S/o late I. Kamasastry, 50-63-10, Seethammapet, Rajendra Nagar, Vizag. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No.50-63-10, Seethammapet, Rajendra Nagar, Vizag, admeasuring 400 s.yds registered by the SRO, Vizag vide Document No.8924/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date: 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISTION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.54/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'stid Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Acres of land situated at Nallapadu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on August 1985
for an apparent consideration which i less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kanteti Nageswara Rao,
W/o Venkateswarlu,
I line, Ramannapet,
Guntur.
(Transferor)

(2) The Prasanti Nagar Co-op. Building Society Ltd.,
rep : by its Secretary Sri N. Sambasiva Rao,
Brodiepet, Guntur.
(Transferee)

(Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 2-00 at Nallapadu, Guntur in Sy. No. 590/1, registered by the SRO, Guntur vide Document No. 10467/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS—— ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISTION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.55/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House situated at 14/5, Ward
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registeriing Officer
at Eluru on August 1985
**for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—**

60—76 GI/86

(1) Sri Mahadasyam Parakusam (alias : Rukminamma),
W/o Ranga rao,
Eluru.

(Transferor)

(2) Sri Chekuri Satyanarayana Raju,
S/o Venkata Raju,
Katriya Meals Hotel,
GNT Road, Eluru.

(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

**EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

A building in 14/5 Ward, Eluru, WG dist, admeasuring 185 sq.yds registered by the SRO, Eluru vide Document No. 6523/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 56|86-87.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1.00,000/- and bearing No House situated at Barumpet, has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registeriing Officer at Narasaraopet, on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more thtan fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri Vanka Narasimha Reddy,
S/o Je la Reddy,
NARASARAOPET,
Guntur dist.
(Transferor)

(2) Sri Tadikamalla Chandraish,
S/o Pitchayya & others,
H. No. 3-12-19, Barumpet,
NARASARAOPET,
Guntur dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Door No. 3-12-19, Barumpet, Narasaraopet, admeasuring 113 sq. yds registered by the SRO, Narasaraopet, vide Document No. 4193/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Hyderabad (A.P.)

Date 7-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE NDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 57/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1.00,000/- and bearing
No House situated at Chowtra
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registeriing Officer
at Guntur on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as foresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasioh of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect ;of any inoome arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Ravuri Venkata Subbarao,
S/o Chalamalah,
Chowtra,
Guntur. (Transferor)

(2) Sri Inavolu Radhakrishna Murthy,
S/o Peda Subbaiah,
Kanyaka Parameswari Temple Street,
D. No. 21-3-62, Guntur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of buplication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXX of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Door No. 21-14-34, Chowtra, Guntur admeasuring 102 sq. yds registered by the SRO, Guntur vide Document No. 7961/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Insecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Hyderabad (A.P.)

Seal :
Date 7-4-86.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 58/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value exceeding
exceeding Rs. 1.00,000/- and bearing
No House situated at Main road, near : RTC bus stand,
(and more fully described in the Schdeule annexed hereto),
has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at TANUKU on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid is the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Chitturi Surya Rao,
S/o Subbarao,
2. Sri Ch. Krishna murthy S/o Lingaiah,
TANUKU,
WG Dist.
(Transferor)

(1) Smt Chitturi Parvathi Devi,
W/o Venkateswara Rao,
Proprx : Urvasi Wines,
Tanuku, Wg. Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House admeasuring 202 sq. yds on the Main Road, near : RTC bus stand, TANUKU, WG Dist., registered by the SRO, Tanuku vide Document No. 3437/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Hyderabad (A.P.)

Date 7-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref No. 111/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No Acres of land and shed situated at Bongulur village, Mangalpalli Post.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at I.A.C., Acqn. at RR Dist on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than [illegible] per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Ramkumar Soni,
42, Madhu Kunj,
Sardar Patil Road,
Secunderabad.
(Transferor)

(2) M/s. Adarsha Poultry Farms
rep : by its partner Sri M. Janakiram,
Bongulur Village,
Mangalpalli Post,
Ibrahimpanam Tq.,
RR Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land total AC 7-01 guntas in Sy. No. 109 at Mangalpalli village with layer sheds and structures, Ibrahimpatnam Tq., RR Dist., registered by the SRO, RR Dist. vide Document No. 6041/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Hyderabad (A.P.)

Date 7-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref RAC No. 112/86-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No Acres of land with shed situated at Bongulur Village, Mangalpalli Post,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at RR Dist on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Sudeshkumari Soni,
W/o Ramkumar Soni,
Proprx : M/s Nagarjuna Poultry Farm,
rep : by GPA Sri Ramkumar Soni,
42, Madhukunj, S.P. Road,
Secunderabad.
(Transferor)

(1) M/s Adarsh Poultry Farm,
rep : by its partner Sri M. Janakiram,
Bongulur Village,
Mangalpalli Post,
Ibrahimpatnam Tq., RR Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac. 3-33 guntas in Sy. No. 108 at Managalpalli village with sheds and structures, Ibrahimpatnam Tq., RR Dist., registered by the SRO, RR Dist., vide Document No. 6040/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rance, Hyderabad (A.P.)

Date 7-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th April 1986

Re. No. RAC No. 131/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing A portion of house situated at Gandhinagar, New Bakaram, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikkadpally on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Rajendra Kumar Neemkar
S/o late Govinda Rao,
H. No. 3-5-98/5, Rajmohalla,
Narayanaguda, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Rajender Singh
S/o Sri Mangat Singh,
15-7-568, Begum Bazar,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open terrace over the first floor of House No. 1-1-742/2, Gandhinagar, New Bakaram, Hyderabad, admeasuring 225.44 sq. yds registered by the SRO, Chikkadpally vide Document No. 1181/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——————**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th April 1986

Ref. No. RAC No. 130/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. portion of a house situated at Gandhinagar, New Bakaram, Hyderabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikkadpally on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Rajendra Kumar Neemkar
S/o late Govinda Rao,
H. No. 3-5-98/5, Rajmohalla Road,
Narayanaguda, Hyderabad. (Transferor)

(2) Smt. Gurjeet Kour,
W/o Sri Harjeet Singh,
15-7-568, Begum Bazar,
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of the house in the first floor bearing M. No. 1-1-742/2, Gandhi Nagar, New Bakaram, Hyderabad, admeasuring 165 sq. yds. registered by the SRO, Chikkadpally vide Document No. 1180/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th April 1986

Ref. No. RAC No. 129/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. A portion of house situated at Gandhinagar, New Bakaram, Hyderabad, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikkadpally on 8/85

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

61—76 GI/86

(1) Sri Rajendra Kumar Neemkar
S/o late Govinda Rao,
H. No. 3-5-98/5 Rajmohalla, Road,
Narayanaguda, Hyderabad.
W/o Ranjeet Singh,
(Transferor)

(2) Smt. Arvinder Kaur,
15-7-568, Begum Bazar,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of the house in the ground floor and the garage bearing M. No. 1-1-742/2, Gandhi Nagar, New Bakaram, Hyderabad, admeasuring 86.75 sq. metrs and One room measuring 14'0x23'9 along with bath room and two balconies admeasuring 50.52 sq. mtrs, registered by the SRO, Chikkadpally vide Document No. 1179/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

*Hyderabad, the 11th April 1986*

Ref. No. RAC No. 128/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
benig the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'stid Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
A portion of house situated at Gandhinagar,
New Bakaram, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Chikkadpally on 8/85
for an apparent consideration which i less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than flifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namelw :—

(1) Sri Rajendra Kumar Neemkar
S/o late Govinda Rao,
H. No. 3-5-98/5, Rajmohalla,
Narayanaguda, Hyderabad. (Transferor)

(2) Smt. Kanvaljeet Kaur,
W/o Sri Charanjeet Singh,
15-7-568, Begum Bazar,
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of house in the ground floor M. No. 1-1-742/2, Gandhi Nagar, New Bakaram, Hyderabad, admeasuring 115.36 s. mtrs. registered by the SRO, Chikkadpally vide Document No. 1178/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC. No. 89/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding** Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Akbar Towers, New Malakpet,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Azampura on A/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration **and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said** instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Abbi Constructions
rep : by its Mg. Partner Sri Syed Ali Akbar,
Akbar Towers,
New Malakpet, Hyderabad.
(Transferor)

(2) 1. Mrs. Ruquia Amjad Ali
2. Mr. Mir Amjad Ali
H. No. 23-2-198/7, Mogalpura,
Hyderabad.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

**EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Flat No. 501 in Akbar Towers at H. No. 16-8-533/20, New Malakpet, Hyderabad, admeasuring 1166 s. ft. registered by the SRO, Azampura, vide Document No. 2369/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 88/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Narasimha Kripa Apartments, Masab Tank (and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration or such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Eskay Builders,
10-3-22, Masab Tank,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Tahsin Ali Sayeed,
S/o Sri Ahmed Ali,
16-9-581, Mlakpet,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 206 in Narasimha Kripa Apartments at H. No. 10-5-22, Masab Tank, Hyderabad, admeasuring 862 s. ft. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2067/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 87/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Acres of land situated at Manikbhandhar village,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nizamabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957, (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Yenganti Rajeswar Goud (minor)
rep : by natural father & guardian
Sri Y. Hanma Goud,
Agriculturist,
Mubarak Nagar Village,
Nizamabad Tq. & Dist.
(Transferor)

(2) M/s. The Sukhjeet Starch & Chemicals Ltd.
Phagwara (Punjab),
rep : by its General Manager (Finance)
Sri S. M. Jindal,
H. No. 11-1-183, Kanteshwar,
Nizamabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land, Total Ac 2-08 guntas in Survey No. 23, 28 & 29 at Manik Bhandhar Village, Nizamabad Tq. & Dist. registered by the SRO, Nizamabad vide Document No. 4874/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 86/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Acres of land situated at Manikbhandhar village,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nizamabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which outght to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Yenganti Dayanand Goud (minor)
S/o Sri Y. Hanma Goud,
rep : by natural father & guardian
Sri Y. Hanma Goud,
Agriculturist,
Mubarak Nagar Village,
Nizamabad Tq. & Dist.
(Transferor)

(2) M/s. The Sukhjeet Starch & Chemicals Ltd.
Phagwara (Punjab),
rep : by its General Manager (Finance)
Sri S. M. Jindal,
H. No. 11-1-183, Kanteshwar,
Nizamabad.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land, Total Ac 2-08 guntas in Survey No. 23, 28 & 29 at Manik Bhandhar Village, Nizamabad Tq. & Dist. registered by the SRO, Nizamabad vide Document No. 4873/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 85/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat situated at Akbar Towers, New Malakpet (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the- Registering Officer at Azampura on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Syed Ali Akbar,
H. No. 16-8-532, New Malakpet,
Akbar Towers, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Tahera Kazi
Murad Nagar, H. No. 12-2-113/1,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 503 in H. No. 16-8-533/22, Akbar Towers, New Malakpet, Hyderabad, admeasuring 1166 s. ft. registered by the SRO, Azampura, vide Document No. 2320/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 84/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Apartment No. 702, situated at
'Shiba Glen' apartments, Kapadia Lane,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arisnig from the transfer; and/or

(b) facilitating the concetlment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Landmark Builders,
6-2-980, Khairatabad,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) 1. Mrs. Khadija Begum, J. Tababally,
2. Mr. Shafiq Tayabally,
Santa Aparts, III Floor,
Banjara Hills, Road No. 4,
Hyderabad.
(Transferee)

(Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the rate of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Apartment No. 702 in 'Shibas Glen'apartments, Kapadia lane, Somajiguda, Hyderabad, admeasuring 1400 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4692/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 83/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. Flat situated at Kantisikhara Complex, Punjagutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Virgo Construction Co., rep.: by Sri B. N. Reddy, Banjara Hills, Hyderabad. (Transferor)

(2) Dr. S Madhava Rao, Flat No. 69, Block-F, Kantisikhara Complex, Panjagutta, Hyderabad. (Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 69 in Block-F in Kantisikhara Complex, Panjagutta, Hyderabad admeasuring 415 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4580/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 82/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Flat situated at Kantisikhara Complex, Punjagutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Virgo Construction Co. Ltd., rep. : by Sri B. N. Reddy, Banjara Hills, Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri K. H. Prasad, S/o. K. H. Rao, Flat No. 8 on II Floor, Kantisikhara Complex, Punjagutta, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8 on II Floor in Kantisikhara Complex, Punjagutta, Hyderabad, admeasuring 925 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4579/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 81/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. Flat situated at Kantisikhara Complex, Punjagutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad in August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

193—36 GI/86

(1) M/s. Virgo Constructions Co., rep. : by Sri B. N. Reddy, Banjara Hills, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. P. Bharathi W/o. P. Venkata Ramreddy, Flat No. 77, Kantisikhara Complex, Punjagutta, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 77 in Kantisikhara Complex, Punjagutta, Hyderabad, admeasuring 415 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4581/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**
THE SCHEDULE
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 80/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
**being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),** have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at Arun Apartments, Red Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sunrise Builders,
11-5-348, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri V. Srinivas,
174-B/MIG-11, S.R. Nagar,
Hyderabad-38.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

**EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

**THE SCHEDULE**

Flat No. 211, Arun Apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 901 s. ft. (or 81.30 sq. mtrs) registered by the SRO, Hyderabad, vide Document No. 4451/85i

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 79/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Arun Apartments, Red Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad in August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sunrise Builders,
11-5-548, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri M. Narasimha Rao,
20/3 RT, S. R. Nagar,
Hyderabad-38.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 212 in Arun apartments, Red
admeasuring 855 s. ft. registered by the
vide Document No. 4449/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 78/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN **being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat situated at Arun Apartments, Red Hills, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 8/85

for an apparent consideration which is less than the fair **market value of the aforesaid property and I have reason** to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration **and that the consideration for such transfer as agreed to between the** parties has not been truly stated in the said instrument of **transfer with the object of :—**

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said ct, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the oresaid property by the issue of this notice under sub-ction (1) of Section 269D of the said Act, to the following ersons, namely :—

(1) M/s. Sunrise Builders, 11-5-348, Red Hills, Hyderabad-4. (Transferor)

(2) Smt. K. Indira Devi, Flat No. 704, Arun Aparts, Red Hills, Hyderabad. (Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property** may be made in writing to the undersigned :—

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,** whichever period expires later;

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION.—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Flat No. 704 in Arun apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 1218 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4450/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

derabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 77/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Arun Apartments, Red Hills,
Flat situated at Arun Apartments, Red Hills,
has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) reduction or evasion of the liability prior to pay tax under the said Act, in respect of income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sunrise Builders,
11-5-348, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri P Raghava Rao,
Flat No. 410, Arun apartments,
H. No. 11-5-348, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 410, in Arun apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 1180 s. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4511/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 76/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Flat situated at Brindavan Apartments, Red Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bhagyanagar Construction Co.,
11-4-656/1, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Lokendra Kumar Jain,
10-1-3, Siripuram Junction,
Vizag-3.
(Transfe

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 714 in Brindavan Apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 1218 s. ft. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2086/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 75/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at Vani apartments, Vani nagar, Malkajgiri, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vallabhanagar on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

63—76 GI/86

(1) M/s Krupa Construction Co.,
31B, East Marredpally,
Secunderabad.

(Transferor)

(2) P. Vijay Laxmi Prasad,
Flat No. 5, Vani Apartments,
Malkajgiri, Hyderabad-47.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5 in Vani Apartments( Malkajgiri, Hyderabad, admeasuring 750 s.ft. registered by the SRO, Vallabhanagar, vide Document No. 2844/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 74/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable Property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at Kanti Sikhara apartments, Punjagutta,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. M. Balarajamma W/o Narasimha,
2. Sri M. Vivekanand S/o M. Narasimha,
H. No. 11-1-688, New Bhoiguda,
Seetharam bagh, Hyderabad
(Transferor)

(2) Sri KJS Sethi S/o M. R. Sethi,
Flat No. 326, in Kanti Sikhara apartments,
Punjagutta, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 15 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 316/85-86 dated 5-8-85]

Flat No. 326 in Kanti Sikhara Apartments, Punjagutta Hyderabad, area 1110 sq. ft. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4299/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 73/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Flat situated at A. C. Guards
(and more fully described in the Schedule annexed hereo), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduuction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Hyderabad Builders,
11-4-623, A. C. Guards,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Miss M. Hemalatha (minor)
rep : by natural father & guardian
Mr. M. Rajendra Prasad
Flat No 501, in Ashina Apartments,
A. C. Guards, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 501 in H. No. 11-4-623, A. C. Guards, 'Ashiana Apartments', A. C. Guards, Hyderabad, area 1149 s.ft. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2150/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
sistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 72/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Portion of house situated at Santosh nagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Kasuri Bheemaraju,
12-2-823/A/1/3, Santosh nagar,
Mehdipatnam,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) 1. Smt. P. Sita W/o P. A. Varma,
2. Sri P. V. Varma S/o P. A. Varma,
H. No. 12-2-823/A/1/13, Santosh nagar,
Mehdipatnam, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Portion of house No. 12-2-823/A/1/13, Santosh nagar, Mehdipatnam, Hyderabad, admeasuring 1000 s.ft. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2021/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 71/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Portion of house situated at Santosh nagar
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Koguri Bheema Raju,
12-2-823/A/1/3, Santosh nagar,
Mehdipatnam,
Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri SVSN Raju,
H. No 12-2-823/A/1/3/C, Santosh nagar,
Mehdipatnam,
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period express later.

(b) by any other person interested in the said immovable prpperty, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of House No. 12-2-823/A/1/3/C, Santoshnagar, Mehdipatnam, Hyderabad, admeasuring 1000 s.ft. registered by the SRO. Khairatabad vide Document No. 2006/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 70/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'stid Act,), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
House situated at R. K. Nagar, Malkajgiri
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
RR Dist. on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between th parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269G of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Meenakshi,
W/o Shri G. M. Sankaran,
23—35, R. K. Nagar,
Malkajgiri,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mr. M. Ramanja Chary,
H. No. 23-24, R. K. Nagar,
Malkajgiri,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 23-34, at R. K. Nagar, Malkajgiri, Hyderabad, admeasuring 266.66 sq. yds. registered by the SRO, RR Dist. vide Document No. 5470/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 69/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing House situated at Bharani Colony, Malkajgiri, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vallabhanagar on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sheila Robers,
W/o Mr. D. B. Roberts,
AD-14, I Floor, Anna Nagar,
Madras. (Transferor)

(2) Sri V. V. Narasimha Rao,
S/o V. Sitharam,
34-119, B. H. Colony,
Malkajgiri, Secunderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

H. No. 34-119, B. H. Colony, Malkajgiri, Secunderabad, admeasuring 511 sq. yds. registered by the SRO, Vallabhanagar, vide Document No. 2857/85

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-86.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 68/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot situated at Yellareddyguda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on 8/85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. M/s M. N. Reddy & Co., rep : by its Mg : Partner Sri M. N. Reddy
2. Sri K. Balagangadhara Rao H. No. 8-3-198/20/1, Nagarjuna Nagar, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Suri Narasimha Murthy, S/o Srirama Murthy & 15 others, H. No. 6-1-699, Khairatabad, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8-3-977/6/A in Sy. No. 32, Yellareddyguda, Hyderabad, admeasuring 675 sq. yds. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2139/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 67/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot No. 7 situated at Yosufguda,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 169D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Sarwar Jahan
W/o late G. Chand Basha
2. Mr. Ishaq Javid
S/o G. Chand Basha & others,
H. No. 7, MIG-II, HUDA Colony,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mrs. N. Vasundhara Devi,
W/o Swamy,
H. No. 82-B, S. R. Nagar,
Hyderabad.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7, in Sy. No. 145/2, Yousufguda, Hyderabad, admeasuring 350 sq. yds. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2201/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. RAC No. 66/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
**being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Sarita Apartments, Banjara Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad on 8/85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the** aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. V. Kameswara Sarma
2. V. Visweswara Sarma and
3. Sri V. S. Babji,
Nandampudi,
Amalapuram Tq., WG Dist.
(Transferor)

(2) Mrs. Masuna Begum
W/o late Profit Hosain Ali Khan,
Flat No. 102, in H. No. 8-2-421/1,
Sarita Apartments,
Banjara Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any of the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 102 in H. No. 8-2-421/1, Sarita Apartments, Banjara Hills, Hyderabad, area 1690 s.ft. and a garage of area 201 s.ft. registered by the SRO. Khairatabad vide Document No. 2099/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 65/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
House situated at Uttam Nagar Malkajgiri
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Vallabha Nagar in August 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Gangadharan Nair,
21-64, Uttam Nagar,
Malkajgiri,
Secunderabad.
(Transferor)

(2) Mrs. D. Gowri Mani,
6-3-609/82, Anand Nagar,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 21-64, Uttam Nagar, Malkajgiri, Secunderabad area 311 sq. yds registered by the SRO, Vallabha Nagar, vide Document No. 2860/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 64/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot situated at Shaikpet
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any oneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Bhima Raju
6-3-856/2, Ameerpet,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri A. V. Pratab Reddy,
S/o late A. V. Narayan Reddy,
'Chandralok' complex,
Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovabel property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 3 in Sy. No. 129, M. No. 8-2-335, in Road No. 5, Banjara Hills, Hyderabad, area 412 sq. yds registered by the SRO Khairatabad vide document No. 2229/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 63/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
House situated at Rangampet,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office
at Warangal on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gangisetti Bhagyalaxmi,
W/o G. Narsaian,
Pinnavari Street,
Warangal.
(Transferee)

(2) Dr. Vasanta Kulkarni,
S/o Kishan Rao,
M. G. Road, Warangal.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 15-71/1/1, Rangampet, Warangal, admeasuring 400 sq. yds. registered by the SRO, Warangal vide Document No. 1641/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 62/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value
Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat situated at Brindavan apartments, Red Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bhagyanagar Construction Co.,
11-4-656/1, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri E. Mohan Reddy,
S/o E. V. Narsimha Reddy,
Flat No. 209, Brindavan Apartments,
Red Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 209 in Brindavan Apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 816 s. ft. registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2185/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 61/86-86.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Flat No. 110 situated at Brindavan Apartments, Lakdi-ka-pool (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Bhagyanagar Construction Co.
11-4-656/1, Red Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Khushiram Agarwal,
W/o Swamidas,
Flat No. 110, Block-B,
Brindavan Apartments,
Red Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 110, in Brindavan Apartments, Red Hills, Hyderabad, admeasuring 1181 s. ft. registered by the SRO, Khairatabad *vide* Document No. 2184/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 60/86-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

Flat situated at Dharam Karan Road,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on August 1985

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Raghunadharao Associates,
7-1-70, Dharam Karan Road,
Amirpet Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mrs. Neni Parsram Ramnani,
W/o Parsram Ramnani,
rep. by GPA Mrs Shanta M. Khemani,
7-1-63/2, Dharam Karan Road,
Amirpet, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. F on 3rd floor in Plot No. 78, admeasuring 880 s. ft. situated at H. No. 7-1-70, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad, vide Document No. 4528/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 8th April 1986

Ref. No. RAC No. 59/86-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Apartment situated at Kapadia Lane, Somajiguda,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneyes or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or thhe said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Landmark Builders,
6-2-930, Khairatabad,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) M/s. Orient Longman Ltd.,
rep. by its Deputy Secretary Mr. B. M. Md. Ali,
5-9-41/1, Bashir Bagg,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquision of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires ater;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Apartment No. 604 & garage No. 1, at H. No. 6-3-986, Kapadia lane, Somajiguda, Hyderabad area 1160 s. ft. and 130 s. ft. registered by the SRO Hyderabad, vide Document No. 4487/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 8-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th April 1986

Ref. No. III-1283/Acq/86-87.—Whereas, I, DURGA PRASAD, **being the Competent Authority under Section 269B of** the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred **to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-**able property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Thana No. 199 M.S. Plot No. 706 Sub-Plot No. 706/2 Old H. No. 18, New 262 and 814 situated at Village Chandri P.S. & District Ranchi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ranchi on 28-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ranjeet Singh,
S/o Late Hari Chand Singh,
R/o Ratu Road, Ranchi,
P.S. Sukhdeo Nagar, District Ranchi.
(Transferor)

(1) Shri Bimal Kumar Singh,
S/o Shri Ram Prasad Singh,
R/o Hali Town Kona, P.S. Beejpur,
District 24 Pargana, West Bengal.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Land with building measuring 2 Katha 2 Chhataks 33 sq. ft. situated at village Chandri P.S. & District Ranchi and morefully described in deed No. 8882 dated 28-8-85 registered with D.S.R., Ranchi.

DURGA PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 14-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 14th March 1986

Ref. No. A.P. No. 5979.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Jasoti C. Masand w|o Sh. C.W. Masand, 4|202, Shangrila, 31-Bund Gardens Road, Pune-41001.

(Transferor)

(2) Sukhvinder Kaur D|o Bhagwan Singh r|o South Extension, D-II, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The Terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No. 3-A situated in Model Town, Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale deed No. 2537 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Dated 14-3-1986.
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 14th March 1986

Ref. No. A.P. No. 5980.—Whereas I,—
R. R. GUPTA,
Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jalandhar in Sept. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—**

(1) Brij Bhushan Bhalla s/o Jagdish Ram of Model House, Jalandhar Mukhtiar-am of Ved Parkash Mohindru s/o Jagirimal r/o 426-Model Town, Jalandhar.

(Transferor)

(2) Maj. Mastan Singh s/o Jiwan Singh and Smt. Pritam Kaur w/o Maj Mastan Singh r/o 73-P. Model Town, Jalandhar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested n he sad immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Plot No. 313 situated in GuruTeg Bahadur Nagar, Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale deed No. 3064 of Sept., 85 of the Registering Authroity, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jalandhar.

Dated 14-3-1986.
Seal :

**FORM ITNS———**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 14th March 1986

Ref No. A.P. No. 5981 and 5982.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Muktsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the Office of the Registering Officer
at Muktsar on Oct., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the obect of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income oor any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Veero 'urf' Veero Devi wd|o Inder Mal s|o Kalu Mal r|o Muktsar. (No r|o Sadul Sheher Distt : Ganga Nagar).

(Transferor)

(2) Ramesh Chander Goyal Advocate s|o Sh. Todar Mal (R.D.No. 2083) and Rajni Goyal w|o Ramesh Chander Goyal Advocate R|O H. No. 149, Ram Bara Bazar, Muktsar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Proterty No. M.C. 1684 situated in Ram Bara Bazar, Muktsar and persons as mentioned in the registered sale deed Nos : 2083 & 2084 of Oct. 85 of the Registering Authroity, Muktsar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Dated 14-3-1986.
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 25th March 1985

Ref No. A.P. No. 5984.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated is the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Resham Singh s|o Nasib Chand r|o 10-Defence Colony, Jalandhar Mukhtiar-Khas Smt. Prakash Kaur Sandhu w|o Sh. Santokh Singh Sandhu, 34-Harley Road, Green Ford, Country of Middle Sex, (U.K.)
(Transferor)

(2) Veena Aggarwal w|o Ramesh Kumar Aggarwal, 85-Lajpat Nagar, Jalandhar C|O M|s Mahavir Iron & Steel Trading Co. Tanda Road, Jalandhar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Officail Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No. 85 situated in Lajpat Rai Nagar Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale deed No. 2871 of August, 85 of the Registering Authority Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar

Dated 25-3-1986.

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 31st March 1986

Ref No. A.P. No. 5985.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Faqir Chand Verma S/o Saling Ram R/o 205-Guru Teg Bahadur Nagar, Jalandhar C|O Punjab National Bank, Chowk Sudan, Jalandhar.
(Transferor)

(2) Vir Kaur and Mava Devi w|o Diwan Singh r|o Vishal Industrial Corporation, Basti Danishmandan, Jalandhar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No. 205 situated at Guru Teg Bahadur Nagar, Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale deed No. 2795 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Date : 31-3-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 31st March 1986

Ref No. A.P. No. 5986 and 5987.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or th esaid Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Raksha Devi W|O Amarjit r|o 357-Adarsh Nagar, Jalandhar.
(Transferor)

(2) Charanjit Singh s|o Nihal Singh (R.D. No. 2782) and Baljit Kaur w|o Charanjit Singh r|o NN-375, Mohalla Gopal Nagar, Jalandhar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION S—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No. 375 situated at Adarsh Nagar Jalandhar & Persons as mentioned in the registered sale deed No. 2783 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Dated 31-3-1986.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 1st April 1986

Ref A.P. No. 5988 to 5993.—Whereas I, R. R. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. / as per schedule situated at Kotkapura (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Faridkot on Sept. 1985 and Jan., 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property to aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice unedr sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Parkash s|o Des Raj s|o Chanan Ram r/o Kotkapura (R.D. No. 2828) & 2829 & 2830 2. Darshna Devi w/o Om Prakash r/o Kotkvapura (R.D. No 2831) 3. Kamal Jindal (M) s/o OM Prakash r|o Kotkapura (R.D. No. 4546 & 4587).

(Transferor)

(2) Shri Tarsem Chand s|o Parma Nanad r|o Kotkapura (R.D. No. 2828 & 2830) & Vijay Kumar s/o Parma Nand s|o Mangal Mal r|o Kotkapura (R.D. No. 2829) & 2831) (3Q Vinod Kumar s|o Tarsem Lal s|o Parma Nanad (R.D. No. 4546) (4) Shakuntla Devi w|o Vijay Kumar s|o Uarma Nanad r|o Kotkapura (R.D. No. 4587).

(3) as serial No. 2 above (Person in occupation of the property).

(4) any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property measuring 225 Sq. Yrd situated at Kotkaura as per details and persons mention in the R.D. Nos. 2828, 2829, 2830 & 2831 of 9/85 and R.D. No. 4546 & 4587 of 1/86, S.R. Faridkot.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 1st April 1986

Ref No. A.P. No. 5994 and 5995.—Whereas I, R. R. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. as per schedule situated at Jalandhar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jalandhar on August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Raj Pal S/O Kanhiya Lal R/O EQ-360, Rainak Bazar, Jalandhar.
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Singh & Gurcharan Singh S/o Kartar Singh r/o EP-184, Mohalla Khodian, Jalandhar.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property House No. 360 situated in Meena Bazar, near Rainak Bazar, Jalandhar & Persons as mentioned in the registered sale deed Nos : 2569 & 2570 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Dated 14-3-1986,
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the Ist April 1986

Ref No. A.P. No. 5996.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manohar Lal Handa s|o Lal Chand R|O ND-101, Bikrampura, Jalandhar.
(Transferor)

(2) Shri Karam Singh s|o Kishan Singh r|o House No. 2, Lajpat Nagar, Delhi-III (C|O Sh. Ranjit Singh of M|s Premier Rubber Industries, Indl. Area, Jalandhar).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property House No. 2 situatedin DinDyal Upadhya Nagar Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale dced No. 2940 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jalandhar.

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
JALANDHAR

Jalandhar, the 1st April 1986

Ref No. A.P. No. 5997.—Whereas I,
R. R. GUPTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Jalandhar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jalandhar on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A. P. Sharma
S/o Bansi Dhar Vasudeva
R/o 180, Shakti Nagar,
Jalandhar.
(Transferor)

(2) Smt. Amarjit W/O Bhagwan Singh R/O N.M. 64, Mohalla Qarar Khan, Jalandhar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No. 180 Shakti Nagar, Jalandhar and persons as mentioned in the registered sale deed No. 2563 of August, 85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jalandhar.

Date : 1-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF- THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Jalandhar, the 2nd April 1986

Ref. No. A.P. No. 5998-5999.—Whereas I, R. R. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value Rs. 1,00,000/- and bearing No. as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jalandhar on Aug. & Dec. 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Kumar S/o Hari Chand, r/o 409-Adrash Nagar, Jalandhar.

(Transferor)

(2) Shri Kimti Lal Jain s/o Des Raj (2857), and Amit Jain s/o Kimti Lal Jain and Urvashi Jain, w/o Kimti Lal Jain r/o NJ-182, Mohalla Lawan, Jalandhar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Kothi No.409 situated in Adrash Nagar, Jalandhar & persons as mentioned in the registered sale deed Nos : 2857 of Aug.85 and 4897 of Dec.85 of the Registering Authority, Jalandhar.

R. R. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Jalandhar.

Dated : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.14/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (thereinafter referred to as the saidd Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No Land situated at Labbipet
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Vijaywada on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Gurucharan Singh Uppal,
S/o Beant Singh,
Governorpet, Hyderabad.
(Transferor)

(2) M/s The Pioneer Fertilizer Co.,
rep : by its Mg : Partner,
Sri Posani Pattabhi Ramrao,
S/o Subbarao,
Kasturi Bai pet, Vijaywada-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 598 sq.yds at Labbipet, in Block-4, Ward No.28, Vijaywada vide Document No.5256/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisssioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.17/86.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No House situated at Gunadala village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Vijaywada on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) factilitating the cooncealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. Kummarisetti Satyanarayana Murthy,
S/o Baparao,
Labbipet, Vijaywada.
(Transferee)

(2) Mr. Nooguluri Rajagopal Rao,
S/o Venkateswara Rao,
Kasturi bai pet,
Vijaywada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein but are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Door No. 453/4B, Gimadala Village, (D. No. 11-333), Asst., No.40, admeasuring 1080 sp.yds., Vijaywada registered by the SRO, Vijaywada vide Document No.5230/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.18/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
House situated at Patasala Street, Kummarguda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Marredpally on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the asquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri T. A. Seetha Ramanujam, Moodaliar & others,
H.No.8-2-214, Kummarguda,
Secunderabad.
(Transferor)

(2) Sri G. Ramalingam,
S/i Lingiah,
H.No.1-5-7, Dhan Bazar,
Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 8-2-214, Pathasala Street, Kummarguda, Secunderabad, admeasuring 165 sq.yds registered by the SRO, Marredpally vide Document No.2275/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.19/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No House situated at Chikkadpally
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. P. Sarala,
W/o P. Sudhakara Rao & others,
1-8-41/1, Chikkadpally, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. M. Annapurna,
W/o M. Narsing Rao,
1-8-41/1|A, Chikkadpally, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No.1-8-41/1, at Chikkadpally, Hyderabad, admeasuring 152.83 sq.yds registered by the SRO, Hyderabad vide Document No.4480/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE
AHMEDABAD-380009.

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.20/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No Flat situated at Srinath Complex, S.D. Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Secunderabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 or 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Srinath Construction Co.,
rep : by its Mg : Partner Sri Shivcharan,
H.No.5-8-612, Abids, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Smt. Jasoti Bai,
W/o Tikamdas,
Flat No.704, Srinath Complex,
S.D. Road, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No.704 in Srinath Complex at S.D. Road, Secunderabad, admeasuring 1302 s.ft. registered by the SRO, Secunderabad vide Document No.286/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.21/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
**using the Competent Authority under Section 269B of the** Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), **hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable** property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No House situated at Marredpally, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Marredpally on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to belice that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).**

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely :—**

(1) Smt. S. Revathi, W/o K. sundar,
134, Krishna Mansion, R.P. Road, Secunderabad.
(Transferor)

(2) Mr. John Comfort,
S/o K.P. Devdas,
125, East Marredpally, Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

**EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

H.No.10-3-77/2(Plot No.125|A) in A.P. Govt. Employees Co-op. Housing Colony, Marredpally, Secunderabad, admeasuring 295 s.yds registered by the SRO, Marredpally vide Document No.2308/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.22/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot No. 3, situated at Somojiguda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. D. Satyavathi,
W/o Pitchiah & others, Vijaywada.
Transferor(s)

(2) Sri Suresh Kumar Bhatnagar,
S/o Nageshri Prasad & 7 others,
H.No.5-9-31/1, Bashir bagh, Hyderabad.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act have the same meaning as given in in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No.3 in Sy.No.384 at Somajiguda, Hyderabad, admeasuring 480 sp.yds registered by the SRO, Hyderabad, vide Document No.4646/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. No. RAC No. 23/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Plot situated at Kishanpura, Hanumakonda
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Warangal on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. M. Shakunthala,
W/o Santhan Rao & other,
H.No.5-10-24, Kishanpura,
Hanumakonda, Warangal.
(Transferor)

(2) Sri V. Gurumallu,
S/o Nagabhushanam & 4 others,
5-10-24, Kishanpura,
Hanumakonda, Warangal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 855 sq.yds bearing M.No. 5-10-24(new) at Kishanpura, Hanumakonda, Warangal registered by the SRO, Warangal vide Document No.1721/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No.24/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No Portion of a house situated at Kishanpura, Hanumakonda (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Warangal on August 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt M. Sakuntala
W/o Santhan Rao,
2. Kum. M. Aruna Rekha,
D/o Santhan Rao,
5-10-24, Kishanpura, Hanumakonda, Warangal.
Transferor(s)

(2) Dr. Ch. Venkata Purushotham Reddy,
S/o Ramana Reddy,
5-10-24, Kishanpura, Hanamkonda, Warangal,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested is the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of a house bearing No.5-10-24(new), Kishanpura, Hanumakonda, Warangal, admeasuring 380 sq.yds registered by the SRO, Warangal vide Document No.1722/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Hyderabad (A.P.).

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 25/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Part of a house situated at Kishan Pura, Hanamkonda, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Warangal in August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. M. Sakuntala
w/o Santhan Rao,
Kum. M. Aruna Reka,
D/o Santhan Rao,
H. No. 5-10-24, Kishanpura,
Hanumakonda, Warangal Dist.
(Transferor)

(2) Master K. Harishchandra (minor),
S/o late Balakrishna Reddy,
rep. by Mother & guardian Smt. K. Umadevi,
5-10-24, Kishanpura, Hanumakonda,
Warangal Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of a house No. 5-10-24 (new), Kishanpura, Hanumakonda, Warangal, admeasuring 341 sq. yds. registered by the SRO, Warangal vide Document No. 1723/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 26/1986-87.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 7 situated at Shaikpet village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Khairatabad in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. M. Sreepathy,
S/o Dr. M. S. Rao,
6-3-347/5, Dwarakapuri Colony,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) M/s Kalataru Co-op. Housing Society Ltd.,
rep. by its President Sri Mir Mazhar Ali
rep. by its Secretary Sri Siraj Yousuf Zai,
1, Banjara Castle, Road No. 12,
Banjara Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7 admeasuring 1077 sq. yds. at Sy. No. 129/27, Shaikpet village, Banjara Hills, Hyderabad, registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2152/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 27/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House situated at Anand Nagar Colony,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Hyderabad in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. O. Prabhakara Rao,
S/o Ganapathi,
Dy. Director of Agricultural (P.D. & Farm),
Amaravathi,
Guntur Dist.
(Transferor)

(2) Smt. D. Venkata Secthamahalaxmi,
W/o Ramabhadraiah,
6-3-609/47, Anand Nagar,
Khairatabad, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 6-3-609/47, Anand Nagar Colony, Khairatabad, Hyderabad, admeasuring 300 sq. yds. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4392/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 28/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs .1,00,000/- and bearing No. House situated at Banjara Hills, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Hyderabad on August 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid preperty by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Ishwar Raj Mathur,
A-7, Banjara Gardens,
Rd. No. 12, Banjara Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mr. K. Lakshmana Babu,
8-2-293/82/A/1329 (Plot),
Jubilee Hills,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of a house No. 8-2-293/82/A in Plot No. 388A Banjaru Hills, Shaikpet village, Hyderabad, admeasuring 609 sq. yds. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4434/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

**FORM ITNS**

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 29/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Acres of land situated at Kondamadugu village,
Bhongir Tq.,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bhongir in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferees for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Laxminarain
S/o late Mangilal Gupta,
rep. by GPA Sri Suri Seetaram,
H. No. 1-9-642/1, Vidyanagar,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) M/s Magna International Ltd.,
rep. by Director Smt. Sarala Gupta, (directress),
H. No. 1-2-261, S. D. Road,
Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Acres of land Ac 10-28 guntas situated in Sy. No. 598, at Kondamadugu village, Bhongir Tq., Nalgonda Dist., registered by the SRO, Bhongir vide Document No. 1806/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 30/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Secion 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
House situated at Patak Street, Matwada,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Warangal in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under the secion (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kondooru Vidyavathi
W/o Somasundaram,
near : Railway Gate,
Warangal.
(Transferor)

(2) M/s DUTTON's Association,
(An Educational Assn. for Minorities),
rep. by its Secretary Sri Pattabhi Param Jyothi,
Partak Street, Matwada,
Warangal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 13/483 (old) New H. No. 13-3-135, Patak Street, Matwada, Warangal, admeasuring 912 sq. yards registered by the SRO, Warangal vide Document No. 1771/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 43/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House No. 8-2-696/697/3, situated at Road No. 12, Banjara Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Khairatabad in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Rajnish Bahl,
S/o K. K. Bahl,
rep. by GPA holder Sri K. K. Khosla,
S/o Amarnath Khosla,
Plot No. 9, Marredallay, Amar Apartments,
Secunderabad.
(Transferor)

(2) Mrs. Kazimunnisa Begum
W/o Sri Mir Hashmath Ali,
Master Mir Asad Ali (minor),
Miss Hina Fatima
Master Mir Navsheer Ali (minor),
(minor rep. by natural father and guardian Sri Mir Hashmath Ali,
H. No. 8-2-696/697/3, Raad No. 12,
Banjara Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubcaton of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land admeasuring 430 sq yds. bearing Plot No. 3 enclosed by a comound wall common to plot No. 4 bearing M. No. 8-2-696/697/3, at Road No. 12, Banjara Hills in Sy. No. 403, Shaikpet village, Hyderabad registered by the SRO, Khairatabad, vide Document No. 2170/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 44/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
House No. 8-2-696/197/4,
situated at Road No. 12, Banjara Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairatabad in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Uma Bahl,
W/o K. K. Bahl,
No. 1, Vazir Konda Road,
No. 3, Banjara Hills,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Mr. Mir Hashmath Ali
S/o Mir Dilawar Ali,
Mrs. Kazimunnisa Begum
w/o Mir Hashmath Ali,
Miss Farah Naaz (minor)
minor rep. by natural father & guardian
Mr. Mir Hashmath Ali).
H. No. 8-2-696/697/4, Road No. 4,
Banjara Hills, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1076 sq. yds. bearing Plot No. 4, enclosed by a compound wall common to plot No. 3, bearing M. No. 8-2-696/697/4, situated at Road No 12, Banjara Hills, in Survey No. 403, Shaikpet village, Hyderabad, registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2169/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 45/1986-87.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Open plot situated at Road No. 3, Banjara Hills, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Khairatabad, in August 1985, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Devi
W/o Pratab Karan,
H. No. 289/99, Shanti Nagar,
Masab Tank,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri Bharat Kumar Mor
S/o late Sri Madanlal Mor,
Mrs. Parwati Mor
W/o Bharat Kumar Mor,
H. No. 21-1-773, Patel Market,
Pathergatty, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 30 days from the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, 45 days from the date of publication of this notice whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot No. 1, admeasuring 855 sq yds. situated at Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, registered by the SRO, Khairatabad vide Document No. 2241/8/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 7th April 1986

Ref. RAC No. 46/1986-87.—Whereas I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. House No. 8-2-326/4,
situated at Road No. 3, Banjara Hills,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at
Hyderabad in August 1985,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Vijaya Ramarao
S/o K. Goal Rao,
3-5-894, Himayath Nagar,
Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sri K. Mahender Reddy,
S/o K. C. Krishna Reddy,
Tuljaguda Block,
Moazamjahi Market,
Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the publication of the notice in the Official whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Premises bearing M. No. 8-2-326/4, in Road No 3, Banjara Hills, Hyderabad, admeasuring 550 sq. yds. registered by the SRO, Hyderabad vide Document No. 4503/85.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 7-4-1986
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/48270/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 20, situated at Kasi Visveswara Temple Street, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandhinagar on 29-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri B. S. Ramamohan,
2. Shri B. R. Srinivasan,
No. 4, Serpentine Road,
Kumara Park West Extension,
Bangalore-20.
(Transferor)

(2) Smt. D. Chandra Kantha,
No. 5, II Cross, Upstair,
Park Road,
Bangalore-53.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in the writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1549/85-86 Dated 29-8-85)

Premises bearing No. 20, Kasi Visveswara Temple Street, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/48387/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. S. 50-1E2, situated at Hosabelty Village, Mangalore Taluk (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Officce of the Registering Officer at Mangalore Taluk on August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Richardo Castelino,
Senappa Compound, Bolar,
Mangalore-1.
(Transferor)

(1) 1. Mr. P. Nazeer Ahmed,
2. Mrs. Naseema Banu,
201, Menaka, J. P. Road,
Anderi West,
Bombay-58.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning, as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 832/85-86 Dated Aug. 85)
Property bearing No. S.-50-1E2, at Hosabelty Village, Mangalore Taluk.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OL INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/48205/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. R.S. No. 5/2, situated at No. 90B Boloor Village, Mangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Officee of the Registering Officer at Mangalore under Document No. 726/86-86 on 3-4-1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Joachim Michael Lasarado
S/o Loris Lasarado Kodikal,
Ashok Nagar,
Mangalore-6.
2. Sri Joseph Lasarado
Represented by G.P.A. Holder,
Joachim Michael Lasarado Kodikal,
Ashok Nagar,
Mangalore.

(Transferor)

(2) 1. Shri Leslip Aloysius D'Souza
2. Mrs. Aloysius D'Souza
Represented by Cypriar Michael D'Souza
S/o Salvadore D'Souza
Enilda Cottage Upper Bendore,
Mangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 726/85-86 Dated 14-8-85)

All that property bearing No. R.S. No. 5/2 in No. 90-B situated at Boloor Village, Mangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/48623/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 196, situated at Main Road, Cubbonpet, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandhinagar on 28-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid prpperty by the issue of this Notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shindauma & Others,
No. 11, VIII Cross Road,
Krishnappa Layout,
Sudhamanagar,
Bangalore.
(Transferor)

(2) Smt. Subbalkshmamma,
No. 28, IX Cross Road,
Cubbonpet,
Bangalore.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the **publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1740/85-86 Dated 28-8-85)

Property bearing No. 196, at Main Road, Cubbonpet, Bangalore.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

*Bangalore, the 3rd April 1986*

C.R. No. 62/48206/85-86/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act',) have reason to believe that the immovable property, having a market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 88, situated at Derebail Village, Mangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mangalore City on 14-8-1985
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betwen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer aforesaid;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri K. Rama
2. Smt. A. Umavathi,
Yeyyadi, Padavu Village,
Mangalore Taluk.
(Transferor)

(2) Shri B. Padmanabha,
Service & Agriculturist,
Ashoknagar,
Mangalore.
(Transferee)

(3) Transferor.
(Person(s) in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 729/85-86 Dated 14-8-1985)
Property No. 88, Derebail Village, Mangalore City.

R. BHARDWAJ
Competent Auhority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/48156/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 43, situated at Amarajyothi layout, Nagashettutalli, Bangalore North Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bangalore North Tq. on 14-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. J. Grampurohit,
48, Amarajyothi Housing Colony,
Rajmahal Vilas, Stage-II,
Bangalore-24. (Transferor)

(2) Shri P. Ganapathy Bhat,
Advocate,
16/39, Kumara Park West, XII Block,
Bangalore-20. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 922/85-86 Dated 14-8-85)

Site No. 43, Amarajyothi Layout, Nagashettyhalli, Bangalore North Taluk.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/565/Aug/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 30 situated at Bhiridwarakoppa, Hubli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hubli under Document No. 1444/dt. Aug 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

70—76 GI/86

(1) Smt. Sundarabai
W/o Rajanasea Chovan
Vaddaroni, Ganeshpet,
Hubli.
(Transferor)

(2) Shri Shantascca Ramakrishnasa Kukadi,
Azad Road,
Hubli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Rtgistered Document No. 1444 Dated in Aug 1985)
Open plot measuring 4 Guntha 143/4 Annas situated at Bairidwara Kopra, Hubli.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/598/Aug/85-86/ACQ/B.—Whereas, I,
R. BHARDWAJ,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Municipal Door No. 125/3 situated at 5th Ward, 7th Bn. P.B. Road, Davangere
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Davangere under Document No. 3255/dt. 19-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Hindusthan Industrial Co.
& its Ten partners,
K. B. Extension
Davenagere.
(Transferor)

(2) Smt. N. U. Gungabai
W/o Umla Naik,
M.C.C. 'B' Block, House No. 2972,
Davenagere.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Docuent No. 3255 Dated 19-8-1985)
It is a open Plot situated at 5th Ward 7th Dn. P.B. Road, Davenagere its measuring 51 x 23 ft.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/616/Aug/85-86/ACQ/B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-, and bearing No. 2505 situated at K. R. Puram Extension Hassan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hassan vide Document No. 1669/85-86 dated 29-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. A. N. Chandra Chud,
S/o Late Patel Nanjappa,
Mysore.

(Transferor)

(2) Mrs. Rafath Khareela,
W/o Mr. M. S. Mohammed Ismail,
Coffee Planter, Railway Station Road,
Sakleshpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1669/85-86 Dated 29-8-85)
One Residential House bearing No. 2505 situated at K. R. Puram Extension, Hassan.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore, the 3rd April 1986

C.R. No. 62/831/Aug/85-86/ACQ|B.—Whereas, I, R. BHARDWAJ, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Rs. 1,00,000/- and bearing No. 2057 situated at M.G. Road, Chikmagalur Town (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chikamglur vide Document No. 1336/85-86 dated 28-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. N. N. Manjunath
Master M. M. Deepak, and
Master M. N. Arun Kumar
Represented by Natural Guardian and father
Mr. N. N. Manjunath,
All are resident of M.G. Road,
Chikagalur.
(Transferor)

(2) Mr. M. Vinayaka Kuara Setty,
S/o Mr. M. Jayaram Setty,
Residtnt of Christian Colony,
Chikmagalur Town
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person intertsted in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1336/85-86 Dated 28-8-85)
R.C.C. Building consisting of six shop premises bearing Municipal Khata No. 2057 0-15 Municipal No. 999 situated in M. G. Road, Chikmagalur Town.

R. BHARDWAJ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Bangalore

Date : 3-4-1986
Seal :

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.**

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS
Madras, the 2nd April 1986

Ahmedabad-380009, the 31st March 1986

Ref No. 4/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
17, Thhird Lane, Ritherdon Road,
(New No. 2, Church Lane, Vepery, Madras-7.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Purasawalkam Doc. No. 1459/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Saichander,
s/o D. Munilal Prasad,
No. 2, Church Lane, Madras-7.
(Transferor)

(2) Sri K. Abdul Hameed (Minor),
by father Anwar Sahib,
Sri K. A. K. Anwar Sahib,
No. 19, Thacker St.,
Purasawalkam, Madras-84.
(Transferee)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: 2 grounds and 1620 sq. ft. at No. 17, Third Lane, Ritherdon Road, New No. 2, Church Lane, Vepery, Madras-7.
Purasawalkam/Doc. No. 1459/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 8/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 8, Vasan St., Perambur,
situated at Madras-11.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Purasawalkam/Doc No. 1539/85 on Aug. 86
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the propery as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. T. D. Balarama Mudaliar and B. Alagu, 8, Vasan St., Perambur, Madras-11.
(Transferor)

(2) Sri Elangovan, No. 42, Selva Vinayagar Koil St., Madras-21.
Sri D. Ravindran, No. 10, Vilakkadi Koil St., Kanchcepuram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: Door No. 8, Vasan St., Perambur, Madras-11.
Purasawalkam/Doc. No. 1539/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 22/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
bearing No. 644, Mount Road, Madras-6
situated at Madras-6,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Thousandlights/Doc. No. 397/85. on Aug. 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Madras Investments and Construction Corporation 192, Lloyds Road, Madras-86.
(Transferor)

(2) Sri Ramesh, R. Dowlani,
Sonia R. Dowlani,
Shalini R. Dowlani,
Vijay R. Dowlani,
80, Marshalls Road, Madras-8.
(Transferee)

Objections, if any, to the acaquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this noticein the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: No. 644, Mount Road/Madras-6.
Thousandlights/Doc. No. 397/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 23/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Door No. 29, Anderson St., Nungambakkaam,
situated at Madras-34.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Thousandlights/Doc. No 398/85 on Aug. 1986
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kalpakam,
No. 8, C. V. Raman Road,
Bheemannapet, Madras-18.
(Transferor)

(2) Sri Amar Hameed,
No. 7, 4th St., Nungambakkam High Road,
Madras-34.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: Door No. 29, Anderson St. Madras.
Thousandlights/Doc. No. 398/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS
Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 29/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. S. N.o 229/3A in Vellivoyal Chavadi,
village, No. 149, Ponneri Taluk, Chingleput dist.
situated at Madras.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Thiruvettriyur/Doc. No. 2608/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. Balakrishnan, S/o Venugopal Mudaliar
2. Chakrapani, s/o V. Balakrishnan,
No. 161, Singanna Chetty St., Chintadripet,
Madras-2 and Sri V. Selvaraj, s/o Venugopal Mudaliar, 35, Venkatachala Naicken St.,
Old Washermanpet, Madras-21.
(Transferor)

(2) Smt. Gopalan, Meenakshi, w/o Gopalan,
30, Ananthachari St., Alwarpet, Madras-18.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Agricultural land: 3 acres: Vellivoyal Chavadi Village, S. No. 229/3A, 149, Ponneri Taluk, Chingleput Dist.
Thiruvottriyur/Doc. No. 2608/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 38/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. K. K. Nagar—
situated at
K. K. Nagar S. No. 419/1B part, Kodambakkam village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kodambakkam/Doc. No. 2680/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri M. Arunagiri,
No. 26, Kandusamy Koil St., Madras-12.
(Transferor)

(2) Sri B. S. Ahmed, No. 256/10, Pioneer Colony, Anna Nagar West, Madras-101.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: S. No. 419/1-B, Part, Kodambakkam Village 1 ground and 1040 sq. ft. K. K. Nagar, Kodambakkam/Doc. No. 2680/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-86.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 44/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 1, Lalithapuram St., Llyads Road, situated at Madras-14. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1085/85 of Aug. 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Maragatham Chandrasekaran,
w/o Sri Chandrasekaran Nadar,
No. 85, Peters Road, Royapettah, Madras-14.
(Transferor)

(2) Mrs. Rukmani, w/o V. Kathandaraman,
No. 3, Govardhan St., Royapettah, Madras-14.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Site: No. 1, Lalithapuram St., Lloyds Road, Madras-14.
Mylapore/Doc. No. 1085/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 46/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
14, D'Silva Road, situated at Madras-4,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1097/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Sridharan,
No. 15, Mahalinga Chetty St.,
Mahalingapuram, Madras-34.
(Transferor)

(2) N. Appathurai Iyengar, Lakshmi Ammal and A. Kalyanaraman, No. 6, North Street, Sriramnagr, Alwarpet, Madras-18.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat: No. 14, D'Silva Road, Madras-4.
Mylapore/Doc. No. 1097/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 48/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
3/1 Trust Main Road, Mandavelipakkar
situated at Madras-28.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylalore Doc. No. 1114/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. N. Srinivasan,
3, I Trust Main Road,
Madras-600 028.
(Transferor)

(2) Sri G. S. Ramachandran and S. Ravi,
107, Venkateswamy Road,
R. S. Puram, PO: Coimbatore-641 002.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: No. 3, I Trust Main Road, Mandavelipakkam, Madras-28.
Mylapore/Doc. No. 11148/5.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 51/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 62, Mowbrays Road, T. T. K. Road,
Alwarpet Madras-18.
situated at Madras-18.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylapore/Doc. No. 1126/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saraswathi,
No. 121, T. T. K. Road, Alwarpet,
Madras-600 018.
(Transferor)

(2) Sri G. Nagarajan,
6, II Cross St.,
Indira Nagar, Madras-600 020.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land: No. 62, Mowbrays Road, Alwarpet, Madras-18.

Mylapore/Doc. No. 1126/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal:

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 52/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
9, (New No. 28), Warren Road,
Bheemannapet, Mylapore, Madras-4.
situated Mylapore at Madras-4
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylapore/Doc. No. 1129/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri R. S. K. Patnam,
H. 37, Green Park Extension,
New Delhi-110 006.
(Transferor)

(2) Sri Devprakash,
16, Third Cross Road,
Madras-600 002.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building: Municipal Door No. 9, (New No. 28), Warren Road, Bheemannapet, Mylapore, Madras-4.
R. S. No. 3586/11.

Mylapore/Doc. No. 1129/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 54/Aug./85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
1/20 undivided share in 5, grounds and
863 sqware feet—Flat: II Floor, 1265 sq. ft. at No. 8,
Warren Road Mylapore
situated at Mylapore-4.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylapore/Doc. No. 1135/85 on Aug. 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Indira Nandakumar,
Flat No. 12, Door No. 8,
Warren Road, Mylapore, Madras-4.
(Transferor)

(2) M/s. Rockweld Electrodes India Limited,
rep. by its Chief Executive,
Mr. Rajindra Nath Office at: No. 29,
Industrial Estate, Ambattur, Madras.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat: II Floor, 1265 sq. ft. at No. 8, Warren Road, Madras-4.
Mylapore/Doc. No. 1135/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date: 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, th. 2nd April 1986

Ref. No. 57/Aug./85 — Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Door No. 17, First Cross St., CII Colony situated at R. S. No. 1607, Mylapore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mylapore/Doc. No. 1148/85 in Aug., 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. C. H. Balamoney,
W/o Late Sathyanarayanan,
No. 3, Sathyanarayanana Avenue,
Madras-28.

(Transferor)

(2) Mrs. Meera Raman,
W/o Shri K. C. Raman,
No. 4, III St.,
Dr. Radhakrishnan Road,
Mylapore,
Madras-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Door No. 17, First Cross St., CII Colony, Myapore, Myapore/Doc. No. 1148/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 59/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 37, Lloyds Road, I St., Balaji Nagar situated at Royapettah, Madras-14
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Mylapore/Doc. No. 1153/85 in Aug., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. P. S. Chandra
Sri N. D. Balaji,
Sri N. D. Rajagopal, and
Sri N. C. Duraiappan,
all at 37, (Old No. 19-A),
Masilamani Mudaliar Road,
Balaji Nagar,
Royapettah,
Madras-14.

(Transferor)

(2) Sri S. Altaf Ahmed,
315, Lloyds Road,
Royapettah,
Madras-14.

(Transferee)

Objections,if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : 37, (Old No. 19-A), Masilamani Mudaliar Road, Balaji Nagar, Royapettah, Madras-14.
Mylapore/Doc. No. 1153/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 61/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 43, II Main Road, R. A. Puram situated at Madras-28
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
at Mylapore/Doc. No. 1170/85 in Aug., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Thankam Thirupad and
Mrs. Saroja Appu Kuttan,
Mundempilli House,
Tripunithura,
Kerala.
(Transferor)

(Transferor)

(2) Messrs. Kaypeekay Medical Services Pvt. Ltd.,
68, Nungambakkam High Road,
Madras-34.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Door No. 43, II Main Road, R. A. Puram, Madras-28.

Mylapore/Doc. No. 1170/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS————

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

### GOVERNMENT OF INDIA

### OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. o. 63/Aug.-85.—Whereas I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 1, Dooming St., Mylapore situated at Madras-4 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at at Mylapore/Doc. No. 1184/85 in Aug., 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 369D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Radhakishen Bhaiya,
Gangakishen Bhaiya,
24, Neelakanta Mehta St.,
T. Nagar,
Madras-17.
(Transferor)

(2) Sri Narayan Prakash Bhaiya,
Smt. Krishna N. Bhaiya,
Sri Siddarth N. Bhaiya,
24, Neelakanta Mehta St.,
T. Nagar,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the dae of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : Door No. 1, Dooming St., Mylapore, Madras-4.
Mylapore Doc. No. 1184/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. No. 66/Aug-85.—Whereas I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 11, III Avenue, Indira Nagar situated at Madras-20. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras South Doc. No. 2499/85 in Aug., 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri R. S. Subbiah,
83, I Avenue,
Indira Nagar,
Adyar, Madras-20.
(Transferor)

(2) Mrs. Kamakshi Santhanam and
Sri V. Seetharaman,
MIG Flat 28, II Avenue,
Indira Nagar,
Adyar, Madras-20.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building : Door No. 11, III Avenue, Indira Nagar, Madras-20.

MADRAS SOUTH/Doc. No. 2499/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 4-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. No. 69/Aug.85.—Whereas I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. Plot No. 8, S. No. 214/2 A1A1A1A1A1—PAIMASH Nos. 1360, 1361, and 1362 No. 140, Thiruvanmiyr Village, Saidapet Taluk, Shinkleput dist.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Madras South/Doc. No. 2605/85 in Aug., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

(1) Smt. Nirmala Jagannathan,
32, Golf Link, New Delhi-110 003,
rep. by her Gl. Power o Attoney Agent,
Smt. Saraswathi Chari,
95, Harington Road,
Chetput, Madras-31.
(Transferor)

(2) Dr. K. Pramila,
2, Dr. K. Susheelafi
rep. by her Gl. Power o Attorney Agent,
Sri K. V. Narasimha Rao,
18, Jeypore Nagar,
Madras-600 086.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land : 5 grounds and 353 sq.| ft. Plot No. 8, S. No. 214/2, A1A1A1A1A1 Paimash Nos. 1360, 1361 and 1362 in No. 140, Thiruvammiyur Village, Saidapet Taluk, Chingleput dist.

Madras South Doc. No. 2605/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 4-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 71/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 6, Murray's Gate Road, Alwarpat situated at Madras-18 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras South/Doc. No. 2615/85 in Aug., 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fteen per cent of such apparent consideration and that the nsideration for such transfer as agreed to between the arties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Nrs, J, Vasentha Menon and others
Flat 3A, Skklark Apartments,
13, Rutland Gate,
V Street,
Madras-6.
(Transferor)

(2) M/s. Sweekar Builders P. Ltd.,
20, 16th Avenue,
Harrington Road,
Madras-600 006.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Site : No. 6, Murray's Gate Road, Alwapret, Madras
Madras South/Doc. No. 2615/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

*Madras-600 006, the 2nd April 1986*

Ref. No. 125/Aug.85.—Whereas I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Vacant land, 2689 sq. ft., No. 27, situated at South Dhandapani St., T. Nagar, Madras-17
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at T. Nagar Doc. No. 1006/85 in Aug., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respec of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D o fthe said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri A. N. Viswanathan Rao and Son,
No. 5, Bujangarao St.,
Madras-15.
(Transferor)

(2) Sri A. Jawahar,
2/1, Sivaji St.,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land : 2689 sq. ft. at No. 27, South Dhandapani St., T. Nagar, Madras-17.
T. Nagar/Doc. No. 1006/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 127/Aug.85.—Whereas I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
Flat No. 8, Crescent Avenue Road, Adyar situated at Madras-20
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at T. Nagar/Doc. No. 2211/85 in Aug., 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

73—76 GI/86

(1) Smt. Sowdamini Prabhakaran,
Smt. Ieva Madhavan,
Smt. Janaki R. Nambiar and others,
No. 11, I Crescent Park Road,
Gandhi Nagar, Adyar,
Madras-20.

(Transferor)

(2) Sri R. Subramanian,
B/3, MICO Colony Besant Nagar,
Madras-600 090.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, Crescent Avenue Road, Adyar, Madras-20.
Adyar/Doc. No. 2211/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS
Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 129/Au/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Vacant Land of 3023 sq. ft. at 27, South situated at Dandapani St., T. Nagar, Madras-17
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at T. Nagar/Doc. No. 1007/85 in Aug, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri A. N. Viswanatha Rao and Son,
5, Bujanga Rao St.,
Madras-15.
(Transferor)

(2) Mrs. N. Vijaya,
24, Shivaji St.,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land : 3023 sq. ft., at No. 27, South Dandapani Street, T. Nagar, Madras-17.
T. Nagar/Doc. No. 1007/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 130/Aug/85.—Whereas, I, MRS. M. SAMUEL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Vacant Land : 27, South Dandapani St., situated at T. Nagar Madras-17 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at T. Nagar/Doc. No. 1008/85 in August 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :—

(1) Sri A. N. Viswanathan Rao and Son,
5, Bujanga Rao St.,
Madras-15.
(Transferor)

(2) Sri A. A. Moheharan,
251, Paper Mills Road,
Madras-11.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of that said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Vacant Land : 1 ground and 198 sq. ft. 2843 sq. ft. at 27, South Dandapani St., T. Nagar, Madras-17.

T. Nagar/Doc. No. 1008/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 131/Aug/85.—Whereas, I,
MRS. M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 27, South Dandapani St., situated at T. Nagar, Madras-17 (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T. Nagar/Doc. No. 1009/85 in August, 1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri A. N. Viswanatha Rao and Son,
5, Bujanga Rao St.,
Madras-15.
(Transferor)

(2) Mrs. J. Swarnambal,
628, Rani Ammayar St.,
Vyasarpa Dl,
Madras-600 039.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Vacant Land : 2395 sq. ft. at No. 27, South Dandapani St., T. Nagar, Madras-17.

T. Nagar/Doc. No. 1009/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 2-4-86
Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 132/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
S. No. 138/1, Plot No. 30, at 2, Moosa Sait St, situated at T. Nagar, Mardas-17
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at
T. Nagar/Doc. No. 1010/85 in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Srimathi K. Rajamma and others,
2, Moosa St.,
T. Nagar,
Madras-17. (Transferor)

(2) Sri I. Nalla Mohammed,
3, Costs Road,
T. Nagar,
Madras-17. (Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building in S. No. 138/1, Plot No. 30, at 2, Moosa, Sait St., T. Nagar, Madras-17.
T. Nagar/Doc. No. 1010/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date: : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd April 1986

Ref. No. 148/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Vacant residential land at Plot No. 29 situated at 5th Avenue, Besant Nagar, Madras-90
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Adayar/Doc. No. 2220/85 in August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri C. Chakrapani,
No. 3, Nagamani St.,
Mandaveli,
Madras-28.
(Transferor)

(2) Sri Pervin A. Ramanlal,
No. 35, IVth Main Road,
Besant Nagar,
Madras-90.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Vacant site Plot No. 29, 5th Avenue Besant Nagar, Madras-90.
Adayar/Doc. No. 2220/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date: 2-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 2nd April 1986

Ref. No. 149/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Old Plot No. 6, New Door No. 11, Besant Avenue Road, Urur village, Saidapet Taluk, R.S. No. 12 part, T.S. No. 5 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
Adayar/Doc. No. 2233/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the obyed of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Capt. H. Sunderam,
S/o K. S. Harihara Subramanyam,
No. 19, West Circular Road,
Madras-600 028. (Transfe

(2) Mr. D. Shyamkumar,
S/o P. Dharmarajan,
No. 660, T. H. Road,
Madras-81.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Old Plot No. 6, New Door No. 11, Besant Avenue Road, Urur Village, Saidapet Taluk.
Adyar/Doc. No. 2233/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-6600 006

Date: : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. No. 152/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 8, 1st Main Road, Gandhi Nagar, Adyar situated at Madras-600 020,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at
Adayar/Doc. No. 2275/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds tht apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Venkata Ramany,
689, J. P. Nagar, II,
Bangalore-560 078.
(Transferor)

(2) Mrs. Vasanthi Subramanian,
Y-126, Anna Nagar,
Madras.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersgned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site: No. 8, I Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Madras-20.

Adayar/Doc. No. 2275/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 4-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE **INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. No. 153/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
Plot 22, T.S. 10, 1st Avenue, Door No. 27 situated at Sastrinagar, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at
Adayar/Doc. No. 2328/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

74—76 GI/86

(1) Smt. Annapurani Sitaraman
11, 2nd St.,
Venus Colony,
Alwarpet,
Madras-18.

(Transferor)

(2) Sri S. Subramaniam,
Pattam Palace Post,
Trivandrum-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building ; Plot No. 22 (T.S. No. 10) Uuru Village, Door No. 27, Sastri Nagar, Madras.
Adayar/Doc. No. 2328/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-6600 006

Date : 4-4-1986

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras, the 2nd April 1986

Ref. No. 160/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, have a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
Door No. 7, Rajambal St., T. Nagar, S. No. 9300 situated at T. Nagar Madras-17
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
T. Nagar/Doc. No. 928/85 on May, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. S. Chollammal
2. Sri S. Sridharan,
7, Rajambal St.,
T. Nagar,
Madras-17.
(Transferor)

(2) Miss. R. Mahalakshmi,
rep. by father and guardian,
Dr. N. Rangabashyam,
38, Venkatanarayana Road,
T. Nagar,
Madras-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made is writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Door No. 7 Rajambal St., T. Nagar, Madras-17. Survey No. 9300.
T. Nagar/Doc. No. 928/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date: : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600006, the 2nd April 1986

Ref. No. 167/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
No. 36, Church St., Santhome, Mylapore situated at Madras-28
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Mylapore/Doc. No. 1036/85 on August,, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Anandam Xavier,
S/o late S. P. Anandam,
No. 3, Arulanandamudali St.,
Santhome, Mylapore,
Madras-4.
(Transferor)

(2) Sri R. Ponnukamatchi Achari,
S/o Ramasamy Achari,
Balar Lane,
Kammalar St.,
Vadagarai,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : No. 36, Church St., Santhome, Mylapore, Madras-28.
Mylapore/Doc. No. 1036/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-6600 006

Date : 2-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 4th April 1986

Ref. No. 168/Aug/85.—Whereas, I,
MRS M. SAMUEL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 11, First Trust Cross St., Mandavelipakkam situated at Madras-28
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at
Mylapore/Doc. No. 1068/85 on August, 1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of he said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. V. Alamelu,
No. 11, First Trust Cross St.,
Mandavelipakkam,
Madras-600 028. (Transferor)

(2) Smt. S. Savithri
No. 37-C, Nathamuni St.,
T. Nagar,
Madras-17. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building : Door No. 11, First Trust Cross St., Mandavelipakkam, Madras-28. R.S. No. 4457.
Mylapore/Doc. No. 1068/85.

MRS. M. SAMUEL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Madras-600 006

Date : 4-4-1986
Seal :

FORM ITNS.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2257/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2 situated at Narendra Chandra Dutta Sarani, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Office at
I.A.C., Acq, R-III, Cal. on 11-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Ramgopal Ganeriwala Pvt. Ltd.
Smt. Lilawati Devi Ganeriwala.
(Transferor)

(2) M/s. Madan Lal, Agencies Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 1 at 3rd floor. Area 1829.81 Sq. ft. at 2, Narendra Chandra Dutta Sarani, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37E/Acq. R-III/205 dated 11-8-1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No.2258/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. No. 39/1 situated at Sarat Bose Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at I.A.C., Acq.R-III, Calcutta on 14-8-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Migma Private Limited. (Transferor)

(2) Mr. Ramesh S. Kothari.
2. Mrs. Kokila R. Kothari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter

THE SCHEDULE

A residential flat measuring 1660 Sq. ft. being flat No. B-2 2nd floor at premises No. 39/1, Sarat Bose Road, Cal-20. Registered before I.A.C., Acq.R-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/259 dated 14-8-1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2259/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 94-A situated at Bakul Bagan Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I.A.C., Acq.R-III, Calcutta on 14-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Ramkishore Bansel.
Projit Kumar Mitra.
(Transferor)

(2) Smt. Shantaben Ratilal Desai.
Smt. Nalini R. Desai,
Sri Ajay Kumar R. Desai &
Sri Nilesh Kumar R. Desai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4-A on 4th floor measuring 428 Sq. ft. at 94-A, Bakul Bagan Road, Calcutta. Registered before I.A.C. Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq.R-III/272 dated 14-8-1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 18-4-1986

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2260/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
No. 39/1 situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
I.A.C., Acq.R-III, Calcutta on 14-8-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOW, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Migma Private Limited.
(Transferor)

(2) 1. Sri Liladhar T. Dutta,
2. Dilip L. Dutta,
3. Vinod L. Dutta,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-2 on 2nd floor measuring 1015 Sq. ft. at 39/1, Sarat Bose Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq.R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq.R-III/307 dated 14-8-1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 18-4-1986
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2261/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 7B/1A, situated at Palm Avenue, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Cal. on 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Shukla Ghosh. (Transferor)

(2) Smt. Alpana Banerjee. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1B on 1st floor measuring 966 sq. ft. at 7B/1, Palm Avenue, Calcutta-19. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/253, dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 18-4-1986
Seal :

**FORM ITNS——**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2262/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 180 situated at Rash Behari Avenue, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Cal. on 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) R. Kar & Associates. (Transferor)

(2) Smt. Jhamku Devi Kothari, Sri Surendera Singh Kothari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. C-2, measuring 1294 sq. ft. being premises at 180, Rash Behari Avenue, Calcutta-29. Registered before I.A.C., Acq. Range-III, Calcutta vide 37EE/Acq.R-III/267 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2265/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
No. 2/5 situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
I.A.C. Acq. R-III, Cal on 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Samsen Developments Private Ltd.
(Transferor)

(2) 1. Sri Pawan Kumar Agarwal,
2. Mrs. Shashi Devi Agarwal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided proportionate share in the land measuring 22 Cottahs 3 Chittaks being a portion of premises No. 2/5, Sarat Bose Road, Cal-20, along with a flat No. C on the 8th floor covered area of 1710 sq. ft. Registered before I.A.C. Acq. Range-III, Calcutta vide 37EE/Acq.R-III/273 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2264/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 1A, situated at College Row, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub Registrar of Assurances, Calcutta under Registration No. — dattd 16-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Saroj Baran Mukherjee. (Transferor)

(2) Gramin Shilpodyog. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 1A, College Row, Calcutta, Registered before Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. 12074 dated 17-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 10-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

Calcutta, the 18th April 1986

Ref. No. 2265/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 43 situated at Kailash Bose Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. Acq. R-III, Cal. on 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of tthe said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mahesh Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Suresh Kumar Mayukh Kumar (HUF) (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 523 on the 5th floor at 43, Kailash Bose Street, Calcutta-6, measuring 1568.2 sq. ft. Registered before I.A.C. Acq. Range-III, Calcutta, vide 37EE/Acq.R-III/299, dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date: 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
CALCUTTA

*Calcutta, the 18th April 1986*

Ref. No. 2266/Acq.R-III//Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 224, 224/1, situated at Acharya Jagadish Bose Road and 68 Ballygunge Circular Road, Calcutta-19 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Cal. — *dated 14-8-85*

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V. K. Thakkar Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Mr. Man Mohan Sing Sethi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 'F' on the 4th floor measuring 1483 sq. ft. and servant quarter 'A' on the 4th floor measuring 55 sq. ft. at 224, 224/1, Acharya Jagadish Bose Road and 68, Ballygunge Circular Road, Calcutta, Registered before I.A.C., Acq. Range-III, Calcutta, vide 37EE/Acq.R-III/276 dated 14-8-1985.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Auhority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
*54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.*

Date: 18-4-1986
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,

CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2267/Acq.R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18/2 situated at Gariahat Road, Calcutta (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta under registration No. — dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer thereof

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Veekay Properties Pvt. Ltd.

(Transferor)

(2) Joint Plant Committee.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Unit No. 5A on the 5th floor of the building at 18/2, Gariahat Road, Calcutta, together with one covered car-parking space on ground floor & one store room No. 4, Registered before I.A.C., Acq. R.III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/290/dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16.

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2268/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18/2, situated at Gariahat Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta under registration No. — dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaide exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 296C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Veekay Properties Pvt. Ltd.
(Transferor)

(2) Sri Gopal Vyas, Shiv Kumar Vyas, Jashoda Vyas and Raj Kumar Vyas.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat No. 7C on 7th floor of the building at 18/2, Gariahat Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/300 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2269/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
24/D, situated at Deshapriya Park, Calcutta-26
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of

(1) Sudhir Chandra Chakraborty. (Transferor)

(2) Purbani Bagchi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 Cottah 8 Chittaks 34 Sq. ft. of land with building plinth area of 2 Cottahs 8 Chittaks at 24/D, Deshapriya Park, Calcutta. Registered before Sub Registrar of Alipore, vide Deed No. 7689 dated 31-8-85.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27) of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2270/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
12A situated at Amrita Banerjee Road, Calcutta-26
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Manikial Mukherjee
Smt. Gita Rani Debi.
(Transferor)

(2) Smt. Rekha Agarwal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the *Official Gazette* or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Two storeyed building on land measuring 3 Cottahs 7 Chittaks 12 Sft. at 12A, Amrita Banerjee Road, Calcutta-26. Floorwise plinth area Ground floor—1527 Sft. 1st floor 1629 Sft. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/ Acq. R-III/293 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD.
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2271/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
52A situated at Sambhu Nath Pandit Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

77—76GI/86

(1) Bestlay Housing Corporation. (Transferor)

(2) Sri Narendra Kumar Khaitan,
Sri Rabindra Kumar Khaitan, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 'C' on the 1st floor at 52A, Sambhu Nath Pandit Street, Calcutta, consisting of an area of 1314 Sq. ft. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/104 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2272/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
224, 224/1, situated at Acharya Jagadish Ch. Bose Road & 68, Ballygunge Circular Rd., Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in resect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) V. K. Thakkar Properties Private Limited. (Transferor)

(2) M/s Calcutta Electronics & Machinery Co. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of buplication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXX of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat 'E' on the 8th floor measuring 2099 Sft. at 224, 224/1, Acharya Jagadish Ch. Bose Road & 68, Ballygunge Circular Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/287 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2273/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing No.
30/1, situated at Lansdowne Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta,
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Damayanti R. Rupareli.
(Transferor)

(2) (1) Mr. Thakorlal Parikh
(2) Mrs. Sumanben Parikh
(3) Mr. Rajesh Parikh
(4) Mrs. Minal R. Parikh
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 43 measuring 1279 Sft. on 4th floor at 30/1, Lansdowne Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/327 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2274/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
2/5 situated at Sarat Bose Road, Cal.,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and re-registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta,
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Samstn Developments Private Limited, (Transferor)

(2) Mrs. Meena Gupta &
Mrs. Shona Bhojangarwala, (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. D/1, on the 2nd floor at 2/5, Sarat Bose Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/302 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2275/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 1,00,000/- and bearing
224, 224/1, situated at Acharya Jagadish Ch. Bose Rd., & 68, Ballygunge Circular Rd., Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta,
under registration No. — dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more that fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transferer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) V. K. Thakkar Properties Private Limited. (Transferor)

(2) (1) Mr. H. G. Halai
(2) Mrs. Jyoti Halai. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition o fthe said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat 'D' on the 4th floor measuring 932 Sft. at 224, 224/1, Acharya Jagdish Ch. Bose Road & 68, Ballygunge Circular Road, Calcutta-19. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/294 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2276/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 48 situated at Kali Temple Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, under registration No. — dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Builders. (Transferor)

(2) Smt. Prem Gulati. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4C measuring 1187 Sft. at 48, Kali Temple Road, Cal-20. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal,, vide 37EE/Acq. R-III/279 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2277/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.
18/2 situated at Gariahat Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta,
dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Veekay Properties Private Limited. (Transferor)

(2) Joint Plant Committee. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Unit No. 3E on 3rd floor measuring 1547 Sft. together with car parking space on the ground floor & one store room No. 1 on the 3rd floor at 18/2, Gariahat Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/291 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2278/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18/2 situated at Gariahat Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more han fifteen per cent of such apparent consideration and that he consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabiilty of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Veekay Properties Private Limited. (T

(2) Mr. Kunal Mitra. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat No. 4-F on 4th floor at 18/2, Gariahat Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/269 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2279/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18/2 situated at Gariahat Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, dated 14-8-85
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. S. K. Srivastava.
Mrs. Shakuntala Srivastava.

(Transferor)

(2) Veekay Properties Pvt. Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat No. 5A on the 5th floor of the building at 18/2, Gariahat Road, Calcutta. Acgistered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/270 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2280/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SHAIKH NAIMUDDIN, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18/2 situate at Gariahat Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Veekay Properties Private Limited. (Transferor)

(2) Joint Plant Committee. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Unit No. 6E on the 6th floor measuring 1599 Sft. together with car parking space on Ground floor & store room No. 1 on the 10th floor at 18/2, Gariahat Road, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, vide 37EE/Acq. R-III/289 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2281/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, SAIKH NAIMUDDIN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 40/20, situated at Moore Avenue, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of tth yiballeil of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Mrs. Maya Modak,
(2) Swapna Kar Chowdhury.
(Transferor)

(2) Sri Bhaswar Purkayastha.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that 1st floor flat measuring 937 Sft. at 40/20, Moore Avenue, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. R-III, Cal,. vide 37EE/Acq. R-III/254 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-III,
54, RAFI AHMED KIDWAI ROAD,
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 18th April 1986

Ref. No. 2282/Acq. R-III/Cal/86-87.—Whereas, I, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 118 situated at Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C., Acq. R-III, Calcutta, dated 14-8-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ratan Devi Jain. (Transferor)

(2) Smt. Chanda Devi Sarogi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided proportionate share of land & flat No. 3A at 118, Dr. Meghnad Saha Sarani, Calcutta. Registered before I.A.C., Acq. Range-III, Cal., vide 37EE/Acq. R-III/278 dated 14-8-85.

SHAIKH NAIMUDDIN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road.
Calcutta-16

Date : 18-4-86
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986